बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020
Annual Report 2019-2020

बैंकिंग कहीं भी
Banking Anywhere

Home SAFE Home!

अपना घर, सुरक्षित घर

Use Mahabank's Digital Services

महाबैंक डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें

Maha-UPI App
महा-यूपीआई ऐप

Maha-Mobile App
महा-मोबाइल ऐप

Internet Banking
इंटरनेट बैंकिंग

M-POS Machine
एम-पीओएस मशीन

Credit / Debit Cards
क्रेडिट/डेबिट कार्ड

Avoid line. ***Go online!***

लाइन से बचें... ऑन-लाईन चलें!

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Follow us @mahabank

Apply now - www.bomloans.com

अभी आवेदन करें - www.bomloans.com

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधकगण	General Managers	3
3.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	Statement of Managing Director & CEO	4
4.	मुख्य कार्य निदष्पादन संकेतक	Key Performance Indicators	6
5.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	7
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	8
	- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	8
	- व्यवसाय एवं जमाराशियों का कार्यनिष्पादन 2019-20	- Performance Highlights 2019-20	8
	- संसाधन: शाखा नेटवर्क, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहकर अनुक्रियाशीलता और अन्य	- Resources: Branch Network, Human Resources, It Infrastructure, Customers Responsiveness and Others	14
	- सामाजिक / सूक्ष्म आर्थिक विकास	- Socio/Micro Economic Development	20
	- बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं	- Important Schemes/ Projects of the Bank:	22
	- निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	24
	- अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	25
	- सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	28
	- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	29
	- सुरक्षा	- Security	30
	- सचिवीय लेखा परीक्षा	- Secretarial Audit	30
	- निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	- Directors' Responsibility Statement	30
	- निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors:	31
	- लाभांश वितरण नीति	- Dividend Distribution Policy	31
	- व्यवसाय उत्तरदायितव रिपोर्ट	- Business Responsibility Report	31
	- आभार	- Acknowledgement	31
6.	कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	Corporate Governance Report	38
7.	तुलनपत्र	Balance Sheet	70
8.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	71
9.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	72
10.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	81
11.	नकदी प्रवाह का विवरण	Cash Flow Statement	120
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	122
13.	बेसल III प्रकटन	Basel III Disclosures	134
14.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	165

17 वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न
NOTICE FOR 17TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

कृते मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन:005301एन
सनदी लेखाकार
for M/s. M. D. Gujrati & Co.
FRN: 005301N
Chartered Accountants

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय :** 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31-03-2020 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2020

श्री ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

श्री हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक

Shri Hemant Tamta
Executive Director

श्री नागेश्वर राव वाई.
कार्यपालक निदेशक

Shri Nageswar Rao Y.
Executive Director

श्रीमती वंदिता कौल
Smt. Vandita Kaul

श्री एम. के. वर्मा
Shri M K Verma

श्री आर. तामोधरन
Shri R. Thamodharan

श्री लक्ष्मीनारायण रथ
मुख्य सतर्कता अधिकारी

Shri Laxminarayan Rath
Chief Vigilance Officer

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

31-03-2020 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2020

डॉ. एन. मुनिराजु
Dr. N. Muniraju

श्री एन. राम बाबु
Shri N. Ram Babu

श्री वी. पी. श्रीवास्तव
Shri V. P. Srivastava

श्री प्रशांत आर. खटावकर
Shri Prashant R Khatawkar

श्री उन्नम आर. राव
Shri Unnam R. Rao

श्री महेश जी. महाबळेश्वरकर
Shri Mahesh G Mahabaleshwarkar

श्री एस. के. हणमशेट
Shri S K Hanamshet

श्री पी. आर. दातार
Shri P R Datar

श्री वी. डी. कोल्हटकर
Shri V D Kolhatkar

श्री वी. एन. कांबळे
Shri V N Kamble

श्री संजय रूद्र
Shri Sanjay Rudra

श्री एन. एस. देशपांडे
Shri N.S. Deshpande

श्री विवेक घाटे
Shri Vivek Ghate

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की 17वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जुलाई 2019 में, केंद्रीय बजट 2019-20 में भारत को 2024-25 तक यूएस $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के विजन को स्पष्ट किया। वैश्विक उत्पादन में गिरावट और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अब तक हुई अपेक्षाकृत कम वृद्धि इस माइलस्टोन की राह में चुनौती है। जीडीपी की वृद्धि में गिरावट से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और खपत, निवेश तथा निर्यात में कमी के कारण यह वित्तीय वर्ष 2018 के 7% से गिरकर, वित्तीय वर्ष 2019 में 6.1% तथा वित्तीय वर्ष 2020 में 4.2% रह गई। मार्च 2020 के अंतिम कुछ हफ्तों के दौरान कोविड-19 का असर दिखना शुरू हुआ और विश्वभर में लागू व्यापक नियंत्रण उपायों से आपूर्ति और मांग दोनों ही प्रभावित हुए, जिसका दीर्घकालीन और व्यापक नकारात्मक प्रभाव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है।

कमजोर आर्थिक विकास और खपत में कमी के कारण 2019 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के अंतर्गत इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया को तेज करना, बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड ऋण उत्पादों को आरंभ करना, घर खरीदारों के लिए ईसीबी दिशानिर्देशों में ढील देना, ऋण उपलब्धता को आसान बनाना, विशेषकर दबावग्रस्त रियल इस्टेट और एनबीएफसी क्षेत्रों के लिए तथा राष्ट्रीय संरचनात्मक पाइपलाइन की घोषणा आदि शामिल हैं। कॉर्पोरेट टैक्स दरों को कम करके (जीडीपी का ~0.5%) के बराबर राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया। मांग को बढ़ावा देने के प्रयास में, फरवरी से अक्तूबर 2019 तक आरबीआई द्वारा रेपो दर में 135 बीपीएस की कुल कटौती के साथ मौद्रिक नीति में इस वर्ष भी महत्वपूर्ण ढील देखी गई। मार्च 2020 में, कोविड-19 प्रकोप के विस्तार को देखते हुए, आरबीआई ने रेपो रेट को और 75 बीपीएस घटाकर 4.40% कर दिया।

आपके बैंक का कार्य निष्पादन

अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के परिणाम अनिश्चित रूप से आ रहे हैं। तथापि, मुझे यह साझा करने में प्रसन्नता हो रही है कि तेजी से बदलते परिवेश में आपका बैंक इन कठिन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बावजूद, बैंक ने अपने ग्राहकों को निरंतर सहयोग दिया, जिससे ग्राहकों की आर्थिक

STATEMENT OF MANAGING DIRECTOR & CEO

Dear Shareholders,

I extend a very warm welcome to each one of you to the 17th Annual General Meeting of your Bank. In July 2019, the Union Budget 2019-20 articulated the vision of the Hon'ble PM to make India a US$ 5 trillion economy by 2024-25. The march towards this milestone has, been challenged by less than expected growth of India's GDP till now, on the back of a decline in world output. The economy suffered a slowdown in GDP growth which fell from 7% in FY2018 & 6.1% in FY 2019 and further to 4.2% in FY2020, due to falling consumption, investment and exports. During the last few weeks of March 2020 the impact of COVID-19 started coming in, which now imposes a deep and extensive negative shock to the global economy as the wide-ranging containment measures enacted around the world constrained both supply and demand.

With weak economic growth and falling consumption, the Government in 2019 took many important reforms which included speeding up the insolvency resolution process under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), launching external benchmark linked loan products, relaxation of ECB guidelines for home buyers, easing of credit, particularly for the stressed real estate, NBFC sectors and announcing the National Infrastructure Pipeline amongst others. Fiscal stimulus equal to (~0.5% of GDP) was provided by lowering corporate tax rates. In an attempt to boost demand, the year also witnessed significant easing of monetary policy with the repo rate cuts by RBI by total of 135 bps from February to October 2019. In March 2020, given the extension of the COVID-19 outbreak, RBI further reduced the repo rate by 75 bps to 4.40%.

Performance of your Bank

As the consequences of the Covid-19 pandemic on the economy and financial sector are still unfolding, I am happy to share that your bank is continuing to successfully navigate in these turbulent times amidst a rapidly changing environment. Despite a challenging year, the Bank stood firm in supporting its customers which further provided

कठिनाइयों को समझने का अवसर मिला। महामारी के बीच, हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा, हमारे ग्राहकों को सेवाओं की निर्बाध सुपुर्दगी और बैंक की वित्तीय प्रगति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं थीं। इस पृष्ठभूमि में, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में प्रतिस्पर्धी, लाभप्रद और जिम्मेदारीपूर्ण वृद्धि को अंजाम दिया है। कुछ प्रमुख डेटा निम्नानुसार हैं:

- 31.03.2020 को आपके बैंक का कुल व्यवसाय 4.63% की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर ₹ 2,44,955 करोड़ हो गया।
- 31.03.2020 को कुल जमाराशियां 6.69% की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर ₹1,50,066 करोड़ हो गई।
- आपके बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रू. 4,784 करोड़ की हानि की तुलना में वर्ष के लिए ₹389 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।
- सकल एनपीए और निवल एनपीए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.40% और 5.52% से घटकर 31.03.2020 को क्रमशः 12.81% और 4.77% हो गये ।
- 31.03.2020 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात और सीईटी-1 क्रमशः 13.52% और 10.67% रहे जो कि विनियामक आवश्यकता से अधिक हैं।
- आपके बैंक ने अपने अग्रिम पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन का रणनीतिक निर्णय लिया और तदनुसार रिटेल, कृषि और एमएसएमई(आरएएम) क्षेत्र में 31.03.2019 के 50.98% की तुलना में प्रगति हुई और 31.03.2020 को यह बढ़कर 57.29% हो गया।

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने निम्नानुसार नई व्यवसायिक पहलें की :

- नई योजनाओं का शुभारंभ- महा कांट्रेक्टर योजना, महा हॉस्पिटालिटी योजना और एमएसएमई हेतु स्टैंडबाई लाइन ऑफ क्रेडिट (एसएलसी-एमएसएमई) योजना।
- मौजूदा एमएसएमई उधारकर्ताओं की लिक्विडिटी ईज हेतु उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए 'कार्यशील पूंजी (एसएलसी- डब्ल्यूसी) हेतु स्टैंडबाई लाइन ऑफ क्रेडिट योजना आरंभ की गई।
- कांटैक्टलेस कार्डों के अंतर्गत बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत की।
- ग्राहक ईज और सुविधा हेतु इंटरनेट बैंकिंग में अतिरिक्त 13 सेवाएं और 42 कार्यकलापों (फंक्शनैलिटीज) को जोड़ा गया है।
- रेपो से जुड़े उधार दर आवास ऋण (आरएलएलआर) (विशेष योजना) और न्यू सैलरी सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट आरंभ किए गए।

भविष्य की ओर

हम ऐसे समय पर नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं जब सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं ठहराव की स्थिति में हैं। कोविड-19 का फैलाव बड़े पैमाने पर तेजी से हुआ है और अगले कुछ महीने वैयक्तिकों और संगठनों, सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। आईएमएफ के अनुसार, महामारी के कारण 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि के कमजोर होने के आसार हैं और 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 4.9% तक संकुचित होने की आशा है जो कि 2008-09 के दौरान हुए वैश्विक वित्तीय संकट से भी कहीं अधिक खराब स्थिति है। वहीं दूसरी ओर, आर्थिक गिरावट का कारण अर्थव्यवस्था की कोई बुनियादी समस्या नहीं है बल्कि बाहरी कारणों की वजह से आर्थिक गतिविधि रूक गई है। मुझे विश्वास है कि जैसे ही वह बाहरी प्रभाव हट जाएगा, आर्थिक गतिविधियां उसी तेजी से शुरू हो जाएंगी। इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी हम निरंतर अपने ग्राहकों के निकट रहेंगे, उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करेंगे और उनकी मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए प्रस्तावों की शुरुआत करेंगे।

मुझे विश्वास है कि अपनी इन्हीं मजबूतियों के बल पर आगामी महीनों में हमारा व्यवसाय और बेहतर होगा और अपने ग्राहकों को न्यू नार्मल में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हम पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। हम अपने ग्राहकों के साथ मिलकर इन अनिश्चित क्षणों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में, मैं आपके निरंतर सहयोग की आशा करता हूं।

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

opportunity to understand customers' plight. Amidst the pandemic, our focus was and remains the safety of our employees, uninterrupted delivery of services to our customers and the financial well-being of the bank. Against this backdrop, your bank delivered competitive, profitable and responsible growth in FY20. Here are some key data:

- Total Business of your bank increased to ₹ 2,44,955 crore as on 31.03.2020, showing an annual growth of 4.63%.
- Total Deposits increased to ₹ 1,50,066 crore as on 31.03.2020, showing an annual growth of 6.69%.
- Your bank recorded a Net Profit of ₹ 389 crore for the year as against loss of ₹ 4,784 crore on y-o-y basis.
- Gross NPA & Net NPA reduced to 12.81% & 4.77% as on 31.03.2020 from 16.40% & 5.52% on y-o-y basis respectively.
- Capital Adequacy Ratio and CET-1 of the bank stood at 13.52% & 10.67% respectively as on 31.03.2020 which is above the regulatory requirement.
- Your Bank made a strategic decision to rebalance its advances portfolio and accordingly Retail, Agriculture and MSME (RAM) sector showed an improvement to 57.29% as on 31.03.2020 from 50.98% as on 31.03.2019.

During the year, your Bank had taken new business initiatives as under:

- Introduced new schemes - Maha Contractor Scheme, Maha Hospitality Scheme and 'Standby Line of Credit for MSME (SLC-MSME)
- Introduced Standby line of credit for working capital (SLC-WC) to give additional comfort to the existing MSME borrower in regard to liquidity easing.
- Under Contactless Cards, the bank launched National Common Mobility Card (NCMC)
- In the Internet banking, additional 13 services and 42 functionalities were added for more customer ease and convenience.
- Introduced Repo Linked Lending Rate Housing Loan(RLLR) (Special Scheme) & New Salary Saving Account Product

Way forward

We are entering the new financial year at a time when all major economies have been brought to a standstill. The impact of the Covid-19 pandemic has been fast and widespread, and the next few months will be challenging for everyone, individuals and organizations. As per the IMF, the pandemic is now expected to weaken global economic activity substantially in 2020 with the global economy projected to contract by 4.9% in 2020, much worse than during the 2008–09 global financial crisis. On the other hand, the economic downturn is not due to any structural problem in the economy, but due to an externality that has hit the pause button on the economic activity. I am quite confident that whenever that externality is removed, an equally quick economic recovery will follow. Amidst these challenging times, we will continue to stay close to our customers, align ourselves to their evolving priorities and launch newer offerings that address current imperatives.

With all these strengths, I believe our business will only get better through the months ahead and we will be better positioned than ever to help our customers to lead in the new normal. As we navigate these uncertain times together with our customers, I look forward to your continued support.

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

मुख्य कार्य निदर्शन संकेतक / KEY PERFORMANCE INDICATORS

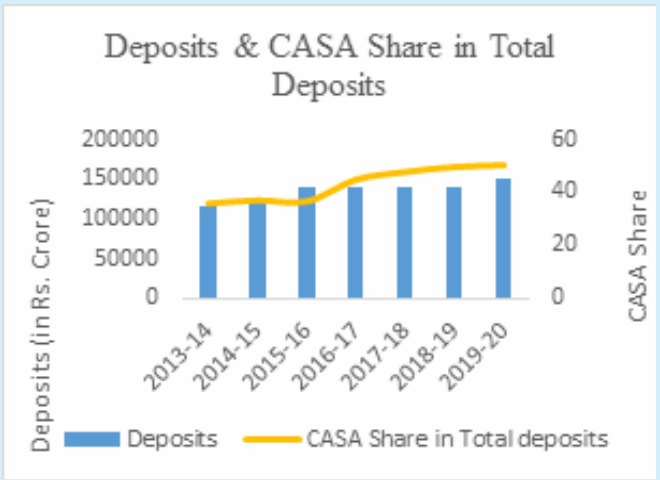

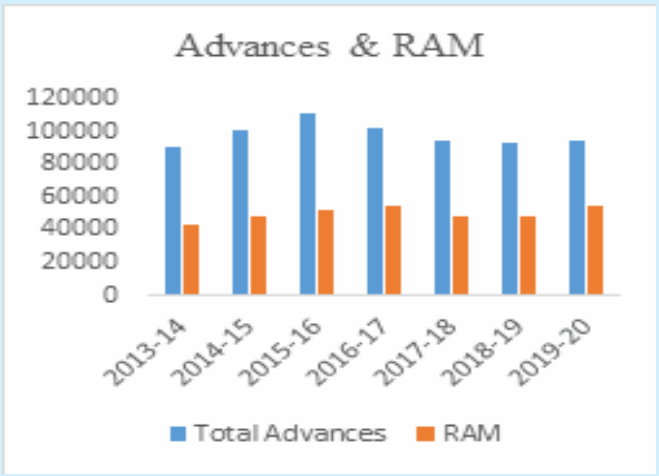

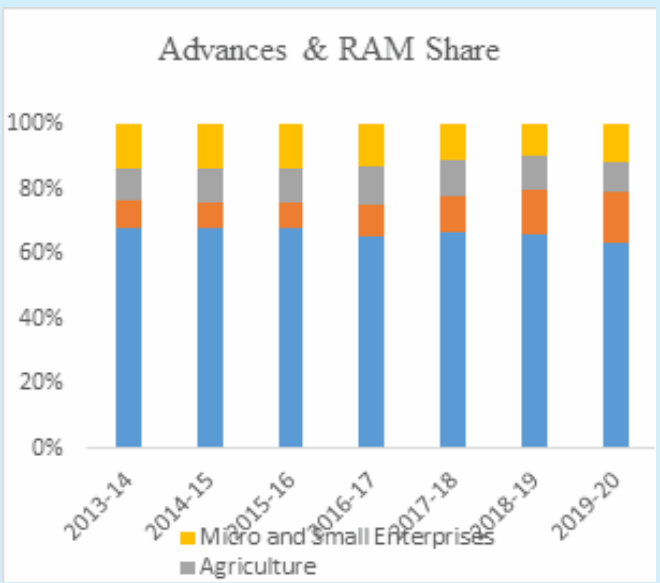

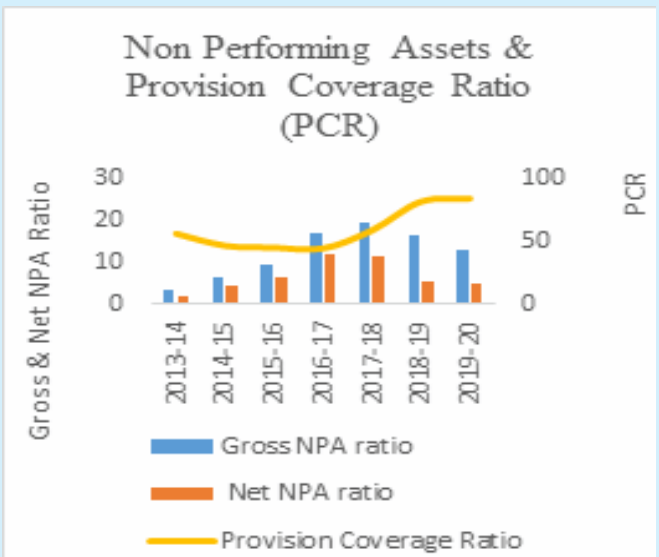

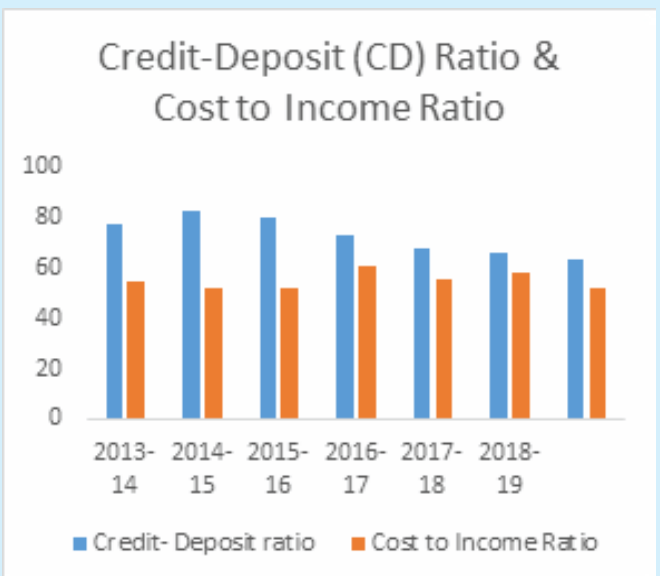

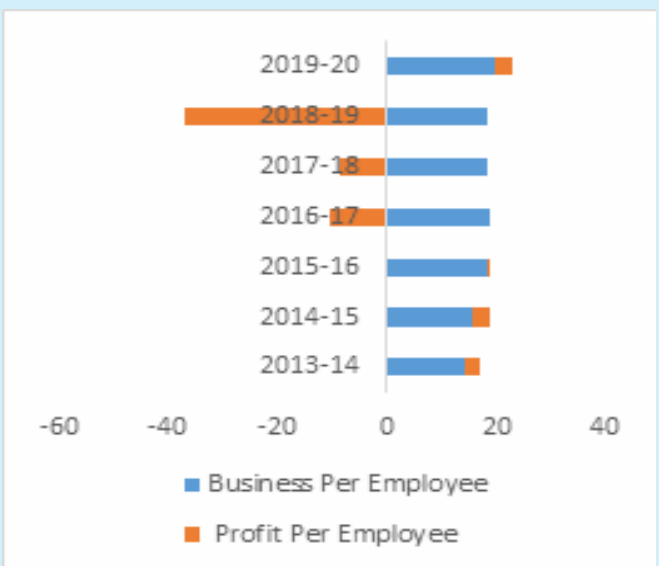

प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1168	1168	2598	2753	5824
आरक्षितियां Reserves	7619	6211	7346	2986	4931
कुल जमाराशियां Total Deposits	**138990**	**139053**	**138981**	**140650**	**150066**
वृद्धि % Growth %	13.82	0.05	(0.05)	1.20	6.69
कुल जमाराशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	36.67	44.89	47.74	49.65	50.29
अग्रिम Advances	**111240**	**101537**	**94645**	**93467**	**94889**
वृद्धि % Growth %	9.91	(8.72)	(6.79)	(1.24)	1.52
रिटेल अग्रिम Retail Advances	12568	15792	16547	18805	22810
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	**41485**	**40388**	**40709**	**35426**	**38,900**
कृषि Agriculture	17175	17960	17199	15120	14385
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	**22144**	**20419**	**15940**	**13727**	**17164**
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	3037	2921	2887	2923	3017
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	1684	1738	2333	2317	2455
निर्यात ऋण Export Credit	1226	1213	1210	1200	1167
कुल आय Total Income	14072	13570	12602	12397	13145
कुल व्यय Total Expenditure	11727	11743	10411	10199	10298
परिचालन लाभ Operating Profit	2345	1827	2191	2198	2847
निवल लाभ Net Profit	101	(1373)	(1146)	(4784)	389
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1895	1897	1846	1832	1833
एटीएम की संख्या Number of ATMs	1861	1878	1864	1858	1851
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)					
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल II(%) Capital Adequacy Ratio- Basel II (%)	11.2	11.18	11.00	11.86	13.52
प्रति शेयर आय Earning Per Share	0.91	(11.75)	(8.98)	(14.26)	0.67
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	63.36	46.96	23.73	10.29	11.99
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	18.18	18.54	18.07	18.13	19.55
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	0.73	(10.58)	(8.86)	(37.04)	3.10
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.07	(0.86)	(0.73)	(3.01)	0.23
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	52.12	60.98	55.24	58.39	51.97
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	9.34	16.93	19.48	16.40	12.81
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	6.35	11.76	11.24	5.52	4.77
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	45.04	44.48	58.71	81.49	83.97
ऋण- जमा अनुपात Credit- Deposit ratio	80.03	73.02	68.10	66.45	63.23
एएनबीसी को प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	39.82	34.99	38.63	40.70	41.2

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1) आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2019-20:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक कठिन वर्ष था जो वर्ष 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात, वैश्विक उत्पादन वृद्धि अपनी 2.9% की सबसे धीमी गति से बढ़ रही थी। जनवरी 2020 की शुरुआत में कोविड-19 के प्रकोप की शुरुआत के साथ, स्थिति और भी खराब हो गई। गिरती खपत, निवेश और निर्यात के कारण, अर्थव्यवस्था को वृद्धि में मंदी का सामना करना पड़ा, जिससे जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2018 में 7% से गिरकर वित्त वर्ष 2019 में 6.1% तथा वित्त वर्ष 2020 में 4.2% हो गई। वृद्धि में गिरावट औद्योगिक क्षेत्र में अधिक थी, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.9% से गिरकर 0.9% हुई; सेवा क्षेत्र में संतुलित (पिछले वर्ष में 7.7% की तुलना में वृद्धि 5.5%) रही; कृषि क्षेत्र में वृद्धि से इसकी भरपाई हुई (जो पिछले वर्ष में 2.4% की तुलना में 4% की दर से बढ़ी) जो कि अच्छी वर्षा के कारण हुआ।

कमजोर आर्थिक विकास, खपत व कर संग्रहण में गिरावट के साथ सरकार ने निवेश और खपत को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुधार हेतु कदम उठाए। हालांकि भारत में कोविड-19 के प्रकोप तथा निरंतर लॉक-डाउन ने इस गति को कम कर दिया। वर्ष की समाप्ति में बैंक ऋण वृद्धि अपेक्षा से काफी कम रही।

1.2) 2020-21 के लिए आउटलुक

कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए, भारत सरकार ने एमएसएमई, प्रवासी मजदूर, कृषक, शहरी गरीब तथा एनबीएफसी को केंद्र में रखकर 20 लाख-करोड़ रुपये (जीडीपी का 10%) के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। आर्थिक प्रणाली में पर्याप्त तरलता प्रदान करने के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2020 से नीतिगत रेपो रेट में भी 175 आधार अंकों की कमी की।

वित्तीय वर्ष21 के पहले दो माह में आर्थिक गतिविधियां राष्ट्रव्यापी लगाए गए लॉक-डाउन की वजह से शिथिल रही। परिणामस्वरूप, यद्यपि यह अपेक्षा है कि सम्पूर्ण वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होगा लेकिन यह मानते हुए कि महामारी वर्ष की दूसरी छः माही में समाप्त हो जाएगी, आर्थिक वृद्धि वित्तीय वर्ष 21 की तीसरी व चौथी तिमाही में बढ़ने का अनुमान है।

2. व्यवसाय व जमाराशियों का कार्यनिष्पादन 2019-20

1. आपके बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2019 के ₹2,34,117 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को 4.63% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2,44,955 करोड़ रहा।
2. कुल जमाराशियां पिछले वर्ष के ₹1,40,650 करोड़ की तुलना में ₹1,50,066 करोड़ रही, जो 6.69% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।
3. कासा जमाराशियां 31.03.2019 के ₹69,830 की तुलना में 31.03.2020 को ₹75,475 करोड़ रुपये रही, इसमें 8.08% की वृद्धि दर्ज हुई। 31.03.2020 को कुल जमाराशियों में कासा का हिस्सा 50.29% रहा।
4. बैंक के सकल अग्रिम 31.03.2019 के ₹93,467 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को ₹94,889 करोड़ रहे।
5. परिचालन लाभ 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के ₹2,198 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹2,847 करोड़ रहा।
6. प्रति कर्मचारी व्यवसाय 31.03.2019 के ₹18.13 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को बढ़कर ₹ 19.55 करोड़ रहा। प्रति शाखा व्यवसाय के लिए अनुरूप आंकड़े क्रमशः ₹133.64 करोड़ तथा ₹ 127.79 करोड़ रहे।

DIRECTORS' REPORT

Your Directors' have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2020.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

1.1 Economic and Banking Scenario 2019-20

The financial year 2019-20 was a difficult year for the global economy with world output growth growing at its slowest pace of 2.9% since the global financial crisis of 2009. With the onset of the COVID-19 outbreak in early January 2020, the situation worsened. Due to falling consumption, investment & exports, the economy suffered a slowdown in growth, wherein GDP growth fell from 7% in FY2018 & 6.1% in FY2019 to 4.2% in FY20. The fall in growth was sharp in industrial sector which fell to 0.9% y-o-y from 4.9%; moderation in services sector (growing at 5.5% compared to 7.7% in the previous year), which was offset by an uptick in the growth of agriculture sector (growing at 4% against 2.4% in the previous year) due to healthy precipitation.

With weak economic growth, falling consumption & tax collection, the Government took important reforms measures to boost investment and consumption. However, the outbreak of Covid-19 in India and consequent nation-wide lockdown dampened the momentum. Bank credit growth in the year ended up at a much lower rate than was expected.

1.2 Outlook for 2020-21

To counter the impact of COVID-19, the Government of India unveiled a stimulus package worth INR 20-lakh-crore (~10% of GDP) with a focus on MSMEs, migrant workers, farmers, urban poor and NBFCs. While providing adequate liquidity to the financial system the Reserve Bank of India also reduced the policy repo rate by 175 basis points since February 2020.

Economic activities in the first couple of FY21 was in a standstill due to the nationwide lockdown imposed. Consequently, while there is a widespread expectation for full year output to contract from the previous year, economic growth is estimated to pick-up in Q3 & Q4 of FY21 assuming that the pandemic dissipates in the second half of the year.

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2019-20:

1. Total Business of your Bank stood at ₹ 2,44,955 crore as on 31.03.2020 as against ₹ 2,34,117 crore as on 31.03.2019, showing an annual growth of 4.63%.
2. Total deposits stood at ₹ 1,50,066 crore as compared to ₹ 1,40,650 crore last year, showing an annual growth of 6.69%
3. CASA deposits increased to ₹ 75,475 crore as on 31.03.2020 from ₹ 69,830 crore as on 31.03.2019, registering a growth of 8.08%. Share of CASA to total deposits stood at ₹ 50.29% as on 31.03.2020.
4. Gross advances of the Bank stood at ₹ 94,889 crore as on 31.03.2020 in comparison to ₹ 93,467 crore as on 31.03.2019.
5. Operating Profit stood at ₹ 2,847 Crore for the year ended 31.03.2020 as against ₹ 2,198 crore for the year ended 31.03.2019.
6. Business per Employee increased to ₹ 19.55 crore as on 31.03.2020 as against ₹ 18.13 crore as on 31.03.2019. Corresponding figures for Business per Branch stood at ₹ 133.64 crore and ₹ 127.79 crore respectively.

2.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

विनियोजित ऋण	31.03.2020 को बकाया (रु करोड़ में)	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2019 को बकाया (रु करोड़ में)	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
उद्योग	30,113.57	31.74%	36,491.52	39.04%
इसमें से				
i अवसंरचनात्मक	7,370.82	7.77%	8,844.99	9.46%
ii रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1,430.69	1.59%	2,219.63	2.37%
iii पेट्रोलियम	688.76	0.73%	365.33	0.39%
iv लोहा व स्टील	1,609.59	1.70%	1,844.24	1.97%
v एनबीएफसी व व्यापार	10,759.03	11.43%	10,672.69	11.42%
vi इंजीनियरिंग	2,336.55	2.46%	2,942.93	3.15%
vii निर्माण	1.78	0.00%	5.21	0.01%
viii अन्य उद्योग	5,916.35	17.67%	9596.5	10.27%
कृषि	14,384.66	15.16%	1,5220.3	16.28%
एमएसएमई	17,163.92	18.09%	1,4664.42	1.46%
आवास	14915.71	65.39%	1,2052.1	12.89%
शिक्षा	1227.70	5.38%	1,086.53	1.16%
निर्यात	1,167.11	1.23%	1,200.04	1.28%
वाणिज्यिक भू संपदा	1,611.34	1.70%	2,324.14	2.49%
सकल अग्रिम	**94,888.98**	**xxx**	**93466**	**xxx**

2.2 गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

- बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों में ''आस्ति वसूली कक्षों (एआरसी)'' की स्थापना की है ताकि उन्नयन और एनपीए वसूली के लिए ध्यान केंद्रित करने के प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें।
- बैंक ने अपने अंचलों में बड़े एनपीए खातों, विशेषकर जहां कानूनी कार्रवाई चल रही है तथा जहां बैंक को अनुवर्तन की दृष्टि से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए बारह आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) भी स्थापित की हैं, ताकि अनुवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- इसके साथ ही बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक अलग विभाग के माध्यम से दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत बैंक ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में 4 (चार) दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाओं की स्थापना की हैं, जहां ₹5 करोड़ और उससे अधिक के शेषवाले एनपीए की निगरानी की जाती है।
- लोन ट्रैकिंग कक्ष की स्थापना की गई है, जहां बैंक स्लिपेजेस/ दबावग्रस्त खातों के उधारकर्ताओं के साथ दैनिक आधार पर टेलिफोन से अनुवर्तन करता है और अतिदेयों के पुनर्भुगतान पर जोर दिया जाता है। ऐसा अपेक्षित है कि इसके परिणामस्वरूप वसूली में सुधार और एनपीए में कोटिउन्नयन होगा। इरादतन चूककर्ताओं की पहचान, डीआरटी/ सरफेसी अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में अलग कक्षों की भी स्थापना की है।
- बैंक स्वप्रेरणा से गैर भेदभावपूर्ण और गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की निगरानी प्रधान कार्यालय के वसूली विभाग द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने ऐसी निम्नलिखित ओटीएस योजनाओं की शुरूआत की है :

  क. महाबैंक घर घर दस्तक योजना (जीजीडीवाई) 2019-20 : महाबैंक जीजीडीवाई- 2019-20 की शुरूआत संदिग्ध व हानि / टीडब्ल्यूओ श्रेणी ₹25 लाख तक के लघु एनपीए उधारकर्ताओं के लिए की गई।

2.1 Sectoral Deployment of Credit

Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2020 (in ₹ Crore)	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2019 (in ₹ Crore)	Percentage to total O/s
Industry	30,113.57	31.74%	36,491.52	39.04%
Of which				
i. Infrastructure	7,370.82	7.77%	8,844.99	9.46%
ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	1,430.69	1.59%	2,219.63	2.37%
iii. Petroleum	688.76	0.73%	365.33	0.39%
iv. Iron and Steel	1,609.59	1.70%	1,844.24	1.97%
v. NBFCs and Trading	10,759.03	11.43%	10,672.69	11.42%
vi. Engineering	2,336.55	2.46%	2,942.93	3.15%
vii. Construction	1.78	0.00%	5.21	0.01%
viii. Other Industries	5,916.35	17.67%	9596.5	10.27%
Agriculture	14,384.66	15.16%	1,5220.3	16.28%
MSME	17,163.92	18.09%	1,4664.42	1.46%
Housing	14915.71	65.39%	1,2052.1	12.89%
Education	1227.70	5.38%	1,086.53	1.16%
Exports	1,167.11	1.23%	1,200.04	1.28%
Commercial Real estate	1,611.34	1.70%	2,324.14	2.49%
Gross Advances	94,888.98	xxx	93466	xxx

2.2 Quality and NPA Management

- The Bank has set up "Asset Recovery Cells (ARC)" at all zonal offices to ensure focused efforts for upgradation and NPA recovery.
- Twelve Asset Recovery Branches (ARBs) have also been set up across the Bank's Zones for large NPA accounts, more particularly where legal actions are in progress and where the bank requires a more focused follow up approach.
- Further, the Bank established Stressed Assets Management Vertical by way of a separate department at Head Office under which Bank started 4 (four) Stressed Assets Management (SAM) branches in Delhi, Mumbai, Hyderabad and Pune, where NPAs with balance of ₹ 5 crore and above are being monitored.
- The Loan Tracking Cell has been established where Bank undertakes telephonic follow up on daily basis with borrowers of stressed accounts / slippages and repayment of over dues is insisted. It is expected that this will result in improving recovery and upgradation of NPAs. The Bank has also set up separate Cells at its Head Office for identification of Wilful Defaulters and gearing up actions under DRT / SARFAESI Acts.
- The Bank has been implementing suo-motu non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) Schemes. Monitoring of the performance under the schemes is undertaken by the Recovery Department, Head Office on daily basis. During 2019-20 the Bank introduced following such OTS schemes:

  a. Mahabank Ghar Ghar Dastak Yojana (GGDY) 2019-20: Mahabank GGDY 2019-20 was introduced for Small NPA borrowers up to ₹ 25 lakhs under Doubtful & Loss / TWO categories.

ख. महा-रियायत योजना (एमआरवाई) 2019-20 : महा-रियायत योजना (एमआरवाई) संदिग्ध व हानि श्रेणी के ₹25 लाख से अधिक से लेकर ₹50 करोड़ तक के लेजर शेष वाले एनपीए के लिए आरंभ की गई।

बैंक ने दौरे, पत्र, नोटिस, वसूली शिविर, लोक अदालतों, सरफेसी / डीआरटी अधिनियम के माध्यम से चूककर्ता उधारकर्ताओं पर गहन अनुवर्ती कार्रवाई की है, रिज़ॉल्यूशन एजेंटों/ वसूली एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, ताकि शीघ्र निपटान हो सके। बैंक ने दिवाला और दिवालियापन कोड 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत भी विभिन्न बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की है। अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:

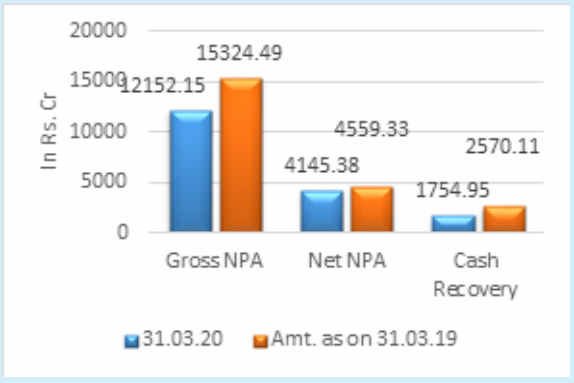

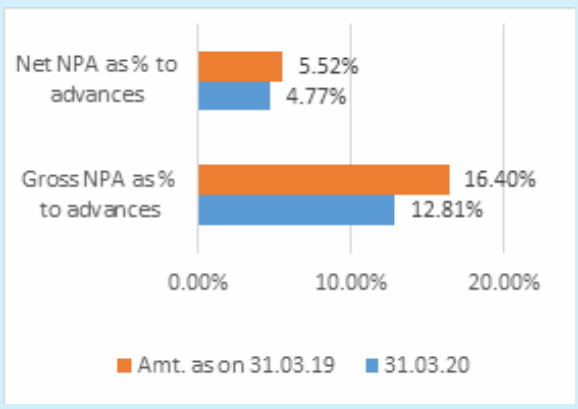

2.3 विदेशी मुद्रा कारोबार

''ए'' श्रेणी के रूप में मुंबई स्थित टीआईबीबी के अतिरिक्त बैंक के ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास देश भर में 36 बी श्रेणी की शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मर्चेन्ट व्यवसाय ₹ 35,127.77 करोड़ रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19	(+/-) का प्रतिशत
कुल एफईएक्स व्यवसाय टर्नओवर	5,68,236.68	8,12,351.14	-30.05%
व्यापारी व्यवसाय टर्नओवर	35,127.77	37,311.51	-5.85%
एफईएक्स व्यवसाय में लाभ	166.07	132.39	25.44%

2.4 निवेश

एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश में निवेश का ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

- 31.03.2020 को सकल निवेश ₹58,171.34 करोड़ रहा, जिसमें से ₹36,632.88 करोड़ एसएलआर प्रतिभूतियां और ₹21,538.46

b. Maha-Riyayat Yojana 2019-20 (MRY): Maha-Riyayat Yojana 2019-20 (MRY) was introduced for NPAs in Doubtful and Loss categories with Ledger Balance above of ₹ 25 lakhs and up to ₹ 50 crore.

Bank has also made intensive follow up with the defaulting borrowers through visits, letters, notices, Recovery Camps, Lok Adalats, Mahabank Adalats, actions under SARFAESI / DRT Act. Services of Recovery Agents / Resolution Agents are engaged so as to have an early resolution. The Bank has also initiated action under the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 against various large NPA borrowers. The position of Non-Performing Assets is as under:

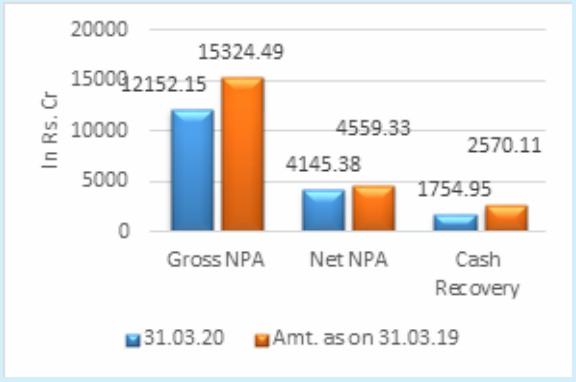

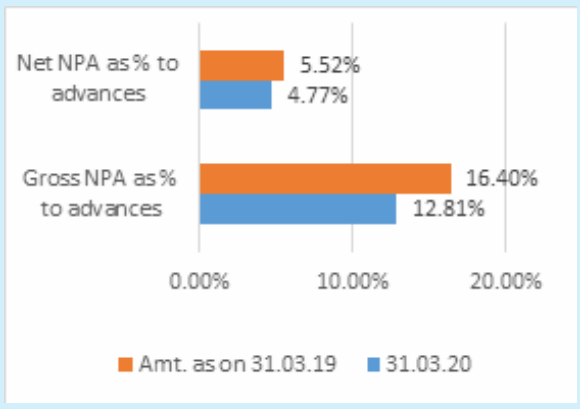

2.3 Foreign Exchange Business

Currently, the bank has 36 B Category branches across the country catering to the International business needs of the customers of the Bank apart from TIBB at Mumbai as "A" category branch. The Merchant Business for FY 2019-20 stood at ₹ 35,127.77 crore. The performance during the year 2019-20 can be seen below:

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19	Percentage of (+/-)
Total FEX Business Turnover	5,68,236.68	8,12,351.14	-30.05%
Merchant Business Turnover	35,127.77	37,311.51	-5.85%
Profit in FEX Business	166.07	132.39	25.44%

2.4 Investment

The breakup of Investments into SLR & Non-SLR investments is given below:

- Gross Investments as on 31.03.2020 stood at ₹ 58,171.34 crore, of which ₹ 36, 632.88 crore were

करोड़ गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां हैं। 31.03.2020 को अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां ₹9,445.23 करोड़ रही।

- निवल निवेश (प्रावधानों का निवल) 31.03.2019 के ₹59,697.05 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को ₹57,740.85 करोड़ रहा। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 65.40% शामिल है, जबकि विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) 31.03.2020 तक कुल निवेश पोर्टफोलियो का 34.59% शामिल है। निवेश गतिविधि से निवल ब्याज आय में पिछले वर्ष के दौरान ₹3,689.61 करोड़ से बढ़कर ₹4,203.89 करोड़ हो गया (13.94% की वृद्धि).
- 31.03.2020 को गैर-निष्पादन निवेश ₹389.15 करोड़ रुपए रहा.

2.5 व्यापारी बैंकिंग :

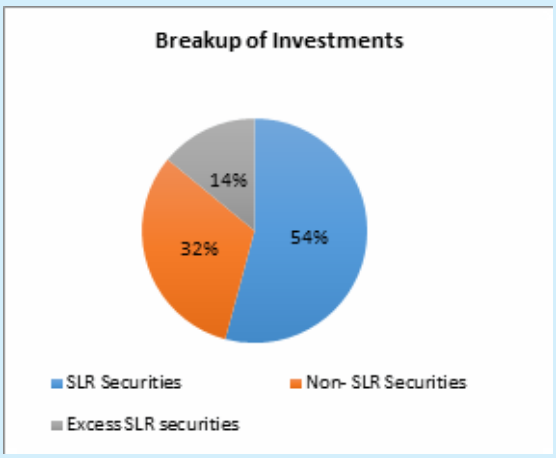

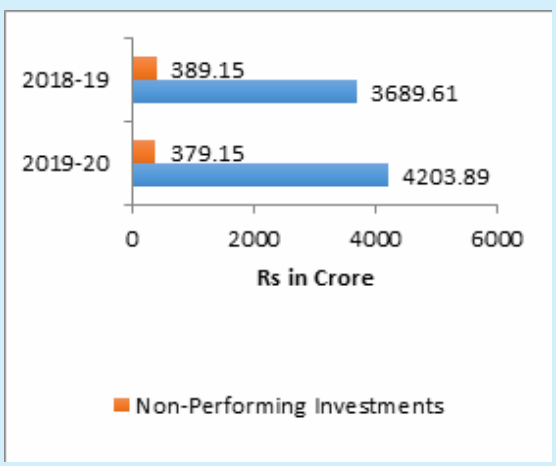

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹22,220 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,360 करोड़) के वाणिज्यिक पत्र के 63 मामले (पिछले साल 52 मामले) का संचलन किया है।

2.6 उधारियां :

31 मार्च 2020 को बैंक की उधारियां निम्नानुसार पुनःवित्त सहित, ₹3,766.89 करोड़ रही;

विवरण	31.03.2020 को राशि	31.03.2019 को राशि
कुल उधारियां	3,766.89	10,149.17
जिनमें से एलएएफ के अंतर्गत भारिबैं उधारियां	478.00	1500.00

into SLR securities and ₹ 21,538.46 crore into Non-SLR Securities. The excess SLR securities as on 31.03.2020 stood at ₹ 9,445.23 crore.

- The net investments (net of provisions) stood at ₹ 57,740.85 crore as on 31.03.2020 as compared to ₹ 59,697.05 crore as on 31.03.2019. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 65.40%, while Available for Sale (AFS) comprised of 34.59% of total investment portfolio as of 31.03.2020. The net interest income from investment activity increased to ₹ 4,203.89 crore from ₹ 3,689.61 crore during the last year (growth of 13.94%).
- The Non-Performing Investments stood at ₹ 389.15 crore as on 31.03.2020.

2.5 Merchant Banking

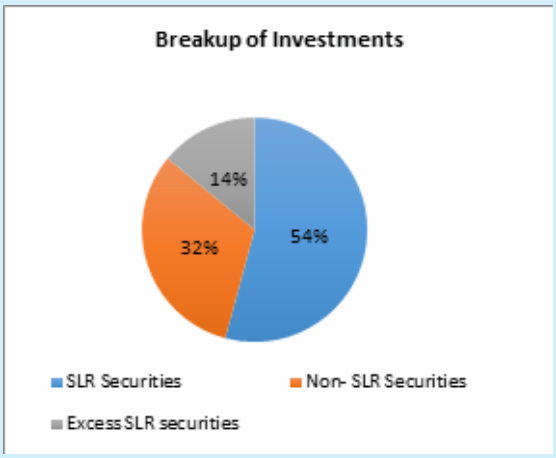

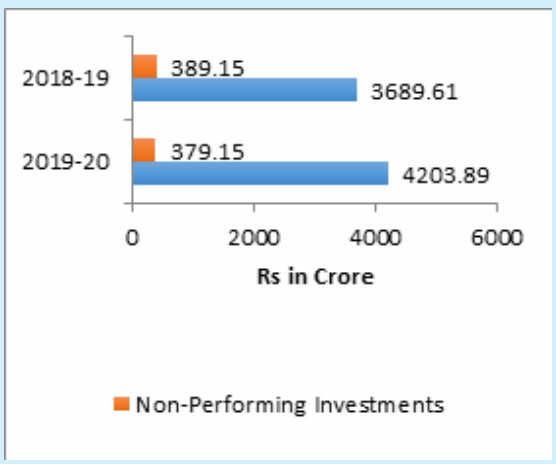

The Bank handled 63 issues (previous year 52 issues) of Commercial paper amounting to ₹ 22,220 crore (previous year ₹ 8,360 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during the year.

2.6 Borrowings

The borrowing of the Bank as on 31st March 2020 stood at 3,766.89 crore including re-finance as under:

(₹ in Crore)

Particular	Amount as at 31.03.2020	Amount as at 31.03.2019
Total Borrowing	3,766.89	10,149.17
of which Borrowing RBI under LAF	478.00	1500.00

विवरण	31.03.2020 को राशि	31.03.2019 को राशि
जिनमें से बाजार आरईएफओ उधारियां	0	2003.63
जिनमें से टीआरईपीएस (जी-सेक) उधारियां	0	3277.48
जिसमें से पुनर्वित्त		
नाबार्ड	0	140.00
एक्जिम बैंक	0	0.00
एनएचबी	0	92.62
मुद्रा	0	0.00
सिडबी	87.75	0.00
जिनमें से बॉण्ड्स और डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	3,100.00	3,100.00
भारत से बाहर उधारियां	103.09	35.39
अन्य	0.05	0.05

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने मोचन दिनांक को ₹600 करोड़ की राशि के लिए बेसल II/ बेसल III बॉण्डों का मोचन किया. बैंक ने अपने आस्ति देयता प्रबंधन के भाग के रूप में उधारियां लीं.

2.7 निक्षेपी सेवाएं

बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है.

बैंक में नेट बैंकिंग व यूपीआई के जरिए मूल सेवा डी-मैट खाता सुविधा (बीएसडीए) तथा एएसबीए का शुभारंभ किया.

2.8 बैंकएश्योरेन्स

बैंकएश्योरेंस व्यवसाय करने हेतु बैंक तीनों सेग्मेंट अर्थात जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा हेतु कॉर्पोरेट एजेंट है। वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार देखा जा सकता है :

2.9 सरकारी कारोबार

शाखाओं द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 6,05,256 प्रत्यक्ष कर चालान और 40,446 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए. चालू वर्ष के दौरान केंद्र/ राज्य सरकार से कर वसूली व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से ₹4.54 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ. वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में, बैंक केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 1,11,653 से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है. वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर ₹13.05 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.

2.10 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹12397.06 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹13144.68 करोड़ रही. विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹करोड़ में)

ब्योरा	2019-20	2018-19	अंतर (% में)
अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ छूट	6409.27	6,566.64	-2.40%
निवेशों पर आय	4202.69	3,689.61	13.91%
अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	883.49	593.35	48.90%
कुल ब्याज आय	**11495.45**	**10,849.60**	**5.95%**

Particular	Amount as at 31.03.2020	Amount as at 31.03.2019
of which Borrowing Market REPO	0	2003.63
Of which Borrowing TRePS (G-Sec)	0	3277.48
Of which Refinance from		
NABARD	0	140.00
EXIM BANK	0	0.00
NHB	0	92.62
MUDRA	0	0.00
SIDBI	87.75	0.00
Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments	3,100.00	3,100.00
Borrowings outside India	103.09	35.39
Others	0.05	0.05

During the FY 2019-20, the Bank redeemed Basel II /Basel III Compliant Bonds for an amount ₹ 600 crore on the redemption date. The bank undertook borrowing as part of its asset liability management.

2.7 Depository Services

- The bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The bank has also introduced Basic Services DEMAT Account Facility (BSDA) & ASBA through net-banking and UPI.

2.8 Bancassurance

The bank is a corporate agent for carrying out Bancassurance business under all three segments i.e. Life Insurance, General Insurance and Health Insurance. The performance during the year 2019-20 can be seen below:

2.9 Government Business

During the year 2019-20, 6,05,256 challans of Direct Taxes and 40,446 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Total commission to the tune of ₹ 4.54 crore was received on tax collection business from Central/State Government's and other business. As a service to senior citizens, the Bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 1,11,653 Central Government, Defense, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2019-20 stood ₹ 13.05 Cr.

2.10 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank stood at ₹ 13144.68 crore in FY 2019-20 as compared to ₹ 12,397.06 crore in FY 2018-19. The detailed income/expenditure components are as under:

(₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19	Variation (in %)
Interest / discount on advances / bills	6409.27	6,566.64	-2.40%
Income on investments	4202.69	3,689.61	13.91%
Interest on interbank lending & other Interest	883.49	593.35	48.90%
Total interest income	**11495.45**	**10,849.60**	5.95%

(₹करोड़ में)

ब्योरा	2019-20	2018-19	अंतर (% में)
गैर ब्याज आय	1649.23	1,547.46	6.58%
कुल आय	**13144.68**	**12,397.06**	**6.03%**
जमा पर ब्याज	6757.19	6,750.94	0.09%
उधारी पर ब्याज	20.56	29.57	-30.47%
अन्य ब्याज व्यय	438.90	335.61	30.78%
कर्मचारी व्यय	1743.82	1,794.17	-2.81%
अन्य प्रचालनगत व्यय	1337.15	1,289.16	3.72%
कुल गैर ब्याज व्यय	**3080.97**	**3,083.33**	**-0.08%**
कुल व्यय	**10297.62**	**10,199.45**	**0.96%**
प्रचालनगत लाभ	2847.06	2,197.61	29.55%
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	2458.48	6,981.49	0.00%
निवल लाभ	388.58	-4,783.88	0.00%

2.11 वित्तीय अनुपात :

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के विभिन्न वित्तीय मानकों को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

विवरण	2019-20	2018-19
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹)	0.67	(14.26)
आय से लागत का अनुपात (%)	51.97	58.39
आस्तियों पर आय(%)	0.23	(3.01)
इक्विटी पर आय(%)	6.32	(207.99)
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	11.99	10.24
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	21.20	(261.13)
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	3.10	(37.05)
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	133.64	127.79
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	19.55	18.13
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.78	6.82
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.97	0.97
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)*	2.60	2.53
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.68	1.38
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.03	1.13
लाभांश (प्रतिशत)	0.00	0
नेटवर्थ (रु .करोड़ में)	6985.74	5859.73
सीआरएआर(%) बेसल II	13.52	11.86
जिसमें से टियर - I सीआरएआर (%) (बेसल II)	10.67	9.91

2.12 पूंजी

बैंक द्वारा एसईबीआई (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) के विनियम, 2014 अनुपालन में, अपने पूर्णकालिक निदेशकों और कर्मचारियों को कर्मचारी शेयर

(₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19	Variation (in %)
Non-interest income	1649.23	1,547.46	6.58%
Total Income	**13144.68**	**12,397.06**	6.03%
Interest on deposits	6757.19	6,750.94	0.09%
Interest on borrowings	20.56	29.57	-30.47%
Other Interest expenditure	438.90	335.61	30.78%
Staff expenses	1743.82	1,794.17	-2.81%
Other Operating expenses	1337.15	1,289.16	3.72%
Total Non-interest expenses	**3080.97**	**3,083.33**	-0.08%
Total Expenses	**10297.62**	**10,199.45**	0.96%
Operating Profit	2847.06	2,197.61	29.55%
Provisions and Contingencies	2458.48	6,981.49	0.00%
Net Profit	388.58	-4,783.88	0.00%

2.11 Financial Ratios

The various financial parameters of the Bank during the year 2019-20 can be seen below:

Particulars	2019-20	2018-19
EPS (₹)	0.67	(14.26)
Cost to Income Ratio (percent)	51.97	58.39
Return on assets (percent)	0.23	(3.01)
Return on equity (per cent)	6.32	(207.99)
Book value per share (₹)	11.99	10.24
Profit per Branch (₹ in lakh)	21.20	(261.13)
Profit per employee (₹ in lakh)	3.10	(37.05)
Business per Branch (₹ in crore)	133.64	127.79
Business per employee (₹ in crore)	19.55	18.13
Interest income as per cent to Average working funds	6.78	6.82
Non-Interest income as per cent to average working funds	0.97	0.97
Net Interest Margin (per cent)*	2.60	2.53
Operating Profit as per cent to average working Funds	1.68	1.38
Staff expenses as a percent to average working funds	1.03	1.13
Dividend (per cent)	0.00	0
Net worth (₹ Crore)	6985.74	5859.73
CRAR (%) (Basel II)	13.52	11.86
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel II)	10.67	9.91

2.12 Capital

The Bank decided to raise capital of ₹ 131.70 crore in April 2019 through Employee Share Purchase Scheme (ESPS)

खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से प्रत्येक ₹10/- के 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹13.17 के निर्गम मूल्य पर आबंटन के जरिए अप्रैल 2019 में 131.70 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का फैसला किया गया। शेयरों को आधार कीमत अर्थात प्रति शेयर 13.17 पर 20% की छूट पर ऑफर किया गया था।

बैंक द्वारा भारत सरकार को ₹4498/- करोड़ के पूंजी लगाने के एवज में 29 अप्रैल, 2019 को प्रति शेयर ₹10/- के 297,09,37,912 इक्विटी शेयर ₹15.14 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर आबंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 को बैंक में ₹831/- करोड़ की इक्विटी पूंजी लगाई। उक्त राशि आबंटन की औपचारिकता पूर्ण होने तक शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आवंटन खाते में रखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी से, उक्त पूंजी 31.03.2020 को सीईटी-1 अनुपात की गणना के लिए उपयोग की गई है। इसके अलावा, बैंक ने मार्च, 2020 में 8.70% के कूपन दर से बेसल III टियर- II बॉन्ड निर्गम के जरिए ₹600 करोड़ की टियर - II पूंजी भी जुटाई।

2.13 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2019 के ₹5,859.73 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को ₹6,985.74 करोड़ रहा.

2.14 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-III मानदंडों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम निर्धारित 10.88 % (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2020 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.52% रहा. सामान्य इक्विटी टियर-I 10.67 % रहा.

3. संसाधन : शाखा नेटवर्क, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहक अनुक्रियाशीलता और अन्य

3.1 शाखा/ एटीएम नेटवर्क

दिनांक 31.03.2020 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1833 शाखाएं थीं, जो सभी राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में फैली हुई है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, स्व-सहायता समूह इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं. दिनांक 31.03.2020 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.	वर्गीकरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
1	ग्रामीण	616	615
2	अर्ध-शहरी	428	426
3	शहरी	331	325
4	महानगरीय	458	466
	कुल	**1833**	**1832**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक ने एक शाखा का विलय यह सुनिश्चित करते हुए किया कि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो और दो नई शाखाएँ खोली।

एटीएम नेटवर्क

	31.03.2020	31.03.2019
ऑफसाईट	544	552
ऑनसाईट	1307	1306
कुल	**1851**	**1858**

in compliance of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 by issuing and allotting 10,00,00,000 (Ten crore) equity shares of ₹ 10/- each of Bank at ₹13.17 per equity share to its Whole Time Directors and Employees. The shares were offered at a discount of 20% on the floor price i.e. 13.17 per share.

Bank has allotted 297,09,37,912 Equity Shares of ₹10/- each of Bank to Government of India at issue price of ₹ 15.14/- per share on 29th April, 2019 against a capital infusion of ₹ 4498/- crore. The Government of India infused Equity capital of ₹ 831/- crore in Bank on 20th April, 2020. The said money is kept in the Share application money pending allotment A/c till allotment formalities are completed. With the approval of RBI, said capital is used for computation of CET-1 Ratio as on 31.03.2020. Further, the Bank also raised Tier – II capital of ₹ 600 crore by issue of BASEL III Tier – II Bonds with coupon rate of 8.70% in March, 2020.

2.13 Net worth

The Bank's Net Worth stood at ₹ 6,985.74 crore as on 31.03.2020 as against ₹ 5,859.73 crore as on 31.03.2019.

2.14 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 13.52 % as on 31.03.2020, against the minimum of 10.88 % (including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 Ratio stood at 10.67 %.

3. RESOURCES: BRANCH NETWORK, HUMAN RESOURCES, IT INFRASTRUCTURE, CUSTOMERS RESPONSIVENESS AND OTHERS:

3 .1 Branch/ATM Network

As on 31.03.2020, the total branch network comprised of 1,833 branches spread across all the States and four union territories. The branch network includes specialized branches in the area of Foreign Exchange, Government Business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Small Scale Industry and Hi-tech agriculture, Pension Payment, Self Help Groups etc. Area wise classification of branches as on 31.03.2020 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
1	Rural	616	615
2	Semi-Urban	428	426
3	Urban	331	325
4	Metro	458	466
	Total	**1833**	**1832**

In FY 2019-20 the Bank merged one branch ensuring that no discomfort was caused to the customers and opened two new branches.

ATM Network

	31.03.2020	31.03.2019
Offsite	544	552
Onsite	1307	1306
Total	**1851**	**1858**

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/ तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है.

भर्ती : वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने निम्नानुसार कर्मचारियों की भर्ती की :

वेतनमान श्रेणी I के 276, वेतनमान श्रेणी II के 23, वेतनमान श्रेणी III के 7 तथा वेतनमान श्रेणी IV में 2 अधिकारी (इसमें 35 सीए, 3 विदेशी मुद्रा, 2 अर्थशास्त्री, 1 घरेलू डीलर, 9 डेटा विश्लेषक, 4 इन्फो सिस्टम ऑडिटर, 1 सूचना सुरक्षा, 5 मानव संसाधन, 3 नेट एडमिन, 4 सॉफ्ट प्रोग्रामर, 2 सॉफ्ट टेस्ट, 1 फायर इंजीनियर, 5 सुरक्षा अधिकारी व 1 डीबीए) शामिल हैं। बैंक ने 261 लिपिक तथा 25 अधीनस्थ कर्मचारियो की भर्ती भी की।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा से हटाने इत्यादि एवं मृत्यु के कारण 984 कर्मचारी सेवा में नहीं रहे. 2019-20 के दौरान अधिकारियों के लिए अंतर्वेतनमान पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई. उम्मीदवारों को निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई :

कप्रवेश्रे-I से मप्रवेश्रे- II	मप्रवेश्रे- II से मप्रवेश्रे- III	मप्रवेश्रे- III से वप्रवेश्रे- IV	वप्रवेश्रे-IV से वप्रवेश्रे-V	वप्रवेश्रे-V से वप्रवेश्रे- VI	वप्रवेश्रे- VI से उकावेश्रे- VII
488	297	99	34	18	7

वर्ष 2019-20 के दौरान 96 लिपिकों को वेतनमान श्रेणी I अधिकारी तथा 47 अधीनस्थ कर्मचारी को लिपिक हेतु पदोन्नति दी गई. 31.03.2020 के अनुसार लिंग अनुपात सहित संवर्गवार कार्मिक स्थिति निम्नानुसार है :

श्रेणी	पुरुष	%	महिला	%	कुल
अधिकारी	4780	72.02	1857	27.98	6637
लिपिक	2832	65.94	1463	34.06	4295
अधीनस्थ कर्मचारी	1417	88.56	183	11.44	1600
कुल	**9029**	**72.05**	**3503**	**27.95**	**12532**

बैंक भारत सरकारी की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है. आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांग कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारी को नामित किया है तथा अंचल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना की गई है.

अनुकंपा नियुक्ति - भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए अक्षमता के कारण दोहन या निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के अनुकंपा नियुक्तियों/ अनुग्रह एकमुश्त रकम का भुगतान करने की योजना को कार्यान्वित किया गया. वर्ष 2019-20 के लिए अनुकंपा नियुक्तियों का विवरण और अनुग्रह एकमुश्त राशि का भुगतान निम्नानुसार है:

अनुकंपा नियुक्तियां		अनुग्रह राशि का भुगतान	
संवर्ग	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	प्रदत्त राशि
लिपिक	07	शून्य	शून्य
अधीनस्थ कर्मचारी	07	01	6,00,000/-

भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के पाठ्यक्रमों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए, एफआरएम, बर्ड, पीआरएम, सीएफए के पाठ्यक्रमों के संबंध में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा नकद प्रोत्साहन/मानधन का भुगतान किया जाता था, जिसमें पाठ्यक्रमों की सूची में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी. जिसके साथ अब परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 38 पाठ्यक्रम पात्र हो गए हैं. किसी स्थान पर ड्यूटी के दौरान अधिकारी की दुर्घटना/ जख्मी होने पर अस्पतालीकरण व्ययों की 100% प्रतिपूर्ति किए जाने के साथ ही उसे विशेष छुट्टी प्रदान करने की नीति लागू की गई है.

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place comprehensive HRM Policies that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

Recruitment: During the year 2019-20, the Bank recruited employees as under:

276 Officers in Scale I, 23 officers in Scale II, 7 Officers in Scale III & 2 Officers in Scale IV (this includes 35 CA, 3 Forex, 2 Economist, 1 Domestic Dealer, 9 Data Analyst, 4 Inf. System Auditor, 1 Information Security, 5 HR, 3 NET Admin, 4 Soft Programmer, 2 Soft Test, 1 Fire Engg, 5 Security Officers &1 DBA). The Bank also recruited 261 Clerks & 25 Sub-staff.

During the year, **984** employees exited from service on account of retirement, VRS, resignation, termination and death. Inter scale promotions of officers were carried out during 2019-20. Following number of candidates were promoted.

JMGS-I TO MMGS-II	MMGS-II to MMGS III	MMGS-III TO SMGS-IV	SMGS-IV TO SMGS-V	SMGS-V TO SMGS-VI	SMGS-VI TO TEGS-VII
488	297	99	34	18	7

During the year 2019-20, 96 Clerks were promoted to Officer Cadre in Scale I & 47 Sub-staff were promoted to Clerical Cadre. The Cadre wise staff position as of 31.3.2020 with sex ratio percentage is mentioned below:

Category	Male	%	Female	%	Total
Officers	4780	72.02	1857	27.98	**6637**
Clerks	2832	65.94	1463	34.06	**4295**
Sub-staff	1417	88.56	183	11.44	**1600**
Total	**9029**	72.05	**3503**	27.95	**12532**

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all Zonal Offices.

Compassionate Appointments - A Scheme for 'Compassionate Appointments' / "Payment of Ex-gratia lump-sum amount" to /of heirs of employees dying in harness or retiring due to incapacitation framed as per the directives of Government of India, has been implemented. The details of compassionate appointments and payment of Ex-gratia lump-sum amount for the year 2019-20 is as under:

Compassionate Appointments		Payment of Exgratia	
Cadre	No. of employees	No. of employees	Amount paid
Clerk	07	Nil	Nil
Sub-staff	07	01	6,00,000/-

The **reimbursement of examination fees** & payment of cash incentive / Honorarium in respect of courses from Indian Institute of Banking & Finance, MBA from reputed Institutions, FRM, BIRD, PRM, CFA etc. has been widened by adding courses in the list of courses for reimbursement of fees thereby making total 38 courses eligible for reimbursement of examination fees. A policy for granting special leave and **100% reimbursement of hospitalization expenses** to officers when he/she meets with an accident / injury **while on duty** is in place.

प्रशिक्षण गतिविधियां :

वर्तमान एवं उभरते हुए व्यावसायिक अवसरों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कौशल के अभाव के नियमित आवधिक निर्धारण की ओर ध्यान दिलाने हेतु बैंक के पास एक प्रशिक्षण प्रणाली उपलब्ध है। वर्ष के दौरान ऋण में कौशल निर्माण, विदेश विनिमय, ग्राहक संबंध प्रबंधन, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी एवं वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, कानूनी एवं नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन तथा प्रतिरोधक सतर्कता के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया. आईआईएम, कोझिकोड में महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. 3600 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई-लर्निंग प्लैटफॉर्म का उपयोग किया गया.एमएसएमई को वित्तपोषण, रिटेल उधारी, कृषि वित्त, सॉफ्ट कौशल एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

संवर्ग	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के कुल दिन	प्रशिक्षित कर्मचारी
अधिकारी	230	582	4494
लिपिक	132	397	1840
अधीनस्थ कर्मचारी	53	99	861
कुल	**415**	**1078**	**7195**

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

वर्ष 2019-20 बैंक के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन का वर्ष रहा। बैंक द्वारा विभिन्न प्रमुख आईटी परियोजनाएं शुरू की गई और सफलतापूर्वक आरंभ/उन्नत की गई, जो निम्नानुसार सूचीबद्ध की गई है:

- **एमईआईटीवाय - डिजिटल स्कोर कार्ड :** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल संव्यवहार के लिए 19.30 करोड़ और बैंक के विभिन्न अधिग्रहणकर्ता चैनलों पर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए 75,750 का लक्ष्य रखा था। हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,06,971 के मर्चेंट ऑन बोर्डिंग और 20.45 करोड़ के डिजिटल संव्यवहार हासिल किए। एमईआईटीवाय मासिक आधार पर डिजिटल भुगतान संव्यवहारों, मर्चेंट अधिग्रहण, यूपीआई और एईपी सिस्टम प्रणाली की प्रगति की निगरानी करता है और बैंकों को स्कोर बताता है। हमारे बैंक ने 4 महीनों में 70 से अधिक अंक हासिल किए और 3 महीनों तक लगातार सभी पीएसयू बैंकों में पहले स्थान पर बना रहा।
- बैंक में विभिन्न स्थलों पर बैंक ने 807 स्व-अद्यतन पासबुक प्रिंटर कियोस्क, 106 थोक नोट स्वीकरण मशीनों और 75 कैश रिसाइकलरों का कार्यान्वयन किया. इसे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति/ संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए जारी रखा जाएगा.
- बैंक ने अपनी वर्तमान लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 64-128 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस तक उन्नत करने के लिए बीएसएनएल से गठबंधन किया है. 31.03.2020 को 1770 लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 2 एमबीपीएस तक उन्नत किया गया है. हमारी प्रणाली को अधिक लचीला बनाने के लिए, बैंडविड्थ को एयरटेल, वोडाफोन, सिफी और टीसीएल सहित अतिरिक्त नेटवर्क सेवा प्रदाताओं से उपलब्ध कराया गया है. अब तक 1570 शाखाओं में दोहरी सेवा प्रदाता हैं.
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड - बैंक ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी करने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है. एनसीएमसी में ऑनलाइन-ऑफलाइन संव्यवहारों और प्री-पेड वॉलेट सक्षमता दोनों ही विशेषताएं हैं. बैंक ने अब तक ग्राहकों को 15828 एनसीएमसी कार्ड जारी किए हैं.
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) : बीबीपीएस संपूर्ण भारत में सभी ग्राहकों को संव्यवहार की निश्चितता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ एक अंतर-सुलभ और सहज ''कभी भी कहीं भी'' बिल

Training Activities:

The Bank has a training system, which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, Forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year. Special Leadership Development Program for General Managers & Dy. General Managers were also organized at IIM Kozhikode. E-learning platform was utilized for imparting training to 3600 Officers. Training programs were also held on thrust areas like financing MSMEs, retail lending, agriculture finance, soft skills and rural development.

Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 1.4.2019 to 31.03.2020 are as under-

Cadre	No. of Programmes	Training Days	Employees Trained
Officers	230	582	4494
Clerks	132	397	1840
S/staff	53	99	861
Total	**415**	**1078**	**7195**

3.3 Technology Initiatives

The Year 2019-2020 was a Technology Upscaling year for the Bank. The Bank had taken up major IT Projects and successfully initiated/up scaled the same which are enumerated as under:

- **MeitY - Digital Score Card**: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) had set a target of 19.30 crore for digital transactions and 75,750 for merchant onboarding on various acquirer channels of Bank. Our bank achieved the digital transactions of 20.45 Crore and merchant on boarding of 1,06,971 for FY 2019-20. The MeitY monitors the progress of digital payment transactions, merchant acquisition, UPI and AePs system resilience on monthly basis and communicates the scores to Banks. Our Bank secured more than 70 score in 4 months and stood first among all PSU Banks consecutively for 3 months.
- The Bank implemented 807 Self Update Pass Book Printing Kiosks, 106 Bunch Note Acceptor Machines and 75 Cash Recyclers at various locations across the Bank. The same shall be continued to ensure fulfilment of customer requirements/ satisfaction.
- The Bank had a tied up with BSNL for upgrading the Bandwidth of the Leased Lines from 64-128 Kbps to 2 Mbps. As on 31.03.2020, bandwidth of 1,770 leased lines is upgraded to 2 Mbps. In order to make our systems more resilient, bandwidth is made available from Additional Network Service Providers including Airtel, Vodafone, Sify and TCL. So far 1,570 branches have dual service providers.
- National Common Mobility Card – The Bank partnered with NPCI for issuance of National Common Mobility Card (NCMC) using Near Field Communication. NCMC has features of both Online-Offline transactions and prepaid-wallet capabilities. Bank has so far issued 15,828 NCMC cards to customers.
- Bharat Bill Pay System (BBPS): BBPS is a one-stop ecosystem for payment of all bills providing an interoperable and accessible “Anytime Anywhere” bill payment service to all customers across India with

भुगतान सेवा प्रदान करनेवाला सभी बिलों के भुगतान के लिए वन-स्टॉप इकोसिस्टम है. बैंक बिल भुगतान प्लैटफॉर्म पर बीबीपीएस पर पुणे नगर निगम (पीएमसी) एमएसईडीसीएल बिल भुगतान के लिए कॉर्पोरेट बिल भुगतान समाधान की पेशकश कर रहा है. बीबीपीएस सेवा बीसी (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) चैनल पर भी लाइव है. बैंक पुणे नगर निगम (पीएमसी) एमएसईडीसीएल बिल भुगतान को बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर कॉर्पोरेट बिल भुगतान समाधान प्रदान कर रहा है. बीबीपीएस सेवा बीसी (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) चैनल पर भी लाइव है.

- डिजिटल मीडिया साइनेज (डीएमएस) सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होते हैं जिन पर टेक्स्ट, डिस्प्ले या वीडियो संदेश के प्रदर्शन के लिए केंद्रीय नियंत्रण होता है और जो बैंकों के उत्पाद विज्ञापन / प्रचार और डिजिटल चैनल जागरूकता के लिए प्रस्तुतिकरण होते हैं। डीएमएस हमारे बैंक में लागू किया गया है और 1,820 शाखाओं में सफलतापूर्वक चल रहा है।
- हमारे आईटी डिवीजन के लिए अगस्त 2015 में आईएसओ 27001: 2013 प्रमाणन प्राप्त किया गया, जिसमें प्र.का.- आईटी, डीसी, डीआर और सीबीएस परियोजना कार्यालय भी शामिल हैं. बैंक सतत रूप से इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है और बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए भी आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन की निरंतरता के लिए सर्विलेंस लेखा परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है.
- बैंक को डेबिट कार्ड पर्यावरण सुरक्षा के अनुपालन के लिए पहला PCI DSS प्रमाणपत्र 12.09.2014 को प्रदान किया गया और यह आज दिनांक तक जारी है.
- ग्राहकों को बेहतर सुविधा और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए, DFS ने EASE (संवर्धित एक्सेस और सेवा उत्कृष्टता) एजेंडा और सुधार पेश किए हैं। बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन में अतिरिक्त 14 सेवाओं और 42 सुविधाओं का और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में 12 सेवाओं और 40 सुविधाओं का कार्यान्वयन किया। ''होम एंड मोबाइल'' आधारित चैनलों के माध्यम से वित्तीय संव्यवहार की हिस्सेदारी 55% से बढ़कर 72% हो गई।
- बैंक सक्रिय रूप से भीम आधार पे भुगतान चैनल को बढ़ावा दे रहा है और 31.03.2020 को 38152 व्यापारी ऑन-बोर्ड हैं.
- बैंक ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) लागू की है, सरकारी एजेंसियां सीधे प्राप्तकर्ता बैंक खाते में भुगतान करने के लिए इसका उपयोग करती हैं.
- बैंक अपने ग्राहकों के लिए अलग-अलग वेरिएंट जैसे वीजा इएमवी, रूपे क्लासिक, रूपे प्लैटिनम आदि में रूपे और वीजा डेबिट कार्ड जारी करता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्ड EMV चिप आधारित हैं. बैंक का कुल कार्ड आधार 31.03.2019 को 52.50 लाख और 31.03.2020 को 76.44 लाख रहा.
- हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करों के ऑनलाइन भुगतान, यूटिलिटी बिल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग / ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, एलआईसी प्रीमियम भुगतान, ई-एसबीटीआर आदि की सुविधा और बैंक के साथ डीमैट खाता खोलने और कर जमा विवरण 26AS देखने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
- बैंक ने अत्याधुनिक तकनीकी के साथ साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (CSOC) लागू किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है -
  - क) सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (SIEM) समाधान
  - ख) उन्नत हमलों का मुकाबला करने के लिए एंटी-एडवांस परसिसटेंट थ्रेट (एंटी-एपीटी) समाधान.
  - ग) सर्वर पर महत्वपूर्ण फ़ाइलों हेतु अनधिकृत परिवर्तनों का पता लगाने के लिए फ़ाइल अखंडता निगरानी (FIM)
  - घ) विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन उपकरण (पीआईएम) जो लॉगिन के लिए दो कारक प्रमाणीकरण वाले सभी विशेषाधिकार उपयोगकर्ताओं के लिए विशेषाधिकार उपकरणों, सर्वरों और अनुप्रयोगों तक पहुंचने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल-आधारित कवसोल है.
  - ङ) नेटवर्क विसंगतियों की पहचान करने के लिए नेटवर्क बिहेवियरल एनॉमली डिटेक्शन (NBAD) उपकरण.

certainty, reliability and safety of transactions. Bank is offering corporate bill payment solution to Pune Municipal Corporation (PMC) MSEDCL bill payments on BBPS at bill payment platform. BBPS service is also live on BC (Business Correspondent) channel.

- Digital Media Signage (DMS) Systems are electronic displays having central control for display of text, animated or video message and presentations for banks product advertisement / promotion and digital channel awareness. DMS is implemented in our Bank and running successfully across 1,820 branches.
- The ISO 27001: 2013 certification was achieved for our IT division covering HO-IT, DC, DR and CBS Project Office in August 2015. Bank is ensuring continued compliance & successfully completed the Surveillance Audit for the continuation of ISO 27001: 2013 Certification for the year 2019-20 as well.
- The first PCI DSS certificate was awarded towards compliance of Debit Card environment security to the Bank on 12.09.2014 and is continued till date.
- In order to provide better improved access and service quality to customers, DFS has introduced EASE (Enhanced Access and Service Excellence) agenda and reforms. The bank implemented additional 14 services & 42 features in Internet Banking application and 12 services and 40 features in Mobile banking application. The share of financial transactions through 'Home & Mobile' based channels increased from 55 % to 72 %.
- The Bank is actively promoting BHIM Aadhaar Pay payment channel and 38,152 Merchants were on boarded as on 31.03.2020.
- Bank has implemented Public Financial Management System (PFMS) which is used by Government Agencies to make payments directly into the recipients Bank Account.
- The Bank issues Rupay and Visa debit cards in different variants such as Visa EMV, Rupay Classic, Rupay Platinum etc. to its customers. As per RBI guidelines, all the cards are EMV Chip based. The total card base of the bank increased from 52.50 lakh as on 31.03.2019 to 76.44 lakh as on 31.03.2020.
- Various facilities are being provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, e-SBTR etc. and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.
- Bank has implemented Cyber Security operations Centre (CSOC) with state of the art technologies including,
  - a) Security Information and Event Management (SIEM) solution
  - b) Anti-Advanced Persistent Threat (Anti-APT) Solution for combatting advanced attacks.
  - c) File Integrity Monitoring (FIM) for detecting unauthorized changes to critical files on Servers
  - d) Privilege Identity Management Tool (PIM) a centralized portal-based console to access the privilege devices, servers and applications for all privilege users with two factor authentication for login.
  - e) Network Behavioral Anomaly Detection (NBAD) tool for detecting network anomalies.

च) फ़िशिंग हमलों से निपटने के लिए बैंक एंटी-फ़िशिंग, एंटी-ट्रोजन और एंटी-रॉग सेवाएं भी प्राप्त कर रहा है.

- बैंक ने दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) और शीघ्र चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूएस) समाधानों के साथ ऋण जीवन चक्र प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एलएलएमएस) के कार्यान्वयन की शुरुआत की है.
- बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा इंटीग्रिटी के मुद्दों को हल करने के लिए उन्नत विशेषताओं के साथ सीबीएस फ्रंट एंड वर्जन अपग्रेडेशन शुरू किया गया है.
- बैंक को मध्यम बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पहल के लिए आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड प्राप्त हुआ.
- डिजिटल उत्पाद संवर्धन और अनुपालन

क) **यूपीआई 2.0**: हमारे यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म को अस्बा जैसी अधिक विशेषता संवर्धन के लिए यूपीआई 2.0 में माइग्रेट किया गया है।

ख) **एईपीएस 2.5**: एईपीएस प्रणाली को एईपीएस 2.5 में माइग्रेट किया गया

ग) **इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग**:

इंस्टेंट फंड ट्रांसफर - इंटरनेट बैंकिंग में ₹10,000 की इंस्टेंट फंड ट्रांसफर की नई सुविधा जोड़ी गई है। इसके अलावा, इसमें सभी नए बचत खातों के लिए इंटरनेट बैंकिंग को सक्रिय करने की नई सुविधा भी पेश की गई और डिजिटल बैंकिंग सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न ग्राहक पहलें की गई।

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक उन्मुख पहल

- बैंक ने गोईपोरिया समिति, डॉ. एस. एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी बड़ी सिफारिशों का कार्यान्वयन करते हुए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को अपनाया है ताकि संपूर्ण वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष सुनिश्चित किया जा सके. भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहक एवं एमएसएमई के प्रति बैंक संहिता की वचनबद्धता को अपनाया है.
- बैंक ने ''माई फोल्डर'' नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है जिसके अंतर्गत ग्राहक सेवा की सभी नीतियों, सेवा प्रभारों पर जानकारी, सरकार के योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, लोकपाल एवं बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है. इसका मुद्रण मराठी, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करके सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों को इसकी आपूर्ति की गई है तथा मांग करने पर ये सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है.
- 'जमा', 'चेकों की वसूली', 'शिकायतों का निपटान', 'मुआवजा', ''मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटान संबंधी प्रचालनगत कार्यविधि'' एवं ग्राहक अधिकार नीति पर विधिवत दस्तावेजीकृत नीतियों का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है.
- ग्राहक सेवा समितियों का सभी शाखाओं में गठन किया गया है तथा इनकी बैठकें मासिक आधार पर नियमित आयोजित की जाती हैं. प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति एवं अंचल कार्यालय में अंचल स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां नियमित रूप से बैठक का आयोजन करके ग्राहक से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करती है तथा लगातार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाती है.
- ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की समिति तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक की शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखती है एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करती है.
- ग्राहक शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने हेतु एक पूर्ण संगठित शिकायत तंत्र का गठन किया गया हैं. भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शिकायतें दाखिल करने अथवा ग्राहकों द्वारा सेवाओं पर सुझाव/ प्रतिसूचना प्रदान करने तथा उनकी प्रतिसूचनाओं/ शिकायतों की पावती प्रदान करने हेतु इंटरनेट आधारित तंत्र, **मानकीकृत जन**

f) Bank is also availing Anti-Phishing, Anti-Trojan and Anti- Rouge services to take care of phishing attacks.

- The Bank has initiated implementation of Loan Life Cycle Management software (LLMS) with Document Management System (DMS) and Early Warning Signals (EWS) solutions.
- CBS Front End version upgradation with enhanced features has been initiated for better user experience and resolving data integrity issues
- The Bank received IBA Banking Technology award for Best IT Risk Management and Cyber Security Initiatives under Medium Banks category.
- Digital Products Enhancement and Compliance

a) **UPI 2.0:** Our UPI platform is migrated to UPI 2.0 for more feature enhancements such as ASBA.

b) **AePS 2.5:** AePS system is migrated to AePS 2.5

c) **Internet Banking & Mobile Banking:**

Instant Fund Transfer - New feature of Instant Fund Transfer up to ₹ 10,000 has been added in Internet Banking. Besides, it also introduced new feature of activating Internet Banking for all new saving accounts and also conducted various customer initiatives in order to improve digital banking service.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

- The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee. As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customer and Bank's Code of Commitment to MSMEs.
- The bank has printed folder called as "My Folder" containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI Codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.
- Duly documented policies approved by the Board, on "Deposit", "Collection of Cheques", "Redressal of Grievances", "Compensation" , "Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors" and Customer Rights Policy are in place.
- Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.
- The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of the customer service, redresses of customer grievances and to ensure customer satisfaction.
- Full-fledged grievances Redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has started internet based mechanism, **Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS)**

शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का आरंभ किया है.

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20
1	वर्ष के आरंभ में ग्राहक शिकायतें	388	145
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	8395	8594
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	8638	8443
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतें	145	296

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण प्रणाली

बैंक की निदेशक मंडल से अनुमोदित केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीति हैं. इन नीतियों के आधार पर बैंक केवाईसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है. पूर्ण केवाईसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है. इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं. ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट पर केवाईसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है. कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवाईसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जोखिम को प्रभावी रूप से अभिनिर्धारित करने, उसके मापन, निगरानी और प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां लागू की हैं और बैंक की समग्र जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं. बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी करती है. बैंक द्वारा बैंक के शीर्ष प्रबंधन की अध्यक्षतावाली उप समितियों का भी गठन किया गया है.

3.7 विपणन व प्रचार

बैंक ने रिटेल, एग्री, एमएसएमई उत्पादों और आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत विपणन रणनीति अपनाई। मार्केटिंग टीम ने हमारी उपस्थिति में वृद्धि और व्यापार संग्रहण के लिए रिटेल, एग्री और एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शनियों (एक्सपोज) में भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, बैंक ने टीवी, रेडियो, प्रिंट, ओओएच (आउट ऑफ होम) आदि सभी माध्यमों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। बैंक अपनी ब्रांड छवि में संवर्धन और पहुंच बढ़ाने के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, द कपिल शर्मा शो जैसे विख्यात शो और अन्य विभिन्न में संलग्न रहा।। मार्केटिंग टीम ने कर्मचारी सदस्यों के बीच बिक्री के रवैये की आदत डालने और उन्हें सक्रिय रूप से सहभाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए "वी लीड" पोर्टल लॉन्च किया।

युवा पीढ़ी के ग्राहक आधार को आकर्षित करने और जानकारी को प्रसारित करने के लिए, बैंक ने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिनटेरेस्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब (BankofMaharashtra) पर अपने सोशल मीडिया हैंडल (@mahabank) लॉन्च किए। डिजिटल / एसएमएस अभियानों के साथ, बैंक ने सोशल मीडिया पेजों पर सतत रूप से अपने फॉलोअर्स / लाइक्स को बढ़ाया है। 8 अक्टूबर 2019 को बैंक के एफबी पेज को भी सत्यापित स्थिति का दर्जा मिला। एक समर्पित टीम सोशल मीडिया हैंडल पर प्रतिक्रिया प्रबंधन का रखरखाव कर रही है। वर्ष के दौरान बैंक की ब्रांड जिंगल और नई कॉर्पोरेट वेबसाइट भी लॉन्च की गई।

3.8 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. नागरिक अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है. शाखाओं की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं;

- देश के सभी भागों में बैंक की सभी शाखाओं द्वारा जन सामान्य को अधिक सक्रिय और जोर-शोर से ग्राहक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए.
- सभी मूल्य वर्ग के नए/ बेहतर गुणवत्ता वाले नोटों व सिक्कों की मांग की पूर्ति करना.

for lodging the complaints or to give suggestions / feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaints as per the directions of Government of India.

Sr. No.	Particulars	2018-19	2019-20
1	Customer complaints at the beginning of the year	388	145
2	Complaints received during the year	8395	8594
3	Complaints redressed during the year	8638	8443
4	Complaints pending at the end of the year	145	296

3.5 KYC/ AML

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures are based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the Bank takes various measure on a regular basis. A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

The Bank has put in place Risk Management Policies and Strategies to identify, measure, monitor and manage risk efficiently and establish control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level in accordance with RBI Guidelines. The bank has also constituted sub-committees headed by Top Management of Bank.

3.7 Marketing & Publicity

Bank adopted integrated marketing strategy to promote Retail, Agri, MSME products and IT services. Marketing Team participated in various expos under Retail, Agri & MSME sector for increasing our presence and business mobilization. In FY 2019-20, Bank established it's presence across all mediums like TV, Radio, Print, OOH (out of home) etc. Bank associated with International cricket match between India and West-Indies, top shows like The Kapil Sharma Show and various others for increasing brand image and reach. Marketing team launched "We Lead" portal to inculcate sales attitude amongst staff members and motivate them to participate actively.

To capture the young generation customer base and disseminate information, Bank launched its social media handles (@mahabank) on Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram and YouTube (BankofMaharashtra). With digital/SMS campaigns, Bank has gradually increased its followers/ likes on social media pages. Bank's FB page also got verified status on 8th October 2019. A dedicated team is taking care of response management on social media handles. Bank's brand jingle and new corporate website was also launched during the year.

3.8 Citizen's Charter:

The Bank has adopted the Charter since 2000–01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charter is displayed at all the branches and Bank's website. Some of important responsibility of Branches are;

- कटे-फटे नोटों को बदलना और
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार

4. सामाजिक/ सूक्ष्म आर्थिक विकास

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत (निवेश को छोड़कर) कुल बकाया अग्रिम ₹38900 करोड़ थे, जो कुल ऋण का 39.34% रहे.

4.2 कृषि

वर्ष 2019-20 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹4605 करोड़ के ऋण वितरित किए. कृषि क्षेत्र के लिए कुल बकाया अग्रिम दिनांक 31.03.2020 को ₹14385 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लघु और सीमांत किसानों के उप-लक्ष्यों, गैर-कॉर्पोरेट किसानों को प्रत्यक्ष ऋण, सूक्ष्म उद्यम, कमजोर वर्ग इत्यादि सहित प्राथमिकता क्षेत्र और कृषि के अंतर्गत सभी अनिवार्य लक्ष्य (तिमाही औसत आधार पर) हासिल किए।

बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया और ₹1,495 करोड़ का वितरण किया। बैंक ने पूरे देश में कृषि और कृषि ऋण एक्सपो के अंतर्गत निवेश क्रेडिट के लिए 2,500 ऋण शिविर आयोजित किए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में बैंक का निवेश ऋण 13.64% बढ़ कर ₹5,099 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया।

बैंक ने वर्ष के दौरान एफपीओ के वित्तपोषण हेतु पीओसीआरए परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के साथ तथा सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों, फार्म मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए खेत तालाब निर्माण कंपनी, सूक्ष्म सिंचाई कंपनी, ट्रैक्टर निर्माताओं के साथ राणनीतिक गठबंधन भी किया है. इसने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को वित्तपोषण के लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के साथ क्रेडिट गारंटी के लिए भी समझौता किया। इसने कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र आधारित योजनाओं को भी तैयार किया जो प्रतिस्पर्धी आरओआई और ग्राहक-अनुकूल सुविधाओं के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, कृषि क्षेत्र बार-बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि की चपेट में रहा है, नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक समय-समय पर किसानों को राहत के उपाय कर रहा है। हमारा बैंक महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने CSMSSY-2017 (पुरानी ऋण माफी योजना) के अंतर्गत ₹343 करोड़ और MJPSKY-2019 (नई ऋण माफी योजना) के अंतर्गत ₹1086 करोड़ जमा किए. इसके साथ ही, बैंक ने संबंधित राज्यों द्वारा घोषित विभिन्न अन्य कृषि ऋण माफी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू किया है। किसानों को झंझट मुक्त ऋण प्रवाह प्रदान करते हुए कृषि के लिए अग्रिमों में वृद्धि हेतु सभी शाखाओं के लिए बैंक ने जागरुकता/ सुग्राह्यता कार्यक्रम चलाए।

- Meeting the demands for fresh / good quality notes and coins of all denominations.
- Exchanging soiled notes, and
- Accepting coins and notes either for transactions or exchange.
- Separate que for senior citizen

4. SOCIO/MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections. The outstanding advances under Priority Sector (excluding investment) as of 31st March 2020, aggregated to ₹ 38,900 crore constituting 39.34% of the total credit.

4.2 Agriculture

Bank disbursed loans of ₹ 4,605 Crore for Agriculture and allied activities during the year 2019-20. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of ₹ 14,385 Crore as on 31.03.2020. The Bank also achieved all mandatory targets (on Quarterly average basis) under Priority Sector and Agriculture including sub-targets of Small and Marginal Farmers, Direct lending to non- Corporate farmers, Micro Enterprises, Weaker Section, etc. during the FY 2019-20.

Bank focused on growth of Investment Credit under Agriculture during the year 2019-20 and disbursed ₹ 1,495 Crore. Bank has organized 2,500 Credit Camps for Investment Credit under Agriculture and Agri Loan Expo throughout the country. As a result, Investment Credit of Bank grew by 13.64% over previous year reaching to the level of ₹ 5,099 crore.

Bank entered into strategic tie-ups with Tractor Manufacturers, Micro Irrigation Companies, Farm Pond Construction Company for promoting farm mechanization, micro irrigation activities and also with Govt. of Maharashtra under POCRA Project for financing to FPO during the year. It also entered into an Agreement for Credit Guarantee with Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC) for financing to Farmer Producer Organizations (FPOs). It also devised Area Based schemes to meet the needs of Agriculture and Agro based industries which are becoming popular due to competitive ROI and customer-friendly features.

Over last few years, Agriculture sector has been repeatedly hit by vagaries of natural calamities like drought, flood, hailstorms, etc. Within the regulatory guidelines, Bank has been extending relief measures to farmers from time to time. Our bank is also successfully implementing farm loan waiver scheme of Govt of Maharashtra. During the year Bank credited ₹ 343 crore under CSMSSY-2017 (old debt waiver scheme) & ₹ 1,086 crore under MJPSKY-2019 (new debt waiver scheme). Along with this, Bank has efficiently implemented various other Farm Loan Waiver schemes declared by respective states. The Bank undertook awareness/sensitization program and locational trainings for the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

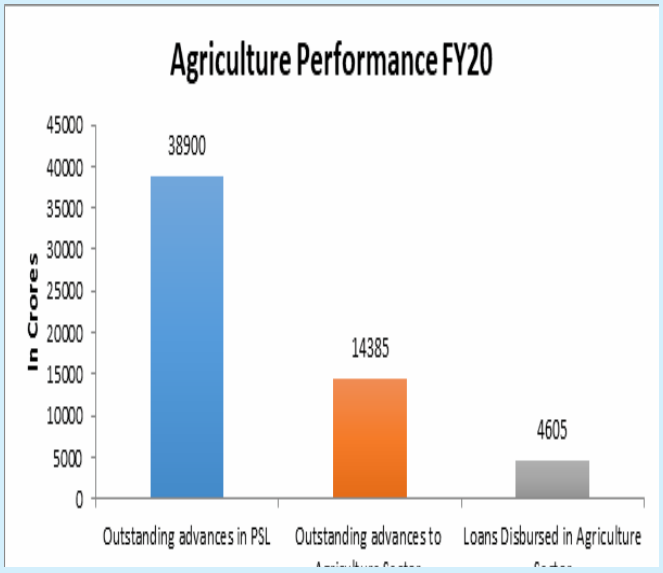

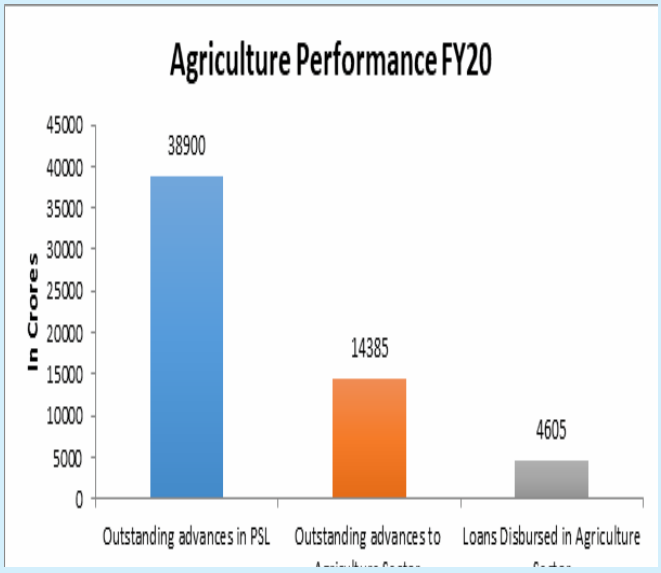

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है। बैंक ने देश भर में खरीफ, 2019 मौसम के दौरान लगभग 1,209 ऋण शिविरों का आयोजन किया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, किसानों को ₹2,259 करोड़ के कुल 1,38,788 किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर किए गए। एमकेसीसी लाभार्थियों को क्रेडिट प्रवाह 31.03.2020 तक ₹7,237 के स्तर तक पहुंच गया। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए एमकेसीसी की शुरुआत की है। यह योजना छोटे और सुदूर स्थित डेयरी किसानों, मछुआरों और पशुपालन में उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर रही है और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रही है।

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है। ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। व्यवहार्य उद्यमों को आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बैंक ने पहले से ही एमएसई के लिए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता को भी अपनाया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (प्राथमिकता) को बैंक की उधारी मार्च 2019 की तुलना में 25.04% से बढ़ी और समग्र रूप से ₹ 3437 करोड़ की वृद्धि दर्ज की. वित्तीय वर्ष 20 में एमएसएमई पोर्टफोलियो में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:

क्र.	विवरण	वास्तविक	लक्ष्य
1	एएनबीसी को माइक्रो का %	9.92%	(लक्ष्य 7.50%)
2	एमएसएमई बकाया वृद्धि वर्ष दर वर्ष	25.04%	(वार्षिक वृद्धि)
3	माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि बकाया	39.18%	(वार्षिक लक्ष्य 10%)
4	माइक्रो और लघु इंटरप्राइजेस के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि बकाया	23.46%	(वार्षिक लक्ष्य 20%)
5	एमएसई के समक्ष माइक्रो का हिस्सा बकाया	61.06%	(वार्षिक लक्ष्य 60%)

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The bank organized around 1,209 Credit Camps during Kharif, 2019 season across the country. During, FY 2019-20 the bank sanctioned total 1,38,788 Kisan Credit Cards to farmers amounting to ₹ 2,259 crore. Credit flow to MKCC beneficiaries reached to a level of ₹ 7,237 Crore as on 31.03.2020. As per regulatory guidelines, Bank has introduced MKCC for Animal Husbandry and Fisheries. The scheme is helping small and scattered dairy farmers, fishermen and entrepreneurs in animal husbandry to grow their business and also becoming popular in rural and semi urban areas.

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

MSMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. Online enquiry portal is made available on the Bank's website. Bank has already adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is displayed on the Bank's website. Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprises. Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises (Priority) increased by 25.04% as compared to March 2019 and recorded a growth of Rs 3437 crore in absolute terms. Bank's performance in MSME portfolio in FY20 can be seen below in the table:

S.No	Particulars	Actual	Target
1	% of MICRO to Adj. Net Bank Credit	9.92%	(Target 7.50%)
2	MSME Outstanding Growth YOY	25.04%	(Annual growth)
3	YOY Growth under Micro Enterprises O/s	39.18%	(Annual Target 10%)
4	YOY Growth under Micro & Small enterprises O/s	23.46%	(Annual Target 20%)
5	Share of Micro against to MSE O/s	61.06%	(Annual Target 60%)

4.3.1 मुद्रा :

बैंक द्वारा ₹10 लाख तक विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में संलग्न गैर-कृषि उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के आरंभ से ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक के लघु उधारकर्ता को आउटरीच में संवर्धन हुआ है। 31.03.2020 को बैंक ने ₹2300 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष पीएमएमवाई के अंतर्गत ₹2410.83 करोड़ की मंजूरी दी। बैंक ने सरकार द्वारा पीएमएमवाई के अधीन आबंटित लक्ष्य का 102.51% प्राप्त किया। 31.03.2020 तक बैंक के कुल एमएसएमई अग्रिम 25.04% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹17,164 करोड़ रहे। कुल अग्रिमों में एमएसएमई अग्रिमों की हिस्सेदारी 31.3.2020 के अनुसार 18.09% थी। सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत, बैंक ने मार्च 2020 तक 1,833 उधारकर्ताओं को ₹569.42 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां

- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक भारत सरकार की एक नई पहल पीएसबी ऋण पोर्टल पर फाइनेंसर के रूप में बोर्ड हो गया और ₹365.37 करोड़ के 1,067 मामलों को मंजूरी दी।
- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एमएसएमई पुनर्गठन दिशानिर्देशों को लागू किया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 12,407 खातों का पुनर्गठन किया है, जिसकी राशि ₹879.85 करोड़ है।
- अक्टूबर 2019 के महीने में विभिन्न अंचलों में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया और कुल ₹320.09 करोड़ मंजूर किए।
- फरवरी 2020 के महीने में विभिन्न अंचलों में एमएसएमई एक्सपो का आयोजन किया और कुल ₹176.59 करोड़ मंजूर किए।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ''ग्रीन इकॉनॉमी'' के लिए नई योजना एमएसएमई क्लस्टर फाइनेंसिंग शुरू की। टेक्सटाइल, स्टोन और सिरेमिक जैसे तीन अभिनिर्धारित क्लस्टरों के लिए क्लस्टर वित्त पोषण शुरू किया।
- नई योजनाओं का आरंभ - तरलता सहजता के संबंध में वर्तमान उधारकर्ता को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए स्टैंडबाई लाइन ऑफ क्रेडिट (एसएलसी-डब्ल्यूसी) और एमएसएमई के लिए स्टैंडबाई लाइन ऑफ क्रेडिट (एसएलसी-एमएसएमई), महा कांट्रेक्टर योजना और महा हॉस्पिटैलिटी योजना।
- एसयूआई योजना के अंतर्गत, ₹87.42 करोड़ मंजूर और ₹40.55 करोड़ का संवितरण (बोर्ड की हुई नई शाखाएं - महानगरीय - 390, शहरी - 214, अर्ध शहरी - 152 और ग्रामीण - 101)
- महाबैंक कांट्रेक्टर योजना अभियान (अभियान अवधिः 18.11.2019 से 18.12.2019) के लिए आबंटित ₹269.0 करोड़ के लक्ष्य को पार किया. अभियान के दौरान ही ₹101.53 करोड़ का संवितरण हुआ।

4.3.3 चयनित खंडों को बैंक का विगोपन

बैंक का विगोपन निम्नानुसार है -

(₹करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	31.03.2020 को	31.03.2019 को	वृद्धि % (+/-)
1	सूक्ष्म/ एसएचजी वित्त	217	208	4.33%
2	कमजोर वर्ग	10481	11423	-8.25%
3	अजा/ अजजा लाभार्थी	2530	1667	51.77%
4	अल्पसंख्यक समुदाय	3017	2924	3.18%

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/ परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवासीय

4.3.1 MUDRA

Bank is giving special attention to credit needs of the non-farm enterprises engaged in manufacturing, trade and services up to ₹ 10 Lakhs. With the introduction of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), banks outreach to small borrower has improved in FY 2019-20. Bank sanctioned ₹ 2,410.83 crore under PMMY against the target of ₹ 2,300 crore as on 31.03.2020. Bank achieved 102.51% of target allotted by Government under PMMY. As on 31.03.2020, total MSME advances of the Bank stood at Rs 17,164 crore, registering growth of 25.04%. The share of MSME advances in total advances stood at 18.09% as on 31.3.2020. Under CGTMSE scheme, Bank sanctioned loans of Rs 569.42 crores to 1,833 borrowers up to March 2020.

Other Major Achievements

- Bank has been on boarded as Financier on the PSB loan portal, a new initiative of the Govt. of India during the financial year and sanctioned 1,067 cases amounting ₹ 365.37 crore.
- Bank has implemented the MSME Restructuring guidelines issued by Reserve Bank of India and have restructured 12,407 accounts amounting to ₹ 879.85 crore during FY 2019-20.
- Organized MSME outreach programme in month of October 2019 in various zones and sanctioned total ₹ 320.09 Cr.
- Organized MSME Expo in different zones in month of February 2020 and sanctioned total amount ₹ 176.59 Cr.
- Launched new scheme MSME Cluster Financing for "Green Economy" under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). Launched cluster financing for three identified clusters namely Textile, Stone and Ceramic.
- Introduced new schemes - Maha Contractor Scheme, Maha Hospitality Scheme and 'Standby Line of Credit for MSME (SLC-MSME) & Standby line of credit for working capital (SLC-WC) to give additional comfort to the existing MSME borrower in regard to liquidity easing.
- Under SUI Scheme, there is sanction of ₹ 87.42 Cr and disbursement is ₹ 40.55 Cr. (New branches on boarded in Metro – 390, Urban – 214, Semi Urban – 152 and Rural – 101.)
- Surpassed the allotted target of ₹ 269.0 Cr for the Mahabank Contractor Scheme Campaign (Campaign Period: 18.11.2019 to 18.12.2019). During the campaign itself, there was disbursement of ₹ 101.53 Cr.

4.3.3 Banks exposure to select segments

Banks exposure is given below:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019	% increase (+/-)
1	Micro / SHG Finance	217	208	4.33%
2	Weaker Sector	10481	11423	-8.25%
3	SC/ST beneficiaries	2530	1667	51.77%
4	Minority Community	3017	2924	3.18%

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK:

5.1. Credit Flow to Retail Sector

Bank is providing retail loans for salaried persons,

संपत्तियां/ जमीन खरीदने, घर की मरम्मत/ नवीनीकरण, उपभोक्ता वस्तुओं, दुपहिया/ चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं आदि हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है. बैंक का रिटेल ऋण संविभाग ₹22810.10 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 20 को संविभाग	एनपीए %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना	बैंक ''नए वर्तमान आवास के निर्माण/ खरीदी, वर्तमान घर/ फ्लैट की मरम्मत/ नवीकरण/ तबदीली, प्लॉट की खरीदी और उस पर निर्माण'' के लिए आवास ऋण प्रदान करता है.	14,915.71	3.92
2	महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना	बैंक ने व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए वैयक्तिक उपयोग (किराया/ यात्री आवागमन के लिए नहीं) हेतु नए फोर व्हीलर यथा कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वेहिकल (एमयूवी), एसयूवी के खरीदी के लिए योजनाएं आरंभ कीं.	1,444.79	2.85
3	मॉडल शिक्षा ऋण योजना	बैंक आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मॉडल शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन करता है. बैंक ने भारत में प्रीमियर शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा / अध्ययन प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता/ सहयोग उपलब्ध कराने हेतु तथा इस खंड के अंतर्गत उपलब्ध अवसर को प्राप्त करने के लिए महास्कॉलर ऋण योजना की शुरूआत की है.	1,227.70	6.05
4	स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण	बैंक द्वारा स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत संपत्ति के बदले उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है. इस ऋण का अंतिम उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं यथा बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, यात्रा / दौरा व्यय, वाहन या हाई-टेक गैजेट की खरीद, अन्य घरेलू आवश्यकताओं आदि की पूर्ति करना है.	686.48	0.78
4	महाबैंक टॉप अप ऋण योजना	वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ टॉप अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों के वर्तमान आवास ऋणों का अभिग्रहण करने के लिए बैंक ने ''महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना'' का आरंभ किया है.	422.66	0.70
5	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना	आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और अन्य वैयक्तिक खर्चों जिसमें विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आकस्मिकताओं, व्यवसाय यात्रा इत्यादि शामिल है, की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 26.09.2014 से प्रभावी रिटेल ऋण उत्पाद ''महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना'' का आरंभ किया है.	127.87	1.47
6	महाबैंक आधार ऋण योजना	हमारे वर्तमान पेंशन खाताधारकों को उनके वैयक्तिक खर्चों, धार्मिक यात्राओं, चिकित्सा, घरेलू आवश्यकताओं इत्यादि की पूर्ति के लिए बैंक ने ''महाबैंक आधार ऋण योजना'' का पुनःआरंभ किया.	575.22	0.97

professionals, businessmen and pensioners for purchase of housing properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs etc. The retail loan portfolio of the Bank stood Rs 22810.10 Crore.

(Amt. in ₹ Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '20	NPA %
1	Maha Super Housing Loan Scheme	Housing loan for purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon.	14,915.71	3.92
2	Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	Bank has launched schemes for purchase of New four wheeler i.e. Car, Jeep, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV etc. for personal use. (i.e. not for hiring/ferrying passengers) for individuals (18 years and above).	1,444.79	2.85
3	Model Education Loan Scheme	Bank is implementing Model Education Loan Scheme as per IBA guidelines. The bank introduced Mahascholar Education loan Scheme to provide financial assistance/ support to meritorious students for pursuing higher studies /education in courses conducted by the Premier Educational Institutions in India as a differentiated product.	1,227.70	6.05
4	Loan Against Self-Occupied Property	Bank has introduced Loan Against Self-Occupied Property in which loan is given to the borrower against the property. The end use of the loan is for meeting varied personal needs like Children's Education, marriage of children, medical treatment, travel/ tour expenses, buying vehicle or hi-tech gadgets.	686.48	0.78
4	Mahabank Top up Loan Scheme	In order to extend additional credit support to existing housing loan borrowers as well takeover of existing housing loans of other banks with additional facility of Top-up Loan, Bank has launched "Mahabank Top Up loan Scheme".	422.66	0.70
5	Mahabank Gold Loan Scheme	With a view to tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to cater to the needs of meeting other personal expenses, whatsoever which include personal expenditure for varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, business travel etc, Bank has launched a retail loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme" w.e.f. 26.09.2014.	127.87	1.47
6	Mahabank Aadhar Loan Scheme	To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal expenses, pilgrimage, medical and domestic needs etc; Bank has re-launched "Mahabank Aadhar Loan Scheme".	575.22	0.97

5.2 ऋणों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक ने समयबद्ध ऋण के लिए टीएटी में सुधार हेतु अपने सभी 32 अंचलों में वाणिज्यिक अग्रिमों की प्रोसेसिंग और मंजूरी हेतु केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्षों (सीपीसी) की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त सभी अंचलों में रिटेल ऋण के लिए कुल 32 सीपीसी कार्य कर रहे हैं। भविष्य में बैंक द्वारा स्थानीय आवश्यकता और व्यवसाय क्षमता के अनुसार सीपीसी रिटेल की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी।

5.3 द्वार पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

बैंक द्वारा उच्च मूल्य वाले अपने ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक के द्वार पर निगमित एवं रिटेल नकदी पिकअप तथा सुपुर्दगी एवं चेक संग्रहण सेवाएं शामिल हैं।

5.4 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम

5.4.1 इंटरनेट/ एसएमएस/ फोन बैंकिंग

1. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंटरनेट बैंकिंग में 10.40%, फोन बैंकिंग में 23% तथा एसएमएस बैंकिंग में 13% की वृद्धि हुई।
2. आईबी उपयोगकर्ताओं के लिए महासिक्योर के माध्यम से नेट सुरक्षा में वृद्धि और लगातार अनुवर्तन के फलस्वरुप उपयोगकर्ताओं की संख्या/ ऑनलाईन संव्यवहारों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है।
3. इंटरनेट बैंकिंग में अधिक ग्राहक ईज और सुविधा के लिए अतिरिक्त 13 सेवाओं तथा 42 कार्यक्षमताओं को जोड़ा गया है।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न चैनलों के माध्यम से 47.27 करोड़ से अधिक के डिजीटल संव्यवहार किए गए।

5.4.2 मोबाइल बैंकिंग :

- पंजीकरण में वृद्धि हेतु महामोबाइल कार्य प्रणाली को ग्राहक उन्मुख एवं सरलीकृत (12 सेवाएं तथा 30 कार्यक्षमताएं) किया गया है।
- वर्ष के दौरान मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में 37.23% की बढ़ोत्तरी हुई है।

6. निगमित सामाजिक दायित्व :

ग्रामीण नागरिकों, कमजोर वर्गों, वंचितों के उत्थान तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने की सदियों पुरानी परंपरा की विरासत का पालन करते हुए बैंक ने सरकार से संबद्ध विभिन्न गतिविधियां संपादित कीं। यथाः

- **स्वच्छ भारत अभियान :** बैंक द्वारा विभिन्न नगर निगमों को कूड़ेदान उपलब्ध कराया गया है और वडगांव मावळ नगर पंचायत में महिलाओं के लिए तैयार शौचालय स्थापित किया गया।
- **समावेशी विकास :** बैंक ने महाराष्ट्र राज्य के सातारा, कोल्हापुर में प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री प्रदान की, लैपटॉप और अन्य अवसंरचना प्रदान करके ग्रामीण सरकारी केंद्रों को अपग्रेड किया तथा पुणे जिले में स्कूली छात्रों और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में बैंक ने मदद की।
- **शिक्षा का संवर्धन :** बैंक ने डिजिटल कक्षा स्थापित करने में मदद की, बैंक ने राज्य और केंद्र शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेधावी रैंक धारक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की तथा वंचित बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया।
- बैंक के कर्मचारियों ने ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और केरल में आई बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया, साथ ही, कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री कोष तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया।

ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण :

बैंक द्वारा ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) तथा बैंक के दो ट्रस्टों यथा- महाबैंक कृषि अनुसंधान व ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमबीवीएम) के माध्यम से कृषि, ग्रामीण विकास तथा

5.2. Centralized Processing of loans

Bank has established Centralized Processing Cells (CPCs) for processing and sanctioning commercial advances at all its 32 Zones to improve the TAT in facilitating timely credit. In addition, total 32 CPCs for retail credit are functioning in all Zones. In future, the bank intends to increase the number of CPCs Retail as per location requirement and business potential.

5.3 Door Step Banking Services

Bank is providing Door Step Banking Services for its High End Customers. The services include Corporate and Retail Cash pickup and delivery & Cheque Collection Services.

5.4 Alternate Delivery Channels

5.4.1 Internet /SMS/Phone Banking

1. There was an increase of 10.40% in Internet Banking, 23% in Phone Banking and 13% in SMS banking users over the previous year.
2. With continuous follow up and increase in net security through the Mahasecure for IB users, substantial rise in users/online transactions is expected.
3. In the Internet banking, additional 13 services and 42 functionalities are added for more customer ease and convenience.
4. In the current financial year over 47.27 crore digital transactions were carried out through various channels.

5.4.2 Mobile Banking

1. Maha Mobile functionality has been customized and simplified (12 services and 30 functionalities) for increasing enrolments.
2. Mobile banking users increased by 37.23 % during the year.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the legacy of age old tradition of contributing to socio-economic development & upliftment of underprivileged, weaker sections and rural citizens, Bank undertook varied activities aligned to Govt. guidelines viz.:

- **Swachha Bharat Abhiyan:** Bank provided dustbins to various Municipal corporations, installed ready-toilets for women in Vadgaon Maval Nagarpanchayat
- **Inclusive Growth:** Bank provided flood relief material to people affected in Satara, Kolhapur in Maharashtra State, Upgraded rural govt. centres by providing laptop and other infrastructures, Bank helped in making available safe drinking water to school students and citizens in Pune District
- **Promotion of Education:** Bank helped to set up digital classroom, Bank provided scholarship to meritorious rank holder students of 10th & 12th exams in State & Central Board of Education, Provided school uniforms to under-privileged children
- Employees of the Bank Contributed to Chief Minister's Relief Fund for Floods in Odisha, Maharashtra, Bihar & Kerala also donated to PM CARES Fund & CM Relief Fund of various states for fight against covid pandemic

Rural Development & Women Empowerment:

Bank is undertaking various social activities through Rural Development Centre (RDCs) and two trusts of Bank i.e. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) and Gramin Mahila Va Balak

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

क) महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमआरसेटी) के माध्यम से प्रशिक्षण -

- बैंक को एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा आरसेटी गतिविधियों के लिए (वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु) श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन बैंक के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने निर्धारित लक्ष्य 4915 की तुलना में 5507 प्रशिक्षणार्थियों को ईडीपी और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया।
- इन प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा कुल 4370 नए व्यवसाय शुरू किए गए, 79.35% का सेटेलमेंट अनुपात प्रदर्शित हुआ; क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 51.76% उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए 2262 इकाईयां क्रेडिट लिंक हो चुकी हैं।

ख) आरडीसी के माध्यम से गतिविधियाँ:-

- किसानों को उनकी ऋण आवश्यकताओं हेतु समर्थन देने के अतिरिक्त, बैंक ने 132 किसान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया, जिसमें 6,132 किसानों को विभिन्न आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- आरडीसी भिगवण के माध्यम से किसानों के लाभ के लिए मिट्टी और पानी का परीक्षण किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, 3,560 मिट्टी और पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया और आवश्यक सिफारिशों के साथ किसानों को रिपोर्ट प्रदान की गई।
- 756 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 90,113 प्रतिभागियों को बैंकिंग, डिजिटल संव्यवहार, यूपीआई, भीम ऐप का उपयोग तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया।

ग) अन्य पहलें: -

- डीएवाई एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी वित्तपोषण में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ₹155.38 करोड़ राशि के 12,992 एसएचजी के लक्ष्य की तुलना में ₹233.32 करोड़ (150%) राशि के 16,962 नए एसएचजी का निर्माण हुआ तथा क्रेडिट लिंक किया गया।
- बैंक द्वारा शाखाओं, बीसी और अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा - पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।
- नए व्यवसाय शुरू करने हेतु ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीएमबीवीएम द्वारा स्वरोजगार गतिविधियों यथा - अगरबत्ती, मोमबत्तियाँ आदि बनाने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये महिलाएं स्वयं के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपना व्यवसाय चला रही हैं।

7. अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पालघर, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधिकारियों के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है।

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है. एसएलबीसी द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों, सदस्य बैंकों, नाबार्ड, भारतीय

Vikas Mandal (GMBVM) in the areas of Agriculture, Rural development & women empowerment.

a) Trainings through Mahabank Rural Self Employment Training Institutes (MRSETIs)-

- Bank was awarded with National Award by MORD, GOI as Best Performing Bank for RSETI activities (for FY 2018-19).
- During the year 2019-20 Bank imparted EDP & skill based training to 5507 trainees as against set target of 4915.
- A total of 4370 new businesses were started by these trained entrepreneurs, showing settlement ratio of 79.35%; 2262 units are credit linked, showing 51.76 % achievement under credit linkage.

b) Activities through RDCs:-

- Besides advocating farmers for their credit needs, Bank organized 132 Farmer Training Camps wherein 6,132 farmers were given specialized training on various modern Agricultural technologies.
- Soil and water testing was carried out for the benefit of the farmers through RDC Bhigwan. During the year 2019-20, 3,560 soil and water samples are tested and reports were provided to farmers along with necessary recommendations.
- 756 Financial Literacy Camps were organized wherein 90,113 participants were educated for banking, digital transactions, use of UPI, BHIM App and social security schemes like PMJJBY, PMSBY, APY, etc.

c) Other initiatives: -

- Bank received National Award for best performance in SHG financing under DAY NRLM
- Formed and credit linked 16,962 new SHGs amounting to ₹ 233.32 Cr. as against the target of 12,992 amounting to ₹ 155.38 Cr. (150%).
- Bank is also implementing the social security schemes of Govt. like PMJJBY, PMSBY, APY, etc. through Branches, BCs and other digital modes.
- GMBVM provided skill based training to rural women for self-employment activities like Agarbatti, Candles, etc. to empower them for starting new business. These women are running their business on individual as well as through SHGs.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year District Credit Plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks as well as in coordination with District Collectors of respective Districts.

7.1 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra. SLBC prepares State

रिज़र्व बैंक आदि से विचार-विमर्श कर राज्य वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना ₹4,24,029/- करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी योजना में से एक थी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 17,200 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है। राज्य में कुल 270 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए। एसएलबीसी महाराष्ट्र को पीएमजेडीवाई खातों का सर्वाधिक आधार सीडिंग करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019-20 के दौरान एसएलबीसी महाराष्ट्र को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अगस्त 2019 के दौरान अधिकतम संख्या में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पंजीयन के लिए सिटिजन च्वाइस कैंपेन के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन एसएलबीसी अवार्ड प्राप्त हुआ।

7.3 वित्तीय समावेशन / पीएमजेडीवाई : (एफआई)

Annual Credit Plan in consultation with Lead District Managers, Member Banks, NABARD, Reserve Bank of India, etc. The Priority Sector plan for the year 2019-20 was for INR 4,24,029 crore, which was one of the highest in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra.

SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, Priority Sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various Members Banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC coordinates a network of more than 17,200 bank branches in the state.

As SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the Maharashtra. A total of 270 lakh PMJDY accounts have been opened in the State. SLBC Maharashtra also received award for highest Aadhar Seeding of PMJDY accounts from Department of Financial Services, Ministry of Finance (Govt. of India). During 2019-20, SLBC Maharashtra received Best Performing SLBC Award from Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA), New Delhi under Citizens' Choice Campaign for highest number of Atal Pension Yojana (APY) enrollments during August 2019.

7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY: (FI)

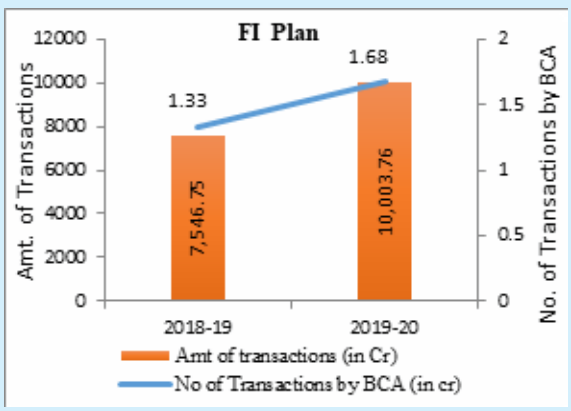

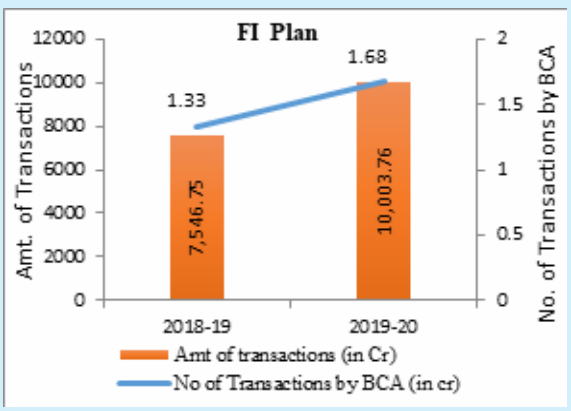

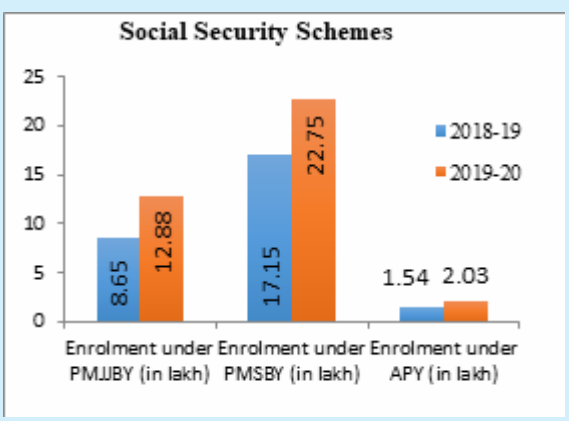

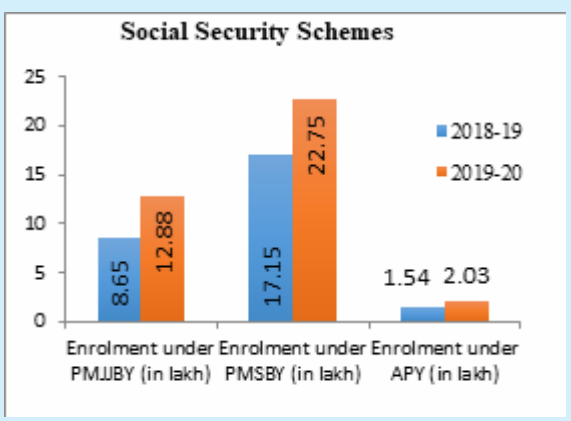

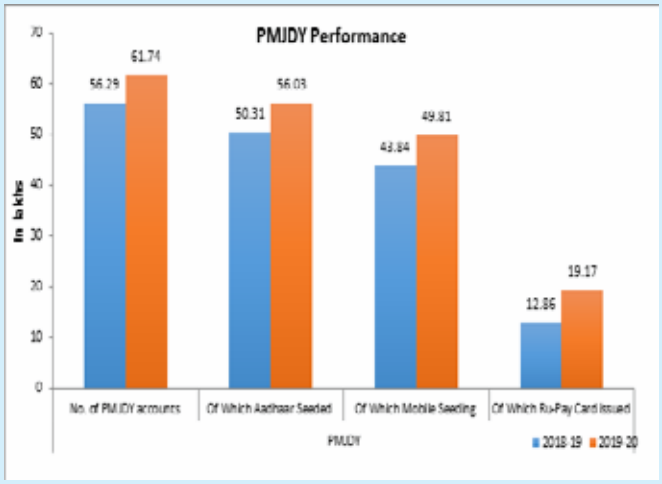

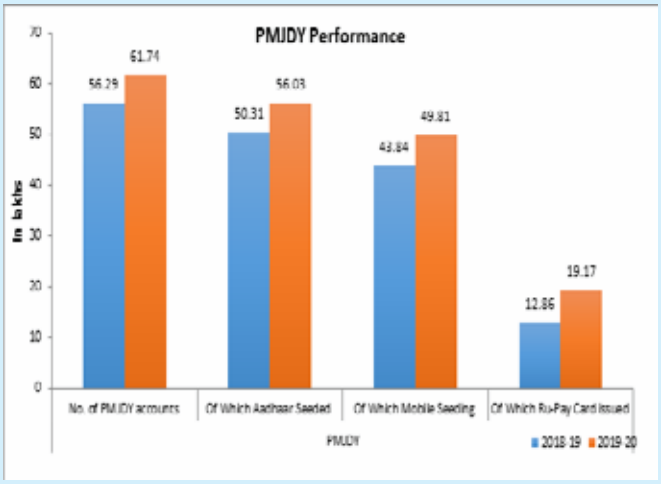

वित्तीय वर्ष 20 में बैंक का वित्तीय समावेशन कार्य-निष्पादन

	वर्ष	
	2018-19	**2019-20**
1) पीएमजेडीवाई कार्य-निष्पादन		
आधार सीडिंग का %	89.38%	90.75%
मोबाइल सीडिंग का %	77.88%	80.68%
जारी रूपे कार्ड का %	22.84%	31.04%
पीएमजेडीवाई खाते में शेष (करोड़ में)	1469.81	2057.37
प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	2611	3332
पीएमजेडीवाई - ओडी संख्या (लाख में)	0.11	2.53
पीएमजेडीवाई - ओडी राशि (लाख में)	73.92	2774.01
शून्य शेष पीएमजेडीवाई खाते (लाख में)	15.35	14.82
2) बीएसबीडी खाते		
कुल बीएसबीडी खाते (लाख में)	83.15	85.2
बीएसबीडी खाते में बकाया शेष (करोड़ में)	1902.69	2635.39
प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	2288	3093
बीसी सेवाओं के लिए दिया गया कमीशन (करोड़ में)	21.98	27.88

पीएमजेडीवाई खाता खोलने के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने पीएमजेडीवाई शिकायतों का निवारण करने हेतु बैंक में 18001022636 टोल फ्री क्रमांक वाला पूर्ण विकसित कॉल सेंटर है। वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयासों की सराहना के रूप में डीएफएस द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में श्रेष्ट कार्य-निष्पादन के लिए अपनी वित्तीय वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट में भी बैंक की प्रशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रूपे कार्ड** जारी करने में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में **प्रथम स्थान** प्राप्त हुआ।
- **पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि** के वृद्धि प्रतिशत में **दूसरा स्थान** प्राप्त हुआ।
- **पीएमजेडीवाई खाता खोलने** की संख्या में **छठा** स्थान प्राप्त हुआ।
- 9 मई 2019 से 23 मई 2019 तक आयोजित **अटल पेंशन योजना गठन दिवस अभियान के लिए प्रमुख बैंक श्रेणी** के अंतर्गत **श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक।**
- 15 जुलाई से 26 जुलाई 2019 तक आयोजित **एपीवाई मिशन पॉसिबल अभियान के अंतर्गत प्रशंसा** प्रमाणपत्र, बैंक ने 90% एक्टीवेशन लक्ष्य अर्थात 1648 शाखाओं की तुलना में 1693 शाखाओं को एक्टीवेशन किया।

Financial Inclusion Performance of the Bank in FY20

	Year	
	2018-19	**2019-20**
1) PMJDY Performance		
% OF Aadhaar Seeding	89.38%	90.75%
% of Mobile Seeding	77.88%	80.68%
% of Ru-Pay Card issued	22.84%	31.04%
Balance in PMJDY A/c (in Cr)	1469.81	2057.37
Average Bal. per account (actual)	2611	3332
PMJDY – OD Count (in lakhs)	0.11	2.53
PMJDY – OD Amount (in lakhs)	73.92	2774.01
Zero Bal. PMJDY A/cs (in lakhs)	15.35	14.82
2) BSBD Accounts		
Total BSBD Accounts (in lakhs)	83.15	85.2
O/S Balance in BSBD A/c (in Cr)	1902.69	2635.39
Average bal. per account (actual)	2288	3093
Commission Paid towards BC Services (in Crore)	21.98	27.88

To spearhead its efforts in opening PMJDY accounts the bank has now a full-fledged call center with toll free number 18001022636 for redressal of PMJDY grievances. In appreciation of its efforts towards financial inclusion, the bank was also recognized by the DFS in its FY 2019-20 report for excellent performance in the field of financial inclusion, which included:

- Securing **First position** among all Public Sector Banks in issuing the **Rupay Card.**
- Securing **Second** in Percentage growth of **deposit amount in PMJDY Accounts.**
- Securing **Sixth** in number of **PMJDY accounts opened.**
- **Best Performing Public Sector Bank** under the **major Bank Category for Atal Pension Yojana Formation Day Campaign**, held from 9th May 2019 to 23rd may 2019.
- Certificate **of Appreciation under the APY Mission Possible Campaign**, held from 15th July to 26th July 2019, the Bank activated 1693 branches against the 90% activation target i.e. 1648 branches

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। दिनांक 31.03.2020 बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 412 हैं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं। सभी 412 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय सीबीएस के अधीन हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 04 नई शाखाएं खोली हैं।

कार्यनिष्पादन विशेषताएं निम्नलिखित है:

- बैंक द्वारा ₹ 17,083.70 करोड़ का कुल व्यवसाय प्राप्त किया गया।
- बैंक द्वारा ₹ 141.65 करोड़ का परिचालन लाभ प्राप्त किया गया।
- 31.03.2020 को निवल लाभ ₹27.19 करोड़ रहा।
- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन बिंदु मानदंडों में प्रायोजक बैंक द्वारा दिए गए एमओयू डीएपी के अंतर्गत अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :

अनु.	कार्यनिष्पादन मानदंड	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य	31.03.2020 को वास्तविक उपलब्धि
1	कुल जमा में वृद्धि (%)	15.01%	15.27%
2	कासा जमाराशि में वृद्धि (%)	16.75%	18.04%
3	ब्याज आय	945	908.86
4	गैर-ब्याज आय	90	101.38
5	बट्टे खातों में वसूली	4	4.87

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आबंटित 898 उप सेवा क्षेत्र और 80 वार्डों का सर्वेक्षण बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु किया गया। बैंक ने सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बीसीए तैनात किए। 31.03.2020 तक कुल 18.88 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए तथा पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 9.36 लाख रूपे एटीएम डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा एपीवाई एवं साथ ही, भारत सरकार द्वारा घोषित पीएमएमवाई योजना में सक्रियता से भाग लिया.

8.2 मेटको का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100 % अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना
- निजी न्यासों / सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना
- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना

कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं. कंपनी लगभग 1,025 निजी और सार्वजनिक न्यासों का प्रबंधन करती है. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 28 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1183 हो गई है. कंपनी द्वारा वर्तमान में 21 ग्राहकों की चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 99 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 2 मामलों में न्यायालय ने

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS:

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra State. Total no. of branches as on 31.3.2020 stood at 412 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra state. All 412 branches and controlling offices are now under CBS. MGB had opened 4 new branches during the year 2019-20.

Performance highlights are as under:

- Bank has achieved total business of ₹ 17,083.70 Crore.
- Bank has achieved operating profit of Rs 141.65 Crore.
- Net profit stood as ₹ 27.19 Crore as on 31.03.2020.
- Bank has achieved most of the target under MoU DAP given by sponsor Bank for the financial year 2019-20 in the major key performance parameters, as under.

S.No.	Performance Parameter	Target FY 2019-20	Actual as on 31.03.2020
1	Growth in Total Deposit (%)	15.01%	15.27%
2	Growth in CASA deposit (%)	16.75%	18.04%
3	Interest Income	945	908.86
4	Non-Interest Income	90	101.38
5	Recovery in Write off	4	4.87

Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, surveys of all allotted 898 SSAs and 80 wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has covered all allotted SSAs by engaging BCAs. Total 18.88 lakh PMJDY accounts have been opened till 31.03.2020 and 9.36 lakh RuPay ATM debit cards have been issued to PMJDY account holders. Maharashtra Gramin Bank has actively participated in the PMJJBY, PMSBY and APY as well as the PMMY scheme declared by the Government of India.

8.1 Performance of METCO

The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd., the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Consultation, Drafting & Execution of will
- Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts
- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale/purchase of property

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1,025 Public & Private Trusts. During the year, additional 28 Wills were added making total 1,183 Will in its custody for execution. At present, the Company manages properties both movable and immovable of 21 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 99 policies under Married Women's Property Act and as

अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है. कंपनी द्वारा करीब-करीब 20 न्यासों के प्रबंधकीय न्यासी के रूप में कार्य किया गया तथा गरीब लोगों की मदद कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को उत्प्रेरक बनाया।

कंपनी द्वारा कोविड-19 के दौरान भारत सरकार/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तरफ से जारी सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन किया गया। कंपनी ने साधु वासवानी मिशन इनलेक्स एवं बुधरानी अस्पताल पुणे को 100 पीपीई किट भी प्रदान किए। कंपनी ने निकटवर्ती लोगों को भोजन आदि वितरण करने हेतु अपने ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न एनजीओ व ट्रस्ट को ₹1.05 लाख का दान भी दिया। निधि की व्यवस्था ट्रस्ट से की गई थी। वित्तीय वर्ष 20 के दौरान कंपनी ने लगभग 120 लाभार्थियों को औसतन ₹30 लाख प्रदान किया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मेटको का निवल लाभ ₹74.07 लाख रहा।

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं :

- बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्रदान किया गया है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव ने 14 सितंबर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु नई दिल्ली में प्रतिष्ठित 'स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंकिंग उद्योग में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बैंक बनने का श्रेय हमारे बैंक को प्राप्त हुआ।
- बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु मुंबई की प्रतिष्ठित संस्था 'आशीर्वाद' द्वारा 'विशेष पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- डॉ. एन. मुनिराजु, महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा) को राजभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु ''राजभाषा गौरव'' पुरस्कार प्रदान किया गया।
- अन्य बैंकों द्वारा संयोजित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमारे बैंक के कोलकाता, गोवा, अमरावती अंचलों तथा जोधपुर शाखा (जयपुर अंचल), कानपुर शाखा (लखनऊ अंचल), कोटा शाखा (जयपुर अंचल) एवं ग्वालियर शाखा (भोपाल अंचल) को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे में 18 सितंबर, 2019 को हिन्दी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव द्वारा की गई और मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात हिन्दी व मराठी फिल्म अभिनेत्री सुश्री सोनाली कुलकर्णी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर श्री एम. के. वर्मा, निदेशक, श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक, श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक और डॉ. एन. मुनिराजु, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आंतरिक राजभाषा ट्रॉफी योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- बैंक के सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए दिनांक 09 व 10 जनवरी 2020 को चेन्नै में दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2019-20 का आयोजन किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- बैंक की मासिक ई-पत्रिका 'राजभाषा ई-प्रगति' प्रति माह नियमित रूप से प्रकाशित की गई. एक नई पहल के रूप में दिव्यांगजनों के लाभ हेतु 'राजभाषा ई-प्रगति' का ब्रेल लिपि में भी प्रकाशन किया गया।

Court appointed Guardian of minor's property in 2 cases. The Company also acts as Managing Trustees of nearly 20 trusts and catalysts its social responsibility by extending help to poor people.

Company has followed all the instructions regarding safety during COVID-19 issued by Government of India/Ministry of Corporate Affairs. Company also distributed 100 PPE Kits to Sadhu Vaswani Mission's Inklas & Budhrani Hospital Pune. The Company has also donated through its trust ₹ 1.05 lacs to different NGO and trust for distribution of Foods etc., to the needy masses. The fund was arranged from the trusts. During the FY20, the company has extended approx. ₹ 30 lacs to nearly 120 beneficiaries.

The net profit of METCO for F.Y. 2019-20 stood ₹ 74.07 lakh.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2019-20, the Bank achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

- The Bank was awarded "Rajbhasha Kirti Puraskar" for better implementation of Rajbhasha Hindi, which is the highest award for Rajbhasha. Shri A. S. Rajeev, Managing Director & CEO, Bank of Maharashtra received this prestigious award at the hands of Hon'ble Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah in a grand function arranged at Vigyan Bhawan, New Delhi on 14th September, 2019.
- The Bank was awarded prestigious Skoch Order-of-Merit Award at New Delhi for Better Implementation of Rajbhasha. In Banking Industry our bank is the first to receive this Award for Hindi Implementation.
- The Bank was awarded "Vishesh Puraskar" by the Mumbai based prestigious Institution 'Aashirvad' for better use of Hindi during the year.
- Dr. N. Muniraju, General Manager (HRM & Rajbhasha) was awarded "Rajbhasha Gaurav" Puraskar for remarkable work in the field of Official Language.
- Various Town Official Language Implementation Committees convened by other Banks have awarded our Kolkata, Goa, Amaravati Zonal Offices and Jodhpur Branch (Jaipur Zone), Kanpur Branch (Lucknow Zone), Kota Branch (Jaipur Zone) and Gwalior Branch (Bhopal Zone) for excellent implementation of Official Language.
- Hindi day function was arranged at Head Office, Pune on 18th September, 2019. Shri A. S. Rajeev, Managing Director & CEO of the Bank presided over the function. Ms. Sonali Kulkarni, renowned Hindi and Marathi actress was the Chief Guest. Shri M. K. Verma, Director, Shri A. C. Rout, Executive Director, Shri Hemant Tamta, Executive Director & Dr. N. Muniraju, General Manager, HRM & Rajbhasha were also present in the function. Winners of the All India Internal Rajbhasha Trophy Scheme of the Bank were awarded during the function.
- A two day Annual Rajbhasha Conference 2019-20 for all the Hindi Officers of Bank was organized on 09th & 10th January 2020 at Chennai. Shri A. S. Rajeev, Managing Director & CEO of the Bank inaugurated the conference.
- Monthly Rajbhasha E-Magazine 'Rajbhasha E-Pragati' is being regularly published every month. As a new initiative Rajbhasha E-Pragati in Brail script is also published for the benefit of differently abled employees of the Bank.

- बैंक की तिमाही गृह पत्रिका ''महाबैंक प्रगति'' का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है।
- बैंक मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर और जलगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) का संयोजक बैंक है। वर्ष के दौरान इन समितियों की बैठक और विभिन्न गतिविधियां नियमित रूप से निर्धारित अनुसूची के अनुसार संपन्न की गई।
- प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को बैंक की सभी शाखाओं व कार्यालयों में ''हिन्दी कार्यादिवस'' मनाया जाता है।
- महा-मोबाइल में हिंदी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सीबीएस और इंटरनेट बैंकिंग में भी हिंदी कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा अनुवाद कार्य पूरा कर लिया गया है।
- कर्मचारियों के उपयोग हेतु यूएलसी के माध्यम से ''आनलाइन राजभाषा कोश'' और ''आनलाइन हिंदी रोस्टर'' सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

10. सुरक्षा

बैंक द्वारा बैंक की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा नीति बनाई गई है। नीति के अंतर्गत निम्नलिखित का समावेश किया गया है :-

- शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, करंसी चेस्ट, डेटा सेंटर, अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर बैंक की संपत्तियों जैसे नकदी, स्वर्ण, दस्तावेज व मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करना तथा नकदी व मूल्यवान वस्तुओं हेतु सुरक्षा के उपाय करना।
- बैंकिंग व्यवसाय को सहज व सामान्य रूप से चलाने के लिए स्टॉफ, भेंटकर्ताओं तथा ग्राहकों के लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उपाय।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आनेवाले खतरे, वर्तमान अपराधिक परिदृश्यों, अपराध पैटर्न, बैंक डकैती के तौर तरीकों व सुरक्षा भंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक में भौतिक सुरक्षा आवश्यकताओं हेतु सक्रिय कदम उठाए गए तथा आगजनी की घटनाओं से बचाव तथा सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य बैंक कर्मचारियों को किसी भी संभावित घटना से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

11. सचिवीय लेखा परीक्षा:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 (लिस्टिंग विनियम) के विनियम 24ए तथा सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र क्र.प री./सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में बैंक ने मेसर्स आप्टे जोशी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, पुणे को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। पुनरीक्षाधीन वर्ष के लिए कोई सचिवीय लेखा परीक्षा क्वालिफ़िकेशन नहीं है।

12. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनको सतत आधार पर लागू किया गया। यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और वर्ष के लिए लाभ की सही

- Bank's Quarterly In-house Magazine "Mahabank Pragati" is being regularly published.
- Bank of Maharashtra is the convener Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per the schedule.
- "Hindi Karya Diwas" (Hindi Working Day) is being observed by all the branches & offices of the Bank on the third Saturday of every month.
- Hindi facility has been provided in Maha-Mobile. The department has also completed the translation work for implementation of Hindi in CBS & Internet Banking.
- The facility of "Online Rajbhasha Kosh" & "Online Hindi Roster" is made available through ULC for the use of employees.

10. SECURITY

The Bank has put in place a comprehensive Security Policy covering the entire Security arrangements in the Bank. The policy covers the following:-

- Protect the bank's assets such as Cash, Gold, Documents and Valuables at branches, Administrative offices, Currency chests, Data Centre, other critical centres and Security measures for Cash and Valuables.
- Create a secure, safe and conducive environment for Staff, visitors and customers to conduct smooth and normal banking business.
- Measures to counter manmade disasters and natural calamities.

During the FY 2019-20, proactive steps were taken on the physical security requirements in the Bank after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of bank robberies, breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any eventuality.

11. SECRETARIAL AUDIT:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s. Apte Joshi & Associates, Practicing Company Secretaries, Pune as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for the financial year 2019-20. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report. There is no Secretarial audit qualification for the year under review.

12. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2020:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were

और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।

- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए।

13. निदेशक मंडल में परिवर्तन :

वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

- बैंक के निदेशक श्री दीनदयाल अग्रवाल ने अपना कार्यकाल दिनांक 25.07.2019 को पूर्ण किया।
- केंद्र सरकार द्वारा श्री मनोज कुमार वर्मा को श्री जी. श्रीकुमार के स्थान पर दिनांक 13.08.2019 से बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- डॉ. अर्चना धोलकिया ने बैंक के निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल दिनांक 29.02.2020 को पूर्ण किया।
- केंद्र सरकार द्वारा श्री नागेश्वर राव वाई. को दिनांक 31.03.2020 से श्री ए. सी. राउत के स्थान पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल 30.03.2020 को पूर्ण किया था।

14. लाभांश वितरण नीति:

सेबी- लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं विनियम के खंड 43ए के अनुसरण में बैंक द्वारा लाभांश वितरण नीति बनाई गई और वह बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

15. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है और वह बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

16. आभार

निदेशक मंडल ने निवर्तमान निदेशकों अर्थात श्री ए. सी. राउत, श्री दीनदयाल अग्रवाल, श्री जी. श्रीकुमार और डॉ. अर्चना धोलकिया द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना को अभिलेखित किया।

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और ''महाबैंक परिवार'' के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और बैंक के समग्र विकास में उनके योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान: पुणे
दिनांक: 16 जून, 2020

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.

- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India;
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

13. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year 2019-20, the following changes took place in the Board of Directors:

- Shri Deendayal Agrawal, Director of Bank completed his tenure on 25.07.2019.
- Shri Manoj Kumar Verma was appointed as RBI Nominee Director of Bank by the Central Government w.e.f 13.08.2019 in place of Shri G. Sreekumar.
- Dr. Archana Dholakia, Director of Bank completed her tenure as Director of Bank on 29.02.2020.
- Shri Nageswara Rao Y. was appointed as an Executive Director of Bank by the Central Government w.e.f 31.03.2020 in place of Shri A.C. Rout, who completed his term of Executive Director of Bank on 30.03.2020.

14. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY:

In terms of Clause 43A of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

15. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT:

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Business Responsibility Report (BRR) 2019-20 of the Bank is annexed to the Annual Report and same is also available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

16. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors place on record their appreciation for the contributions made by the outgoing Directors viz. Shri A.C. Rout, Shri Deendayal Agrawal, Shri G. Sreekumar and Dr. Archana Dholakia.

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority, the Indian Banks' Association and Stock Exchanges and CDSL for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Pune
Date 16th June, 2020

(A.S. RAJEEV)
Managing Director and CEO

फॉर्म क्र. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियों के
नियम 9 के अनुसार (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक)
नियम, 2014 और सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र
परि/सीएफडी/सीएमडी1/ 27/2019 के अनुसार]

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई थी जिससे हमें कॉरपोरेट आचार / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा रखे गए बैंक की बहियां, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख और बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के दौरान निम्न में उल्लेखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक मौजूद हैं, जिसके आधार पर इसके पश्चात निम्नानुसार रिपोर्टिंग की गई है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, लागू सीमा तक ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम ;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं: -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में **(वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; **(वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994;

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992;

(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार सहभागी) विनियम, 1996/2018;

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;

(ढ) विशेष रूप से बैंक के लिए लागू अन्य कानून:

(i) बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पढ़ा गया।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(iii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2004

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

(v) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

(vi) बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, 1891

(vii) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006

(viii) बैंकिंग कंपनियाँ (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985

(ix) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी)तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002

(x) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - लागू नहीं

(ii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीबद्धता करार ;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के मद क्र.9.6 में घोषित किए गए प्रलंबित शुल्क/ प्रभारों अथवा प्रदत्त पेनाल्टी तथा जहां बैंक को कारण बताओ नोटिस मिले हैं उन्हें छोड़कर बैंक ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कार्यपालक निदेशकगण, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ बैंक का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए।

साथ ही, बोर्ड की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट आवश्यकता के अनुसार कम से कम 15 दिन पूर्व भेजे गए, केवल कुछ मामलों को छोड़कर जहां नोटिस 15 दिन से कम के अंतराल पर, किंतु न्यूनतम सात दिन पूर्व भेजे गए जैसा कि एलओडीआर 2015 के अंतर्गत अपेक्षित है, और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगामी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक समूचित प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसकी निगरानी के लिए बैंक के परिचालनों और आकार के अनुसरण में बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और पद्धतियां है। तथापि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कतिपय मामलों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर पेनाल्टी लगाई गई है और इसे बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के मद क्र.9.6 में घोषित किया गया है।

मैं/ हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने

(i) अधिमान आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर जारी किए;

(ii) परिपक्वता पर टियर II बॉण्डों को रिडीम किया;

(iii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान टियर-II बॉण्ड जारी किये गए;

(iv) कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से पात्र कर्मचारियों को ईक्विटी शेयर जारी किए;

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए।

(vi) कोई विलय/ समामेलन / पुनर्संरचना आदि नहीं किया,

(vii) कोई विदेशी तकनीकी समझौता नहीं किया।

कृते आप्टे जोशी और असोसिएट,
कंपनी सचिव
हर्षल राघवेंद्र जोशी
भागीदार
एफसीएस : 9897 सीपी : 10450

दिनांक : 16 जून, 2020
स्थान : पुणे

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2020.
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014 and as per SEBI Circular No CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2020.

To,
The Members,
Bank of Maharashtra,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of Maharashtra (hereinafter called the "Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed, and other records maintained by the Bank for the financial year ended on March 31, 2020 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder, to the extent applicable;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

(c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (Not applicable during the year)

(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not applicable during the year)

(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (not applicable during the year)

(j) Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;

(k) Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;

(l) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996/2018;

(m) Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;

(n) other laws applicable specifically to the Bank:

(i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Banking Regulation Act, 1949.

(ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

(iii) Bank of Maharashtra (Shares and Meeting) Regulations, 2004.

(iv) Reserve Bank of India Act, 1934.

(v) Banking Regulations Act, 1949.

(vi) Banker's Book Evidence Act, 1891.

(vii) Banking Ombudsman Scheme, 2006.

(viii) The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985.

(ix) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFESI) Act, 2002 and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

(x) The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. - **Not Applicable**

(ii) The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above except that the Bank has received show cause notices and awarded penalty or delayed fees/ charges as disclosed by the Bank in point no.9.6 of Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank for FY 2019-2020.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the applicable provisions of the Act.

Further, adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least 15 days in advance as per the requirement, *except in few instances, where the notice were sent with a gap of less than 15 days but at least seven days in advance as required under LODR 2015 has been observed,* and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines. However, penalties have been imposed on the Bank by Regulatory Authorities in certain cases during the period under review and same is disclosed by Bank in point no.9.6 of Schedule 18 of financial statements for FY 2019-2020.

I/we further report that during the audit period, the Bank has

(i) Issued Equity Shares to Government of India on Preferential basis;

(ii) Redeemed Tier II Bonds on Maturity;

(iii) Issued Tier II Bonds during the period under review.

(iv) Issued Equity Shares to eligible employees through Employees Share Purchase Scheme;

(v) taken no major decisions by the members in pursuance to Section 180 of the Companies Act, 2013

(vi) No Merger / amalgamation / reconstruction, etc.

(vii) No Foreign Technical Collaborations

For Apte Joshi & Associates,
Company Secretaries

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS: 9897 CP: 10450

Date: June 16, 2020
Place: Pune

अनुलग्नक - ए

प्रति,
सदस्य,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेख का रखरखाव बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेख पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेख की सामग्री की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय अभिलेख में परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि प्रक्रिया और व्यवहार, हमने अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

3. हमने बैंक के खाता बहियों और वित्तीय अभिलेख की यथार्थता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन प्रकथन प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू विधियों , नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के लिए और न ही उस प्रभावकारिता या क्षमता के बारे में एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते आप्टे जोशी और असोसिएट,
कंपनी सचिव
हर्षल राघवेंद्र जोशी
भागीदार
एफसीएस : 9897 सीपी : 10450

दिनांक : 16 जून, 2020
स्थान : पुणे

Annexure - A

To,
The Members,
Bank of Maharashtra,

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and book of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Apte Joshi & Associates,
Company Secretaries

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS: 9897 CP: 10450

Date: June 16, 2020
Place: Pune

वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पद्धतियों को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक पद्धतियां और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होता है।

निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और निदेशक मंडल की समितियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। निदेशक मंडल के साथ-साथ इसकी उप-समितियां आवधिक अंतराल पर मिलती हैं।

बैंक वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कंपनी के निदेशक मंडल में दो महिला निदेशकों सहित कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक इष्टतम संमिश्र है। 31 मार्च, 2020 को निदेशक मंडल में 6 निदेशक शामिल थे जिनमें से 3 कार्यपालक निदेशक और 3 गैर-कार्यपालक निदेशक थे, जिसमें 01 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक मंडल के अध्यक्ष एक कार्यपालक निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक कुल निदेशक मंडल का 17% बनाते हैं। बैंक के निदेशक मंडल में 1 गैर-कार्यपालक महिला निदेशक है।

बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या सक्षमता विनिर्दिष्ट करते हैं :

(i) लेखांकन, (ii) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (iii) बैंकिंग, (iv) सहकारिता, (v) अर्थशास्त्र, (vi) वित्त, (vii) विधि, (viii) लघु उद्योग, (ix) सूचना प्रौद्योगिकी, (x) सार्वजनिक नीति (xi) मानव संसाधन आदि।

बैंक के निदेशक मंडल में उपर्युक्त विशेषज्ञ ज्ञान/ कौशल तथा अनुभव शामिल है, जिससे सतत व्यवसाय वृद्धि के माध्यम से मूल्य निर्माण हेतु सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा।

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2019-20

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1. The Composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

The Board has constituted various Sub-Committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Sub-Committees meets at periodical intervals.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance, The nomination / appointment of all categories of Directors are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Bank's Board has an optimum combination of Executive and Non-Executive Directors including two Woman Directors. The Board of Directors as on 31st March 2020, comprised of 6 Directors, out of which 3 were Executive Directors and 3 were Non-executive Directors, which includes 01 Independent Director. The Chairman of the Board is a Executive Director. The Independent Directors constitute 17% of the total Board strength. The Bank has one non-executive Woman Director on the Board.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

(i) Accountancy, (ii) Agriculture and Rural Economy, (iii) Banking, (iv) Co-operation, (v) Economics, (vi) Finance, (vii) Law, (viii) Small-scale industry, (ix) Information Technology (x) Public Policy, (xi) Human Resources etc.,

The Board of Directors of Bank have above professional knowledge/ skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth.

2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

31 मार्च 2020 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2020 is as under:

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2020 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखितों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2020	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of member ship in Sub Committees of the Bank	सूचीबद्ध इकाईयों (बैंक सहित) की एसी/ एसआरसी# में अध्यक्ष/ सदस्यता की संख्या No. of Chairman/ member ship in AC/ SRC# of listed entities (including Bank)	(बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री ए. एस. राजीव Shri A.S. Rajeev	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	29907 29907	12 12	दी न्यू एशोरेन्स कंपनी लिमिटेड: एसी - सदस्य The New Assurance Company Limited: AC - Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए अन्य कंपनियों में निदेशकत्व : आप दी न्यू एशोरेन्स कंपनी लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) और भारतीय आयात निर्यात बैंक (गैरसूचीबद्ध बैंक) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 02.12.2018 by the Central Government. Directorship in other Companies: He isserving as Director on the Board of The New India Assurance Company Limited (Listed Company) and Export Import Bank of India (Unlisted Bank).
2	श्री हेमन्त टम्टा Shri Hemant Tamta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	49846 49846	14 14	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी - सदस्य एसआरसी - सदस्य Bank of Maharashtra AC – Member SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. अन्य कंपनियों में निदेशकत्व : आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष/ निदेशक भी हैं। Appointed as the Executive Director of Bank w.e.f. 31.12.2018 by the Central Government. Directorship in other Companies: He is also the Chairman/Director on the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
3.	श्री नागेश्वर राव वाई. Shri Nageswara Rao Y.	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	14 14	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसआरसी - सदस्य Bank of Maharashtra SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2020 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. अन्य कंपनियों में निदेशकत्व : शून्य। Appointed as the Executive Director of Bank w.e.f. 31.03.2020 by the Central Government. Directorship in other Companies: Nil
4	श्रीमती वंदिता कौल Mrs. Vandita Kaul	निदेशक (गैर- कार्यपालक) सरकार द्वारा नामित Director (Non-Executive) Government Nominee	शून्य NIL	11 11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी - सदस्य Bank of Maharashtra AC – Member	केन्द्र सरकार द्वारा 11.05.2017 से बैंक के निदेशक के रूप में नामित की गईं. अन्य कंपनियों में निदेशकत्व: आप भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। Nominated as a Director of Bank w.e.f. 11.05.2017 by the Central Government. Directorship in other Companies: She is Director on the Board of Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India.
5	श्री मनोज कुमार वर्मा Shri Manoj Kumar Verma	निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक नामिति Director (Non-Executive) RBI Nominee	शून्य NIL	06 06	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी - सदस्य Bank of Maharashtra AC – Member	केन्द्र सरकार द्वारा 13.08.2019 से बैंक के निदेशक के रूप में नामित किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशकत्व : शून्य Nominated as a Director of Bank w.e.f. 13.08.2019 by the Central Government. Directorship in other Companies: Nil
6	श्री आर. तामोधरन Shri R. Thamodharan	निदेशक (गैर- कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non- Executive) Representing Shareholders	100 100	06 06	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी-अध्यक्ष एसआरसी-अध्यक्ष Bank of Maharashtra AC – Chairman SRC- Chairman	दिनांक 30.06.2018 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए. अन्य कंपनियों में निदेशकत्व: वे टिडेल पार्क के निदेशक मंडल में नामिति निदेशक हैं। Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f. 30.06.2018. Directorship in other Companies: He is Nominee Director on the Board of Tidel Park

एसी अर्थात लेखापरीक्षा समिति और एसआरसी अर्थात हितधारक संबंध समिति # AC means Audit Committee and SRC means Stakeholder Relationship Committee

स्वतंत्र निदेशकत्व की संख्या :

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17ए के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक 7 सूचीबद्ध कंपनियों से अधिक में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते। साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक किसी सूचीबद्ध इकाई में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते।

2.3 वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन

- श्री दीनदयाल अग्रवाल ने 25.07.2019 को बैंक के निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री मनोज कुमार वर्मा को दिनांक 13.08.2019 से केन्द्र सरकार द्वारा श्री जी. श्रीकुमार के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- डॉ. अर्चना धोलकिया ने 29.02.2020 को बैंक के निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री नागेश्वर राव वाई. को 31.03.2020 से केन्द्र सरकार द्वारा श्री ए. सी. राउत के स्थान पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री ए. सी. राउत ने 30.03.2020 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

2.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल

2.4.1 श्री मनोज कुमार वर्मा

नाम	श्री मनोज कुमार वर्मा
जन्म दिनांक	03.01.1957
आयु	62 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम.ए., एमबीए (वित्त) और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत दिनांक 13.08.2019 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
अनुभव	आपके पास केंद्रीय बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों का विनियमन और पर्यवेक्षण, मौद्रिक नीति का प्रारूपण, वित्तीय बाजारों का विनियमन और पर्यवेक्षण, बैंकों का अभिशासन, मुद्रा प्रबंधन आदि में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव है। वे 2017 में भारतीय रिज़र्व बैंक से क्षेत्रीय निदेशक (बिहार और झारखंड) के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने आरबीआई में शामिल होने से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार विश्वविद्यालय और डिप्टी कलेक्टर, बिहार सरकार के रूप में भी काम किया है। वे सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रीमियर संस्थानों तथा आईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई, एक्सआईएसएस और लॉ स्कूल्स में अतिथि व्याख्याता हैं और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और आईसीएफएआई बिजनेस स्कूल, पुणे में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं। उन्होंने आईएनएसईओडी (पेरिस), अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक, बेसल (स्विट्ज़रलैंड); फेड रिजर्व (वाशिंगटन) आदि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर विभिन्न सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया है; उन्हें 13.08.2019 से बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

Number of Independent Directorships:

As per Regulation 17A of the Listing Regulations, Independent Directors of the Company do not serve as Independent Director in more than seven listed companies. Further, the Managing Director of the Bank does not serve as an Independent Director in any listed entity.

2.3 Changes in Composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2019-20:

- Shri Deendayal Agrawal, Director of Bank completed his tenure on 25.07.2019.
- Shri Manoj Kumar Verma was appointed as RBI Nominee Director of Bank by the Central Government w.e.f 13.08.2019 in place of Shri G. Sreekumar.
- Dr. Archana Dholakia, Director of Bank completed her tenure as Director of Bank on 29.02.2020.
- Shri Nageswara Rao Y. was appointed as an Executive Director of Bank by the Central Government w.e.f 31.03.2020 in place of Shri A.C. Rout, who completed his term of Executive Director of Bank on 30.03.2020.

2.4 Profile of Directors appointed on the Board of Bank during the financial year 2019-20:

2.4.1 Shri Manoj Kumar Verma

Name	Shri Manoj Kumar Verma
Date of Birth	03.01.1957
Age	62 years
Qualification	M.A., MBA (Finance) and Certified Associate of Indian Institute of Bankers
Nature of appointment as Director	Appointed as Director of the Bank w.e.f. 13.08.2019 u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.
Experience	He is having more than three decades of work experience in Reserve Bank of India (RBI) in various areas of Central Banking such as Regulation and Supervision of Banks and Financial Institutions, Formulation of Monetary Policy, Regulation and Supervision of Financial Markets, Governance of Banks, Currency Management etc., He has retired as a Regional Director from RBI (Bihar and Jharkhand) in 2017. He has also worked as an Assistant Professor, Bihar University and Deputy Collector, Government of Bihar prior to joining RBI. He is a guest lecturer at premier institutions viz; IITs, IIMs, XLRI, XISS and Law Schools and a visiting Professor at Symbiosis International University and ICFAI Business School, Pune post retirement. He has attended various seminars and training programmes on Banking supervision at Fed Reserve (Washington); Bank for International Settlement, Basel (Switzerland); INSEAD, (Paris) etc., He is appointed as RBI Nominee Director on the Board of Bank w.e.f. 13.08.2019.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.2 श्री नागेश्वर राव वाई.

नाम	श्री नागेश्वर राव वाई.
जन्म दिनांक	12.07.1961
आयु	59 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी. कॉम., भारतीय बैंकर्स संस्थान सर्टिफाइड एसोसिएट
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	दिनांक 31.03.2020 से बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत दिनांक 21.01.2021 तक की अवधि के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
अनुभव	श्री नागेश्वर राव ने वर्ष 1985 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में विजया बैंक से जुड़कर अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की थी और उनके पास 35 वर्षों का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। बैंक में एक अधिकारी के रूप में शामिल होकर वे महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे जिसके अंतर्गत उन्होंने शाखा प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में फील्ड स्तर पर और प्रधान कार्यालय में प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, योजना और विकास, जोखिम प्रबंधन, व्यापारी बैंकिंग, ग्राहक संबंध आदि विविध गतिविधियों को संभाला। उन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। श्री नागेश्वर राव ने 22.01.2016 से 31.03.2019 तक विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया है। श्री नागेश्वर राव ने 15.04.2019 से 30.03.2020 तक सिंडिकेट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में और विशेष कार्य अधिकारी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) के रूप में सेवा की। वे 2009-10 के दौरान विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक के निदेशक और 2013-14 के दौरान कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज में निदेशक भी रहे। श्री नागेश्वर राव ने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और कई भाषाएं धाराप्रवाह बोल सकते हैं। भारतीय बैंकर्स संस्थान सर्टिफाइड एसोसिएट श्री नागेश्वर राव 2011 में सिडनी और 2016 में वाशिंगटन में कार्यशाला / प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोझीकोड, सीएएफआरएएल इत्यादि में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग ले चुके हैं। श्री नागेश्वर राव ने जनवरी 2019 में शिकागो में आईएसबी ग्लोबल एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिडनी में एसआईबीओएस सम्मेलन 2018 में भी सहभाग लिया है। वे 31.03.2020 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में शामिल हुए।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.5 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.4.2 Shri Nageswara Rao Y.

Name	**Shri Nageswara Rao Y.**
Date of Birth	12.07.1961
Age	59 years
Qualification	B.Com, Certified Associate of Indian Institute of Bankers
Nature of appointment as Director	Appointed as Executive Director of Bank w.e.f 31.03.2020 u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period till 21.01.2021.
Experience	Shri Nageswara Rao has started his Banking career by joining Vijaya Bank in the year 1985 as Probationary Officer and has over 35 years of rich banking experience. Joined the Bank as an Officer, he rose to the level of General Manager handling multifarious activities both at the field level as Branch Head and Regional Head and at the Headquarters, handling key functional areas, such as Information Technology, Planning and Development, Risk Management, Merchant Banking, Customer Relations etc., He has served in the states of Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Nagaland, Uttar Pradesh, West Bengal, Maharashtra and Gujarat. Shri Nageswara Rao has served as an Executive Director of Vijaya Bank from 22.01.2016 to 31.03.2019. Shri Nageswara Rao also served as an Officer on special duty and Whole Time Director of Syndicate Bank from 15.04.2019 to 30.03.2020. He was also a Director of Visweswaraiah Grameena Bank during 2009-10 and Director in Canbank Computer Services during 2013-14. Shri Nageswara Rao holds a Bachelor's Degree in Commerce and is fluent in several languages. A Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Shri Nageswara Rao has undergone many training programmes at various prestigious Institutes like IIM Ahmedabad, IIM Kozhikode, CAFRAL etc., including workshop / training at Sydney in 2011 & at Washington in 2016. Shri Nageswara Rao has also attended SIBOS Conference 2018 at Sydney and ISB Global Advanced Management Programme at Chicago in January 2019. He joined as an Executive Director of Bank of Maharashtra on 31.03.2020.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers of Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

2.6 बैंक के पास उनके निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

2.7 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

3. वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 27 जून, 2019 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे:

1	श्री ए. एस. राजीव	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	श्री ए. सी. राउत	श्री ए. सी. राउत	कार्यपालक निदेशक
3	श्री हेमन्त टम्टा	श्री हेमन्त टम्टा	कार्यपालक निदेशक
4	श्री दीनदयाल अग्रवाल	श्री दीनदयाल अग्रवाल	अल्प कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक

4. निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 13 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/ 1980 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

29.04.2019	20.05.2019	26.06.2019	25.07.2019	29.07.2019	30.08.2019	24.09.2019
22.10.2019	22.11.2019	18.12.2019	20.01.2020	13.02.2020	20.03.2020	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	13	13
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	13	09
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2019 से 12.08.2019	05	05
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2019 से 29.02.2020	12	12
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2019 से 25.07.2019	04	04
श्री एम. के. वर्मा	13.08.2019 से 31.03.2020	08	08

5. निदेशक मंडल की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व, कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों पर गौर करने के लिए निदेशकों और / या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल की उप-समितियों का विवरण निम्नानुसार है:

2.6 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2018-19 are available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in.

2.7 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

3. Annual General Meeting:

The 16th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 27th June, 2019 at Appasaheb Joag Hall, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune – 411 005 where following Directors were present.

1	Shri A.S. Rajeev	Managing Director & CEO
2	Shri A. C. Rout	Executive Director
3	Shri Hemant Tamta	Executive Director
4	Shri Deendayal Agrawal	Part Time Non - Official Director

4. Board Meetings:

During the Financial Year 2019-20, 13 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.

29.04.2019	20.05.2019	26.06.2019	25.07.2019	29.07.2019	30.08.2019	24.09.2019
22.10.2019	22.11.2019	18.12.2019	20.01.2020	13.02.2020	20.03.2020	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	13	13
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	13	09
Shri G. Sreekumar	01.04.2019 to 12.08.2019	05	05
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2019 to 29.02.2020	12	12
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2019 to 25.07.2019	04	04
Shri M. K. Verma	13.08.2019 to 31.03.2020	08	08

5. Committees of Board:

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and / or executives to look into areas of Strategic importance, Corporate Governance and Risk Management in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines. The details of sub-committees of Board are as given as under:

5.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की पांच सदस्यीय प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी देना

ख) ऋण समझौता/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना

ग) परिसर/ क्वार्टर्स को अधिग्रहित करने व अन्य खरीदियों से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना

घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 13 बैठकें हुईं:

15.05.2019	18.06.2019	26.06.2019	23.07.2019	21.08.2019	18.09.2019	30.10.2019
28.11.2019	23.12.2019	30.01.2020	29.02.2020	18.03.2020	27.03.2020	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	13	11
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2019 से 12.08.2019	04	04
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2019 से 29.02.2020	10	10
श्री एम. के. वर्मा	13.08.2019 से 31.03.2020	09	09

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii श्री नागेश्वर राव सदस्य
iv श्री एम. के. वर्मा सदस्य

5.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/ सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता-प्रणाली की पर्याप्तता, गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता

5.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with four members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. Functions and duties of the Management Committee are as under:

a) Sanction of high value credit and investment proposals,

b) Sanction of loan compromise / write off proposals,

c) Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and other procurements

d) Any other matter referred by the Board.

The Committee met 13 times during the period under review on the following dates:

15.05.2019	18.06.2019	26.06.2019	23.07.2019	21.08.2019	18.09.2019	30.10.2019
28.11.2019	23.12.2019	30.01.2020	29.02.2020	18.03.2020	27.03.2020	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	13	11
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Shri G. Sreekumar	01.04.2019 to 12.08.2019	04	04
Dr. Archana Dholakia	01.04.2019 to 29.02.2020	10	10
Shri M.K.Verma	13.08.2019 to 31.03.2020	09	09

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i Shri A.S. Rajeev Chairman
ii Shri Hemant Tamta Member
iii Shri Nageswara Rao Member
iv. Shri M.K. Verma Member

5.2. Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.

b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and

की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।

घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।

ङ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत रिपोर्टों पर निगरानी रखती है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अवलोकनों का अनुपालन करती है।

च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है, उनकी समीक्षा करती है और अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल से सिफारिश करती है। यह समिति लॉंग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।

छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 13 बैठकें हुईं। बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

29.04.2019	21.05.2019	26.06.2019	29.07.2019	30.08.2019	23.09.2019	22.10.2019
21.112019	17.12.2019	02.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	19.03.2020	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री ए. सी .राउत*	01.04.2019 से 30.03.2020	13	13
श्री नागेश्वर राव*	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	13	09
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2019 से 12.08.2019	04	04
श्री एम. के. वर्मा	13.08.2019 से 31.03.2020	09	09

** आमंत्रित सदस्य*

श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
iv. श्री एम. के. वर्मा — सदस्य

extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

c) It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.

d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

e) ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.

f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly /quarterly accounts and reports, review them and recommends to the Board for approval. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

g) ACB to take care of other issues entrusted to it under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, the ACB met 13 times and the dates of the meetings are as under:

29.04.2019	21.05.2019	26.06.2019	29.07.2019	30.08.2019	23.09.2019	22.10.2019
21.112019	17.12.2019	02.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	19.03.2020	

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Shri A.C. Rout*	01.04.2019 to 30.03.2020	13	13
Shri Nageswara Rao*	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Smt Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	13	09
Shri G. Sreekumar	01.04.2019 to 12.08.2019	04	04
Shri M.K.Verma	13.08.2019 to 31.03.2020	09	09

**invitee member*

Shri. Chandrakant Bhagwat, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri R. Thamodharan — Chairman
ii. Shri Hemant Tamta — Member
iii. Mrs. Vandita Kaul — Member
iv. Shri M.K.Verma — Member

5.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में चार निदेशक सदस्यों के साथ निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विगोपन शामिल हैं, के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करती है।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 05 बैठकें हुईं.

18.06.2019	30.08.2019	21.112019	12.02.2020	19.03.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	05	05
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	05	05
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	05	05
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2019 से 29.02.2020	04	04

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव सदस्य

5.4 हितधारकों की संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण की देखरेख के लिए 'हितधारकों की संबंध समिति' का गठन किया गया। समिति में 4 सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

18.06.2019	19.09.2019	20.11.2019	13.02.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2019 से 25.07.2019	01	01

5.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with four Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Committee met 05 times during the year as under.

18.06.2019	30.08.2019	21.112019	12.02.2020	19.03.2020

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A. S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	05	05
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	05	05
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	05	05
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Dr. Archana Dholakia	01.04.2019 to 29.02.2020	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii. Shri Hemant Tamta Member
iii. Shri Nageswara Rao Member

5.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee was formed by the Board to oversee the grievances redressal of Shareholders/ Investors of the Bank. The Committee consist of four members.

The Committee met 04 times during the year as under.

18.06.2019	19.09.2019	20.11.2019	13.02.2020

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2019 to 25.07.2019	01	01

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

01.04.2019 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	74
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	74
31.03.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

5.5 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा 'हितधारकों की संबंध समितिट के साथ ही 'शेयर अंतरण समितिट का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। समिति के 3 सदस्य हैं। निदेशक मंडल ने आवेदनों के तत्काल निपटान हेतु 05.11.2016 से कार्यपालकों की शेयर अंतरण संवीक्षा समिति को शेयरों के संबंध में अंतरण के आवेदनों, हस्तांतरण और नाम हटाने इत्यादि के अनुमोदित आवेदनों हेतु प्राधिकारी प्रत्यायोजित किया है।

निम्नलिखित तारीखों को समिति की 03 बैठकों का आयोजन किया गया।

18.06.2019	19.09.2019	19.03.2020

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	03	03
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	03	03
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से.31.03.2020	03	03
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	03	03

31 मार्च, 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

5.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य ₹1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri R. Thamodharan — Chairman
ii Shri Hemant Tamta — Member
iii. Shri Nageswara Rao — Member

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2019	0
Number of complaints received during the year	74
Number of complaints resolved during the year	74
Number of complaints pending as on 31.03.2020	0

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the Stock exchanges and investor grievances of the Bank.

5.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve/ note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee consist of three members. The Board has delegated the authority to approve applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares to Share Transfer Scrutiny Committee of Executives w.e.f 05.11.2016 for speedy disposal of applications.

The Committee met 03 times on following dates as under.

18.06.2019	19.09.2019	19.03.2020

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S.Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	03	03
Shri A. C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	03	03
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to.31.03.2020	03	03
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A.S.Rajeev — Chairman
ii Shri Hemant Tamta — Member
iii Shri Nageswara Rao — Member
iv Shri R. Thamodharan — Member

5.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹1.00 crore and above.

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं :

07.06.2019	19.09.2019	20.11.2019	12.02.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	02	00
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2019 से 25.07.2019	01	01

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

5.7 निदेशकों की पदोन्नति समिति :

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में पांच सदस्य हैं और यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

07.06.2019	29.08.2019	22.11.2019	19.03.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	04	02
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2019 से 12.08.2019	01	01
श्री एम. के. वर्मा	13.08.2019 से 31.03.2020	03	03

The Committee met 04 times during the year as under:

07.06.2019	19.09.2019	20.11.2019	12.02.2020

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	02	00
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2019 to 25.07.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri Hemant Tamta — Member
iii. Shri Nageswara Rao — Member
iv. Shri R. Thamodharan — Member

5.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director/ Managing Director and CEO the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee consist of five member's and also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The Committee met 04 times during the year as under:

07.06.2019	29.08.2019	22.11.2019	19.03.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	04	02
Shri G. Sreekumar	01.04.2019 to 12.08.2019	01	01
Shri M. K. Verma	13.08.2019 to 31.03.2020	03	03

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
v. श्री एम. के वर्मा — सदस्य

5.8 ग्राहक सेवा समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति में चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

24.06.2019	23.09.2019	16.12.2019	20.03.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	04	03
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

5.10 प्रौद्योगिकी समिति :

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था। समिति के चार सदस्य हैं।

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under.

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii Shri Hemant Tamta — Member
iii Shri Nageswara Rao — Member
iii Mrs. Vandita Kaul — Member
iv Shri M K Verma — Member

5.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank. The Committee consist of four members.

The Committee met 04 times during the year as under:

24.06.2019	23.09.2019	16.12.2019	20.03.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	04	03
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii Shri Hemant Tamta — Member
iii Shri Nageswara Rao — Member
iii Shri R. Thamodharan — Member

5.10 Technology Committee:

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans. The Committee consist of four members.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

18.06.2019	19.09.2019	17.12.2019	19.03.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	04	00
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2019 से 25.07.2019	01	01

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
v. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

5.11 ऋण अनुमोदन समिति :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी, 2012 को किया गया। समिति को व्यक्तिगत ₹250.00 करोड़ तक के, समूह विग़ोपन हेतु ₹500.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ii. कार्यपालक निदेशकगण
iii. महाप्रबंधक, ऋण
iv. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
v. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
vi. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
vii. महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं

The Committee met 04 times during the year as under:

18.06.2019	19.09.2019	17.12.2019	19.03.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	04	00
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2019 to 25.07.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A. S. Rajeev — Chairman
ii Shri Hemant Tamta — Member
iii Shri Nageswar Rao — Member
iv Mrs. Vandita Kaul — Member
v Shri R. Thamodharan — Member

5.11 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to ₹250.00 crore for individual, ₹500.00 crore for group exposure and loan compromise/write off proposals as delegated by the Board. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

i. Chairman & Managing Director/ MD & CEO
ii. Executive Director/s
iii. General Manager, Credit
iv. General Manager, Integrated Risk Management
v. General Manager, Financial Management & Accounts
vi. General Manager, Credit Priority
vii. General Manager, Recovery and Legal Services.

वर्ष के दौरान समिति की 34 बैठकें निम्नानुसार दिनांकों को हुईं।

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	05.04.2019	11	25.06.2019	21	01.11.2019	31	12.03.2020
02	30.04.2019	12	10.07.2019	22	29.11.2019	32	23.03.2020
03	03.05.2019	13	17.07.2019	23	12.12.2019	33	27.03.2020
04	15.05.2019	14	30.07.2019	24	23.12.2019	34	31.03.2020
05	16.05.2019	15	02.08.2019	25	27.12.2019		
06	23.05.2019	16	13.08.2019	26	06.01.2020		
07	29.05.2019	17	31.08.2019	27	18.01.2020		
08	10.06.2019	18	20.09.2019	28	21.01.2020		
09	11.06.2019	19	01.10.2019	29	14.02.2020		
10	20.06.2019	20	17.10.2019	30	04.03.2020		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	34	34
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	33	30
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	34	25
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	01	00

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

i. महाप्रबंधक, ऋण
ii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
iii. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
v. महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

5.12 मानव संसाधन पर संचालन समिति :

समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों/ मामलों पर चर्चा करती है। बैंक ने निदेशक मंडल के परामर्शक के रूप में एचआर क्षेत्र में 2 विशेषज्ञों को शामिल किया है जो समिति के सदस्य भी हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

27.06.2019	29.08.2019	07.11.2019	12.02.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2019	04	03
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	04	03

The Committee met 34 times during the year on the dates given below.

Sr. No	Date	Sr. No	Date	Sr. No	Date	Sr No	Date
01	05.04.2019	11	25.06.2019	21	01.11.2019	31	12.03.2020
02	30.04.2019	12	10.07.2019	22	29.11.2019	32	23.03.2020
03	03.05.2019	13	17.07.2019	23	12.12.2019	33	27.03.2020
04	15.05.2019	14	30.07.2019	24	23.12.2019	34	31.03.2020
05	16.05.2019	15	02.08.2019	25	27.12.2019		
06	23.05.2019	16	13.08.2019	26	06.01.2020		
07	29.05.2019	17	31.08.2019	27	18.01.2020		
08	10.06.2019	18	20.09.2019	28	21.01.2020		
09	11.06.2019	19	01.10.2019	29	14.02.2020		
10	20.06.2019	20	17.10.2019	30	04.03.2020		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	34	34
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	33	30
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	34	25
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	01	00

The meetings were also attended by the following executives.

i. General Manager, Credit
ii. General Manager, Integrated Risk Management
iii. General Manager, Financial Management & Accounts
iv. General Manager, Credit Priority – As per requirement
v. General Manager, Recovery- As per requirement

5.12 Steering Committee on HR:

The Committee discusses various matters/issues related to Human Resources. Bank has inducted two specialists in the area of HR as Advisors to the Board, who are also members of the Committee.

The Committee met 04 times during the year as under:

27.06.2019	29.08.2019	07.11.2019	12.02.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2019	04	03
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	04	03

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य
v. श्रीमती एस. ए. पानसे आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ
vi. श्रीमती गीतिका कपूर आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ

5.13 अपीलीय/ पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में बोर्ड की समिति :

यह समिति सतर्कता/ गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की पुनरीक्षा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें हुईं :

09.09.2019	18.12.2019	12.02.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	03	03
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	03	03
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2019 से 29.02.2020	03	03

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्रीमती वंदिता कौल अध्यक्ष
ii. श्री आर. तामोधरन सदस्य

5.14 एनपीए वसूली पर निगरानी हेतु बोर्ड की समिति :

यह समिति बैंक में एनपीए वसूली की पुनरीक्षा व निगरानी करती है और संग्रहण प्रणाली तथा ऋणों व अग्रिमों की वसूली पर पर्यवेक्षण कर बड़े मूल्य के एनपीए में वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

18.06.2019	19.09.2019	21.11.2019	13.02.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	04	02
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2019 से 25.07.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A. S. Rajeev Chairman
ii. Shri A.C.Rout Member
iii. Shri Hemant Tamta Member
iv. Mrs. Vandita Kaul Member
v. Mrs. S.A. Panse Invitee outside expert
vi Mrs. Geetika Kapoor Invitee outside expert

5.13 Committee of Board as Appellate / Reviewing Authority:

This Committee deals with review of vigilance / non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines.

The Committee met 03 times during the year as under:

09.09.2019	18.12.2019	12.02.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	03	03
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	03	03
Dr. Archana Dholakia	01.04.2019 to 29.02.2020	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Smt Vandita Kaul Chairman
ii. Shri R. Thamodharan Member

5.14 Committee of Board for monitoring NPA Recovery:

The Committee reviews and monitors NPA Recovery in the Bank provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee met 04 times during the year as under:

18.06.2019	19.09.2019	21.11.2019	13.02.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	04	02
Shri Deendayal Agarwal	01.04.2019 to 25.07.2019	01	01

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य

5.15 भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी हेतु समिति :

यह समिति भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षा हेतु गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

26.06.2019	30.08.2019	18.12.2019	12.02.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2019 से 31.03.2020	02	01
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2019 से 29.02.2020	04	04
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.032020	00	00

श्री ए. सी. राउत आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री हेमन्त टम्टा — अध्यक्ष
ii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य
iii. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य

5.16 निदेशक मंडल की जारीकरण समिति :

यह समिति शेयरों के आबंटन और उन्हें जारी करने संबंधी मामलों की निगरानी करने हेतु गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 02 बैठक हुई :

18.04.2019	29.04.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	02	02
श्री ए. सी. राउत	01.04.2019 से 30.03.2020	02	02
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2019 से 31.03.2020	02	02
श्री नागेश्वर राव	31.03.2020 से 31.03.2020	00	00

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri. Hemant Tamta — Member
iii. Shri Nageswara Rao — Member
iv. Mrs. Vandita Kaul — Member

5.15 Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India:

The Committee have been constituted to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India such as

The Committee met 04 times during the year as under:

26.06.2019	30.08.2019	18.12.2019	12.02.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2019 to 31.03.2020	02	01
Dr. Archana Dholakia	01.04.2019 to 29.02.2020	04	04
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.032020	00	00

Shri A.C. Rout attends the meeting as invitee member.

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri Hemant Tamta — Chairman
ii. Shri Nageswara Rao — Member
iii. Mrs. Vandita Kaul — Member

5.16 Issue Committee of the Board:

This Committee is constituted to look after the matters related to issue and allotment of shares:

The Committee met 02 times during the year as under:

18.04.2019	29.04.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	02	02
Shri A.C. Rout	01.04.2019 to 30.03.2020	02	02
Shri Hemant Tamta	01.04.2019 to 31.03.2020	02	02
Shri Nageswara Rao	31.03.2020 to 31.03.2020	00	00

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री नागेश्वर राव — सदस्य

5.17 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति :

यह समिति बैंक के इरादतन चूककर्ताओं तथा गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 05 बैठक हुई :

26.06.2019	30.08.2019	21.11.2019	13.02.2020	29.02.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2019 से 31.03.2020	05	05
श्री आर. तामोधरन	01.04.2019 से 31.03.2020	04	04
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2019 से 29.02.2020	05	05
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2019 से 25.07.2019	01	01

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

5.18 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति :

यह समिति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभारी कार्यपालक निदेशकों (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभारी महाप्रबंधकगण (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल करने हेतु वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.08.2019 के सम्प्रेषण क्र.एफ.क्र. 9/5/2009-आईआर के अनुसार गठित की गई। यद्यपि इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन — अध्यक्ष
ii. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
iii. श्री एम. के. वर्मा — सदस्य

5.19 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति:

पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार के निदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की दो अलग-अलग समिति थी अर्थात नामांकन समिति तथा पारिश्रमिक समिति बनाई गई थी। आगे चलकर, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ''नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति'' नामक एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित व्यक्ति की 'उपयुक्त और उचित' स्तर की जांच करने की प्रक्रिया शामिल की गई। यद्यपि इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri A. S. Rajeev — Chairman
ii. Shri Hemant Tamta — Member
iii. Shri Nageswara Rao — Member

5.17 Committee for identification of Willful defaulters:

This Committee is constituted as per RBI guidelines to identify the willful defaulters and non-cooperative Borrowers of the Bank.

The Committee met 05 times during the year as under:

26.06.2019	30.08.2019	21.11.2019	13.02.2020	29.02.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2019 to 31.03.2020	05	05
Shri R. Thamodharan	01.04.2019 to 31.03.2020	04	04
Dr. Archana Dholakia	01.04.2019 to 29.02.2020	05	05
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2019 to 25.07.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i Shri A. S. Rajeev — Chairman
ii Shri R. Thamodharan — Member

5.18 Committee for Performance Evaluation

This Committee has been constituted as per Ministry of Finance communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 to undertake the process of Performance Evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the Bank. However, no meeting of this Committee was held during the financial year 2019-20.

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i. Shri R. Thamodharn — Chairman
ii Mrs. Vandita Kaul — Member
iii Shri M.K. Verma — Member

5.19 Nomination & Remuneration Committee:

Earlier, the Bank had two separate Committees i.e. Nomination Committee and Remuneration Committee constituted as per RBI and Government of India Directions / Guidelines. Further, as per RBI Master Circular dated 02.08.2019 and Government of India guidelines, Bank had constituted single Committee named as Nomination & Remuneration Committee. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. However, no meeting of this Committee was held during the financial year 2019-20.

31 मार्च 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i) श्री आर. तामोधरन अध्यक्ष

नोट: बोर्ड, भारत सरकार की ओर से रिक्त पदों पर निदेशकों की नियुक्ति होने पर इस समिति के सदस्यों को नामित करेगा।

नोट: वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 25.07.2020 को बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक समिति की एक बैठक (''नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति'' नामक समिति के गठन से पूर्व) आयोजित की गई।

5.20 अन्य समितियां :

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरियों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि समितियां भी हैं।

6. निदेशकों का पारिश्रमिक :

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क) वर्ष 2019-20 के दौरान अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	2917976.10
2	श्री ए. सी. राउत	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	2657758.80
3	श्री हेमन्त टम्टा	कार्यपालक निदेशक	2511666.30

नोट: श्री नागेश्वर राव वाई, कार्यपालक निदेशक ने दिनांक 31.03.2020 को कार्यभार ग्रहण किया गया, अतः पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भुगतान किया गया था।

ख) वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुडी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ग) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारी शेयर खरीदने के अंतर्गत बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और अपने कर्मचारियों को इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव दिया।

घ) सीटिंग शुल्क: भारत सरकार के दिनांक 18 जनवरी, 2019 के परिपत्र के अनुसार निदेशक मंडल और इसकी उपसमितियों को बैठक में सहभाग हेतु सीटिंग शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

क. बोर्ड बैठक: ₹40,000/- प्रति बैठक

ख. समिति बैठक: ₹20,000/- प्रति बैठक

ग. बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता: (क) के अतिरिक्त ₹10,000/- प्रति बैठक

घ. समिति की बैठक की अध्यक्षता : (ख) के अतिरिक्त ₹5,000/- प्रति बैठक

वर्ष 2019-20 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग शुल्क देय नहीं है)।

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

i Shri R. Thamodharn Chairman

Note: Board will nominate Directors as members of this Committee upon appointment of Directors against the vacant posts by Government of India.

Note: One Meeting of Remuneration Committee (before constitution of single Committee named as Nomination & Remuneration Committee) was held during the year 2019-20 on 25.07.2019 to evaluate the performance of Whole Time Directors of Bank.

5.20 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

6. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director/ MD & CEO and two Executive Directors (3 Whole Time Directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to MD & CEO and Executive Directors during the year 2019-20 are as under:

Sr. No.	Name	Designation	Amount (in ₹)
1	Shri A.S. Rajeev	Managing Director & CEO	2917976.10
2	Shri A.C. Rout	Ex-Executive Director	2657758.80
3	Shri Hemant Tamta	Executive Director	2511666.30

Note: Shri Nageswara Rao Y., Executive Director assumed office on 31.03.2020, hence remuneration was paid in FY 2019-20.

B) No Performance linked Incentive was paid to the Directors during the Financial Year 2019-20:

C) The Bank has offered Equity shares to its Employees and Whole Time Directors of Bank under the Employee Share Purchase Scheme during the FY 2019-20.

D) Sitting fees: Government of India vide its communication dated 18th January, 2019 has revised sitting fees for attending meetings of Board and its sub-committees as under:

a. Board meeting: ₹40,000/- per meeting
b. Committee meeting: ₹20,000/- per meeting
c. Chairing Board meeting: ₹10,000/- per meeting in addition to (a).
d. Chairing Committee meeting: ₹5,000/- per meeting in addition to (b).

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2019-20 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

अनु.क्र	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
1	श्री आर. तामोधरन	1365000.00
2	डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	1000000.00
3	श्री दीनदयाल अग्रवाल	280000.00
4	श्री जी. श्रीकुमार*	580000.00
5	श्री एम. के. वर्मा	740000.00
	कुल	**3965000.00**

*भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन पर फरवरी व मार्च, 2019 में आयोजित बैठकों में उपस्थिति हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में भुगतान की गई बैठक शुल्क को शामिल किया है।

इसके अलावा क्रमशः दिनांक 27.06.2019, 29.08.2019, 07.11.2019 और 12.02.2020 को मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की बैठक में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे को ₹40,000/- और श्रीमती गीतिका कपूर को ₹80,000/- बैठक शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

7. सर्वसाधारण बैठकें :

7.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	उद्देश्य
असाधारण सामान्य बैठक	03 मई, 2017 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन (विशेष संकल्प)
चौदहवीं वार्षिक साधारण बैठक	16 जून, 2017 को प्रातः 10.45 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2016-17 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प) iii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन (केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ था जो उपयुक्त व उचित नहीं पाया गया)
असाधारण सामान्य बैठक	16 फरवरी, 2018 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन (विशेष संकल्प)
पंद्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक	21 जून, 2018 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प) iii) 31.03.2018 तक बैंक के संचित घाटे को निर्धारित करना (विशेष संकल्प)। iv) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹)
1	Shri R. Thamodharan	1365000.00
2	Dr. Archana Dholakia	1000000.00
3	Shri Deendayal Agrawal	280000.00
4	Mr. G. Sreekumar*	580000.00
5	Mr. M.K.Verma	740000.00
	Total	**3965000.00**

*includes sitting fees paid in FY 2019-20 for attending meetings held in February & March, 2019 on approval of RBI.

Besides this sitting fees of ₹40,000/-& ₹80,000/- is paid to External experts i.e. Mrs. S.A. Panse and Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 27.06.2019, 29.08.2019, 07.11.2019 and 12.02.2020 respectively.

7. General Body Meetings:

7.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below:

Particulars	Date & Time	Venue	Resolutions passed
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 03rd May, 2017	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Issue of equity shares to Government of India on preferential basis (Special Resolution).
Fourteenth Annual General Meeting	At 10.45 a.m on 16th June, 2017	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2016-17. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Election of one Shareholder director. (Only one nomination was received, which was not found to be Fit and Proper).
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 16th February, 2018	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Issue of equity shares to Government of India on preferential basis (Special Resolution).
Fifteenth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 21st June, 2018	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2017-18. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2018. (Special Resolution). iv) Election of one Shareholder Director.

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	उद्देश्य
पोस्टल बैलेट	16 फरवरी 2019	–	i) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर मूल्य ₹4498 करोड़ के ईक्विटी शेयरों का आबंटन (विशेष संकल्प) ii) बैंक कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को ईएसपीएस के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों का आबंटन (विशेष संकल्प)
असाधारण सामान्य बैठक	25 मार्च 2019 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन (विशेष संकल्प)
सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक	27 जून, 2019 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प) iii) 31.03.2019 तक बैंक के संचित घाटे को निर्धारित करना (विशेष संकल्प)।

7.2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने समय-समय पर भारत के राष्ट्रपति का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा।

8. प्रस्तावित पोस्टल बैलट के ब्यौरे :

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक को या उससे पूर्व पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

9. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ ही साथ उपलब्ध कराया जाता है और शेयर बाजार को प्रस्तुत किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों और भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए बैंक विश्लेषक/ संस्थागत निवेशक सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति/ कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/ अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	अंग्रेजी संस्करण	मराठी संस्करण	
जून 2019	फाइनंसिएल एक्स्प्रेस	लोकमत	30.07.2019
सितंबर 2019	फाइनंसिएल एक्स्प्रेस	लोकमत	23.10.2019
दिसंबर 2019	फाइनंसिएल एक्स्प्रेस	लोकसत्ता	21.01.2020
मार्च 2020	फाइनंसिएल एक्स्प्रेस	लोकसत्ता	17.06.2020

Particulars	Date & Time	Venue	Resolutions passed
Postal Ballot	16th February 2019	–	i) Issue of Equity shares of ₹10/- each of Bank to Government of India aggregating to ₹4498 crore on preferential basis (Special Resolution). ii) Issue of equity shares to Employee and Whole Time Directors of Bank under ESPS (Special Resolution).
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 25th March, 2019	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Issue of equity shares to Government of India on preferential basis (Special Resolution).
Sixteenth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 27th June, 2019	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2018-19. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2019. (Special Resolution).

7.2 The Ministry of Finance, Government of India sends their authorized representative to attend the General Meetings of the Bank from time to time.

8. Details of Proposed Postal Ballots:

No special resolution through Postal Ballot is proposed to be conducted on or before the ensuing Annual General Meeting.

9. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi as per the Listing Regulations. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The results are simultaneously displayed on the Bank's website *www.bankofmaharashtra.in* and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Analysts/ Institutional Investor meets, press conference/releases etc., for announcing Bank's financial results and its future plans.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the Newspaper		Date of publication
	English Edition	Marathi Edition	
June 2019	Financial Express	Lokmat	30.07.2019
September 2019	Financial Express	Lokmat	23.10.2019
December 2019	Financial Express	Loksatta	21.01.2020
March 2020	Financial Express	Loksatta	17.06.2020

निवेशकों के साथ संप्रेषण के चैनल :

सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कार्पोरेट घोषणाएं, मीडिया, विज्ञप्तियां इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीएसई कार्पोरेट कम्पलायन्स एंड लिस्टिंग सेंटर (द लिस्टिंग सेंटर) और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) प्रचार हेतु दर्ज किए गए।

10. सामान्य शेयरधारकों का ब्यौरा:

10.1 सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

वित्तीय वर्ष	2019 - 2020
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित खातों (एकल व समेकित) पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	16 जून, 2020
सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	विडियो कॉन्फरेंस या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से दिनांक 11 अगस्त, 2020 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	20 जुलाई, 2020
बहियों के बंद होने का दिनांक	05 अगस्त, 2020 से 11 अगस्त, 2020

10.2 वित्तीय कैलेंडर 2020-21 (अनंतिम) :

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2020	14 अगस्त 2020 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2020	14 नवंबर 2020 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2020	14 फरवरी 2021 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2021 (वार्षिक)	18 मई 2021 को या इससे पूर्व

10.3 स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्योरे:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
बीएसई लिमिटेड (BSE): पता : फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400001	532525
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (NSE) पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	MAHABANK EQ
इंटरनैशनल सिक्युरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (ISIN):	INE457A01014

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है।

10.4 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

माह	बीएसई			एनएसई			सेंसेक्स	निफ्टी
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	समापन मूल्य	समापन मूल्य
अप्रैल, 2019	20.00	13.74	6857069	19.90	13.80	50722291	39032	11748
मई, 2019	18.20	14.10	3610589	18.10	14.05	30057111	39714	11923
जून, 2019	16.75	14.25	1970242	16.90	14.25	13918703	39395	11910
जुलाई, 2019	17.00	12.65	1748425	16.75	12.80	15383762	37481	11118

Channels of Communication with the investors:

All periodical compliance Filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.

10. General Shareholder Information:

10.1 Particulars of the Seventeenth Annual General Meeting:

Financial Year	2019 - 2020
Board Meeting for considering Annual Audited Accounts (Standalone & Consolidated) for Financial year ended 31st March, 2020	16th June, 2020
Date, Time and Venue of Seventeenth AGM.	On 11th August 2020 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference or Other Audio Visual Means.
Posting of Annual Report	20th July, 2020
Dates of Book Closure	05th August, 2020 to 11th August, 2020

10.2 Financial Calendar 2020-21 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2020	On or Before 14th August 2020
30th September 2020	On or Before 14th November 2020
31st December 2020	On or Before 14th February 2021
31st March 2021 (Annual)	On or Before 18th May 2021

10.3 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

Name of Stock Exchange	Scrip code
BSE Limited (BSE): Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001	532525
National Stock Exchange of India Limited (NSE) Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	MAHABANK EQ
International Security Identification Number (ISIN):	INE457A01014

The annual listing fees for the financial year 2019-20 has been paid to the Stock Exchanges.

10.4 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

Month	BSE			NSE			SENSEX	NIFTY
	High	Low	Volume	High	Low	Volume	Closing price	Closing price
April, 2019	20.00	13.74	6857069	19.90	13.80	50722291	39032	11748
May, 2019	18.20	14.10	3610589	18.10	14.05	30057111	39714	11923
June, 2019	16.75	14.25	1970242	16.90	14.25	13918703	39395	11910
July, 2019	17.00	12.65	1748425	16.75	12.80	15383762	37481	11118

माह	बीएसई			एनएसई			सेंसेक्स	निफ्टी
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	समापन मूल्य	समापन मूल्य
अगस्त, 2019	13.13	10.80	995467	13.1	10.70	8444591	37333	11023
सितंबर, 2019	12.99	10.96	814251	12.35	10.90	6006197	38667	11474
अक्तूबर, 2019	12.07	8.67	2446147	13.00	8.65	19857351	40129	11877
नवंबर, 2019	13.66	11.01	1852579	13.75	11.05	17967698	40794	12056
दिसंबर, 2019	14.16	11.51	1171928	14.15	11.5	11088796	41254	12168
जनवरी, 2020	15.24	12.19	1388201	15.25	12.00	20204033	40723	11962
फ़रवरी, 2020	13.36	10.1	601051	13.35	10.00	6051364	38297	11202
मार्च, 2020	11.00	7.71	1184092	10.9	8.00	9428347	29468	8598

10.5 प्रति शेयर डाटा :

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	0.67	(14.26)
लाभांश (%)	शून्य	शून्य
बही मूल्य (₹)	11.99	10.24
निवल लाभ के % के रूप में लाभांश पे-आउट (लाभांश कर को छोड़कर)	शून्य	शून्य

10.6 बैंक द्वारा समय-समय विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा इंफ्रा बॉण्ड जारी किए गए। 31.03.2020 को बकाया बॉण्ड्स और उनकी क्रेडित रेंटिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.	बॉण्ड्स के प्रकार	आईएसआईएन	आंबटन/ जारी करने का दिनांक	मूलधन राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (माह में)	कूपन दर % (प्रतिवर्ष)	ऋण रेटिंग
1	गौण टीयर 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	ICRA A/Stable
2	बेसल III टीयर 2	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	ICRA A/Stable
3	इंफ्रा बॉण्ड	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40	CARE A+/ Stable
4	टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08050	06.03.2020	600.00	120	8.70	CARE A+ & ICRA A+
8		कुल		3100.00			

10.7 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहायता

बैंक ने शेयरों/ बॉण्डों के अंतरण, लाभाशों/ ब्याज के भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों को अभिलेखित करने, शेयरो/ बॉण्डों जारी करने से संबद्ध अन्य गतिविधियों के साथ निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को अधिदेश के साथ अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें आरटीए के साथ निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं :

Month	BSE			NSE			SENSEX	NIFTY
	High	Low	Volume	High	Low	Volume	Closing price	Closing price
August, 2019	13.13	10.80	995467	13.1	10.70	8444591	37333	11023
September, 2019	12.99	10.96	814251	12.35	10.90	6006197	38667	11474
October, 2019	12.07	8.67	2446147	13.00	8.65	19857351	40129	11877
November, 2019	13.66	11.01	1852579	13.75	11.05	17967698	40794	12056
December, 2019	14.16	11.51	1171928	14.15	11.5	11088796	41254	12168
January, 2020	15.24	12.19	1388201	15.25	12.00	20204033	40723	11962
February, 2020	13.36	10.1	601051	13.35	10.00	6051364	38297	11202
March, 2020	11.00	7.71	1184092	10.9	8.00	9428347	29468	8598

10.5 Per Share Data:

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Face Value (₹)	10/-	10/-
EPS (₹)	0.67	(14.26)
Dividend (%)	Nil	Nil
Book Value (₹)	11.99	10.24
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	Nil	Nil

10.6 The Bank has issued various bonds (Tier I and II) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds along with their credit ratings as on 31.03.2020 are given as below:

Sr. No.	Type of Bonds	ISIN	Date of Allotment/ Issue	Principal Amount (₹ In cr)	Tenor (in Months)	Coupon Rate% (p.a)	Credit Ratings
1	Subordinate Tier 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	ICRA A/ Stable
2	Basel III Tier 2	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	ICRA A/ Stable
3	Infra Bond	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40	CARE A+/ Stable
4	Tier 2 Bonds	INE457A08050	06.03.2020	600.00	120	8.70	CARE A+ & ICRA A+
		Total		**3100.00**			

10.7 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

The Bank has appointed MCS Share Transfer Agent Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address.

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट :	निवेशक सेवाएं विभाग :
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) ऑफिस क्रमांक 201, डी विंग, दूसरी मंजिल, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट बिल्डिंग, सागबाग, मारोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच टाइम स्क्वेयर, अंधेरी पूर्व, मुंबई -400 059 फोन: 022 28516020/21/22/23 ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com subodh@mcsregistrars.com	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 25511360 ईमेल : investor_services@mahabank.co.in

निजी तौर पर रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने निम्नानुसार डिबेंचर ट्रस्टी को भी नियुक्त किया है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड से जानी जाती थी)
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलनी (राइट) कोथरूड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	020-25280081
फैक्स नंबर	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई - 400 025, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	022- 62260054/ 50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, पुणे में निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना की है। शेयरधारक अपने किसी अनुरोध/ शिकायत के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी सचिव
निवेशक सेवाएं विभाग
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
निवेशक सेवाएं विभाग
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411 005
फोन : (020) 25511360
ईमेल : investor_services@mahabank.co.in

उपर्युक्त ई-मेल आईडी सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान 6(2)(डी) के अनुसरण में केवल निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है।

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office no.201, D Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri East, Mumbai – 400 059 Tel: 022 28516020/ 21/ 22/ 23 Email: helpdeskmum@mcsregistrars.com subodh@mcsregistrars.com	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: 020 25511360 Email: investor_services@mahabank.co.in

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

Name of the Debenture Trustee	Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited
Address	GDA House, S.N.o 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune - 411038, Maharashtra, India.
Phone Number	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E -mail	dt@gdatrustee.com

Name of the debenture Trustee	Axis Trustee Services Ltd
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg,Worli Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.
Phone Number	022- 62260054/50
E -mail	debenturetrustee@axistrustee.com

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Pune. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Department for any of their requests / complaints:

Company Secretary
Investor Services Department
Bank of Maharashtra,
Investor Services Department
Lokmangal, 1501, Shivajinagar
Pune 411 005
Tel: 020 25511360
Email: investor_services@mahabank.co.in

The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

10.9 शेयरधारिता का वितरण

31.03.2020 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	161669	82.59	22104410	0.38
501-1000	12958	6.62	11036916	0.19
1001-2000	6861	3.51	10804836	0.19
2001-3000	2761	1.41	7183530	0.12
3001-4000	1119	0.57	4066803	0.07
4001-5000	2339	1.19	11439713	0.20
5001-10000	4128	2.11	36441635	0.63
10000* से अधिक	3908	2.00	5721031457	98.23
कुल	**195743**	**100**	**5820545790**	**100**
[* भारत सरकार द्वारा धारित 5386578326 शेयरों का समावेश है]				

10.10 शेयरधारिता का स्वरूप :

दिनांक 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयर धारक की श्रेणी	31.03.2020 को		31.3.2019 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %
भारत सरकार	5386578326	92.49	2415640414	87.74
बीमा कंपनियां	157015234	2.70	160328275	5.82
भारतीय निवासी व्यक्ति	189259499	3.25	87177363	3.17
बैंक/ वित्तीय संस्थान	72843807	1.25	73152187	2.66
घरेलू कंपनियां	4983421	0.09	8432445	0.31
अनिवासी भारतीय व्यक्ति	4032610	0.07	4132897	0.15
विदेशी संस्थागत निवेशक	7650809	0.13	4018074	0.15
म्युचुअल फंड/ यूटीआई	1633069	0.03	177608	0.01
न्यास (ट्रस्ट)	112425	0.00	112025	0.00
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	**5824109300**	**100.00**	**2753171388**	**100.00**

10.11 शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और तरलता

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं।

10.9 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding of Bank as on 31.03.2020 is as under:

No. of Shares	No. of Share-holders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	161669	82.59	22104410	0.38
501 -1000	12958	6.62	11036916	0.19
1001-2000	6861	3.51	10804836	0.19
2001-3000	2761	1.41	7183530	0.12
3001-4000	1119	0.57	4066803	0.07
4001-5000	2339	1.19	11439713	0.20
5001-10000	4128	2.11	36441635	0.63
Above 10000*	3908	2.00	5721031457	98.23
Total	195743	100	5820545790	100
[* Includes 5386578326 shares held by the Government of India]				

10.10 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank as on 31.03.2020 and 31.03.2019 was as under:

Category of share-holder	As on 31.03.2020		As on 31.03.2019	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	5386578326	92.49	2415640414	87.74
Insurance Companies	157015234	2.70	160328275	5.82
Resident Individuals	189259499	3.25	87177363	3.17
Banks/Financial Institutions	72843807	1.25	73152187	2.66
Domestic Companies	4983421	0.09	8432445	0.31
Non Resident Indi-viduals	4032610	0.07	4132897	0.15
Foreign Institutional Investors	7650809	0.13	4018074	0.15
Mutual Fund/UTI	1633069	0.03	177608	0.01
Trust	112425	0.00	112025	0.00
Overseas Corporate Bodies	100	0.00	100	0.00
Total	**5824109300**	**100.00**	**2753171388**	**100.00**

10.11 Dematerialisation of shares and Liquidity:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN

बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

31.03.2020 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	44278	22.62	9876493	0.17
डीमैट:				
1. एनएसडीएल	89980	45.97	311875618	5.35
2. सीडीएसएल*	61485	31.41	5502357189	94.48
उप जोड़	151465	77.38	5814232807	99.83
कुल	195743	100.00	5824109300	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 538 5386578326 इक्विटी शेयरों सहित)

10.11 शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन - प्रक्रिया

जिन शेयरधारकों ने अब भी अपने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयरों को शीघ्र डिमटेरियलाइज कर लें और डीमैट फॉर्म में शेयरों में व्यवहार करने का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए शेयरों को डिमटेरियलाइज करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

क) डिमैट खाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास खोला जा सकता है।

ख) शेयरधारक अपने डीपी को डिमटेरियलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करें।

ग) डीपी डीआरएफ प्रोसेस करेंगे और डिमटेरियलाइजेशन अनुरोध क्रमांक (डीआरएन) निर्मित होगा।

घ) डीपी डीआरएफ तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करेगा जो कि एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड है।

ङ) आरटीए डीआरएफ को प्रोसेस करेगा और डीपी/ डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि या निरस्त करेगा।

च) अनुरोध की पुष्टि होने पर शेयरधारक को डीपी के पास रखे अपने डीमैट खाते में शेयरों की समरूपी संख्या का जमा प्राप्त होगा।

तथापि दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के अनुसार तथा दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 द्वारा आगे के संशोधनों में प्रतिभूतियों का अंतरण प्रभावी करने के लिए अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि जमाकर्ताओं के पास प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड रूप में धारित न हों। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के इक्विटी शेयरों को तत्काल रूप से डिमटेरियलाइज करने हेतु कार्रवाई करें।

10.12 फोलियो का समेकन :

निवेशकों, सदस्यों जिनके पास एक ही नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो है को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासों का दोहराव और लागत कम करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए अनुरोध है कि उनकी धारिताओं को एक ही फोलियो के अंतर्गत समेकित करें। सदस्य समेकित किए जाने वाले फोलियो क्रमांकों के साथ ही मूल शेयर प्रमाणपत्रों की सूचना देते हुए पंजीयक और अंतरण एजेंटों को लिखें।

10.13 नामांकन :

भौतिक रूप में एकल या संयुक्त रूप से शेयर धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक किसी ऐसे व्यक्ति का नामांकन कर सकता है, जब पंजीकृत

code allotted to the Bank's equity shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the financial year 2019-20 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders of Bank as on 31.03.2020 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	44278	22.62	9876493	0.17
Demat:				
1. NSDL	89980	45.97	311875618	5.35
2. CDSL*	61485	31.41	5502357189	94.48
Sub-total	**151465**	**77.38**	**5814232807**	**99.83**
Total	**195743**	**100.00**	**5824109300**	**100.00**

(* Including 5386578326 Equity shares held by the Government of India)

10.11 Dematerialization of Shares – Process:

Shareholders who continue to hold shares in physical form are requested to dematerialize their shares at the earliest and avail the benefits of dealing in shares in demat form. For convenience of shareholders, the process of getting the shares dematerialized is given hereunder:

a) Demat account should be opened with a Depository Participant (DP).

b) Shareholders should submit the Dematerialization Request Form (DRF) along with share certificates in original, to their DP.

c) DP will process the DRF and will generate a Dematerialization Request Number (DRN).

d) DP will submit the DRF and original share certificates to the Registrar and Transfer Agents (RTA), which is MCS Share Transfer Agent Limited.

e) RTA will process the DRF and confirm or reject the request to DP/ depositories.

f) Upon confirmation of request, the shareholder will get credit of the equivalent number of shares in his demat account maintained with the DP.

However, as per SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018 and further amendment vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, requests for effecting transfer of securities (except in case of transmission or transposition of securities) shall not be processed from April 1, 2019 unless the securities are held in the dematerialised form with the depositories. Therefore, Shareholders are requested to take action to dematerialize the Equity Shares of the Bank promptly.

10.12 Consolidation of Folios:

In order to enable the Bank to reduce costs and duplicity of efforts for providing services to investors, members who have more than one folio in the same order of names, are requested to consolidate their holdings under one folio. Members may write to the Registrars & Transfer Agents indicating the folio numbers to be consolidated along with the original shares certificates to be consolidated.

10.13 Nomination:

Individual shareholders holding shares singly or jointly in

शेयरधारक (शेयरधारकों) की मृत्यु होने पर जिसके नाम से शेयर अंतरण योग्य हो। नामांकन फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

डिमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में नामांकन सुविधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास उपलब्ध है जो एनएसडीएल और सीडीएसएल को लागू उप-नियमों और व्यवसाय नियमों के अनुरूप है।

10.14 शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान :

सेबी द्वारा निर्धारित किए अनुसार बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास कुल प्रविष्ट पूंजी के समाधान हेतु एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सचिवीय (सेक्रेटेरियल) लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और उसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाती है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। यह लेखा परीक्षा पुष्टि करती हैं कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा डिमटेरियलाइज रूप (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित) में शेयरों की कुल संख्या के समग्र के साथ समझौते में है।

10.15 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस)

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/ कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म एजीएम नोटिस के साथ संलग्न है जिसे उन शेयरधारकों द्वारा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जा सकता है जिन्होंने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर डिमटेरियलाइज रूप में धारित किए हुए हैं वे अपने बैंक खातों के ब्यौरों का अद्यतन करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

10.16 अदत्त लाभांश

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्षों 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/ बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान/ बिना दावे के खाते में पड़ी है, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी (1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित ''निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि'' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 2009-10, 2010-11 और 2011-12 से अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को ''निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि'' में अंतरित किया गया तथा इसका ब्यौरा बैंक के वेबसाईट में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2012-13 हेतु दावा न किया गया/ अदत्त लाभांश को विनिर्दिष्ट समय सीमा में उक्त निधि को अंतरित किया जाएगा।

11 अन्य प्रकटन :

11.1 बैंक के सामान्य व्यवसाय को छोड़कर बैंक अपने प्रवर्तकों/ निदेशकों, प्रबंधन, अपनी अनुषंगीय या रिश्तेदारों इत्यादि के साथ किसी ऐसे भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुआ है जो समग्र रूप से बैंक

physical form can nominate a person in whose name the shares shall be transferable in case of death of the registered shareholder(s). Nomination forms can be obtained from the Company's Registrar and Share Transfer Agent.

Nomination facility in respect of shares held in Demat form is available with the Depository Participants as per the bye-laws and business rules applicable to NSDL and CDSL.

10.14 Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Secretarial Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialised form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

10.15 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/ interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/ Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

10.16 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2012-13, 2013-14 and 2014-15 may contact the RTAs / Bank on the above address for revalidation of the warrants and necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The dividend for the year 2012-13 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within the prescribed time limits.

11. Other Disclosures:

11.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management,

के हितों पर कोई संभावित विवाद न डालें। संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष संव्यवहार इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

11.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाया गया दंड जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के बिंदु क्र. 9.6 में प्रकट किया गया है, को छोड़कर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी कानून, दिशानिर्देशों और निर्देशों या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले का अनुपालन न किए जाने के कोई दंड नहीं लगाया गया है।

11.3 प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण निदेशक मंडल की रिपोर्ट का एक भाग हैं।

11.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन :

बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षानुसार 16 जुलाई, 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना प्रमाणन दिया है।

11.5 बैंक द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के संकल्प पर आधारित व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और वह बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। यह भी बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को समुचित प्राधिकारियों से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।

11.6 बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध कराया गया है।

11.7 अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक ने आचार संहिता को अपनाया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध कराया गया है।

11.8 बैंक ने मटेरियल सब्सिडियरी नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध कराया गया है, तथापि वर्तमान में बैंक की कोई मटेरियल सब्सिडियरी नहीं है।

11.9 बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई भी परिवर्तनीय तंत्र, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभावः लागू नहीं

11.10 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँः

अनुसूची क्र. 18 - खातों पर टिप्पणियां में प्रकटीकरण उपलब्ध कराया गया है।

11.11 विनियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार पात्र संस्थानों की नियुक्ति या अधिमानी आवंटन के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग का विवरण

बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता और अपने व्यवसाय वृद्धि निधि में सुधार हेतु वर्ष 2019-20 के दौरान उगाही गई निधियों का उपयोग किया गया है।

11.12 लागू सीमा तक सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के साथ अनुपालन के संबंध में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग निर्मित करता है।

11.13 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा:

लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स आप्टे जोशी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पुणे को एक

their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Bank's policy on Related Party transactions is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

11.2 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank which is disclosed in point no.9.6 of Schedule 18 of the financial statements for FY 2019-20.

11.3 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

11.4 CEO and CFO Certification:

The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2019-20 to the Board of Directors at their meeting held on 16th July, 2020 as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

11.5 Bank had framed Whistle Blower Policy based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. It is further stated that no employee has been denied access to the appropriate authorities.

11.6 Bank had framed Dividend Distribution Policy and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in

11.7 Bank had adopted Code of Conduct for its Directors and Senior Management and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

11.8 Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. However, Bank does not have any material subsidiary at present.

11.9 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

11.10 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

11.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).

Bank had utilized the funds raised during FY 2019-20 to improve the capital adequacy and fund its business growth.

11.12 The Certificate issued by Statutory Central Auditors (SCAs) in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable forms part of the Annual Report.

11.13 Secretarial Audit for Financial Year 2019-20:

M/s Apte Joshi & Associates, Practicing Company Secretaries, Pune, was appointed as a Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended March 31, 2020 as per the provisions of Listing Regulations. The firm has carried out an independent assessment of

सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में सेबी लिस्टिंग विनियम, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग विनियम, 1949 के अनुपालन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। बैंक के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के एक अनुलग्नक के रूप में इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा निर्मित करती है।

11.14 कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र का प्रचलन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या इसप्रकार की किसी अन्य सांविधिक संस्था द्वारा बैंक के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य करार नहीं दिया गया है। प्रचलन के अनुसार कंपनी सचिव से यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और उसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

11.15 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई, जिसमें निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी सिफारिश को नहीं माना हो।

11.16 सांविधिक लेखा परीक्षक जिस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई से संबंधित हैं, उसके सभी सांविधिक लेखा परीक्षकों और सभी इकाईयों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियां द्वारा दी गई सेवाओं हेतु कुल शुल्क :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क से संबंधित ब्यौरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 में दिए गए हैं।

11.17 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे :

वर्ष के दौरान दायर और निपटाई गई शिकायतों की संख्या और 31 मार्च, 2020 तक लंबित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

11.18 अनिवार्य और गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के ब्यौरे :

बैंक ने लागू सीमा तक सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) और विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है।

बैंक वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त बैंक के बोर्ड में निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति भारतीय बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 27 (1) के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है।

क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	**निदेशक मंडल** सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए एक गैर- कार्यपालक अध्यक्ष का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति भी दी जा सकती है।	बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
ख.	**शेयरधारक के अधिकार** पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित की जा सकती है।	बैंक के तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से इसप्रकार की जानकारी नहीं भेजी जाती है।

the compliance of Banking Regulations, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI Listing Regulations as a part of the secretarial audit. The Secretarial Audit Report addressed to the members of the Bank forms part of this Annual Report as an annexure to the Board's report.

11.14 A Certificate from Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority. The Certificate obtained from Company Secretary in practice in annexed to this report.

11.15 There was no such instance during FY 2019-20 when the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board.

11.16 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

Details relating to fees paid to the Statutory Auditors during the financial year 2019-20 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bank.

11.17 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The details of number of complaints filed and disposed of during the year and pending as on 31st March, 2020 is given in the Directors' report.

11.18 Details of compliance with mandatory and non - mandatory requirements:

The Bank has duly complied with the requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations to the extent applicable.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance, The nomination / appointment of all categories of Directors on the Board of Bank are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Company has adopted the below specified non-mandatory requirements in terms of Regulation 27(1) of SEBI Listing Regulations:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	**The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as Bank is not having a non-executive Chairperson.
B.	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Quarterly/ Half yearly / Annual Financial Results of Bank are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website. As such, information to Shareholders is not sent individually.

ग.	**ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय** सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की ओर अग्रसर हो सकती है।	बैंक के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं है।
घ.	**अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद विभक्त कर दिए गए हैं। बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
ङ	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	महाप्रबंधक (निरीक्षण व लेखा परीक्षा) सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा को रिपोर्ट करते हैं।

11.19 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल :

''हरित पहल'' के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95/2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें / अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/ दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 27 जून 2019 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 1,05,681 शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी गई।

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
C.	**Modified opinion(s) in audit report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
D.	**Separate posts of chairperson and chief executive officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The post of Chairman and MD & CEO has been split. The Chairman on the Board of Bank will be appointed by Government of India.
E.	**Reporting of Internal auditor** The internal auditor may report directly to the audit committee.	General Manager (Inspection & Audit) directly reports to the Audit Committee of the Board.

11.19 Green Initiatives in communication to the Shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/mails to the shareholders, requesting them to inform/ update their email Ids to enable the Bank to send the notices/ communications/ documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank held on 27th June, 2019 were sent to 1,05,681 shareholders by electronic mode.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूं कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आचारसंहिता के पालन की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

दिनांक : 16 जून, 2020
स्थान : पुणे

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2020.

For Bank of Maharashtra

Date: 16th June, 2020
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों के लिए लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्यों के लिए

हमने यथा लागू सीमा तक सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) की शर्तों के अनुसार 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके कार्यान्वयन तथा कार्यविधि तक हमारी जांच सीमित थी. यह न तो लेखा परीक्षा है तथा न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंध तंत्र के प्रतिवेदन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों का बैंक ने अनुपालन किया है.

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यकलापों की कार्यक्षमता या उसके प्रभावी होने का भावी आश्वासन है.

कृते आप्टे जोशी और असोसिएट,
कंपनी सचिव

आर. जे. जोशी
भागीदार
एफसीएस 4478, सीपी 8774
यूडीआईएन: एफ004478बी000473749

दिनांक : 16 जून, 2020
स्थान : पुणे

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

The Members of
The **Bank of Maharashtra**

We have examined the Compliance of conditions of Corporate Governance by The Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as the "The Bank"), for the year ended on March 31, 2020, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Apte Joshi & Associates,
Company Secretaries,

R J Joshi
Partner
FCS 4478, CP 8774
UDIN: F004478B000473749

Date: June 16, 2020
Place: Pune

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
[विनियम 17(8)]

सेवा में,
निदेशक मंडल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे
हम प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(1) इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.

(2) ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरूद्ध हो.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.

(2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है.

(3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
और मुख्य वित्तीय अधिकारी)

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 16 जून 2020
स्थान : पुणे

CEO/ CFO Certificate
[Regulation 17(8)]

To the Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2020 and that to the best of our knowledge and belief:

(1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

(1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. P. Srivastava
General Manager
(FM&A & CFO)

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

Date: 16th June, 2020
Place: Pune

निदेशकों का गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 विनियम 34 (3) और अनुसूची V परिच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्य
1501, लोकमंगल,
शिवाजीनगर, पुणे - 411004

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10 (i) विनियम 34 (3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में स्थित है, के संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणी और निदेशकों से प्राप्त प्रकटन की जांच हमारे द्वारा की गई है।

हमारी राय में और हमारी संपूर्ण जानकारी तथा सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति, जहां लागू हो) बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत की गई। हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे दर्शाए अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, निगमित मामले मंत्रालय अथवा अन्य ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनियों/ सूचीबद्ध इकाइयों में नियुक्त अथवा निदेशक के रूप में बने रहने के लिए वंचित अथवा अयोग्य नहीं घोषित किया गया है।

क्र.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति का दिनांक
1	श्री ए. एस. राजीव	07478424	02-12-2018
2	श्री हेमन्त कुमार टम्टा	08359559	31-12-2018
3	श्री नागेश्वर राव येलमनचिली	06651230	31-03-2020
4	श्रीमती वंदिता कौल	07854527	11-05-2017
5	श्री मनोज कुमार वर्मा	लागू नहीं	13-08-2019
6	श्री आर. तामोधरन	07097220	30-06-2018

** बैंक, कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल एक कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। अत: बैंक बोर्ड के निदेशकों के डीआईएन प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए, डीआईएन का उल्लेख उन निदेशकों के लिए किया गया है जिनके पास निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन हैं और जिन निदेशकों के पास डीआईएन नहीं है उनके लिए उपरोक्त में ''लागू नहीं'' का उल्लेख किया गया है।*

बोर्ड के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति की पात्रता/ निरंतरता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का दायित्व है। इन पर अपने सत्यापन के आधार पर राय देना हमारा दायित्व है। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की संभाव्यता का आश्वासन है और न ही किस कुशलता और प्रभावशीलता से प्रबंधन ने बैंक का संचालन किया है।

कृते आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरी

आर. जे. जोशी
भागीदार
एफसीएस 4478, सीपी 8774
यूडीआईएन : एफ004478बी000473751

दिनांक : जून 16, 2020
स्थान : पुणे

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

The Members of
The **Bank of Maharashtra,**
1501, Lokmangal,
Shivaji Nagar, Pune - 411004

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as 'the Bank') having Head office at Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411005, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever applicable) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies/ listed entities by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority :

Sr. No.	Name of Director	DIN	Appointment Date
1	Shri A.S. Rajeev	07478424	02-12-2018
2	Shri Hemant Kumar Tamta	08359559	31-12-2018
3	Shri Nageswara Rao Yalamanchili	06651230	31-03-2020
4	Mrs. Vandita Kaul	07854527	11-05-2017
5	Shri Manoj Kumar Verma	Not Applicable	13-08-2019
6	Shri R. Thamodharan	07097220	30-06-2018

**The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply on the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.*

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Apte Joshi & Associates,
Company Secretaries,

R J Joshi
Partner
FCS 4478, CP 8774
UDIN: F004478B000473751

Date: June 16, 2020
Place: Pune

वित्तीय विवरण
Financial Statements

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2019 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**5824,10,93**	2753,17,14
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**4931,17,01**	2986,26,94
जमाराशियां Deposits	3	**150066,40,46**	140650,08,64
उधारियां Borrowings	4	**3670,03,18**	10149,17,14
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**4375,46,66**	7996,83,30
कुल TOTAL		**168867,18,24**	**164535,53,16**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**10353,68,49**	7919,98,63
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**93,28,22**	1234,91,70
निवेश Investments	8	**57740,85,12**	59697,05,14
अग्रिम Advances	9	**86871,65,09**	82666,21,11
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1676,19,16**	1775,53,01
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**12131,52,16**	11241,83,57
कुल TOTAL		**168867,18,24**	**164535,53,16**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**29491,84,83**	27054,53,73
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**7037,69,24**	4390,31,12
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर. तामोधरन
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

वंदिता कौल
निदेशक
VANDITA KAUL
Director

एम. के. वर्मा
निदेशक
M. K. Verma
Director

नागेश्वर राव वाई.
कार्यपालक निदेशक
NAGESWARA RAO Y.
EXECUTIVE DIRECTOR

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

सुधीर डी. बाजपेई
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SUDHIR D. BAJPAI
Dy. Gen. Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा और मुविअ
V. P. SRIVASTAVA
GENERAL MANAGER, FM&A & CFO

स्थान : पुणे
दिनांक : 16 जून, 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Previous Year)
I. **आय INCOME**			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**11495,44,71**	10849,60,26
अन्य आय Other Income	14	**1649,22,67**	1547,45,43
कुल TOTAL		**13144,67,38**	**12397,05,69**
II. **व्यय EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**7216,64,98**	7116,11,61
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**3080,96,07**	3083,32,88
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**2458,48,23**	6981,48,84
कुल TOTAL		**12756,09,28**	**17180,93,33**
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		**388,58,10**	-4783,87,64
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-7360,29,22**	-2543,65,86
जोड़े : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve			
कुल TOTAL		**-6971,71,12**	**-7327,53,50**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**97,14,52**	–
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**53,64,46**	32,75,72
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**–**	–
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**–**	–
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		**227,00,00**	–
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		**–**	–
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		**–**	–
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**–**	–
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**-7349,50,10**	-7360,29,22
कुल TOTAL		**-6971,71,12**	**-7327,53,50**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		**0.67**	-14.26

कृते मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन:005301एन
सनदी लेखाकार
for M/s. M. D. Gujrati & Co.
FRN: 005301N
Chartered Accountants

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Partner
Membership No: 081552

सीए मदन गोपाल नारायणन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 211784
CA Madan Gopal Narayanan
Partner
Membership No. 211784

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615

सीए एस. अनंथन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 026379
CA S Ananthan
Partner
Membership No: 026379

स्थान : पुणे
दिनांक : 16 जून, 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
प्रत्येक ₹10/-के 10,00,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 300,00,00,000) of ₹10/- each		**10000,00,00**		**4000,00,00**
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
प्रत्येक ₹10/- के 582,41,09,300 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 275,31,71,388) 582,41,09,300 Equity Shares (Previous year 275,31,71,388) of ₹10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**2753,17,14**		2598,45,44	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	**3070,93,79**	**5824,10,93**	154,71,70	2753,17,14
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	**5386,57,83**		2415,64,04	
₹10/- के 538,65,78,326 (पिछले वर्ष 2,415,640,414) ईक्विटी शेयर 538,65,78,326 (Previous year 2,415,640,414) Equity shares of ₹10/- each				
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	**437,53,10**		337,53,10	
₹ 10/- के 43,75,30,974 (पिछले वर्ष 33,75,30,974) ईक्विटी शेयर 43,75,30,974 (Previous year 33,75,30,974) Equity Shares of ₹10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	**–**	5824,10,93	–	2753,17,14
कुल TOTAL		**5824,10,93**		**2753,17,14**

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	**सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1252,49,29**		1252,49,29	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**97,14,52**	**1349,63,81**	–	1252,49,29
II.	**पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**363,39,71**		330,63,99	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**53,64,46**		32,75,72	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**417,04,17**	**–**	363,39,71
III.	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**5343,99,91**		5293,71,62	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**1558,76,21**	**6902,76,12**	50,28,29	5343,99,91
IV.	**राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**				
	क) **राजस्व आरक्षिति** a) **REVENUE RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1515,56,85**		1384,32,63	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**106,13,99**		131,24,22	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**1621,70,84**	–	1515,56,85

	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
ख) **विशेष आरक्षितियां** b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**498,00,00**		498,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**498,00,00**	—	498,00,00
ग) **पुनर्मूल्यन आरक्षितियां** c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1373,10,41**		1129,99,14	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		374,35,49	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**108,58,24**	**1264,52,17**	131,24,22	1373,10,41
घ) **निवेश अस्थिर आरक्षिति खाता** d) INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**–**		–	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**227,00,00**		**–**	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**227,00,00**	–	–
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	**-7349,50,10**	**-7349,50,10**	-7360,29,22	-7360,29,22
कुल TOTAL		**4931,17,01**		2986,26,94

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
क A.	I. **मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS**				
	i) बैंकों से From Banks	**83,84,03**		110,68,73	
	ii) अन्यों से From others	**14305,40,44**	**14389,24,47**	13052,07,83	13162,76,56
	II. **बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS**		**61085,55,15**		56667,03,60
	III. **मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS**				
	i) बैंकों से From Banks	**205,97,69**		106,99,05	
	ii) अन्यों से From others	**74385,63,15**	**74591,60,84**	70713,29,43	70820,28,48
	कुल TOTAL (I, II & III)		**150066,40,46**		140650,08,64
ख B.	(i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India		**150066,40,46**		140650,08,64
	(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India		–		–
कुल TOTAL			**150066,40,46**		140650,08,64

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)
I. **भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**		
i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank Of India	**478,00,00**	**1500,00,00**
ii) अन्य बैंक Other Banks	**–**	**–**

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
	iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies	**85,79,79**		5513,78,46	
	iv) अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)				
	a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**–**		70,00,00	
	ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें				
	b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	**–**		400,00,00	
	ग) गौण ऋण बांड				
	c) Subordinated Debt Bonds	**2100,00,00**		1630,00,00	
	घ) इंफ्रा बांड				
	d) Infra Bonds	**1000,00,00**	**3663,79,79**	1000,00,00	10113,78,46
II.	भारत बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		**6,23,39**		35,38,68
	कुल TOTAL (I & II)		**3670,03,18**		10149,17,14
III.	उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE**		**478,04,79**		6781,11,42

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	देय बिल Bills Payable		**486,92,01**		416,59,84
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		**–**		432,87,65
III.	उपचित ब्याज Interest Accrued		**309,67,31**		307,71,54
IV.	अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	**698,54,47**		623,10,68	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	**2880,32,87**	**3578,87,34**	6216,53,59	6839,64,27
कुल TOTAL			**4375,46,66**		7996,83,30

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)		**812,11,19**		699,14,25
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में In Current Accounts	**3741,57,30**		6310,84,38	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	**5800,00,00**	**9541,57,30**	910,00,00	7220,84,38
कुल TOTAL (I & II)			**10353,68,49**		7919,98,63

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	भारत में In India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खाते				
	(a) Current Accounts	**39,35,61**		14,99,16	
	(ख) अन्य जमा खाते				
	(b) Other Deposit Accounts	**15,18,56**	**54,54,17**	15,18,56	30,17,72
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
	(क) बैंकों के पास				
	(a) With Banks	**–**		–	
	(ख) अन्य संस्थानों के पास				
	(b) With Other Institutions	**–**	–	1157,23,03	1157,23,03
	कुल TOTAL (i & ii)		**54,54,17**		1187,40,75
II.	भारत के बाहर Outside India				
	बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खाते				
	(a) Current Accounts	**–**		–	
	(ख) अन्य जमा खाते				
	(b) Other Deposit Accounts	**38,74,05**		47,50,95	
	(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	(c) Money at Call & Short Notice	**–**	**38,74,05**	–	47,50,95
कुल TOTAL			**38,74,05**		47,50,95
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)			**93,28,22**		1234,91,70

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)
क I	भारत में निवेश		
A.I	Investments in India in		
	क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों व जीरो कूपन बांडों सहित)		
	a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	**45638,07,74**	42412,06,09
	ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
	b) Other approved securities	–	–
	ग) शेयर्स		
	c) Shares	**277,71,29**	263,95,75
	घ) डिबेंचर्स और बांड		
	d) Debentures and Bonds	**2547,27,47**	2444,98,67
	ड़) सहायक कंपनी और / या संयुक्त उद्यम		
	e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**73,42,11**	73,42,11

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
	च) अन्य f) Others				
	i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**384,77,13**		390,04,59	
	ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**8819,59,38**		14073,23,60	
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**–**		39,34,33	
	iv) पीटीसी PTCs	**–**		–	
	v) अन्य Others	**–**	**9204,36,51**	–	14502,62,52
	कुल TOTAL		**57740,85,12**		59697,05,14
II.	**भारत से बाहर निवेश** Investments outside India		**–**		–
	कुल TOTAL		**–**		–
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**57740,85,12**		59697,05,14
ख B.	क) भारत में सकल निवेश				
	a) Gross Investments in India	**58171,33,86**		60163,68,47	
	घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	**15,33,80**		95,89,74	
	घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	**415,14,94**	**57740,85,12**	370,73,59	59697,05,14
	निवल निवेश Net Investment		**57740,85,12**		59697,05,14
	ख) **भारत के बाहर सकल निवेश**				
	b) Gross Investments outside India		**–**		–
	कुल TOTAL (क एवं ख) (a & b)		**57740,85,12**		59697,05,14

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**494,70,10**		610,24,20	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**39427,00,65**		41155,34,62	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	**46949,94,34**	**86871,65,09**	40900,62,29	82666,21,11
	कुल TOTAL		**86871,65,09**		82666,21,11
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**71104,64,03**		72556,48,11	
	ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**204,07,43**		5,22,33	
	iii) अप्रत्याभूत Unsecured	**15562,93,63**	**86871,65,09**	10104,50,67	82666,21,11
	कुल TOTAL		**86871,65,09**		82666,21,11

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	**35908,48,14**		33173,96,10	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**8006,79,63**		7520,95,76	
	iii) बैंक Banks	**6,29,07**		8,97,45	
	iv) अन्य Others	**42950,08,25**	**86871,65,09**	41962,31,80	82666,21,11
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
कुल	**TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)**	**–**	**86871,65,09**	–	82666,21,11

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	**1663,97,11**		1561,29,97	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**8,46**		23,91	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	**–**		1504,34,63	
		1664,05,57		3065,88,51	
	4. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	**2,54,31**		1401,91,40	
		1661,51,26		1663,97,11	
	5 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**310,98,61**	**1350,52,65**	201,55,30	1462,41,81
II	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress		**71,77,44**		34,38,07
III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1328,71,25**		1226,09,50	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**76,32,64**		128,19,31	
		1405,03,89		1354,28,81	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**20,17,79**		25,57,56	
		1384,86,10		1328,71,25	
	4 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**1130,97,03**	**253,89,07**	1049,98,12	278,73,13
जोड़	**TOTAL (I & II)**		**1676,19,16**		**1775,53,01**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	657,94,63	–
II.	उपचित ब्याज Interest accrued	1088,39,01	1111,32,19
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	291,36,93	1168,39,07
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	3,19,63	2,96,26
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–	–
VI.	अन्य Others *	10090,61,96	8959,16,05
	कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	12131,52,16	11241,83,57

* नोट: ₹ हजार में 3,31,19,870 (पिछले वर्ष निवल डीटीए के ₹ हजार में 2,96,23,904 निवल आस्थगित कर आस्ति सहित अन्य आस्तियां
* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of ₹ in thousands 3,31,19,870 (Previous Year Net DTA ₹ in thousands 2,96,23,904)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		1062,30,50		1559,63,83
II.	आंशिक चुकता निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		–		–
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		18636,28,47		15016,28,24
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(क) भारत में (a) In India	8352,25,64		8664,26,39	
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	122,16,63	8474,42,27	100,75,40	8765,01,79
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations		889,77,57		1456,56,65
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मित रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		429,06,02		257,03,22
	कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		29491,84,83		27054,53,73

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Previous Year)	
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		6409,27,01		6566,64,36
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	4321,25,12		3794,53,52	
	घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	118,55,92	4202,69,20	104,92,67	3689,60,85
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		240,98,13		356,42,07
IV.	अन्य Others		642,50,37		236,92,98
	कुल TOTAL (I, II, III & IV)		11495,44,71		10849,60,26

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		**851,24,28**		785,63,29
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**358,52,93**		276,87,27	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**19,14,89**	**339,38,04**	18,13,45	258,73,82
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**–**		–	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**–**	**–**	–	–
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**6,55,03**		1,81,08	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**1,74,10**	**4,80,93**	1,88,04	-6,96
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**164,68,16**		131,81,34	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	**14**	**164,68,02**	1	131,81,33
VI.	भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों औ/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**1,71,56**		1,52,41
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**287,39,84**		369,81,54
कुल	**TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)**		**1649,22,67**		1547,45,43

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year ended 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**6757,18,90**	6750,93,57
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**20,56,03**	29,57,25
III.	अन्य Others	**438,90,05**	335,60,79
कुल	**TOTAL** (I, II & III)	**7216,64,98**	7116,11,61

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year ended 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1743,82,05**	1794,16,94
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**214,97,71**	207,02,51
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**21,61,83**	17,48,98
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**25,69,21**	15,09,91
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित मूल्यहास निवल) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	**210,94,81**	241,36,51
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**77,75**	62,75
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय Auditors' fees and expenses	**17,57,88**	19,05,58
VIII.	विधि प्रभार Law Charges	**19,65,81**	22,81,29
IX.	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**54,54,11**	46,28,71
X.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**180,26,51**	133,11,14
XI.	बीमा Insurance	**151,03,12**	135,47,30
XII.	अन्य व्यय Other expenditure	**440,05,28**	450,81,26
कुल TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)		**3080,96,07**	3083,32,88

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2019-20

अनूसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.

1.2 **अनुमान का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है. भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो.

1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

2. विदेशी मुद्रा विनिमय संव्यवहार:

2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

2.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए ''नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाजार हेतु चिन्हित किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य आस्तियों'' और हानि के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य देयताओं'' को प्रभारित किया गया है.

2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है.

2.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी.

3. निवेश:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

3.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

Bank of Maharashtra 2019-20

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India , the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.

1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)
b. Available for sale (AFS)
c. Held for trading (HFT)

3.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

क. सरकारी प्रतिभूतियां
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग. शेयर्स
घ. डिबेंचर तथा बांड
ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है. ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) श्रेणी से निवेशों का ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाज़ार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा.

3.4 **रेपो/ रिवर्स रेपो :**

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्विर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है. लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है.

3.5 भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों की लागत का निर्धारण किया जाता है.

स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ खंडित अवधि के लिए चुकता ब्याज को राजस्व व्यय/ आय के रूप में समझा जाएगा.

निवेश की राशि से निवेश की बिक्री/ खरीद के समय प्रदत्त/ प्राप्त प्रोत्साहन राशि/ ब्रोकरेज की कटौती/ योग किया गया है.

3.6 **निवेशों का मूल्यन :**

क. परिपक्वता तक धारित :

(i) ''परिपक्वता तक धारित'' प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है. निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है.

(ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

(iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षिति का निवल) को आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

a. Government Securities
b. Other approved Securities
c. Shares
d. Debentures and Bonds
e. Subsidiaries and Joint Ventures
f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

3.4 **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

3.6 **Valuation of investments:**

a. Held to Maturity:

(i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

(ii) In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

(iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है. केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन ''नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/ शेयर किया गया है.

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है.

''बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एएफएस) में जमा किया गया है.

बशर्ते, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के परिणामी आबंटित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसे ऋण के इक्विटी में परिवर्तन की तारीख से सीधी लाइन पद्धति के आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाहियों से अधिक के लिए प्रदान किए जाएंगे।

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित (एमटीएम) प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

ग. व्यापार हेतु धारित :

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है. राज्य/ केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है. कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है.

(ii) बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है. प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों (पीटीसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है.

(iii) निवल समूहवार मूल्यह्रास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु धारित) पर मूल्यह्रास

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

(i) If it results in appreciation, the same is ignored.

(ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.

(iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

(ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

(iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on

हेतु प्रावधान को जमा किया गया है. यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को बदला नहीं गया है.

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

घ. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है.

ङ. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि ब्रोकरेज, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है.

3.7 **डेरिवेटिव्ज :**

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यांकन :

(क) **हेजिंग स्वैप :** आस्ति और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है.

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

(क) **हेजिग स्वैप:** आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है.

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है.

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

(क) **हेजिंग स्वैप :** समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है.

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है.

3.8 **निवेश अस्थिर रिजर्व:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के 2 अप्रैल, 2018 की परिपत्र संख्या RBI / 2017-18/ 147 DBR.No.BP BC .102 / 21.04.048 / 2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से पैदावार में वृद्धि के समक्ष बैंक को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त भंडार बनाने के लिए निवेश में अस्थिर रिजर्व (IFR) बनाया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

4. अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है.

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से अधिक किया गया है -

उप-मानक - 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.

3.7 **Derivatives:**

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

3.8 **Investment Fluctuation Reserve:**

As per RBI circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP BC .102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields with effect from FY 2018-19.

Transfer to IFR is lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

4. Advances:

4.1 Advances are disclosed net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-standard - 20%

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधान" शीर्ष में दर्शाया गया है.

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।

एसडीआर के तहत अग्रिमों के संबंध में, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकतम चार तिमाहियों के भीतर प्रावधान किया जाता है।

4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष बचाकर रखा जाता है और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री के खाते में कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है. यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर हुआ है, (अर्थात बकाया घटाएं धारित प्रावधान) तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है. तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा. एनपीए की बिक्री के कारण किसी प्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न किए जाने पर उसे 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा.

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी उलटा जाता है जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/ एसआर/ पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो. आस्तियों के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा के लिए ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा.

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

5.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत घटाएं मूल्यह्रास/ ऋण परिशोधन पर लेखाबद्ध किया गया है.

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय (व्ययों) केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।

5.2 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य रुपया एक लिखा जा सके।

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)	मूल्यह्रास की पद्धति
1	भवन और परिसर	5.00	डीबीएम
2	सेफ सहित सामान्य मदें	18.10	डीबीएम
3	इलेक्ट्रिकल उपकरण	13.91	डीबीएम
4	ऑफिस मशीनरी	13.91	डीबीएम
5	मोटर वाहन	25.89	डीबीएम
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91	डीबीएम
7	बाईसिकल	20.00	डीबीएम
8	कम्प्यूटर और लैपटॉप	33.33	एसएलएम
9	एटीएम	14.29	एसएलएम
10	यूपीएस	20.00	एसएलएम
11	बीएनए	14.29	एसएलएम
12	कैश-रिसाइकलर्स	14.29	एसएलएम

* डीबीएम अर्थात घटती हुई संतुलन विधि

* एसएलएम अर्थात स्ट्रेट लाइन मेथड

5.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है।

4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head “Other liabilities and provisions”.

4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

5.2 Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)	Method of depreciation
1	Building & Premises	5.00	DBM
2	General items including Safe	18.10	DBM
3	Electrical Equipment's	13.91	DBM
4	Office Machinery	13.91	DBM
5	Motor Vehicles	25.89	DBM
6	Safe Deposit Vault	13.91	DBM
7	Bicycle	20.00	DBM
8	Computer & Laptops	33.33	SLM
9	ATM	14.29	SLM
10	UPS	20.00	SLM
11	BNA	14.29	SLM
12	Cash Re-cycler	14.29	SLM

* DBM means Diminishing Balance Method

* SLM means Straight Line Method

5.3 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, उतने दिनों तक जब तक कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो।

5.4 हर तीन साल में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) का स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज पर धारित जमीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षिति को लीज अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल संपत्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यह्रास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षिति की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित कर दी जाती है।

5.5 पट्टेवाली परिसरों के संबंध में, लीज प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है.

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :-

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज

घ. बीमा दावे

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय

झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/ अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि एएस -15 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकित हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक (एक्टुअरीज) द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही / वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, विशेषाधिकार अवकाश, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

Similarly in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

5.4 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

5.5 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis.

6. Revenue Recognition

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz., on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Loan Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity and Pension schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave fare Concession, Privilege Leave, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.

8. खंड रिपोर्टिंग:

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

9. आस्तियों की हानि

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 "प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो.

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित) और धोखाधड़ी और आकस्मिक व्यय/ अन्य सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

12. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है.

आस्थगित कर आस्ति और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं.

आस्थगित कर आस्तियों को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्रदान की जाती और फिर से मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी वसूली को उचित रूप में माना जाता है।

कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे की हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग उस पर ब्याज सहित तब प्रदान की गई जब ऐसी मांग को उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया.

13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट दी गई है. प्रति शेयर मूल कमाई का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है. प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है.

अवधि के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए यदि प्रतिभूति या अन्य संविदाओं का उपयोग किया जाता है तो प्रति शेयर कम किया गया अर्जन संभावित मन्दन को प्रतिबिंबित करता है जो अर्जन में प्रदर्शित हो सकता है.

8. Segment Reporting:

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

9. Impairment of Assets:

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

10. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event not it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

12. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld by High Court.

13. Earnings per Share:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. **पूंजी:** (₹ करोड़ में)

क्र.	मदें	31.03.2020	31.03.2019
i)	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात(%)	10.666*	9.883
ii)	टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	10.666	9.912
iii)	टियर- 2 पूंजी का अनुपात(%)	2.850	1.947
iv)	कुल पूंजी का अनुपात - (सीआरएआर) (%)	13.516	11.859
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	92.49	87.74
vi)	उगाही गई/ भारत सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	962.70	4703.00
vii)	अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि (बेमीयादी ऋण लिखतों के माध्यम से)	0.00	0.00
viii)	उगाही गई टियर- 2 पूंजी की राशि	0.00	0.00

भारत सरकार ने ₹ 831 करोड़ की पूंजी अधिमान्य आधार पर प्रदान की, जिसकी गणना 31 मार्च 2020 को आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में की गई। तथापि, सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात में इसपर विचार किया गया है।

क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 10.54 प्रति शेयर की दर से कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से ₹ 131.70 करोड़ इक्विटी शेयर पूंजी उगाही गई। बैंक ने बाजार मूल्य पर 20% छूट के साथ अपने कर्मचारियों को इक्विटी शेयर का प्रस्ताव दिया।

ख) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 8.70% कूपन दर पर ₹ 600 करोड़ राशि के गौण बेसल - III टियर II बॉन्डों की उगाही की।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने बॉन्डों के मांग विकल्प के मोचन की नियत तारीख के अनुसार ₹ 600.00 करोड़ की राशि के लिए बेसल II/बेसल III अनुपालक बॉन्डों का मोचन किया। इसकी जानकारी निम्नानुसार है :

प्रकार	जारी करने का दिनांक	बॉन्डों की संख्या	प्रति बॉन्ड अंकित मूल्य (₹ लाख)	राशि	कूपन दर %	मांग दिनांक/ मोचन दिनांक
गौण टियर II	30/09/2009	1300	10.00	13000	8.74	30/04/2019
शाश्वत टियर I	30/09/2009	700	10.00	7000	9.25	30/09/2019
अपर टियर II	30/09/2009	1000	10.00	10000	8.95	30/09/2019
अपर टियर II	01/02/2010	3000	10.00	30000	8.65	01/02/2020

2. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) और 'व्यापार हेतु धारित' (एचएफटी) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2020	31.03.2019
एचटीएम	38041.90	35425.16
एएफएस	19693.17	24271.45
एचएफटी	5.78	0.44
कुल निवेश	**57740.85**	**59697.05**

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं, सभी निवेश भारत में किए गए हैं और भारत के बाहर निवेश नहीं किए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	58171.34	60163.68
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	430.49	466.63
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	57740.85	59697.05
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	466.63	540.06
(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	62.22	348.68
(iii) घटाइए : वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए / बट्टे खाते डाले गए अधिक प्रावधान	7.48	342.33
(iv) बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	7.57	15.15
(v) प्रतिभूतियों को परिवर्तित करते समय प्रयुक्त प्रावधान	83.31	64.63
(vi) अंतिम शेष	430.49	466.63

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Capital: (₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio including CCB (%)	10.666*	9.883
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.666	9.912
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.850	1.947
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	13.516	11.859
v)	Percentage of the shareholding of Government of India (%)	92.49	87.74
vi)	Amount of Equity Capital raised /Infused by GoI	962.70	4703.00
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital (through Perpetual Debt Instruments)	0.00	0.00
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised	0.00	0.00

*Government of India infused capital of ₹ 831 crores on preferential basis, which was accounted as share application money pending for allotment as of 31st March 2020. However same is considered in common Equity Tier 1 capital

a) During the FY 2019-20, Equity share capital of ₹ 131.70 crores were raised through Employee stock purchase scheme (ESPS) @ ₹ 10.54 per share. The Bank has offered the equity shares to its employees at 20% discount on market value.

b) The Bank has raised Subordinate Basel – III Tier II bonds amounting to ₹ 600 crores at 8.70% coupon rate during the F.Y. 2019-20

During the FY 2019-20, Bank has redeemed Basel II /Basel III Compliant Bonds for an amount of ₹ 600.00 crore as per due date of redemption of call option of Bond. Details of the same are as under:

Type	Date of Issue	No. of Bonds	Face Value per bond (₹ Lacs)	Amount	Coupon Rate (%)	Call Date/ redemption Date
Subordinate Tier II	30/09/2009	1300	10.00	13000	8.74	30/04/2019
Perpetual Tier 1	30/09/2009	700	10.00	7000	9.25	30/09/2019
Upper Tier II	30/09/2009	1000	10.00	10000	8.95	30/09/2019
Upper Tier II	01/02/2010	3000	10.00	30000	8.65	01/02/2020

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity (HTM)", "Available for Sale (AFS)", and "Held for Trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

(₹ in Crore)

Category	31.03.2020	31.03.2019
HTM	38041.90	35425.16
AFS	19693.17	24271.45
HFT	5.78	0.44
Total Investment	**57740.85**	**59697.05**

2.1 The Total Investments of the Bank, as under, are made in India and no Investments are made outside India:

(₹ in Crore)

Items	31.03.2020	31.03.2019
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	58171.34	60163.68
(ii) Provisions for Depreciation	430.49	466.63
(iii) Net Value of Investments	57740.85	59697.05
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	466.63	540.06
(ii) Add: Provisions made during the year	62.22	348.68
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	7.48	342.33
(iv) Provision used for Written-off	7.57	15.15
(v) Provision used for while shifting securities	83.31	64.63
(vi) Closing balance	430.49	466.63

2.1.1 एचएफटी से एएफएस श्रेणी तथा एएफएस व एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूति के परिवर्तन से संबंधित ब्यौरे :
Details regarding shifting of securities from HFT to AFS category and securities from AFS & HFT to HTM category.

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	**वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19**
एचएफटी से एएफएस HFT to AFS	95.40	शून्य Nil
एएफएस से एचटीएम AFS to HTM	2013.00	999.78

2.1.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2018-19 के लिए एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित प्रतिभूतियों से संबंधित ब्यौरे :
Details regarding securities transferred from HTM category to AFS for FY 2019-20 and 2018-19

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	**वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19**
एचटीएम से एएफएस HTM to AFS	4042.00	3856.06

2.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में) **Repo Transactions** (In face value terms)

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

ब्यौरे Particulars	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year**	**31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020**
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities				
a) रेपो उधारियां (एलएएफ) Repo Borrowing (LAF)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	350.00 (330.00)	21.00 (31.00)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
b) रेपो उधारियां (मीयादी) Repo Borrowing(Term)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	1500.00 (1500.00)	82.00 (63.00)	478.00 (1500.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	14627.00 (11245.00)	2775.00 (1848.00)	5800.00 (910.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)

2.2.2 एलएएफ के अतिरिक्त रेपो संव्यवहार (त्रि-पक्षीय रेपो सहित) **Repo Transactions other than LAF** (including Tri party Repo):

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

ब्यौरे Particulars	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year**	**31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020**
बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	8064.00 (5281.00)	3736.00 (463.00)	शून्य Nil (5281.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
i. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	5176.00 (9083.00)	843.00 (2921.00)	शून्य Nil (1157.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
i. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग: Non-SLR Investment Portfolio

2.3.1 गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र Issuer composition of Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैर क्रम वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबध्द प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	636.53 (467.77)	625.32 (455.56)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाए FIs	3439.62 (622.37)	3389.79 (572.55)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बैंक Banks	6156.59 (14160.52)	6154.42 (14159.25)	21.00 (20.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय Private Corporate	1191.81 (1214.85)	1164.24 (1193.48)	689.78 (658.84)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
(vi)	अन्य Others	10030.38 (9444.05)	9993.50 (9417.06)	180.86 (131.03)	121.03 (121.03)	399.72 (430.69)
	उप जोड़ SUB TOTAL	**21538.46 (25993.09)**	**21410.80 (25881.43)**	**891.64 (809.87)**	**121.03 (121.03)**	**399.72 (430.69)**
(vii)	के लिए धारित प्रावधान Provision held towards (i) मूल्यह्रास Depreciation (ii) एनपीआई NPI (iii) पुनर्संरचित खाते एफआईटीएल इत्यादि Restructured Account FITL etc (iv) एसडीआर खातों में एमटीएम मूल्यह्रास पर किया गया प्रावधान Provision Made on MTM Depreciation in SDR Accounts (v) अन्य प्रावधान (आरपी लागू नहीं किए गए आईसीए हस्ताक्षरित खाते पर प्रावधान) Other Provision (Provision on ICA signed Account where RP not implemented)	21.08 (13.20) 181.24 (128.79) 54.39 (55.07) 167.29 (181.89) 6.49 (0.00)	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल TOTAL	**21107.97 (25614.14)**	**21410.80 (25881.43)**	**891.64 (809.87)**	**121.03 (121.03)**	**399.72 (430.69)**

टिप्पणी :

i) उक्त (v) में 'सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम' होने के कारण तथा (vi) में 'अन्य' होने के कारण निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त है।

ii) कॉलम 4, 5, 6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबद्ध नहीं है।

iii) कुल ₹ 21107.97 करोड़ (₹ 25614.14 करोड़) के कुल निवेश में ₹ 661.87 करोड़ (₹ 793.67 करोड़) के राजस्थान स्पेशल बॉण्ड, ₹ 73.17 करोड़ (₹ 96.32 करोड़) के यूपी स्टेट पॉवर बॉण्डस, ₹ 89.67 करोड़ (₹ 89.67 करोड़) के हरियाणा स्टेट स्पेशल बॉन्ड, ₹ 123.49 करोड़ (₹ 123.49 करोड़) के पंजाब स्टेट स्पेशल बॉन्ड और ₹ 8057 करोड़ (₹ 7226 करोड़) के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड शामिल हैं। तुलन पत्र की अनुसूची 8 में इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

Note:

(i) Investments as in (v) being "Subsidiaries / Joint Ventures, & (vi) being "Others" are exempt from rating & listing requirements as per RBI guidelines.

(ii) Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.

(iii) The total investment of ₹ 21107.97 crores (₹ 25614.14 crores) includes Rajasthan Special Bonds of ₹ 661.87 crores (₹ 793.67 crores), UP State Power Bonds of ₹ 73.17 crores (₹ 96.32 crores) Haryana State Special Bonds ₹ 89.67 crores (₹ 89.67) Punjab State Special bonds ₹ 123.49 crores (₹ 123.49) and Recapitalization Bonds ₹ 8057 crores (₹ 7226 crore). The same have been included in Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

2.3.2 अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक शेष	266.04	738.10
वर्ष के दौरान परिवर्धन	138.14	12.26
वर्ष के दौरान कमी	15.03	484.32
अंतिम शेष	389.15	266.04
किए गए कुल प्रावधान	181.24	128.79

2.4 एचटीएम श्रेणी में/ से स्थानांतरण एवं बिक्री

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में करों और विनियामक आरक्षितियों का निवल ₹ 53.64 करोड़ (₹ 32.76 करोड़) की एक राशि पूंजी आरक्षिति के लिए अंतरित की गई है।

बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹ 108.27 करोड़ (₹ 104.93 करोड़) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी को ₹ 4042 करोड़ (₹ 3856.06 करोड़) (बही मूल्य) की राशि की प्रतिभूतियां अंतरित की और लाभ व हानि को प्रभारित किया, दिनांक 01.07.2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों भा.रि.बैंक/2015-16/97 डीबीआर क्र.बीपी.बीसी. 6/21.04.141/2015-16 के अनुसार इस अंतरण के दौरान मूल्यह्रास की राशि ₹ शून्य (₹ शून्य) रही।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/ से प्रतिभूतियों के अंतरण और विक्रय का मूल्य जो निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ एकबारगी अंतरण को छोड़कर है, पूर्वघोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.4.1 एचटीएम श्रेणी से पूंजी आरक्षिति में निवेश की बिक्री पर लाभ के अंतरण की गणना

(₹ करोड में)

ब्यौरे	2019-20	2018-19
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	109.95	50.35
एचटीएम पर हानि	0.00	0.00
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर निवल लाभ	109.95	50.35
घटाएं: आयकर @ 34.944%	38.42	17.60
उप- जोड़	**71.53**	**32. 76**
घटाएं: 25.00% के समानुपातिक सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	17.89	0.00
पूंजी आरक्षिति में निवल अंतरण	**53.64**	**32.76**

2.4.2 एएफएस और एचएफटी का निवेश आरक्षिति में निवेश पर एमटीएम मूल्यह्रास के कारण प्रतिलेखन के अंतरण की गणना

(₹ करोड में)

ब्यौरे	2019-20	2018-19	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर
एमटीएम मूल्यह्रास एएफएस	14.13	95.89	-81.76
एमटीएम मूल्यह्रास एचएफटी	1.21	0.00	1.20
एमटीएम मूल्यह्रास एनपीआई	5.51	4 98	0.53
एसडीआर/ एस4ए के अंतर्गत एमटीएम मूल्यह्रास	167.29	181.89	-14.60
कुल	**188.14**	**282.76**	**-94.63**
निवेश आरक्षिति से गिरावट			
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एमटीएम हानियों के लिए किए गए प्रावधान			शून्य
घटाएं: आयकर @ 34.944%			शून्य
उप-जोड़			शून्य
घटाएं: 25% की दर पर सांविधिक आरक्षिति को अंतरण			शून्य
निवेश आरक्षिति खाते से निवल गिरावट			**शून्य**

*वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत किए गए निवेश के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता न होने के कारण निवेश आरक्षिति खाते से से शून्य गिरावट हुई।

2.3.2 Non performing Non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance	266.04	738.10
Additions during the year	138.14	12.26
Reductions during the year	15.03	484.32
Closing balance	389.15	266.04
Total provisions held	181.24	128.79

2.4 Sale and transfers to / from HTM category

As per RBI guidelines, an amount of ₹ 53.64 crore (₹ 32.76 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.

The Bank has amortized ₹ 108.27 crore during the year (₹ 104.93 Crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

During the FY 2019-20, the Bank has transferred securities from HTM category to AFS category amounting to ₹ 4042 crores (₹ 3856.06 crores) (Book value) and charged to Profit & Loss depreciation amounting to ₹ Nil crore (₹ Nil crore) due to such transfer in terms of RBI guidelines RBI/2015-16/97 DBR No BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated 1.7.2015.

The value of the sales and transfer of securities to / from HTM category during the financial year 2019-20, excluding one-time transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI does not exceed 5 percent of the book value of investments in HTM category at the beginning of financial year.

2.4.1 Computation of Transfer of Profit on Sale of Investment in HTM Category to Capital Reserve

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Profit on sale of HTM Securities	109.95	50.35
Loss on HTM	0.00	0.00
Net Profit on sale of HTM Securities	109.95	50.35
Less: Income Tax @34.944%	38.42	17.60
Sub- Total	**71.53**	**32. 76**
Less: 25.00% proportionate to Transfer to Statutory Reserves	17.89	0.00
Net Transfer to Capital reserve	**53.64**	**32.76**

2.4.2 Computation of Transfer of Write Back on account of MTM Depreciation on Investment in AFS and HFT to Investment Reserve

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19	Diff. over per year
MTM Depreciation AFS	14.13	95.89	-81.76
MTM Depreciation HFT	1.21	0.00	1.20
MTM Depreciation NPI	5.51	4 98	0.53
MTM Depreciation under SDR/S4A	167.29	181.89	-14.60
Total	**188.14**	**282.76**	**-94.63**
Draw down from Investment Reserve			
Provision made for MTM losses during FY 2019-20			Nil
Less: Income Tax at 34.944%			Nil
Sub-Total			Nil
Less: Transfer to Statutory reserve @ 25%			Nil
Net draw down from Investment Reserve Account			**Nil**

* During the current financial year 2019-20, there is nil drawdown from Investment reserve account on account of no additional provision required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

2.4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर. क्र. बीपी. बीसी. 102/ 21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार निवेश की बिक्री हेतु लाभ को निवेश अस्थिर आरक्षिति (आईएफआर) को अंतरण करना

(₹ करोड में)

ब्यौरे	2019-20	2018-19
निवेश की बिक्री पर लाभ	338.18	258.74
विनियामक विनियोजन के बाद निवल लाभ	237.79	लागू नहीं
जो भी कम हो	237.79	लागू नहीं
न्यूनतम :- (एएफएस और एचएफटी) का 2%	227.00	लागू नहीं

बैंक ने वर्तमान वर्ष के लाभ में से निवेश अस्थिरता आरक्षिति (आईएफआर) के लिए ₹ 227.00 करोड़ (शून्य) का विनियोजन किया है।

3 डेरिवेटिव्ज:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	शून्य	शून्य

बैंक ने आईआरएस/ एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/ एफआरए की अनुमोदित सीमा ₹ 2000 करोड़ है। 31 मार्च 2020 के अनुसार बैंक के कल्पित मूलधन के शून्य बकाया स्वैप रहे।

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरे	2019-20	2018-19
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन क. ब्याज दर भविष्य	185.18	511.73
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

3.3.1 गुणात्मक प्रकटन:

(i) डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।

(ii) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।

(iii) तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।

(iv) डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।

2.4.3 Transfer of Profit for Sale of Investment to Investment Fluctuation Reserve (IFR) as per RBI Circular RBI/2017-18/147 DBR. No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated 2nd April 2018

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Profit on Sale of Investment	338.18	258.74
Net Profit after Statutory Appropriation	237.79	N.A.
Whichever is lower	237.79	N.A.
Min :- 2% of (AFS and HFT)	227.00	N.A.

The Bank has made an appropriation of ₹ 227.00 crores (Nil) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year

3 Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

Items	31.03.2020	31.03.2019
i) The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	Nil	Nil

Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is ₹ 2000.00 crore. As on 31st March 2020, the Bank had no outstanding swaps.

3.2 Exchange Traded Interest Rate:

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2019-20	2018-19
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) Interest Rate Future	185.18	511.73
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives out-standing and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures

(i) Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

(ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.

(iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting & monitoring of risks is in place.

(iv) Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.

(v) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 (एफ) (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटन : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि)	18636.28	15016.28	शून्य	शून्य
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए	7036.14	4593.02	शून्य	शून्य
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए	11600.14	10423.26	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां [1]				
	(क) आस्ति (+)	315.31	194.76	शून्य	शून्य
	(ख) देयताएं (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण विगोपन [2]	688.04	495.09	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0	2.07	शून्य	शून्य
	(ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	0	0.04	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर				
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर	अधि.: 2.63 न्यून. : 0.47	अधि. :2.53 न्यून. : 1.56	अधि.:ला.न. न्यून.: ला.न.	अधि.: ला.न. न्यून.: ला.न.
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर	अधि.: 4.70 न्यून. : 0.12	अधि.: 1.45 न्यून. : 0.04	अधि.:ला.न. न्यून.: ला.न.	अधि.: ला.न. न्यून.: ला.न.

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान: (₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	
		ऋण विगोपन(*)	31.03.2020 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	शून्य	शून्य
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	688.04	2.75
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य
	कुल	**688.04**	**2.75**

* ऋण विगोपन की गणना बेसल III - के जोखिम भारित आस्ति (आरड्ब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार।

3.5 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) :

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2020 को शून्य है।

(v) Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.

(vi) The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

3.3.2 Quantitative Disclosures: (₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate derivatives	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
(i)	Derivatives (Notional Principal amount)	18636.28	15016.28	Nil	Nil
	(a) For hedging	7036.14	4593.02	Nil	Nil
	(b) For Trading	11600.14	10423.26	Nil	Nil
(ii)	Marked to Market Position [1]				
	(a) Asset (+)	315.31	194.76	Nil	Nil
	(b) Liability (-)	Nil	Nil	Nil	Nil
(iii)	Credit Exposure [2]	688.04	495.09	Nil	Nil
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(a) On hedging derivatives	0	2.07	Nil	Nil
	(b) On trading derivatives	0	0.04	Nil	Nil
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	(a) On hedging	Max:2.63 Min:0.47	Max: 2.53 Min: 1.56	Max: N.A Min: N.A.	Max: N.A. Min: N.A.
	(b) On trading	Max:4.70 Min:0.12	Max: 1.45 Min: 0.04	Max: N.A. Min: N.A.	Max: N.A. Min: N.A.

3.4 Standard provision on derivative exposure:

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2020	
		Credit Exposure(*)	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2020
1	Interest Rate Derivative	Nil	Nil
2	Foreign Exchange Derivative	688.04	2.75
3	Gold Contract	Nil	Nil
4	Credit Default Swaps	Nil	Nil
	Total	**688.04**	**2.75**

* Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III.

3.5 Credit Default Swaps (CDS):

The Bank has no Credit Default Swaps during the year 2019-20 or as on March 31, 2020 is Nil.

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	4.77%	5.52%
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	15324.49	18433.23
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4040.60	4304.22
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7212.94	7412.96
(घ) अंतिम शेष	12152.15	15324.49
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) प्रारंभिक शेष	4559.33	9641.19
जोडें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी द्वारा निपटाये गये खाते	28.73	86.60
सकल प्रारंभिक शेष	4588.06	9727.19
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2110.10	2580.20
(ग) वर्ष के दौरान कमी	2583.79	7719.33
(घ) सकल अंतिम शेष	4114.37	4588.06
घटायें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	31.01	28.73
निवल अंतिम शेष	4145.38	4559.33
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	10721.73	8662.34
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	2952.94	7226.81
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	5701.31	5167.42
(घ) अंतिम शेष	7973.36	10721.73

4.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण में अंतर और अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	राशि
1	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	15324.49
2	31 मार्च 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के रूप में सकल एनपीए	15535.49
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	211.00
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2019 को निवल एनपीए	4559.33
5	31 मार्च 2019 तक निवल एनपीए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार	4700.33
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	141.00
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2019 को एनपीए के लिए प्रावधान	10721.73
8	31 मार्च 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान	10791.73
9	प्रावधान में विचलन (8-7)	70.00
10	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	-4763.25
11	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद निवल लाभ (पीटीए) समायोजन में विचलन को ध्यान में रखते हुए	-4833.25

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1.	खातों की संख्या	7	4
2.	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	17.51	219.54
3.	कुल प्रतिफल	123.28	204.43
4.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0	0
5.	निवल खाता-बही मूल्य पर सकल प्राप्ति/ हानि	105.78	-15.11

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2020	31.03.2019
(i)	**Net NPAs to Net Advances (%)**	4.77%	5.52%
(ii)	**Movement of NPAs (Gross)**		
	(a) Opening balance	15324.49	18433.23
	(b) Additions during the year	4040.60	4304.22
	(c) Reductions during the year	7212.94	7412.96
	(d) Closing balance	12152.15	15324.49
(iii)	**Movement of Net NPAs**		
	(a) Opening balance	4559.33	9641.19
	Add: ECGC/DICGC Settled amount	28.73	86.60
	Gross: Opening Balance	4588.06	9727.19
	(b) Additions during the year	2110.10	2580.20
	(c) Reductions during the year	2583.79	7719.33
	(d) Gross closing balance	4114.37	4588.06
	Less ECGC/DICGC Settled amount	31.01	28.73
	Net closing Balance	4145.38	4559.33
(iv)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening balance	10721.73	8662.34
	(b) Provisions made during the year*	2952.94	7226.81
	(c) Write-back/write off of excess provisions	5701.31	5167.42
	(d) Closing balance	7973.36	10721.73

4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(₹ in Crores)

S N	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the bank	15324.49
2	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	15535.49
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	211.00
4	Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the bank	4559.33
5	Net NPAs as of March 31, 2019 as assessed by RBI	4700.33
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	141.00
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the bank	10721.73
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	10791.73
9	Divergence in provisioning (8-7)	70.00
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	-4763.25
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	-4833.25

4.3 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	No. of accounts	7	4
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	17.51	219.54
3	Aggregate consideration	123.28	204.43
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0	0
5	Aggregate gain/loss over net book value.	105.78	-15.11

वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 2.85 करोड़ (₹ 11.26) सहित ₹ 17.51 करोड़ (₹ 219.54 करोड़) बही मूल्य की अनर्जक आस्तियां बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों में कमी आई।

निवल बही मूल्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में एआरसी को एनपीए खातों की बिक्री में कोई कमी नहीं आई।

4.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दे

(₹ करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	शून्य	129.74*	0.00	0.00	0	129.74

वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभूति रसीदों में बकाया के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	327.41	336.18*
ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	**327.41**	**336.18**

टिप्पणी: *₹ 37.58 करोड़ हेतु मेसर्स आधुनिक पॉवर एंड नैच्युरल रिसोर्सेस लिमिटेड की मानक आस्तियों के विक्रय से प्रतिभूति रसीदों में निवेश को प्रतिभूति रसीदों में वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवेशों के बही मूल्य में शामिल नहीं किया गया।

प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटीकरण

(आरबीआई के दिनांक 01/09/2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र. बीपी.बीसी. 9/21.04.048/2016-17 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी की गई एसआर	5 वर्षों से अधिक समय पूर्व में परंतु पिछले 8 वर्षों से भीतर जारी की गयी एसआर	8 वर्षों से अधिक समय पूर्व जारी की गयी एसआर
i) बैंक द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	266.36	58.30	2.75
के लिए धारित प्रावधान	59.24**	5.31*	2.75*
ii) अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
के लिए धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i) + (ii)	**266.36**	**58.30**	**2.75**

*एमटीएम मूल्यह्रास हेतु प्रावधान सहित

**₹ 122.59 करोड़ के लिए बैंक की बहियों में जारी ऋण को अनुमानित मानते हुए अंतर्निहित ऋणों के प्रति ₹ 58.21 करोड़ का प्रावधान और ₹ 1.03 करोड़ के लिए एमटीएम मूल्यह्रास सम्मिलित हैं।

{सुरक्षा एआरसी 007 एवं एआरसीआईएल एएसटी 014 II}।

नोट : 01.04.2018 से 50% की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 10% कर दिया गया है।

During the year 2019-20, the Bank has sold non-performing assets of the book value of ₹ 17.51 crore (₹ 219.54 crore) including ₹ 2.85 crores (₹ 11.26 crores), during the quarter ended March 31, 2020 resulting in reduction of NPAs.

There is no shortfall in sale of NPA accounts to ARCs in the financial year 2019-20 as compared to its Net Book Value.

4.4 Sale of financial assets to Securitization Company / Reconstruction Company and related issues

(₹ in Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-financial companies as underlying		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019
Book Value of Investment in Security Receipts	Nil	129.74*	0.00	0.00	0	129.74

The details of the outstanding at the end of the year in security receipts are as under: (₹ in Crore)

Particulars	As on 31.3.2020	As on 31.3.2019
i) Backed by NPAs sold by Bank as underlying	327.41	336.18*
ii) Backed by NPAs sold by other Banks /financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	**327.41**	**336.18**

Note: * Investment in security receipt from sale of standard asset of M/S Adhunik Power and Natural Resources Ltd. for ₹ 37.58 crore has been excluded from book value of investments outstanding at the end of the year in security receipts.

Disclosure of investment in Security Receipts

(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated 01/09/2016)

(₹ in Crore)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by the bank as underlying	266.36	58.30	2.75
Provision held against (i)	59.24**	5.31*	2.75*
ii) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL (i) + (ii)	**266.36**	**58.30**	**2.75**

*Includes provision towards MTM depreciation

** Includes MTM Depreciation for ₹ 1.03 crore and provision of ₹ 58.21 Crore towards underlying loans, assuming the loans notionally continued in the books of the bank for ₹ 122.59 crore {Suraksha ARC 007 and ARCIL AST 014 II }.

Note: From 01.04.2018, the threshold limit of 50% is reduced to 10%

4.5 वर्ष के अंत में अन्य आरक्षितियों को नामे अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा और प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रमात्रा के संबंध में प्रकटन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 13.06.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2015-16 के अनुसार)

शून्य

4.6 अन्य बैंकों से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.7 अन्य बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1.	वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	सकल बकाया	0.00	0.00
3.	प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.8 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण			31-03-2020 (सं./ राशि)	31-03-2019 (सं./ राशि)
1	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या*			शून्य	शून्य
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि				
3	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि				
	क)	तुलनपत्र बाह्य विगोपन			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
	ख)	तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि				
	क)		तुलनपत्र बाह्य विगोपन		
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
	ख)	तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन			
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		

4.9 पुनर्संरचीकृत खातों के विवरण

अलग से अनुलग्नक जोड़ा गया है।

4.5 Disclosure regarding quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPA's to securitization Company/ Reconstruction Company and the quantum of unamortized provision debited to other reserves as at the end of the year. (As per RBI Circular DBR No. BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated 13.06.2016)

NIL

4.6 Details of non- performing financial assets purchased from other Banks

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	(a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2	(a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.7 Details of non- performing financial assets sold to other Banks

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1.	No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	0.00	0.00
3.	Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.8 Disclosure relating to Securitization:

(₹ In Crore)

S. N.	Particulars			31-03-2020 (No./ Amt)	31-03-2019 (No./ Amt)
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*			Nil	Nil
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank				
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet				
	a)	Off-balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
	b)	On-balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
4	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR				
	a)		Off-balance sheet exposures		
		i)	Exposure to own securitizations		
			First loss		
			Loss		
		ii)	Exposure to third party securitizations		
			First loss		
			Others		
	b)	On-balance sheet exposures			
		i)	Exposure to own securitizations		
			First loss		
			Others		
		ii)	Exposure to third party securitizations		
			First loss		
			Others		

4.9 Particulars of Accounts Restructured

Separate Annexure enclosed

31.03.2020 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2020

बैंक का नाम - बैंक ऑफ महाराष्ट्र NAME OF THE BANK: Bank of Maharashtra (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना तंत्र के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	आस्ति वर्गीकरण Asset Classification →		मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total
	विवरण Details →																					
1	1 अप्रैल 2019 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकडे)* Restructured Accounts as on April 1 , 2019 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	9	0	9	7315	293	54	7	7669	6425	1544	604	14	8587	13740	1837	667	21	16265
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	468.43	0.00	468.43	412.75	51.18	215.13	4.48	683.54	102.71	559.00	710.76	20.40	1392.87	515.46	610.18	1394.32	24.88	2544.84
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00	20.64	5.13	0.00	0.00	0.00	5.13	25.77	0.00	0.00	0.00	25.77
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	9379	960	28	20	10,387	941	142	4	23	1110	10320	1102	32	43	11497
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	76.32	11.73	0.43	958.48	38.66	5.39	0.02	0.83	44.90	908.66	81.71	11.75	1.26	1003.38
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	2.58	0.39	0.00	46.47	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	45.43	2.58	0.39	0.00	48.40
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी का कोटिउन्नयन Upgradations to restructured standard cat-egory during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	13	0	0	0	13	44	0	0	0	44
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	5.97	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	6.13	0	0	0	6.13
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.04
4	पुनर्संरचित मानक खाते जिनमें उच्च प्रावधान जरूरी नहीं और/या विशेष वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाना जरूरी नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0				0	3				3	0				0	3				3
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00				0.00	8.54				8.54	0.00				0.00	8.54				8.54
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00				0.00	0.49				0.49	0.00				0.00	1.03				1.03
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातो का कोटिअवनयन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	4	1	5	980	192	244	0	1,416.00	274	133	30	0	437	1254	325	278	1	1858
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	144.88	20.86	165.74	37.34	4.48	52.26	0.00	94.08	94.37	415.02	45.10	0.00	554.49	131.71	419.50	242.24	20.86	814.31
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातो को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	4	0	4	1241	0	0	0	1241	0	0	0	3	3	1241	0	4	3	1248.00
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	310.60	0.00	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	497.22	497.22	0	0	310.60	497.22	807.82
7	31 मार्च 2018 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकडे)* Restructured Accounts as on 31st March 2020 (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	5	1	6	14501	1947	271	51	16770	1579	400	185	64	2228	16080	2347	461	116	19004
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	152.48	20.86	173.34	1154.21	113.77	164.02	53.11	1485.11	60.16	99.56	562.16	58.24	780.12	1214.37	213.33	878.66	132.21	2438.57
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	2.58	0.39	0.00	63.57	3.25	0.50	0.00	0.00	3.75	63.84	3.08	0.39	0.00	67.31

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आकड़ों को छोड कर, जिनमें उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) जरूरी नहीं है. *Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

4.10 31.03.2020 को दबावग्रस्त आस्तियां (एस 4 ए) की सतत संरचना

(भा.रि.बै.) के दिनांक 10.11.2016 के परि. क्र. डी.बी.आर. क्र. बीपी. बीसी. 33/21.04.132/2016-17 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या जहां (एस4ए) लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक	2	255.72	249.86	312.46	134.74
एनपीए	2	28.25			

4.11 विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना

(भा.रि.बै.) के दिनांक 10.11.2016 के परि. क्र. डी.बी.आर. क्र. बीपी. बीसी. 34/21.04.132/2016-17 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीलेपन की संरचना के लिए लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीलेपन की संरचना के लिए ली गई ऋण की राशि		लचीली संरचना के लिए उठाए गए ऋणों की अवधि का क्सपोजर भारित औसत	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात
वित्त वित्तीय वर्ष - 2018 - 19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वित्तीय वर्ष - 2019 - 20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.10 Sustainable structuring of stressed assets (S4A), as on 31.03.2020

(As per RBI circular DBR.No. BP.BC.33/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

(₹ in Crore)

Asset Classification	No of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
			In Part A	In Part B	
Standard	2	255.72	249.86	312.46	134.74
NPA	2	28.25			

4.11 Flexible structuring of Existing Loans

(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

(₹ in Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous financial year - 2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Current financial year - 2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.12 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (जो खाते अभी भी स्थिर अवधि खातों के अंतर्गत हैं)

Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand still period)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(भा.रि.बै.) के दिनांक 10.11.2016 के परि. क्र. डी.बी.आर. क्र. बीपी. बीसी. 34/21.04.132/2016-17 के अनुसार)
(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार Amount Outstanding as on the reporting date		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण लंबित है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण हुआ है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA**	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य - भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया है। Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018						

4.13 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते अभी भी स्थिर खातों के अंतर्गत हैं)

Change in ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under stand still period)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(आरबीआई के दिनांक 10.11.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.33/21.04.132/2016-17)
(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का फैसला किया है No of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		खातों के संबंध रिपोर्टिंग की दिनांक के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रतिभूति का रूपांतरण लंबित है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रति समर्पण के लिए रूपांतरण किया गया है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री के द्वारा स्वामित्व में बदलाव की परिकल्पना की गई है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as	
	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA
शून्य - भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया है। Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018								

4.14 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते अभी भी स्थिर खातों के अंतर्गत हैं)

(आरबीआई के दिनांक 10.11.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र. बीपी.बीसी. 34/21.04.132/2016-17)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचना	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य - भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया गया है			

वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से असंबद्ध प्रावधान नामे किए जाने पर वर्ष 2019-20 के दौरान प्रमात्रा और दबावग्रस्त आस्तियों की स्थायी संरचना के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किए गए। (आरबीआई के दिनांक 13.06.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीस्ी.103/21.04.132/2015-16)

4.15 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान (कोविड-19 से संबंधित ₹ 150 करोड़ के प्रावधान को छोड़कर)	546.56	621.13
2	फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	2.75	1.98
3	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन हेतु प्रावधान	6.47	2.49
4	डेरिवेटिव ब्याज दर	शून्य	शून्य
	कुल	555.78	625.60

नोट :- मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को सकल अग्रिमों से निवल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि तुलन पत्र की अनुसूची संख्या 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधानों-अन्य'' के अंतर्गत ''मानक आस्तियों के विरूद्ध प्रावधान'' के रूप में अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

4.16 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
क.	अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
ख.	लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
ग.	लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
घ.	अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

4.14 Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand still period)

(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

(₹ in Crore)

No of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as Standard	Classi-fied as standard restruc-tured	Classified as NPA
Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018			

During the year 2019-20 Nil provision was made under sustainable structuring of stressed assets and the quantum if unamortized provision debited to "other reserves" as at the end of the year (As per RBI circular DBR.No.BP.BC. 103/21.04.132/2015-16 dated 13.06.2016)

4.15 Provisions on Standard Assets

(₹ in Crore)

S.N	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	Provisions towards Standard Advances (Excluding provi-sion of ₹ 150 crores related to COVID 19)	546.56	621.13
2	Provisions towards Standard Assets (Derivative exposure) Forex	2.75	1.98
3	Provision towards Un-hedged Foreign Currency Exposure	6.47	2.49
4	Interest rate derivative	Nil	Nil
	Total	555.78	625.60

Note :- Provisions towards Standard Assets need not be netted from gross advances but shown separately as 'Provisions against Standard Assets', under 'Other Liabilities and Provisions – Others in Schedule No. 5 of the balance sheet.

4.16 Details of floating provision

(₹ in Crore)

SN	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
a	Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
b	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d	Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

4.17 एनपीए और प्रावधानों पर आरबीआई के दिनांक 07.06.2019 के परिपत्र क्र. आरबीआई/ 2018-19 डीबीआर. क्र.बीपी.बीसी. 101/21.04.048/2018-19 का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि (i)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु ऋणों की राशि (ii)	31.03.2020 के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत (ii) में से ऋणों की राशि (iii)	आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान (iv)	31.03.2020 द्वारा (iv) में से अभी तक किए गए प्रावधान (v)
2027.39	1517.93	1517.93	295.83	295.83

4.18 कोविड-19 राहत पर प्रकटीकरण

कोविड-19 के फैलने का कारण सार्स-कोव 2 वायरस रहा, परिणामस्वरूप भारत और विश्वभर में लॉक-डाउन की स्थिति बनी। लॉकडाउन की निरंतरता के कारण वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में पर्याप्त गिरावट आई। अनिश्चितता की स्थिति निरंतर बनी हुई है और बैंक द्वारा स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है। इन मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद भी बैंक के परिणामों और लाभ की धारणाओं में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

(₹ करोड़ में)

विवरण	**ग्राहक शेष**	**प्रावधान @10%**
पुल खाता	6.70	0.67
पुल के अतिरिक्त	742.65	74.26
कुल	**749.35**	**74.93**
कोविड-19 विनियामक पैकेज- 31.03.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान (अतिरिक्त)		**75.07**
कुल		**150.00***

कोविड-19 पर आरबीआई के परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसरण में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 74.93 करोड़ @ 10% के आवश्यक प्रावधान के बदले कोविड-19 विनियामक पैकेज प्रावधान के अंतर्गत ₹ 150/- करोड़ का प्रावधान किया है।

5. कारोबारी अनुपात:

क्र.	**विवरण**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
i	कार्यशील निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	6.78%	6.82%
ii	कार्यकारी निधियों से गैरब्याजी आय का प्रतिशत	0.97%	0.97%
iii	कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.68%	1.38%
iv	आस्तियों पर आय	0.23	(3.01)
v	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रूपये करोड़ में)	19.52	18.13
vi	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपये लाख में)	3.10	(37.05)

4.17 Impact of RBI circular No. RBI/2018-19 DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on NPAs & provisions.

(₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (i)	Amount of Loans to be classified as NPA (ii)	As on 31.03.2020 amount of loans out of (ii) classified as NPA (iii)	Additional Provision required for loans classified as NPA a per RBI Circular impact (iv)	Provision out of (iv) already made by 31.03.2020 (v)
2027.39	1517.93	1517.93	295.83	295.83

4.18 Disclosure on Covid-19 Relief

The spread of SARS – COV 2 virus responsible for COVID- 19 has resulted a lockdown in India and across the globe. The continued lockdown has resulted in significant decline in globe and local economic activities. The situation continues to be uncertain and Bank is closely monitoring the situation. Despite these prevalent conditions, there would not be significant impact on Bank's results and going concern assumptions

(₹ in Crore)

Particulars	**Customer Balance**	**Provision @ 10%**
Pool A/cs	6.70	0.67
Other than Pool	742.65	74.26
TOTAL	**749.35**	**74.93**
COVID-19 Regulatory Package-Provision made during the Quarter ended 31.03.2020 (Additional)		**75.07**
Total		**150.00***

In terms of RBI circular dated 17th April, 2020 on Covid-19, Bank has made provision of ₹ 150/- crore under Covid-19 Regulatory Package Provision as against required provision of ₹ 74.93 crore @ 10% for FY 2019-20

5. Business Ratios

S N	**Particulars**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
i	Interest Income as a percentage to Working Funds.	6.78%	6.82%
ii	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.97%	0.97%
iii	Operating Profit as a percentage to Working Funds.	1.68%	1.38%
iv	Return on Assets	0.23	(3.01)
v	Business (Deposits + Advances) per employee (₹ in Crore)	19.52	18.13
vi	Profit per Employee (₹ in Lakh)	3.10	(37.05)

6. आस्ति देयता प्रबंधन:
Asset Liability Management:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति (₹ करोड़ में)
Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities (₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह 31 days to 2months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months and up to 3 months	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	1123.6	1768.9	1932.78	3180.59	3830.30	5174.73	9257.05	40675.62	33175.85	13416.50	36530.50	150066.40
अग्रिम Advances	818.2	2936.8	2124.93	4267.44	5025.80	4144.13	12004.06	9238.40	19851.02	14628.82	19849.42	94888.98
निवेश Investments	15.0	399.7	115.05	134.36	2001.79	2109.81	3465.00	3539.42	4693.85	3736.22	37961.13	58171.34
उधारियां Borrowings	6.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	2360.75	0.00	1131.01	3700.99
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	63.7	1923.7	498.71	1491.17	1294.97	426.02	2494.57	2928.54	0.00	0.00	0.00	11121.42
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	153.8	1519.7	474.66	2078.78	1263.96	342.21	2017.59	3167.71	75.28	42.61	0.00	11136.26

6.1 तरलता कवरेज अनुपात :
Liquidity Coverage Ratio:

मात्रात्मक प्रकटन:
Quantitative Disclosure:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

		2019-20		2018-19	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां High Quality Liquid Assets (HQLAs)					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां Total High Quality Liquid Assets		35774.77		31366.06
नकदी बहिर्गमन Cash outflows					
2	रिटेल जमाराशियां और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	120082.37	10370.19	113293.15	9733.77
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	32760.84	1638.04	31910.82	1595.54
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	87321.53	8732.15	81382.33	8138.23
3	अरक्षित थोक निधियन, जिनमें से : Unsecure wholesale funding, of which:	17604.38	9834.94	19343.46	11333.58
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	25.69	6.42
(ii)	अपरिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	17604.38	9834.94	19318.27	11327.16
(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन Secured wholesale funding	3836.37	0.00	806.41	0.00

5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which:	9423.84	848.09	10904.95	1253.97
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivatives exposure and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि संबंधी बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	9423.84	848.09	10904.95	1253.97
6	अन्य अनुबंधात्मक निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	467.70	467.70	74.94	74.94
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	16018.29	605.83	15063.76	539.64
8	**कुल नकदी बहिर्गमन Total cash outflows**		**22126.75**		**22935.90**
नकदी अंतर्वाह Cash inflows					
9	रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	3540.67	0.00	5342.42	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	6238.80	5347.22	5216.31	4239.11
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	300.22	150.11	1877.41	1718.70
12	**कुल नकदी अंतर्वाह** **TOTAL CASH INFLOWS**		**5497.33**	**12436.14**	**5957.81**
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां TOTAL HQLA		35774.77		31366.06
14	कुल निवल नकदी अंतर्वाह TOTAL NET CASH OUTFLOWS		16629.42		16978.09
15	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity coverage ratio (%)		**215.13%**		**184.74%**

गुणात्मक

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टाक है, जोकि तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को विभक्त कर किया जाता है। निवल नकदी बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैर प्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम 100% की आवश्यकता की तुलना में 215.13% रहा है।

7. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

7.1 जमाराशियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	6426.30	7921.92
बैंक की कुल जमाराशियों से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	4.28%	5.63%

Qualitative

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid Unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash out-flows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

Average LCR on a daily basis for the year ended 31st March 2020 was 215.13% above RBI pre-scribed minimum requirement of 100.00%.

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Deposits of Twenty largest Depositors	6426.30	7921.92
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	4.28%	5.63%

7.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	13891.61	13774.44
बैंक के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	14.64%	14.74%

7.3 विगोपनों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	15767.12	15606.14
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	12.65%	14.40%

7.4 अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	2630.38	2422.31

7.5 सकल अनर्जक आस्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
दिनांक 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	15324.49	18433.23
भिन्नताओं के साथ वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियों में) वृद्धि	4040.60	4304.22
उप जोड़ (क)	**19365.09**	**22737.45**
घटाएं :		
(i) कोटि उन्नयन	196.90	62.06
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	1318.44	2024.03
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	5091.82	4163.59
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत दर्शाए गए बट्टे खातों को छोड़कर	605.78	963.28
उप जोड़ (ख)	**7212.94**	**7412.96**
31 मार्च को (लेखाबंदी शेष) सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	**12152.15**	**15324.49**

* दिनांक 24 सितंबर, 2009 के डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. क्र.46/21.04.048/2009-10 के अनुलग्नक की मद 2 के अनुसार सकल एनपीए

7.6 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों का आरंभिक शेष	9188.13	5254.64
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते + परिवर्तन	5094.77	4208.80
उप जोड़ (क)	14282.90	9463.44
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में हुईं वसूलियां (ख)	699.61	275.31
31 मार्च को लेखाबंदी शेष (क-ख)	13583.29	9188.13

7.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Advances of Twenty largest borrowers	13891.61	13774.44
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.64%	14.74%

7.3 Concentration of Exposure

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	15767.12	15606.14
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	12.65%	14.40%

7.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposure to top four NPA accounts	2630.38	2422.31

7.5 Movement of Gross NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)*	15324.49	18433.23
Additions (Fresh NPA) during the year including variations	4040.60	4304.22
Sub-total (A)	**19365.09**	**22737.45**
Less:		
(i) Up gradations	196.90	62.06
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1318.44	2024.03
(iii)Technical / Prudential write-off	5091.82	4163.59
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	605.78	963.28
Sub-Total (B)	**7212.94**	**7412.96**
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	**12152.15**	**15324.49**

* Gross NPA as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD.BP.BC. No.46/21.04.048/2009-10 dated September 24, 2009.

7.6 Movement of Technical / Prudential Write off

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April	9188.13	5254.64
Add: Technical / Prudential write –offs during the year + variation	5094.77	4208.80
Sub-Total (A)	14282.90	9463.44
Less: Recoveries made from previous technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	699.61	275.31
Closing balance as at 31st March (A-B)	13583.29	9188.13

7.7 क्षेत्रवार अग्रिम
Sector-Wise Advances:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

क्रमांक S.N.		क्षेत्र Sector	2019-20			2018-19		
			बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
क A		**प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	14384.66	3726.37	25.91	15119.74	2913.81	19.27
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4694.45	788.40	16.79	4319.64	816.89	18.91
	3	सेवाएं Services	12527.51	1532.00	12.23	9407.56	1484.33	15.78
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	21677.94	462.09	2.13	6584.20	395.40	6.01
		उप-जोड़ (क) Sub-total (A)	**38899.90**	**6508.85**	**16.73**	**35431.14**	**5610.42**	**15.83**
ख B		**गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	349.25	0.00	0.00	100.56	0.00	0.00
	2	उद्योग Industry	14660.08	3005.29	20.50	21497.06	6875.34	31.98
	3	सेवाएं Services	21954.97	2133.86	9.72	22529.03	2434.08	10.80
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	19024.78	504.14	2.65	13908.91	404.65	2.91
		उप-जोड़ (ख) Sub-total (B)	**55989.08**	**5643.30**	**10.08**	**58035.56**	**9714.07**	**16.74**
		कुल (क+ख) Total (A+B)	**94888.98**	**12152.15**	**12.81**	**93466.70**	**15324.49**	**16.40**

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
कुल आस्तियां	38.74	47.51
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	0.55	0.005

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Assets	38.74	47.51
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	0.55	0.005

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	31.03.2020	31.03.2019
क)	प्रत्यक्ष विगोपन	15918.65	15452.26
i)	आवासीय बंधक - उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए)	13904.19 6573.58	13032.21 5778.01
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं	1770.49	2420.05
iii)	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश- क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
ख)	*अप्रत्यक्ष निवेश* राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	5043.02	3789.76
	रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	20961.67	19242.02

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों , ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	73.60	68.61
ii)	व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	शून्य
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.22	0.67

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

S N	Category	31.03.2020	31.03.2019
a)	Direct exposure	15918.65	15452.26
i)	Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual hous-ing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	13904.19 6573.58	13032.21 5778.01
ii)	Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and con-struction, etc.) Expo sure also includes non-fund based (NFB) limits.	1770.49	2420.05
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	 Nil Nil	 Nil Nil
b)	*Indirect Exposure* Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	5043.02	3789.76
	Total Exposure to Real Estate Sector	20961.67	19242.02

8.2 Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

S N	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible de-bentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	73.60	68.61
ii	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IP-Os/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds	Nil	Nil
iii	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	0.22	0.67

क्रमांक	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	0.00	50.20
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	29.21	54.00
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
x)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी विगोपन	118.84	20.40
	पूंजी बाजार में कुल विगोपन	**221.87**	**193.88**

31.03.2020 को समाप्त वर्ष को ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश				

8.3 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

शून्य

S N	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
iv	Advances for any other purposes to the extent secured by the collat-eral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.00	50.20
v	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	29.21	54.00
vi	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/ bonds /debentures or other securities or on clean basis for meeting promot-er's contribution to the equity of new companies in anticipation of rais-ing resources	Nil	Nil
vii	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	Nil	Nil
viii	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of prima-ry issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
x	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregis-tered)	118.84	20.40
	Total Exposure to Capital Market	**221.87**	**193.88**

As on the year ended 31.03.2020, the details of Bank's direct investment in equity shares, on conver-sion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Mar-ket Exposure limits, is as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
	No. of accounts	Amount	No. of accounts	Amount
Investment in equity shares received / allotted on account of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from Capital Market Exposure limits				

8.3 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

NIL

8.4 अंतर-समूह विगोपन:

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है -

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2019-20	2018-19
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	1922.47	623.95
2	20 शीर्ष अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	1922.47	623.95
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	2.06%	0.66%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य	शून्य

8.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन:

(₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	यूएफसीई पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान	6.47	2.49
2	यूएफसीई पर धारित पूंजी	3.47	15.78

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

क) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु ₹ 10 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले पांच वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/ या प्राकृतिक रूप से संरक्षित मदों को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (वित्तीय संविदा (अर्थात वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित संविदा पर भी विचार किया जा सकता है, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करेंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो/ या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

ख) संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

ग) अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है।

8.4 Intra-Group Exposures:

The details of the intra-group exposures of the bank are as under;

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2019-20	2018-19
1	Total amount of intra-group exposures	1922.47	623.95
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	1922.47	623.95
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	2.06%	0.66%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regula-tory action thereon, if any	Nil	Nil

8.5 Unhedged Foreign Currency Exposure:

(₹ In Crore)

S N	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	Provisioning held on account of UFCE	6.47	2.49
2	Capital held on account of UFCE	3.47	15.78

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of expo-sure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

a) Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of ₹ 10 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effec-tive hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered natu-rally hedged if the offsetting exposure has the maturity/ cash flow within the same accounting year).

b) Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised vol-atilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

c) Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on be-half of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the bor-rower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

8.6 गैर जमानती अग्रिम:

दिनांक 31.03.2020 को गैर जमानती अग्रिमों में ₹ 1681.56 करोड़ (₹ 1095.87 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2020 को अनुमानित मूल्य ₹ 1782.43 करोड़ (₹ 2015.14 करोड़) है।

8.7 जोखिम श्रेणीवार देश विगोपन

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2020 को विगोपन (निवल)	31 मार्च 2020 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2019 को विगोपन (निवल)	31 मार्च 2019 को धारित प्रावधान
नगण्य जोखिम	563.98	0.00	668.25	0.00
कम जोखिम	235.79	0.00	249.43	0.00
साधारण जोखिम	10.65	0.00	11.02	0.00
साधारणतः कम जोखिम	16.31	0.00	20.81	0.00
साधारणतः उच्च जोखिम	2.26	0.00	14.76	0.00
उच्च जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
अति उच्च जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋणेतर जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**828.99**	**0.00**	**964.27**	**0.00**

8.8 प्रावधान कवरेज अनुपात:

दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-2010 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात (पीसीआर) का परिकलन किया है जो 83.97% है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2020 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है।

9 विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
आयकर हेतु प्रावधान	शून्य	शून्य

9.2 ला/हा खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	2952.94	7226.82
2	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	75.44	71.42
3	एएफएस/ एचएफटी में निवेश पर मूल्यह्रास	3.29	82.81
4	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	53.32	--
5	निवेश पर प्रावधान -द्वद्वंद्वल्र/ पुनर्संरचित	-	112.74
6	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	1.83
7	एनपीए डब्ल्यू/ ओ (नॉमिनल) के लिए प्रावधान	-	4.92
8	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान - नॉमिनल	-	5.04
9	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	1.07	2.98
10	आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान	-	1.98

8.6 Unsecured Advances:

Unsecured advances include ₹ 1681.56 crore (₹ 1095.87 crore) as on 31.03.2020 which is collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹ 1782.43 crore (₹ 2015.14 crore) as on 31.03.2020.

8.7 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2020	Provision held as at March 31, 2020	Exposure (net) as at March 31, 2019	Provision held as at March 31, 2019
Insignificant Risk	563.98	0.00	668.25	0.00
Low Risk	235.79	0.00	249.43	0.00
Moderate Risk	10.65	0.00	11.02	0.00
Moderately Low Risk	16.31	0.00	20.81	0.00
Moderately High Risk	2.26	0.00	14.76	0.00
High Risk	0.00	0.00	0.00	0.00
Very High Risk	0.00	0.00	0.00	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**828.99**	**0.00**	**964.27**	**0.00**

8.8 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1, 2009, which is 83.97%. This ratio has been calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2020.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Provision for Income Tax	Nil	Nil

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Ac-count

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	Provision towards NPA	2952.94	7226.82
2	Provisions for Standard Advances	75.44	71.42
3	Depreciation on investments in AFS/HFT	3.29	82.81
4	Provision for Non Performing Investment	53.32	--
5	Provision for Investment – CDR/ Restructure	-	112.74
6	Provisions for Standard Advances	-	1.83
7	Provision for NPA W/O (Nominal)	-	4.92
8	Provision for other Assets – Nominal	-	5.04
9	Provision for fraud	1.07	2.98
10	Provision for contingent liability	-	1.98

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
11	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं टीआईबीडी-एफआईटीएल/ ब्याज/ एसआर टीआईबीडी के लिए प्रावधान	64.13	50.19
	उप जोड़(क)	**3150.19**	**7560.73**
	घटायें : प्रतिलेखन/ समायोजन		
1	व्युत्पन्न पर प्रावधान	-	0.85
2	आस्थगित कर देयता/ आस्ति	649	345.44
3	पुनर्संरचित निवेश प्रावधान का प्रतिलेखन	1.66	0.00
4	अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान का प्रतिलेखन	-	181.54
5	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	37.07	48.96
6	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के लिए प्रावधान	3.98	2.44
	उप जोड़ (ख)	691.71	579.23
	कुल	**2458.48**	**6981.5**

9.3 स्थिर आस्तियां:

9.3.1 स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर वर्ष हेतु ₹ 106.14 करोड़ (₹ 131.24 करोड़) मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया। ₹ 106.14 (₹ 131.24) करोड़ की समतुल्य राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरण किया गया।

9.3.2 ₹ 6.54 करोड़ (₹ 6.54 करोड़) की लागत वाली 4(4) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों/ परिसरों के संबंध में हक विलेखों को कतिपय लंबित/ प्रलंबित औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अब तक निष्पादित/ पंजीकृत नहीं किया गया था।

9.3.3 पूंजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगतिधीन पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में ₹ 34.38 करोड़ (₹ 34.39 करोड़) में किदवई नगर, नई दिल्ली के बिल्डिंग का निर्माण शामिल है। यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान का काम पूरा करने के चरण से जुड़ा हुआ है। संपत्ति और भुगतान की शर्तों की प्रकृति के विचार को देखते हुए निर्माणाधीन संपत्ति के तहत पूंजी कार्य की प्रगति में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया गया है।

9.4 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई कालातीत गारंटियों की रकम ₹ 2712.21 करोड़ (₹ 1956.22 करोड़) शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है।

9.5 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताएं शून्य हैं। वर्ष 2004 में बैंक के आईपीओ से संबंधित शेयर आवेदन राशि के प्रति ₹ 43.45 लाख को अक्तूबर 2019 में आईईपीएफ में अंतरित किया गया था।

9.6 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है:

(₹ करोड़ में)

अ.क्र.	दंडों की प्रकृति / विवरण	राशि
1	भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड	शून्य
2	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत दंड	शून्य
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों पर लगाया गया दंड	2.02
4	अन्य	शून्य

S. N.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
11	Other Provisions and Contingencies TIBD-provision for FITL/interest/SR TIBD	64.13	50.19
	Sub-total (A)	**3150.19**	**7560.73**
	Less: Write back /adjustments		
1	Provision on Derivatives	-	0.85
2	Deferred Tax Assets/ Liability	649	345.44
3	Write back of Provision for restructured Investment	1.66	0.00
4	Write back of Provision for Non Performing Investment	-	181.54
5	Write back of Provisions for Restructured Advances	37.07	48.96
6	Provision for un-hedged foreign currency exposure	3.98	2.44
	Sub Total (B)	691.71	579.23
	Total	**2458.48**	**6981.5**

9.3 Fixed Assets:

9.3.1 Depreciation of ₹ 106.14 (₹ 131.24) crore for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to profit and loss account. Equivalent amount of ₹ 106.14 (₹ 131.24) crore has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

9.3.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crores (₹ 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

9.3.3 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets (Building) that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress (CWIP) amounting to ₹ 34.38 crore (₹ 34.39 crore) includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Con-sidering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction prop-erty is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

9.4 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to ₹ 2712.21 crore (₹ 1956.22 crore) which have not been cancelled because of pending completion formalities.

9.5 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 is NIL. ₹ 43.45 lacs towards share application mon-ey relating to Bank's IPO made in the year 2004 was transferred to IEPF in October 2019

9.6 During the Current Financial year following Penalties has been imposed:

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars/nature of penalties	Amount
1	Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007	Nil
2	Penalty under section 46(4) of the Banking Regulation Act,1949	Nil
3	Penalty levied by RBI on currency chests	2.02
4	Others	Nil

9.7 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सभी निपटाई गई ग्राहक शिकायतों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	145	388
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8740	8395
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	8589	8638
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	296	145

बैंक ने अब मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का कार्यान्वयन किया है जो शिकायत प्रबंधन के लिए एक समन्वित प्रणाली है। यह ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें शिकायत की स्थिति अद्यतन, ऑटो टाइम बाउंड एक्सेलेशन, रिपोर्टिंग इत्यादि जैसी विशेषताएं हैं।

9.8 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एटीएम संव्यवहारों के कारण निपटाई गई ग्राहक शिकायतों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	19	233
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3820	2939
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3640	3153
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	199	19

9.9 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.10 एटीएम संव्यवहारों के कारण बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.11 कॉर्पोरेट को व्यापार ऋण सुविधा के प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 16.47 के 11 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान ₹ शून्य के शून्य ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य के शून्य ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31 मार्च, 2020 को 11 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे। **चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी):**

9.7 The details of Customer complaints ALL dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	145	388
(b)	No. of complaints received during the year	8740	8395
(c)	No. of complaints redressed during the year	8589	8638
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	296	145

Now the bank has implemented Standardized Public Grievances Redress System (SPGRS), which is an integrated system for complaint management. It is an online portal for registering customer complaints with features like complaint status update, auto time bound escalation, re-porting etc.

9.8 The details of Customer complaints on account of ATM transactions dealt with by the Bank dur-ing the year are as under:

S. N.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	19	233
(b)	No. of complaints received during the year	3820	2939
(c)	No. of complaints redressed during the year	3640	3153
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	199	19

9.9 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under

S. N.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman dur-ing the year	0	0
(c)	No. of Awards implemented during the year.	0	0
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.10 The details of awards passed by the Banking Ombudsman on account of ATM transactions are as under:

S. N.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	0
(c)	No. of Awards implemented during the year.	0	0
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.11 Letter of Comfort (LOCs) issued by Bank for the purpose of Trade Credit Facility to cor-porate.

During the current year, 11 Trade credits amounting to ₹ 16.47 crores (Previous year Nil Trade Credits amounting to Nil) were sanctioned by the Bank and No Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st Mar 2020, 11 Trade Credits were outstanding as against Nil Trade Credits amounting to ₹ Nil for the year ended 31st March, 2019. **Letters of Comfort (LOCs):**

9.12 बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन ₹ 18.93 करोड़ (₹ 19.46 करोड़) की आय अर्जित की गई। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आय का स्वरूप	2019-20	2018-19
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	6.11	10.07
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	12.33	9.39
3	म्युच्युअल फंड उत्पाद विक्रय हेतु	0.49	1.75
	कुल	18.93	21.21

9.13 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ)

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	2019-20	2018-19
डीईएएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	262.68	230.89
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित रकम	175.33	35.13
घटाएं - डीईएएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	3.05	3.34
डीईएएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	434.96	262.68

9.14 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/ समाधान/ समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/ देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है :

10.1 लेखा मानक 3 - नकद प्रवाह विवरण

बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

10.2 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुध्द लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः वर्ष को दौरान उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया है।

10.3 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा नीतियों, आय की कुछ मदों की पहचान प्राप्ति/ नकदी आधार पर की जाती है।

10.4 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय ₹ 164.68 करोड़ (₹ 131.81 करोड़) रही।

10.5 लेखा मानक (एएस) -15 (संशोधित 2005) " कर्मचारी लाभ "

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
क) भविष्य निधि		0.47
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	11.66	0.00

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क) **पेंशन योजना -** यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना -** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति -** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह गैरनिधि योजना है।

9.12 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is ₹ 18.93 crore (₹ 19.46 crore).The details of Bancassurance income is as under:

(₹ in Crore)

S. N.	Nature of Income	2019-20	2018-19
1	For selling life insurance policies	6.11	10.07
2	For selling non-life insurance policies	12.33	9.39
3	For selling Mutual Fund & Others	0.49	1.75
	Total	**18.93**	**21.21**

9.13 Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening balance of amount transferred to DEAF	262.68	230.89
Add: Amount transferred to DEAF during the year	175.33	35.13
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	3.05	3.34
Closing balance of amount transferred to DEAF	434.96	262.68

9.14 Work is in progress for adjustment / reconciliation/elimination of inter-branch transactions, trans-actions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact there-of on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Ac-countants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 3- Cash Flow Statement

The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

10.2 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, **prior period items and changes in accounting policies**.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts during the year.

10.3 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, cer-tain items of income are recognized on realization/ cash basis.

10.4 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Netincome on account of exchange differences credit to in the Profit and Loss account for the year is ₹ 164.68 crore (₹ 131.81 crore).

10.5 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) - "Employee Benefits"

(A) Defined Contribution Plans:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
a) Provident Fund		0.47
b) Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	11.66	0.00

(B) Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan-** This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maxi-mum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences-**This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव: (₹ करोड़ में)
Change in the Present value of Defined Benefit Obligations: (₹ in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	5740.91	5290.29	535.52	579.71	279.00	289.16
2	ब्याज लागत Interest Cost	376.18	374.33	31.72	39.42	17.16	20.67
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	323.21	204.37	26.83	22.28	58.52	35.07
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(450.13)	(422.29)	(119.78)	(132.68)	(43.46)	(40.02)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	124.10	294.20	62.01	26.79	(38.82)	(25.88)
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	6114.27	5740.91	536.31	535.52	272.40	279.00

II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव: (₹ करोड़ में)
Change in the Fair Value of Plan Assets: (₹ in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	5724.33	5361.50	533.03	441.37
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	480.84	437.50	45.31	40.61
3	किया गया अंशदान Contributions made	282.85	350.32	102.00	181.50
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(450.13)	(422.29)	(119.78)	(132.68)
5	उपचित (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	(8.21)	(2.70)	(0.68)	2.23
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	6029.68	5724.33	559.88	533.03

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम (₹ करोड़ में)
Amount recognized in the Balance Sheet: (₹ in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	6114.27	5740.91	536.31	535.52	6650.58	6276.43	272.40	279.00
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(6029.68)	(5724.33)	(559.88)	(533.03)	(6589.56)	(6257.36)	0.00	0.00
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	84.59	16.58	(23.57)	2.49	61.02	19.07	272.40	279.00
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	84.59	16.58	(23.57)	2.49	61.02	19.07	272.40	279.00

IV. लाभ और हानि खाते में निर्धारित रकम:
Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

क्र. सं. SN	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	323.21	204.37	26.83	22.28	58.52	35.07
2	ब्याज लागत Interest Cost	376.18	374.33	31.72	39.42	17.16	20.67
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(480.84)	(437.50)	(45.31)	(40.61)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	132.31	296.90	62.69	24.56	(38.82)	(25.88)
5	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**निर्धारित व्यय** **Expense to be recognized**	**350.86**	**438.11**	**75.93**	**45.66**	**36.86**	**29.86**
7	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च** **Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost**	**350.86**	**438.11**	**75.93**	**45.66**	**36.86**	**29.86**

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान
Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

क्र. सं. SN	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	16.58	(71.21)	2.49	138.33	279.00	289.16
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	350.86	438.11	75.93	45.66	36.86	29.86
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/Benefits paid	(282.85)	(350.32)	(102.00)	(181.50)	(43.46)	(40.02)
4	**समापन निवल देयता** **Closing Net Liability**	**84.59**	**16.58**	**(23.57)**	**2.49**	**272.40**	**279.00**

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय
Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crores)

क्र. सं. SN	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	480.84	437.50	45.31	40.61
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	(8.21)	(2.70)	(0.68)	2.23
3	**योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय** **Actual return on plan assets**	**472.63**	**434.80**	**44.63**	**42.84**

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त) (₹ करोड़ में)
Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages) (₹ in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	भांजित दर Discount rate	6.50%	7.37%	6.67%	7.68%	6.67%	7.68%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.40%	8.16%	8.50%	9.20%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.2020	31.03.2019
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.46	0.20
2	छुट्टी किराया रियायत	7.21	14.85
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.14	0.06
	कुल	**7.81**	**15.11**

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in Crore)

S N	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2020	31.03.2019
1	Resettlement Allowance	0.46	0.20
2	Leave Fare Concession	7.21	14.85
3	Silver Jubilee Award	0.14	0.06
	Total	**7.81**	**15.11**

10.6 लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग
Accounting Standard 17- Segment Reporting

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है :
Bank has identified its primary reportable segments as under:

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र
Part A: Business segments

(₹ करोड़ में)
(₹ in crore)

व्यवसाय क्षेत्र > Business Segments >	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**
राजस्व Revenue	4984.18	4472.65	3702.54	3764.18	3825.10	3753.34	632.85	406.89	13144.67	12397.05
परिणाम Result	1260.03	1263.22	(1413.56)	(4919.49)	(265.02)	(1533.73)	158.13	60.68	(260.42)	(5129.32)
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									(260.42)	(5129.32)
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									(649.00)	(345.44)
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	—	—	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	—	—
निवल लाभ Net profit									388.58	(4783.88)
अन्य जानकारियां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	64498.34	62703.19	54698.89	51300.76	34620.44	33809.90	11446.15	12590.90	165263.82	160404.75
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									64498.34	62703.19
कुल आस्तियां Total assets									**64498.34**	**62703.19**
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	63594.78	61826.98	51836.70	49846.16	32725.61	32765.02	9954.81	14357.93	158111.90	158796.09
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									10755.28	5739.44
कुल देयताएं Total liabilities									**168867.18**	**164535.53**

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।

ख) संस्थागत /थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मो, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां

i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और

ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और

iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश ₹ 5.00 करोड़ तक है।

घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where

i) Total average annual turnover less than ₹ 50 crore and

ii) No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii) The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under seg-ments, specified above.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applica-ble.

10.7 लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

1. संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंधः
   - (क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
   - (ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
   - (ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक
   - 1) श्री ए. एस राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (01.12.2018 से अब तक)
   - 2) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (31.03.2017 से 30.03.2020 तक)
   - 3) श्री हेमन्त कुमार टम्टा, कार्यपालक निदेशक (31.12.2018 से अब तक)
   - 4) श्री नागेश्वर राव वाई, कार्यपालक निदेशक (31.03.2020 से अब तक)
   - 5) श्री वी. पी. श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी (10.04.2018 से अब तक)

   "सहयोगी प्रतिष्ठान" और "सहायक कंपनी" की श्रेणी में केवल एक ईकाई होने के कारण आरबीआई के परिपत्र दिनांक 01.07.2015 क्र. आरबीआई/2015-16/99 डीबीआर.बीपी.बीसी. क्र. 23/21.04.018/2015-16 के अनुसार केवल ''प्रमुख कार्मिक प्रबंधन'' के संबंध के लिए ही निम्नानुसार प्रकटीकरण किया गया है:-

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार - (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वेतन व भत्ते (परिलब्धियों सहित)	1.06	1.14
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण व अग्रिम (मंजूर सीमा)	1.38	2.18
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण व अग्रिम (बकाया शेष)	0.88	1.30
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की जमाराशि (बचत खाते)	0.10	0.38
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा जमाराशियों का नियोजन (मीयादी जमाराशियां)	1.33	0.37
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को चुकता ब्याज	0.03	0.04
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त ब्याज	0.04	0.05

10.8 लेखा मानक-19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर (देय राशियों का परिशोधन के पश्चात), जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि ₹ 152.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 143.43 करोड़) है।

10.9 लेखा मानक-20 --प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
मूल ई.पी.एस.	₹ 0.67	₹ (14.26)
अनुकृत ई.पी.एस.	₹ 0.67	₹ (14.26)
मूल / अनुकृत ई.पी.एस. की गणना		
क) कर उपरांत निवल लाभ (₹ लाख में)	38858	(478387.63)
ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	58165	33557
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन ढ(क) विभाजित (ख) द्वाराज	₹ 0.67	₹ (14.26)
घ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

10.7 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

1. Name of the Related Parties and their relationship:
   - (a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
   - (b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
   - (c) Key Management Personnel-
   - 1) Shri A S Rajeev, MD & CEO (from 01.12.2018 to till date)
   - 2) Shri A C Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to 30.03.2020).
   - 3) Shri Hemant Kumar Tamta, Executive Director(from 31.12.2018 till date)
   - 4) Shri Nageswara Rao Y, Executive Director (from 31.03.2020 to till date)
   - 5) Shri V P Srivastava, Chief Finance Officer (from 10.04.2018 to till date)

   As there is only one entity each in the category of 'Subsidiary' and 'Associates', disclosure is made only in respect of 'Key Management Personnel' as per details hereunder as per RBI Circular :- RBI/2015 -16/99 DBR.BP.BC No. 23/21.04.018/2015-16 dated 01.07.2015: -

2. Transactions with Related parties (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Salary & Allowances (including perquisites)	1.06	1.14
Loans & Advances to Key Management Personnel (Limit sanc-tioned)	1.38	2.18
Loans & Advances to Key Management Personnel (Outstanding Balance)	0.88	1.30
Deposits of Key Management Personnel (Saving accounts)	0.10	0.38
Placement of Deposits by Key Management Personnel (Term De-posits)	1.33	0.37
Interest paid to Key Management Personnel	0.03	0.04
Interest received from Key Management Personnel	0.04	0.05

10.8 Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to ₹ 152.65 crore for the year 2019-20 (Previous year ₹ 143.43 crore)

10.9 Accounting Standard 20- Earnings per Share

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Basic E.P.S.	₹ 0.67	₹ (14.26)
Diluted E.P.S.	₹ 0.67	₹ (14.26)
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (in Lakhs)	38858	(478387.63)
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Lakhs)	58165	33557
c) Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 0.67	₹ (14.26)
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.10 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

10.11 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण	929.79	1164.15
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	201.25	131.07
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	2279.72	1966.02
4) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	74.57	**37.14**
उप जोड़ (क)	**3485.33**	**3298.38**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	173.35	173.35
2) निवेश पर मूल्यह्रास के रूप में	0.00	162.64
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में	0.00	0.00
4) अन्य प्रावधान जहाँ डीटीएल तैयार किया गया	0.00	0.00
उप जोड (ख)	**173.35**	**335.99**
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	**3311.98**	**2962.39**

10.12 लेखा मानक 24 - परिचालनों का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा है और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.13 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि - 3 वर्ष
परिशोधन दर - 33.33%
परिशोधन पध्दति - लागत पर सरल रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	42.21	37.10
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	13.61	33.79
वर्ष के दौरान परिशोधन	31.81	28.68
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	24.01	42.21

10.14 लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

10.15 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रबंधन के मतानुसार, अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए ₹ 0.83 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

10.10 Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the par-ent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in com-pliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10.11 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

Based on the thorough review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized and accordingly during the year 2019-20, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	929.79	1164.15
2) On account of provisions for Employees benefits	201.25	131.07
3) Other Provisions where DTA is created	2279.72	1966.02
4) On account of depreciation on fixed assets	74.57	**37.14**
Sub-Total (A)	**3485.33**	**3298.38**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	173.35	173.35
2) On account of Depreciation on Investment	0.00	162.64
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00
4) Other Provisions where DTL is created	0.00	0.00
Sub-Total (B)	**173.35**	**335.99**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**3311.98**	**2962.39**

10.12 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2019-20, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no deci-sion has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.13 Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.
Amortization Rate - 33.33 %
Amortization Method - Straight line at cost

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Software at the beginning of the year	42.21	37.10
Software acquired during the year	13.61	33.79
Amortization during the year	31.81	28.68
Net carrying amount at the end of the year	24.01	42.21

10.14 Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is re-quired as per AS-28.

10.15 Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent As sets

In the opinion of the management, additional provision of ₹ 0.83 Crores has been made against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामले हेतु प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिति को प्रभारित की जानी है।

(₹ करोड़ में)

31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक (राशि)	31.03.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षिती को नामे परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि)
242	78	3348.29	176.02	3348.29	0

बैंक ने वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधड़ी के संबंध में ₹ 3348.29 करोड़ (₹ 1447.99 करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया है और वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधडियों के लिए कोई अपरिशोधित प्रावधान नहीं है।

12. वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के खिलाफ दावे

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2019-20	2018-19
बकाया राशि	1062.31	1559.64
धारित प्रावधान		1.33

13. बैंक द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के साथ सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के कार्यान्वयन की स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन के लिए तीन समितियां 1. स्टीयरिंग समिति, 2. कोर समिति, 3. कोर ग्रुप है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित कवरिंग पर कोर समूह और कोर समिति के सदस्यों की विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं:

(क) इंड-एएस के कार्यान्वयन में चुनौतियां, मुद्दे

(ख) इंड-एएस परिवेश के अंतर्गत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण

(ग) इंड-एएस अनुपालित सूचना और रिपोर्ट निर्मित करने के लिए सॉफ्टवेयर में किए जाने वाले तकनीक से संबंधित परिवर्तन

(घ) इंड-एएस के अंतर्गत तैयार वित्तीय विवरणों के प्रारूप का अनुमोदन तथा विमर्श

वित्तीय विवरणों के प्रारूप का अनुमोदन/ विमर्श के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान स्थायी समिति के सदस्यों की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

दिनांक 12/07/2019 के ई-मेल के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून, 2019 को समाप्त तिमाही से प्रत्येक तिमाही के लिए इंड-एएस वित्तीय विवरणों के प्रारूप को प्रस्तुत करने की सलाह दी है। तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित वित्तीय विवरणों के प्रारूप को तैयार और प्रस्तुत किया है -

(क) 01/04/2019 के संक्रमण तुलनपत्र के साथ जून, 2019 को समाप्त अवधि

(ख) सितंबर, 2019 को समाप्त अवधि

(ग) दिसंबर, 2019 को समाप्त अवधि

उपरोक्त वित्तीय विवरणों को बोर्ड की ऑडिट कमेटी तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रगति की स्थिति का मूल्यांकन बोर्ड की ऑडिट कमेटी को मासिक आधार पर तथा निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर किया गया है।

इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2019 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र.29/ 21.07.001/ 2019-20 के माध्यम से अगली सूचना तक इंड-एएस के कार्यान्वयन को आस्थगित किया है।

11 Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(₹ in crore)

Up to the year ended 31.03.2020 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2020 (No. of Cas-es)	Up to the year ended 31.03.2020 (Amount)	During the quarter end-ing 31.03.2020 (Amount)	Quantum of provision made during the year end-ed 31.03.2020 (Amount)	Quantum of amortised provision deb-ited to "Reve-nue Re-serves" as at the year end-ed 31.03.2020 (Amount)
242	78	3348.29	176.02	3348.29	0

During the year, the Bank has made full provision for the frauds of ₹ 3348.29 crore (₹ 1447.99) crore detected during the year and there is no un-amortised provision for frauds detected during the year.

12 Claims against the bank not acknowledged as debts as on Year End

(₹ in Crore)

Category	2019-20	2018-19
Balance Outstanding	1062.31	1559.64
Provision Held		1.33

13 Status of implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) converged with Indian Accounting Standards (Ind-AS) by Bank

As per RBI directives, Bank is having 3 committees 1. Steering Committee, 2. Core Committee, 3. Core Group for implementation of Ind-AS in Bank. During the financial year 2019-20, various meetings of members of Core Group and Core Committee have been held on following covering following –

a. Issues, challenges in implementation of Ind-AS,

b. Approaches and methodologies to be adopted under Ind-AS environment,

c. Technology related changes to be made in software in order to generate Ind-AS complied information and reports,

d. Discussion and approval of proforma financial statements prepared under Ind-AS

3 Meetings of Steering committee members have been held during the current year to discuss / approve proforma financial statements.

As per e-mail dated 12/07/2019 RBI has advised to submit proforma Ind-AS financial statements for every quarter starting from quarter ended June 2019 Accordingly Bank has prepared and submitted following proforma financial statements –

a. Period ended June 2019 along with transition balance sheet as on 01/04/2019

b. Period ended September 2019

c. Period ended December 2019

The above financial statements have been put up to Audit committee of the Board and Board of Directors for approval.

As per RBI guidelines, progress status has been appraised to the Audit committee of the Board on monthly basis and Board of Directors on quarterly basis.

Further, RBI vide Circular Number DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2019-20 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind-AS till further notice

14. इंट्रा-समूह विगोपन का विवरण (दिनांक 11 फरवरी, 2014 का भारतीय रिज़र्व बैंक का क्र.डीबी ओडी क्र.बीपी.बीसी6/21.06.102/2013-14)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
1	से उधारियां (यदि कोई हो)	0.00	0.00
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	शून्य	शून्य
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको)	शून्य	शून्य
2	को उधार (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	13.50	812.00
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको)	शून्य	शून्य
3	में निवेश (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	83.38	83 .38
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित)	73.27	73.27
ii.	बॉन्ड/ डिबेंचर	10 .11	10 .11
iii	कोई अन्य (उल्लेख करें)		
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको)	15	15
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित)	15	15

15. केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के लिए एएफएस पोर्टफोलियो में मूल्यह्रास हेतु एमटीएम हानियों के लिए प्रावधान के विवरण।

(₹ करोड़ में)

पोर्टफोलियो	विवरण	मूल्यह्रास के लिए एमटीएम हानियों हेतु प्रावधान
एएफएस	केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (ए बास्केट)	शून्य

16. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खरीदे गए प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के विवरण।

(₹ करोड़ में)

क्र.	पीएसएलसी की श्रेणी	2019-20
1	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)	शून्य

17. दिनांक 01.01.2019 के परिपत्र क्र. आरबीआई/ 2019-20/ 100 डीबीआर क्र.बीपी.बीसी18/ 21.04.048/ 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्संरचित खातों के विवरण

(₹ करोड़ में)

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि
3083	283.83

18. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध / पुनःवर्गीकृत किया गया।

14 Details of Intra-Group Exposure (RBI circular no. DB OD No. BP. BC 6/21.06.102/2013-14 dated 11th Feb 2014

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As of 31.03.2020	As of 31.03.2019
1	Borrowings from (if any)	0.00	0.00
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	NIL	NIL
b.	Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	NIL	NIL
2	Lending's to (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	13.50	812.00
b.	Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	NIL	NIL
3	Investment in (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	83.38	83 .38
i.	Equity (incl Preference shares)	73.27	73.27
ii.	Bonds /Debentures	10 .11	10 .11
iii	Any other (specify)		
b.	Maharashtra Executor Trustee& Co (METCO) (Lacs)	15	15
i.	Equity (incl Preference shares) (Lacs)	15	15

15. Details of Provision for MTM losses for depreciation in AFS portfolio for investment in Central and State Govt. Securities.

(₹ in Crore)

Portfolio	Particulars	Provision for MTM losses for depreciation
AFS	Central and State Govt. Securities (A Basket)	Nil

16. Details of Priority Sector lending Certificates (PSLCs) purchased during FY 2019-20

(₹ in Crore)

S. No	Category of PSLCs	2019-20
1	Priority Sector lending Certificates (PSLCs)	NIL

17. Details of accounts restructured during FY 2019-20 as per Circular No. RBI/2019-20/100 DBR No. BP. BC18/21.04.048/2019-20 dated 01.01.2019:

(₹ in Crore)

No. of Accounts restructured	Amount
3083	283.83

18. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

विवरण Particulars		31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2020		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.		11495,44,71		10849,60,26	
अन्य आय Other Income		1649,22,67	13144,67,38	1547,45,43	12397,05,69
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		7216,64,98		7116,11,61	
परिचालन व्यय Operating Expenses		3080,96,07		3083,32,88	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		2458,48,23	12756,09,28	6981,48,84	17180,93,33
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**388,58,10**		**-4783,87,64**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		2458,48,23		6981,48,84	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		210,94,81		241,36,51	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		-4,80,93		,6,96	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		264,27,17	2928,89,28	283,44,28	7506,36,59
			3317,47,38		2722,48,95
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			—		—
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	**(I)**		**3317,47,38**		**2722,48,95**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		9416,31,82		1668,90,94	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings		-6479,13,96		6285,45,66	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-2412,84,87		-6822,54,82	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities		**524,32,99**		**1131,81,78**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		-1956,20,02		16074,25,26	
अग्रिम Advances		4205,43,98		-3131,06,64	
अन्य आस्तियां Other Assets		889,68,59		1733,80,27	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		**3138,92,55**		**14676,98,89**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	**(II)**		**-2614,59,56**		**-13545,17,11**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	**(क (A) = I+II)**		**702,87,82**		**-10822,68,16**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		14,33,68		6,80,51	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-123,57,95		-132,73,90	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	**(ख) (B)**		**-109,24,28**		**-125,93,39**

ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
C. Cash Flow From Financing Activities:				
i) बांडो को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		—	-200,00,00	
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		—	—	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		—	—	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-264,27,17	-283,44,28	
v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना / (शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares /(Share Apllication Money)		962,70,00	4703,00,00	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) **Cash Flow From Financing Activities (C)**			**698,42,83**	**4219,55,72**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह **Total Cash Flow During The Year**	**(क+ख+ग)** **(A+B+C)**		**1292,06,38**	**-6729,05,83**

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष** **Year Ended 31-03-2020**	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष** Year Ended 31-03-2019
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य		
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष		
Cash & Balance with RBI	**7919,98,63**	15809,06,25
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन	**1234,91,70**	74,89,91
Balances with Banks & Money at Call & Short notice		
	9154,90,33	**15883,96,16**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य		
Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष		
Cash & Balances with RBI	**10353,68,49**	7919,98,63
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन	**93,28,22**	1234,91,70
Balance with banks & money at call & Short notice		
	10446,96,71	**9154,90,33**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**1292,06,38**	**-6729,05,83**

सुधीर डी. बाजपेई उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा **SUDHIR D. BAJPAI** Dy. Gen. Manager, FM&A	**वी. पी. श्रीवास्तव** महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा और मुविअ **V. P. SRIVASTAVA** GENERAL MANAGER, FM&A & CFO	**हेमन्त टम्टा** कार्यपालक निदेशक **HEMANT TAMTA** EXECUTIVE DIRECTOR	**नागेश्वर राव वाई.** कार्यपालक निदेशक **NAGESWARA RAO Y.** EXECUTIVE DIRECTOR	**ए. एस. राजीव** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ **A. S. RAJEEV** MANAGING DIRECTOR & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी एफआरएन:005301एन सनदी लेखाकार **for M/s. M. D. Gujrati & Co.** FRN: 005301N Chartered Accountants	**कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी** एफआरएन: 000956एस सनदी लेखाकार **for M/s. K Gopal Rao & Co** FRN: 000956S Chartered Accountants	**कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित** एफआरएन: 101048 डब्ल्यू सनदी लेखाकार **for M/s. Batliboi & Purohit** FRN: 101048W Chartered Accountants	**कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन** एफआरएन: 000003एस सनदी लेखाकार **for M/s. Abarna & Ananthan** FRN: 000003S Chartered Accountants
सीए मनोहर दास गुजराती भागीदार सदस्यता क्र.: 081552 **CA Manohar Das Gujrati** Partner Membership No: 081552	**सीए मदन गोपाल नारायणन** भागीदार सदस्यता क्र.: 211784 **CA Madan Gopal Narayanan** Partner Membership No. 211784	**सीए रमन हंगेकर** भागीदार सदस्यता क्र.: 030615 **CA Raman Hangekar** Partner Membership No: 030615	**सीए एस. अनंथन** भागीदार सदस्यता क्र.: 026379 **CA S Ananthan** Partner Membership No: 026379

स्थान : पुणे
दिनांक : 16, जून 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी सनदी लेखाकार कृष्णाश्रय, जे - 8 (जीएफ) ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 016.	**मेसर्स के गोपाल राव एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 21, मूसा स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नै - 600 017.
मेसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित 204, नैशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001.	**मेसर्स अबर्णा एंड अनंथन** 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरू - 560 085.

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति एवं ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र'' के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (''बैंक'') के एकल वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण एवं लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां शामिल हैं, इसमें उसी दिनांक को संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 921 शाखाओं, हमारे द्वारा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग और 20 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार किया है। साथ ही, तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में 908 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 9.86%, जमाराशियों में 26.35%, ब्याज आय में 26.65% तथा ब्याज व्यय में 25.41% हिस्सा है।

2. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (''अधिनियम''), भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्रदान करता है तथा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा निम्नानुसार है:

   क. तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2020 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है;

   ख. लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और

   ग. नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र हैं तथा हमने आचार संहिता और इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

M/s. M. D. Gujrati & Co. Chartered Accountants, Krishnashraya, J-8 (GF), Green Park Extension,New Delhi-110016.	**M/s. K. Gopal Rao & Co.** Chartered Accountants, 21, Moosa Street, T Nagar, Chennai- 600 017.
M/s. Batliboi & Purohit 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.	**M/s. Abarna & Ananthan** 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.

To,

The President of India and Members of
"BANK OF MAHARASHTRA"

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone financial statements of Bank of Maharashtra ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31st 2020, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to Standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and Treasury and International Banking Division audited by us, and 921 branches audited by statutory branch auditors of the Bank. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI) vide notification issued by RBI dated April 17th, 2020. Also included in the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 908 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.86% of advances, 26.35% of deposits, 26.65% of interest income and 25.41% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act"), the requirements of the Reserve Bank of India, in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a. in case of Balance Sheet, read with the notes thereon gives true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;

   b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March 2020 and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March 2020.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are

नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले कर ज़ोर

4. दुनिया भर में कोविड 19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में, यद्यपि चुनौतियां सामने आती रहती हैं, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र उससे निपटने के लिए सभी मोर्चों पर तत्पर है। स्थितियां अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और नकदी प्रवाह को कम करने से उत्पन्न होंगी।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

5. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उसपर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन:** (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2020 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.86,871.65 करोड़ का शुद्ध अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। कोविड 19 विनियामक पैकेज पर आईआरएसी मानदंडों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के दिशानिर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं। अग्रिमों से आय, कुल आय का 48.76% बनाती है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु.2952.94 करोड़ है जो कुल व्यय का 23.15% बनाता है। आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है।	हमने सिस्टम, आवेदन, अनुमोदन के ऊपर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्थ खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है। हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि

relevant to our audit of the Standalone financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statement.

Emphasis of Matter

4. The spread of COVID 19 across the globe has resulted in decline in economic activity and increase in volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, Bank of Maharashtra gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. Major challenges for Bank of Maharashtra would arise from extended working capital cycle and waning cash flows.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone financial statements of the year ended 31st March, 2020. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below as Key Audit Matters to be communicated in our report:

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	**Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:** (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Standalone Financial Statements) The Banks portfolio comprises of Net Advances of Rs. 86,871.65 Crores as at 31st March 2020 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, guidelines on COVID 19 regulatory package dated March 27, 2020 and April 17, 2020 issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines. Income from Advances constitutes 48.76% of Total Income. The provision in respect of Nonperforming Asset is Rs. 2952.94 Crores which constitutes 23.15% of the total expenditure. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed.	We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports. We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines. We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एक्सपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बट्टे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित ढंग से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं।	उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरियों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है। संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए। हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेंग रिपोर्ट सहित संपार्श्विक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक फ्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया है और बैंक की ऋण नीतियों, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है। हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइक्ल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियामक

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially misstated. Hence we consider this as a Key Audit Matter.	Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls. We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies. We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning of such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retails loans which effectively monitors, control, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio. We have reviewed the Banks process for granting moratorium to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. With respect

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के संबंध में, हमने प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन जैसा कि प्रभाव की सीमा भविष्य की स्थिति पर निर्भर है और उसमें काफी अनिश्चितताएं हैं, हमने मुख्य रूप से उन मान्यताओं और अनुमानों पर विश्वास किया है, जो बैंक की आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है। हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है।
2.	निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण: (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) खरीद के समय निवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक के निवेश से आय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुल आय का 31.97% शामिल है जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं जिन्हें हमने इस पहलू को मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में पहचाना है।	हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं। हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/ प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है। हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया। प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		additional provision made by the Bank on account of the impact of COVID 19 pandemic, we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for the same but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars. We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications.
2.	**Classification and Valuation of Investments:** (Refer Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policy to the Standalone Financial Statement) Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines. Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having a overall significance to the financial results of the Bank. Income from Investment of the Bank comprises 31.97% of the total income in view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter.	We have tested the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls. We have examined the investment agreement/ term sheet entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments. Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यह्रास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/ मूल धन के रूपांतरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जाँच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा नमूने आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया। हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात ज्यूंजीगत आरक्षित खातेट को विनियोजित किया गया। हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यह्रास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि नोटों से खातों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा : बैंकों का प्रमुख व्यावसायिक उद्देश्य स्वचालन और एप्लीकेशन हैं जो बैंकिंग व्यवसाय के प्रति महत्वपूर्ण है तथा व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के	सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाती है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank. We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. We have reviewed the application/ conversion of interest/ principle towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank. We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain/loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit/debit in the profit and loss account. We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase/ sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit/ loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account. We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts.
3.	**Information Technology Systems and Control Framework:** The Banks key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high	Information technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	लिए एक मुख्य आधार के रूप में बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके माध्यम से व्यवसाय संचालन की उच्च मात्रा के समर्थन हेतु जटिल सूचना प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर से मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन का निर्धारण किया जाता है। आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यावसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता प्रदर्शन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है। हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मानते हैं।	विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है। हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की दिशा में है। हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावेजीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुनः प्रदर्शन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया। हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रोद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद प्रयोग की मैपिंग को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया। हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है। हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाइंट सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective. The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes. We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter.	We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations. We have adopted various techniques such as enquiry; review of documentation, record, reports, observation, and reperformance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique. We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology. We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP. We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management through certain data drill conducted by us and comparing the required results.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमारे द्वारा हाल ही में कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के प्रभाव के बाद स्थिरता तथा वृद्धि हेतु बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया। हमने अधिक समग्र, व्यापक तरीके से सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं।
4.	**प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :** अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 की नोट क्र.10 और अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र.10.5) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय / कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
5.	**कोविड-19 प्रकोप के आलोक में अपनाई गई संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि:** कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा हमारे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लगाए गए राष्ट्रव्यापी बंद और यात्रा प्रतिबंधों के फलस्वरूप भौतिक रूप	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक और आईसीएआई ने क्रमशः दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए, जिसके आधार पर हमने लेखापरीक्षा राय बनाने और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि संपादित की। संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को पूरा करने के लिए बैंक ने लेखापरीक्षा के

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of recent COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth post COVID 19. We have tested risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way, ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective.
4.	**Provisions and Contingent Liability:** Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 10.5 of Schedule 18) There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. Understanding the current status of the litigations/tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon; Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal/tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements/ interpretation of law involved.
5.	**Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak**: In view of the COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit and the RBI issued directions to Bank	Due to the COVID-19 Pandemic, RBI and ICAI issued guidelines and advisory respectively, based on which we carried out modified audit procedures to obtain reasonable assurance to form an audit opinionTo carry out modified audit procedure, the Bank has made available to us a customized intranet portal named "Statutory Audit

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	से शाखा को भेंट देना संभव नहीं था। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को लेखापरीक्षा अन्य स्थान से करने के निर्देश जारी किए गए। परिणामस्वरूप बैंक की कई शाखाओं/ अंचल के परिसर को भेंट देकर लेखापरीक्षा संपन्न नहीं की जा सकी। चूंकि हम व्यक्तिगत / भौतिक रूप से लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकें और शाखाओं/ अंचल/ कॉरपोरेट कार्यालय के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकी। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि को अन्य स्थानों से करने के लिए संशोधित किया गया। हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि की पहचान प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।	लिए आवश्यक रिपोर्टों और दस्तावेजों को देखने के लिए बैंक के नेटवर्क पर हमें ठस्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्टड नामक एक कस्टमाईज्ड इंट्रानेट पोर्टल उपलब्ध कराया है। हमारे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल है ; 1. कोविड-19 के कारण जहां भौतिक रुप से जाना निषिद्ध था, बैंक की उन शाखाओं / अंचलों के संबंध में रिमोट एक्सेस/ ईमेल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेजों/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया गया। 2. दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां, विलेख, प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया किया गया और प्रतियां प्राप्त की गई। 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवादों और फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूछताछ की गई। 4. हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान पदनामित पदाधिकारियों के साथ आमने-सामने की चचर्चा के बजाय टेलीफोन/ ईमेल के माध्यम से किया गया।

अन्य मामले

6. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 921 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 को रु.98095.49 की कुल आस्तियां दर्शाती है और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.5686.07 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं को सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में अब तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 908 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 को कुल रु.36397.23 करोड़ की संपत्ति को दर्शाते हैं और प्रबंधन द्वारा विचार किए गए एकल वित्तीय विवरणों में मान्यता अनुसार उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.1994.31 करोड़ दर्शाते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

7. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के तहत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	to facilitate carrying out audit remotely as physical access was prohibited, therefore audit could not be conducted by visiting the premises of many Branches/ Zone of the bank. As we could not obtain audit evidence in person/ physically and personal interactions with the officials at the Branches/Zone /Corporate Office, accordingly our Audit procedures were modified to carry out the Audit remotely. We have identified such modified Audit Procedure as Key Audit Matter.	Reports" hosted on Bank's network enabling us to access reports and documents we sought necessary for the purpose of Audit. Our modified audit procedure include; 1. Conducted verification of necessary records/ documents/CBS and other application software electronically through remote access/emails in respect of some of the Branches/zones of the Bank wherever physical access was prohibited due to COVID-19. 2. Obtained and carried out verification of scanned copies of documents, deeds, certificates, and other related records. 3. Made enquiries to obtain necessary audit evidence through video conferencing, dialogues, and discussions over phone calls/ conference calls, emails, and similar communication channels. 4. Resolved our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Other Matter

6. We did not audit the financial statements / information of 921 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 98095.49 crores as at 31st March 2020 and total revenue of Rs. 5686.07 crores or the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the Statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Statutory branch auditors. Further we did not audit the financial statement of 908 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of Rs. 36397.23 Crores as at 31st March 2020 and total revenue of Rs. 1994.31 Crores for the year ended on that date as consider in the standalone financial Statement have been drawn by the management.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

7. The Bank's Board of Director is responsible for other information. The other information comprises the information other than Standalone Financial Statement and our Auditors' Report

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट ठअभिशासन हेतु प्रभारितड को करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

8. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय एकल विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (''RBI'') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो बैंक का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्तः

thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosure.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure we do not express any form of assurance conclusion thereon

In connection with our Audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matters to 'Those charged with Governance'.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

8. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so .

The respective Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's Financial Reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं हैं।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।

- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों के साथ संवाद करते हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंधित हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे किसी मामले

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Bank's Internal Control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse

को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त परिच्छेद 6 तथा 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ख) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और

ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

12. **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि**

क) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु उचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई है।

ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है और

घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

13. ठसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वड पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओए.एआरजी. क्र..6270/08.91.001/ 2019-20 और उसके बाद के दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित की आवश्यकताओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

ख) वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) 31 मार्च, 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2020 तक किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by sub section 3 of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. **We further report that:**

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

घ) खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) चूंकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से ठवित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणोंड लागू करने के विकल्प का उपयोग किया है जैसा कि आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है, हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं देते हैं।

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI, we do not provide any comment in this regard.

कृते मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:005301एन
for M/s. M. D. Gujrati & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005301N

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000956एस
for M/s. K Gopal Rao & Co
Chartered Accountants
FRN: 000956S

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
for M/s. Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000003एस
for M/s. Abarna & Ananthan
Chartered Accountants
FRN: 000003S

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Partner
Membership No: 081552
UDIN: 20081552AAAAAW7731

सीए मदन गोपाल नारायणन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 211784
CA Madan Gopal Narayanan
Partner
Membership No. 211784
UDIN: 20211784AAAAND6239

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615
UDIN: 20030615AAAACJ6652

सीए एस. अनंथन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 026379
CA S Ananthan
Partner
Membership No: 026379
UDIN: 20026379AAAAAG5152

स्थान : पुणे
दिनांक : 16 जून, 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

बेसल III - 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु पिलर 3 प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से लागू बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक रूप से संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतर्गत 0.625% के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण अवधि को एक वर्ष से अर्थात् 30 सितंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन अर्थात 31 मार्च, 2020, पर न्यूनतम पूंजी, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की 11.50% होगी, न्यूनतम सामान्य इक्विटि टियर-1 अनुपात 8.00% होगा और न्यूनतम इक्विटि टियर-1 अनुपात 9.50% होगा. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकता 7.375% की न्यूनतम सीईटी-1 (सीसीबी सहित) के साथ 10.875% है।

बेसल III ढांचे में तीन आपसी सुदृढ़ पिलर्स शामिल हैं -

(i) पिलर 1: न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)

(ii) पिलर 2: पर्यवेक्षकीय समीक्षा और मूल्यांकन (Evaluation) प्रकिया

(iii) पिलर 3: बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (पिलर 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं. ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं.

सारणी डीएफ-1 : अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(i) गुणात्मक प्रकटन :

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines initially provided a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. RBI has extended the transition period for implementing the last tranche of 0.625% under the Capital Conservation Buffer (CCB) up to September 30, 2020. Upon full implementation Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio would be 8.00% and minimum Tier 1 ratio would be 9.50%. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended 31st March 2020 is 10.875% with minimum CET 1 (incl. CCB) of 7.375%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

(i) Pillar 1: Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)

(ii) Pillar 2: Supervisory Review and Evaluation Process

(iii) Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

TABLE DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of head of the banking group to which framework applies: **BANK OF MAHARASHTRA**

(i) Qualitative Disclosures:

संस्था का नाम / निगमन देश Name of entity/ Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in method of consolidation	यदि समेकन की केवल एक व्याप्ति के अंतर्गत समेकित की गई है तो समेकन के कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) / इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	चूंकि यह संस्था बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है. बैंक की सीईटी1 पूंजी से पूंजी निवेश घटाया है. Entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation Capital Investment is deducted from CET1 capital of Bank.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)/ इंडिया Maharashtra Gramin Bank (MGB)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है. अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है. निवेश 250% जोखिम भारित है Entity is RRB, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%.

क. समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाईयों की सूची

1. दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)
2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

1. The Maharashtra Executors & Trustee Company Private Limited (METCO)
2. Maharashtra Gramin Bank (MGB)

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था की पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य NIL					

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

ग) समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

(ii) Quantitative Disclosures

c. List of group entities considered for consolidation (accounting)

(राशि ₹ मिलियन में) (Amount in ₹ million)

संस्था का नाम/निगमन का देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)/ इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारिता Trusteeship	51.46 (बीओएम शेयर 100%) (BOM share 100%)	181.32
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)/India	बैंकिंग Banking	4820.06 (बीओएम शेयर 35%) (BOM share 35%)	125002.64

घ) सभी अनुषंगी कंपनियों, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी कमी की राशि अर्थात, जिनकी कटौति की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी में कोई पूंजी कमी नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2020 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु शामिल नहीं किया गया है,

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of Bank which is not included in regulatory scope of consolidation as of March 31, 2020.

ङ) बीमा इकाईयां, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम / निगमन देश Name of the insurance entity/ Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	वोटिंग अधिकार के अनुपात में/ कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	पूर्ण कटौति पद्धति विरुद्ध जोखिम भारित पद्धति का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
बैंक की बीमा व्यवसाय वाली कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.				

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनांक 31 मार्च, 2020 को कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2020.

सारणी डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा के संबंध में इसकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने की रणनीति बैंक के पास है. इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय में अन्तर्निहित समग्र जोखिमों को वहन करने हेतु बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है. बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंधन करता है.

संगठनात्मक ढांचा:

बैंक के पूंजी प्रबंधन का प्रशासन समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में किया जाता है. बैंक ने मार्गदर्शन देने तथा तिमाही आधार पर पूंजी स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु पूंजी आयोजना समिति भी गठित की है.

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकन:

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाब परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल है, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है. व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में बैंक के समक्ष आने वाले समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं अभिनिर्धारण के पश्चात दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है, जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होता है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होता है:

• तरलता जोखिम	• आईआरआरबीबी
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम	• ऋण जोखिम प्रशमन के संपार्श्विक मूल्य में कमी का जोखिम
• ऋण संकेन्द्रण जोखिम	• निपटान जोखिम
• प्रतिष्ठा-संबंधी जोखिम	• मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम
• रणनीतिक जोखिम	• विधिक जोखिम
• सूप्रौ जोखिम	• समूह जोखिम
• पेंशन दायित्व	• देशीय जोखिम
• अनुपालन जोखिम	• प्रतिभूतिकरण जोखिम
• मॉडल जोखिम	• पूंजी जोखिम

बैंक ने सूप्रौ जोखिम, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम और रणनीतिक जोखिम के लिए स्कोरकार्ड का कार्यान्वयन किया है. बैंक द्वारा आवधिक रूप से इसके दबाब जांच का मूल्यांकन एवं निर्धारण एक प्रयास के रुप में यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि दबाब परिदृश्य व्यापक जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ संभावित चरम बाजार संचलन, जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरुप उत्पन्न हो सकता है, को प्रदर्शित करता है. पूंजी आयोजना के उद्देश्य से बैंक की व्यवसाय आयोजना के अनुरूप दबाब जांच की जाती है.

निगरानी एवं रिपोर्टिंग :

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक के पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है. पूंजी पर्याप्तता स्थिति और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण और पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बेसल III के विभिन्न पहलुओं का निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर मूल्यांकन किया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन

ख. पूंजी आवश्यकता

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है. ऋण, बाजार

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

Capital Management is administered by Financial Management and Accounts Department in co-ordination with Integrated Risk Management Department under the supervision of Board of Directors. Bank has also formed Capital Planning Committee to provide guidance and assess the capital position on quarterly basis.

Internal Assessment of Capital:

Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines adequate level of capitalisation for Bank to meet regulatory norms and current and future business need, including under stressed scenarios. ICAAP encompasses capital planning for two years time horizon, after identification and evaluation of significance of all risks that Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. Bank considers following Pillar II risks it is exposed to in the normal course of its business and considers them for capital planning:

• Liquidity Risk	• IRRBB
• Risk of under-estimation of credit risk under standardized Approach	• Risk of decline in collateral values of Credit Risk Mitigants
• Credit Concentration Risk	• Settlement Risk
• Reputational Risk	• Currency Induced credit Risk
• Strategic Risk	• Legal Risk
• IT Risk	• Group Risk
• Pension Obligation	• Country Risk
• Compliance Risk	• Securitization Risk
• Model Risk	• Capital Risk

Bank has implemented the scorecard for IT Risk, Reputational Risk and Strategic Risk. Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. Stress tests are used in conjunction with Bank's business plans for the purpose of capital planning.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of the Bank monitors capital adequacy levels of Bank. An analysis of the capital adequacy position and risk weighted assets and an assessment of various aspects of Basel III on capital and risk management are undertaken by Board on a quarterly basis

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for

और परिचालनगत जोखिमों के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित की जाने वाली अपेक्षित न्यूनतम पूंजी 7.375% की न्यूनतम सीईटी-1 (सीसीबी सहित) के साथ 10.875% है, जो निम्नानुसार है:

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि
(क)	**ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी**		
(i)	मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग	93085.65	
(ii)	प्रतिभूतिकरण विगोपन के लिए	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		**93085.65**
(ख)	**बाजार जोखिम**		
(i)	ब्याज दर जोखिम	3707.47	
(ii)	इक्विटी जोखिम	881.73	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		**4589.20**
(ग)	**परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**		
	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत	**7473.19**	
	मानक दृष्टिकोण के तहत (समानांतर)	**7368.74**	
(घ)	**पूंजी अनुपात**		**स्टैंडअलोन (% में)**
	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)		**10.666%**
	टीयर I पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)		**10.666%**
	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सीसीबी सहित		**13.516%**

(* भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की प्राप्ति हेतु बाजार और परिचालन जोखिम पूंजीगत शुल्क का 12.50% की दर से आरएडब्लूए में अंतरण किया जाता है। डीएफ 7 और डीएफ 8 में विवरण)

सारणी डीएफ-3 : ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आई कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं के रूप में ऋण जोखिम परिभाषित है. बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण सीधे चूक से हानि उत्पन्न होती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना है. बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं. बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए निदेशक मंडल ने समितियां गठित की हैं. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने हेतु उत्तरदायी है. इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के साथ समन्वय करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है.

Operational Risk. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended March 31, 2020 is 10.875% with minimum CET 1 (incl. CCB) of 7.375% for credit, market and operational risks is given below:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	**Capital Required for Credit Risk**		
(i)	Portfolios subject to Standardized Approach	93085.65	
(ii)	For Securitization Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		**93085.65**
(B)	**Market Risk**		
(i)	Interest Rate Risk	3707.47	
(ii)	Equity Risk	881.73	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii)		**4589.20**
(C)	**Capital Charge for Operational Risk**		
	As per Basic Indicator Approach (BIA)	**7473.19**	
	Under The Standardized Approach (Parallel run)	**7368.74**	
(D)	**Capital Ratios**		**Standalone (In %)**
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		**10.666%**
	Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		**10.666%**
	Total Capital Ratio(CRAR) – Including CCB		**13.516%**

(*For market and operational risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines. Details in DF7 and DF 8)

TABLE DF-3: CREDIT RISK - GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as possibility of losses associated with diminution in credit quality of borrowers or counterparties. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

Bank has comprehensive credit risk management architecture. Board of Directors of Bank endorses its Credit Risk strategy and approves credit risk policies. The Board has formed committees to oversee risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across Bank and providing recommendations to RMC.

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है. जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है. उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, प्रतियोगिता, बाजार परिदृश्य और लाभप्रदता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

i) ऋण नीति
ii) ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
iii) ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
iv) निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति
v) रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति
vi) बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति

ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं, जिनकी सहायता से बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम और उसकी मात्रा का निर्धारण, अभिनिर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है. नीतियों में विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया गया है. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति, बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग हैं.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : ऋण प्रदान करने के एकरूप मानक, ऑफ बैलेन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु बैंक की अपनी अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में लागू और विद्यमान हैं.

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं. विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है.

ऋण अनुमोदन समिति : अति विस्तृत शाखाओं/ अंचल कार्यालयों / प्रधान कार्यालय में संवर्धन या बिना संवर्धन के नए/ वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियों का गठन किया गया है. विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैंक ने अंचल स्तर पर केंद्रीयकृत प्रसंस्करण कक्ष भी स्थापित किए है.

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है. उच्च मूल्य के ऋणों के संबंध में, समिति दृष्टिकोण को अपनाया गया है.

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर के जोखिमों के सतत परिमापण एवं निगरानी के जरिये करता है. बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना (सीआरआरएफ) और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं. ऋण जोखिम रेटिंग से बैंक को किसी ऋण प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के सटीक निर्धारण और बैंक के ऋण जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है. यह ऋण सुविधाओं के लिए जोखिम आधारित समझौताकारी तालमेल के अनुसार जोखिम मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है.

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है. हर उधारकर्ता की रेटिंग की वर्ष में

Policy & Strategy

Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and strategy of Bank are decided taking into account profit considerations, level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

Bank has put in place following policies approved by Board.

i) Loan Policy
ii) Credit Risk Management Policy
iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
iv) Investment Management Policy and Investment Risk Management Policy
v) Policy for Exposure to Real Estate
vi) Policy for Issuance of Bank Guarantees

Loan Policy, Credit Risk Management Policy defines organizational structure, role and responsibilities and, processes and tools whereby credit risks carried by Bank can be identified, quantified and managed within framework that Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy and Investment Risk Management Policy, Policy on Exposure to Real Estate and Policy for issuance of Bank Guarantee forms an integral part of credit risk management.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored on a quarterly basis.

Credit Approval Committees: Credit Approval committees have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. Bank has also setup centralized processing cells at zonal level for considering credit proposals above specified limit.

Sanctioning Powers: Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. Bank has in place an internal Credit Risk Rating Framework (CRRF) and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables Bank to accurately assess risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject proposal based on risk appetite of Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off.

As a measure of robust credit risk management practices, Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every

कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है. ऋण जोखिम रेटिंग को एक संकल्पना के रूप में बैंक में भली-भांति रूप से आत्मसात किया गया है.

ऋण पुनरीक्षण तंत्र - बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं -

i) बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण निर्णय करना सुनिश्चित करना.

ii) मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना.

iii) सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.

iv) आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.

v) बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय-समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित की गई हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय-समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण के सतत नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है बैंक ऋणों और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/ सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु ''अनियमित'' रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के संबंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के संबंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के संबंध में) अतिदेय रही हो.
- व्युत्पन्न संव्यवहार के संबंध में यदि अतिदेय प्राप्तियां व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार हेतु चिन्हित मूल्य को प्रदर्शित करती है, भुगतान के निर्धारित अंतिम दिनांक से 90 दिनों की अवधि के लिए अदत्त शेष रहती है.
- अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.

अनियमित स्थिति : एक खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब खाते में बकाया शेष लगातार मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से अधिक बना रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूरी सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को ''अनियमित'' माना जाएगा.

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक हेतु देय कोई भी राशि अतिदेय होती है, यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत दिनांक पर न किया जाए.

borrower is reviewed at least once in a year. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in Bank.

Loan review Mechanism: Objectives of Loan Review Mechanism are:

i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with Bank's Loan Policy and delegated lending powers.

ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by Bank are adhered to.

iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.

iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favorable impact on profitability of Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.

v) To assess health of credit portfolio of Bank and to apprise Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit is in place.

Loans past due and Impaired:

Regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning. Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- Account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC) for 90 days or more
- Bill remains overdue for a period of more than 90 days in case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- In respect of derivative transaction, if the overdue receivable representing positive mark-to-market value of a derivative contract, remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit/drawing power. In cases where outstanding balance in the principal operating account is less than sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on date of Balance Sheet or credits are not enough to cover interest debited during same period, these accounts are also treated as **'out of order'**.

Overdue: Any amount due to Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on due date fixed by Bank.

मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और जीवन बीमा पॉलिसियों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो. अतिदेय किन्तु केन्द्र सरकार गारंटियों द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब लागू करते समय सरकार अपनी गारंटी का परित्याग करे। राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए अग्रिमों और निवेशों पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/ या मूल धन अथवा बैंक हेतु देय की अन्य राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है।

बैंक एनपीए के अभिनिर्धारण और दबावग्रस्त आस्तियों के रिजॉल्यूशन के साथ-साथ पुनर्गठित ऋणों का वर्गीकरण और कोटिउन्नयन के लिए मौजूदा आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करता है।

बैंक ने 27 मार्च, 2020 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार कुछ उधारकर्ताओं के मामले में मूलधन और / या ब्याज के भुगतान के प्रति अधिस्थगन दी है। बैंक ऐसे ऋणों पर सामान्य प्रावधान करता है जो आरबीआई परिपत्र में निर्धारित आवश्यकताओं की तुलना में बराबर या उससे अधिक दरों पर होते हैं।

27 मार्च, 2020 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, उधारकर्ताओं को दी गई अधिस्थगन अवधि को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए देय-पश्चात दिनों / आउट-ऑफ-ऑर्डर स्थिति की संख्या के निर्धारण से बाहर रखा गया है। उधारकर्ताओं को दी गई अधिस्थगन अवधि को ऋण के पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाता है।

मात्रात्मक प्रकटन:

1. कुल सकल ऋण विगोपन

(राशि ₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2020
निधिक	1142430.70
गैर-निधिक	136423.50

2. ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण:

(राशि ₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2020	
	समुद्रपारीय	घरेलू
निधिक	शून्य	1142430.70
गैर-निधिक	शून्य	136423.50

3. उद्योगवार वितरण

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.1	**खनन व उत्खनन (कोयला सहित)**		**3717.90**		**212.70**
3.2	**खाद्य प्रसंस्करण**		**3959.50**		**38.60**
3.2.1	चीनी	1647.30		23.80	
3.2.2	खाद्य तेल व वनस्पति	83.90		0.90	
3.2.3	चाय	361.00		0.20	
3.2.4	अन्य	1867.30		13.70	
3.3	**पेय व तंबाखू**		**216.90**		**2.50**
3.4	**वस्त्र**		**17713.90**		**2635.10**
3.4.1	सूती वस्त्र	4705.70		742.40	
3.4.2	पटसन वस्त्र	98.20		0.40	
3.4.3	मानव निर्मित वस्त्र	18.30		0.80	
3.4.4	अन्य वस्त्र	12891.70		1891.50	
3.5	**चमड़ा व चर्म उत्पाद**		**1054.50**		**49.30**

Advances against term deposits, National Savings Certificates, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and Life insurance policies need not be treated as NPAs, provided adequate margin is available in the accounts. Credit facilities backed by Central Government Guarantees though overdue may be treated as NPA only when the Government repudiates its guarantee when invoked. State Government guaranteed advances and investments in State Government guaranteed securities would attract asset classification and provisioning norms if interest and /or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days.

The Bank follows extant RBI guidelines for NPA identification and for resolution of stressed assets, including classification and up gradation of restructured loans.

The Bank has granted moratorium towards the payment of principal and/or interest in case of certain borrowers in accordance with RBI circular dated March 27, 2020. The Bank makes general provision on such loans at rates equal or higher than requirements stipulated in RBI circular.

In accordance with the RBI circular dated March 27, 2020, the moratorium granted to borrowers is excluded from the determination of number of days past-due/out-of-order status for the purpose of asset classification. The moratorium granted to the borrowers is not accounted as restructuring of loan.

Quantitative Disclosures

1. Total Gross Credit exposure:

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2020
Fund Based	1142430.70
Non-Fund Based	136423.50

2. Geographic Distribution of credit exposure :

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2020	
	Overseas	Domestic
Fund Based	NIL	1142430.70
Non-Fund Based	NIL	136423.50

3. Industry-wise Distribution:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.1	**Mining and Quarrying (incl. Coal)**		**3717.90**		**212.70**
3.2	**Food Processing**		**3959.50**		**38.60**
3.2.1	Sugar	1647.30		23.80	
3.2.2	Edible Oil and Vanaspati	83.90		0.90	
3.2.3	Tea	361.00		0.20	
3.2.4	Others	1867.30		13.70	
3.3	**Beverage and Tobacco**		**216.90**		**2.50**
3.4	**Textiles**		**17713.90**		**2635.10**
3.4.1	Cotton Textiles	4705.70		742.40	
3.4.2	Jute Textiles	98.20		0.40	
3.4.3	Man-Made Textiles	18.30		0.80	
3.4.4	Other Textiles	12891.70		1891.50	
3.5	**Leather and Leather Products**		**1054.50**		**49.30**

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.6	**लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद**		**1423.80**		**201.30**
3.7	**कागज व कागज उत्पाद**		**4074.60**		**295.20**
3.8	**पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्युक्लियर इंधन जिसमें से :**		**6963.40**		**50.50**
3.8.1	पेट्रोलियम	4653.30		12.40	
3.9	**केमिकल व केमिकल उत्पाद**		**17055.40**		**1053.90**
3.9.1	उर्वरक	1364.80		48.00	
3.9.2	औषध व भेषज	9978.00		595.40	
3.9.3	पेट्रो केमिकल्स	3056.20		378.50	
3.9.4	अन्य	2656.40		32.00	
3.10	**रबर, प्लास्टिक व उनके उत्पाद**		**8442.20**		**936.60**
3.11	**कांच और कांच की वस्तुएं**		**1197.60**		**262.40**
3.12	**सीमेंट व सीमेंट उत्पाद**		**1631.10**		**358.70**
3.13	**मूल धातु व धातु उत्पाद**		**30109.30**		**3460.90**
3.13.1	लोहा व इस्पात	20115.40		577.20	
3.13.2	अन्य धातु व धातु उत्पाद	9993.90		2883.70	
3.14	**सभी अभियांत्रिकी**		**28505.10**		**16124.10**
3.14.1	इलेक्ट्रानिक्स	7294.70		418.70	
3.14.2	अन्य	21210.40		15705.40	
3.15	**वाहन एवं वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपकरण**		**9083.60**		**1834.80**
3.16	**रत्न और जेवरात**		**2484.50**		**469.30**
3.17	**निर्माण (मूलभूत संरचना के अलावा)**		**18.60**		**1.10**
3.18	मूलभूत संरचना		98284.70		24234.20
3.18.1	ऊर्जा	39944.60		6727.30	
3.18.2	रास्ते	33058.00		8827.80	
3.18.3	हवाई अड्डा	113.50		0.00	
3.18.4	पोर्ट	15969.30		0.40	
3.18.5	रेल्वे (भारतीय रेल्वे के अलावा)	36.10		30.90	
3.18.6	अन्य मूलभूत संरचना	9163.20		8647.80	
3.19	**अन्य उद्योग**		**5207.60**		**1414.00**
3.20	**अवशिष्ट अन्य अग्रिम**		**901286.50**		**82788.30**
	कुल		**1142430.70**		**136423.50**

उद्योग जिनमें सकल ऋण विगोपन 5% से अधिक है

उद्योग	विगोपन का %
अवसंरचना	9.58%

4. आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(राशि ₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	150.00	8181.60	637.42
2 से 7 दिन	3997.11	29368.00	19237.01

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.6	**Wood and Wood Products**		**1423.80**		**201.30**
3.7	**Paper and Paper Products**		**4074.60**		**295.20**
3.8	**Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels of which:**		**6963.40**		**50.50**
3.8.1	Petroleum	4653.30		12.40	
3.9	**Chemicals and Chemical Products**		**17055.40**		**1053.90**
3.9.1	Fertiliser	1364.80		48.00	
3.9.2	Drugs & Pharmaceuticals	9978.00		595.40	
3.9.3	Petro Chemicals	3056.20		378.50	
3.9.4	Others	2656.40		32.00	
3.10	**Rubber, Plastic & their Products**		**8442.20**		**936.60**
3.11	**Glass & Glassware**		**1197.60**		**262.40**
3.12	**Cement & Cement Products**		**1631.10**		**358.70**
3.13	**Basic Metal & Metal Product**		**30109.30**		**3460.90**
3.13.1	Iron & Steel	20115.40		577.20	
3.13.2	Other Metal & Metal Product	9993.90		2883.70	
3.14	**All Engineering**		**28505.10**		**16124.10**
3.14.1	Electronics	7294.70		418.70	
3.14.2	Others	21210.40		15705.40	
3.15	**Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment**		**9083.60**		**1834.80**
3.16	**Gems & Jewellery**		**2484.50**		**469.30**
3.17	**Construction (other than Infrastructure)**		**18.60**		**1.10**
3.18	Infrastructure		98284.70		24234.20
3.18.1	Power	39944.60		6727.30	
3.18.2	Roads	33058.00		8827.80	
3.18.3	Airports	113.50		0.00	
3.18.4	Ports	15969.30		0.40	
3.18.5	Railways (other than Indian Railways)	36.10		30.90	
3.18.6	Other Infrastructure	9163.20		8647.80	
3.19	**Other Industries**		**5207.60**		**1414.00**
3.20	**Residuary Other Advances**		**901286.50**		**82788.30**
	Total		**1142430.70**		**136423.50**

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
Infrastructure	9.58%

4. Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in ₹ million)

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
1 day	150.00	8181.60	637.42
2 to 7 days	3997.11	29368.00	19237.01

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
8 से 14 दिन	1150.46	21249.30	4987.11
15 से 30 दिन	1343.62	42674.40	14911.71
31 दिन से 2 महीने	20017.91	50258.00	12949.70
2 महीने से अधिक व 3 महीने तक	21098.12	41441.30	4260.24
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	34650.04	120040.60	24945.72
6 महीने से अधिक व 1 वर्ष तक	35394.17	92384.00	29285.39
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	46938.48	198510.20	0.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	37362.18	146288.10	0.00
5 वर्ष से अधिक	379611.30	198494.26	0.00
कुल	**581713.39**	**948889.76**	**111214.31**

5. अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन

घरेलू :

(राशि ₹ मिलियन में)

		31.03.2020
(क)	**सकल अनर्जक आस्तियाँ**	
	अवमानक	38448.98
	संदिग्ध 1	32700.19
	संदिग्ध 2	37943.64
	संदिग्ध 3	8791.90
	हानि	3636.76
	कुल	**121521.47**
(ख)	**निवल अजर्नक आस्तियां**	**41453.78**
(ग)	**अनर्जक आस्ति अनुपात**	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	12.81%
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	4.77%
(घ)	**सकल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता**	
I	प्रारंभिक शेष	153244.90
II	जोड़ें-अवधि के दौरान वृध्दि	40406.00
III	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	72129.42
	वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i+ii-iii)	121521.47
(ङ)	**प्रावधानों की गतिशीलता**	
ङ1	**विशिष्ट प्रावधान**	
i.	प्रारंभिक शेष	105627.38
ii.	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	29529.40
iii.	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	57013.12
iv.	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित अन्य कोई समायोजन	0.10
vi.	अंतिम शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	78143.76
ङ2	**सामान्य प्रावधान**	
i.	आरंभिक शेष	1589.93
ii.	अवधि के दौरान किए प्रावधान	0.00

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
8 to 14 days	1150.46	21249.30	4987.11
15 to 30 days	1343.62	42674.40	14911.71
31 days to 2 months	20017.91	50258.00	12949.70
Over 2 months to 3 months	21098.12	41441.30	4260.24
Over 3 months and up to 6 months	34650.04	120040.60	24945.72
Over 6 months and up to 1 year	35394.17	92384.00	29285.39
Over 1 year and upto 3 years	46938.48	198510.20	0.00
Over 3 years and upto 5 years	37362.18	146288.10	0.00
Over 5 years	379611.30	198494.26	0.00
Total	**581713.39**	**948889.76**	**111214.31**

5. Disclosures for NPAs & NPIs :

Domestic:

(Amount in ₹ million)

		31.03.2020
(A)	**Gross NPA**	
	Sub-standard	38448.98
	Doubtful 1	32700.19
	Doubtful 2	37943.64
	Doubtful 3	8791.90
	Loss	3636.76
	Total	**121521.47**
(B)	**Net NPA**	**41453.78**
(C)	**NPA Ratios**	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	12.81%
	% of Net NPAs to Net Advances	4.77%
(D)	**Movement of Gross NPA**	
I	Opening Balance	153244.90
II	Add:-Addition during the period	40406.00
III	Less:- Reduction during the period	72129.42
	Closing balance as at the end of period (i +ii-iii)	121521.47
(E)	**Movement of provision**	
E1	**Specific Provision**	
i.	Opening Balance	105627.38
ii.	Provisions made during the period	29529.40
iii.	Write-off made during the period	57013.12
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.10
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	78143.76
E2	**General Provisions**	
i.	Opening Balance	1589.93
ii.	Provisions made during the period	0.00

		31.03.2020
iii.	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	0.09
iv.	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	0.00
vi.	समापन शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	1589.84
(च)	**वर्ष के दौरान बट्टे खाते**	**57013.12**
(छ)	**वर्ष के दौरान बट्टे डाले गए खातों में वसूली**	**3419.95**
(ज)	**अनर्जक निवेश (एनपीआई)**	**3891.53**
(झ)	**अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान**	**1812.37**
(ञ)	**निवेशों के लिए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान का संचलन (अनर्जक निवेशों, एमटीएम मूल्यह्रास और पुनर्संरचित निवेशों के प्रावधान सहित)**	
I	आरंभिक शेष	4666.33
II	अवधि के दौरान किए प्रावधान	622.20
III	अवधि के दौरान कमी	0.00
IV	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	75.75
V	प्रतिभूति स्थानांतरण के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	833.10
VI	अवधि के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	74.81
	समापन शेष (i+ii-iii-iv-v)	**4304.87**
(ट)	**उद्योग**	
	अनर्जक आस्ति की राशि	37937.00
	विनिर्दिष्ट प्रावधान	30407.30
	सामान्य प्रावधान	0.00
	अवधि के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट प्रावधान	0.00
	अवधि के दौरान बट्टे खाते	0.00

समुद्रपारीय - शून्य

पांच प्रमुख उद्योगों के उद्योगवार प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ मिलियन में)

		एनपीए	प्रावधान
क	सभी इंजिनियरिंग	13682.30	12922.70
ख	अवसंरचना	10989.70	7734.30
ग	मूल धातू व धातू उत्पाद	4953.00	3937.50
घ	कपड़ा	1917.70	1007.70
ङ	रबर, प्लास्टिक और उत्पाद	1125.80	836.80

6. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का प्रकटन :

(राशि ₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2020
1.	यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान	39.80
2.	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	34.71

		31.03.2020
iii.	Write-off made during the period	0.09
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	1589.84
(F)	**Write off during the period**	**57013.12**
(G)	**Recovery in the written off accounts during the period**	**3419.95**
(H)	**Non Performing Investments (NPI)**	**3891.53**
(I)	**Provisions for NPI**	**1812.37**
(J)	**Movement of provision for depreciation on investments (including provision of NPI, MTM depreciation and Restructured Investments)**	
I	Opening balance	4666.33
II	Provisions made during the period	622.20
III	Reduction during the period	0.00
IV	Write-off made during the period	75.75
V	Provisions used during shifting securities	833.10
VI	Write back of excess provision made during period	74.81
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	**4304.87**
(K)	**Industries**	
	Amount of NPAs	37937.00
	Specific Provisions	30407.30
	General Provisions	0.00
	Specific Provisions made during the period	0.00
	Write offs during the period	0.00

Overseas - NIL

The Industry-wise Provision of five major industries is as below

(Amount in ₹ million)

		NPA	Provision
A	All Engineering	13682.30	12922.70
B	Infrastructure	10989.70	7734.30
C	Basic Metal and Metal Products	4953.00	3937.50
D	Textiles	1917.70	1007.70
E	Rubber, Plastic and Products	1125.80	836.80

6. Disclosures of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) :

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020
1.	Additional provisioning made on account of UFCE	39.80
2.	Incremental Capital held on account of UFCE	34.71

सारणी-डीएफ-4 - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग हेतु ऋण जोखिम प्रकटन

1. गुणात्मक प्रकटन :

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। मानक दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां यह रेटिंग उपलब्ध हैं वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है।

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
3. इंडिया रेटिंग,
4. ईक्रा लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. एसीयूआईटीई (पूर्व में एसएमईआरए)
7. इनफोमैरिक्स मूल्यांकन और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों के लिए उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है। बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है।

बैंक की बाह्य रेटिंग अनुप्रयोज्य रेखा को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा ऋणकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा।
- जहाँ भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के रू. 5 करोड़ से अधिक के जोखिम भारित विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध होती है, बैंक वहाँ इसका प्रयोग करता है बशर्ते कि बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई हो।
- जब उधारकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो उधारकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियाँ सूचित की हैं। इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतम रेटिंग (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/ लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।
- दिनांक 25.08.2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार कॉर्पोरेट, एएफसी तथा एनबीएफसी- आईएफसीएस पर दावे जिनका बैंकिंग प्रणाली से समग्र विगोपन ₹100.00 करोड़ से अधिक है जिन्हें पूर्व में रेट किया गया और अनुवर्ती रूप से वे अमूल्यांकित (अनरेटेड) हो गए उन पर 150% का जोखिम भार लगेगा।
- आरबीआई के परिपत्र दिनांक 25.08.2016 और उसके आगामी स्पष्टीकरण दिनांक 06.06.2019 के अनुसार कॉर्पोरेट, एएफसी तथा एनबीएफसी- आईएफसी पर दावे जिनका बैंकिंग प्रणाली से समग्र विगोपन ₹200.00 करोड़ से अधिक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 से उन पर 150% का जोखिम भार लगेगा।
- दिनांक 22.02.2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर एनबीएफसी हेतु विगोपन के लिए जोखिम भार को रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग के अनुसार इस तरह जोखिम भारित किया जाता है कि वो कार्पोरेट्स के समान हो।
- आरबीआई के परिपत्र दिनांक 25.08.2016 के अनुसार, पात्र विनिर्दिष्ट उधारकर्ताओं के लिए लागू जोखिम भार से 75% प्वाइंट अधिक अतिरिक्त जोखिम भार लगाया जाता है।
- आरबीआई के परिपत्र दिनांक 12.09.2019 के अनुसार, क्रेडिट कार्ड प्राप्यों को छोड़कर व्यक्तिगत ऋणों सहित उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार को घटाकर 100% किया गया है।

TABLE DF-4 - CREDIT RISK DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under Standardised Approach:

Bank uses standardized approach to measure capital requirements for credit risk. As per Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. India Ratings,
4. ICRA Limited,
5. Brickwork,
6. ACUITE (Earlier SMERA)
7. INFOMERICS Valuation and Rating Private Limited

Types of exposures for which each agency is used:

Bank has used solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures. Bank has neither made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

Key aspects of Bank's External Ratings application framework are as follows:

- Bank uses ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting borrower's exposures above Rs 5 crore. Where issuer rating is available Bank uses such ratings unless bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, lower rating, where there are two ratings and second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by credit rating agencies, Bank is guided by Regulatory guidelines.
- As per RBI circular dated 25.08.2016, claims on Corporates, AFCs and NBFC – IFCs having aggregate exposure from banking system of more than ₹ 100.00 crore which were rated earlier and subsequently have become unrated will attract a risk weight of 150%.
- As per RBI circular dated 25.08.2016 and their subsequent clarificationdated06.06.2019 all unrated claims on Corporates, AFCs and NBFC – IFCs having aggregate exposure from banking system of more than ₹ 200.00 crore will attract a risk weight of 150% from FY 2019-20 onwards.
- As per RBI circular 22.02.2019, Risk weights for exposures to NBFCs, excluding Core Investment Companies (CICs) is risk weighted as per ratings assigned by the rating agencies in a manner similar to that of corporates.
- As per RBI circular 25.08.2016, additional risk weight of 75 percentage points over and above applicable risk weight for the exposure to the eligible specified borrowers is applied.
- As per RBI circular dated 12.09.2019, risk weight for consumer credit, including personal loans, but excluding credit card receivables is reduced to 100%.

अनाहरित विगोपनों से व्यवहार :

विनियामक मानदंडों की अपेक्षानुसार, बैंक ऋण सुविधाओं के अनाहरित भाग के लिए भी पूंजी धारित करता है जो प्रयोज्य ऋण परिवर्तनकारक (सीसीएफ) पर आधारित समकक्ष ऋण प्रकटन में इन ऋणों को परिवर्तित कर बैंक द्वारा पूर्वसूचना के बिना शर्तहीन रूप से निरस्त करने योग्य होते हैं। ऋण सुविधा, जो बिना पूर्व सूचना के बिना शर्त के रद्द की जा सकती है, के लिए बैंक अनाहरित विगोपन पर शून्य प्रतिशत का सीसीएफ लागू करता है।

ख. मात्रात्मक प्रकटन :

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट्स के अंतर्गत प्रकट बैंक की बकाया (रेट की गई और रेट न की गई) राशियां, मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2020 को विगोपनों राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.	विवरण	शेष विगोपन
i	100% जोखिम भार से कम	1444165.45
ii	100% जोखिम भार	194918.74
iii	100% जोखिम भार से अधिक	110340.66
	उप जोड़	**1749424.85**
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य	67574.80
	कुल विगोपन	**1816999.65**

सारणी-डीएफ-5-- ऋण जोखिम प्रशमन - मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

- **ऋण जोखिम प्रशमन हेतु नीतियां :**

  बैंक में संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारंबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है।

- **संपार्श्विक प्रबंधन**

  बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के ऊपर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति को परिभाषित किया है। यह चूक की स्थिति में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा/ अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखतीं अथवा ऋणकर्ता द्वारा क्रय नहीं की गई होतीं। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को प्रतिपक्ष द्वारा चूक की स्थिति में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन करना अथवा विधिक कब्जा करना सम्मिलित है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन**

  भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण में बैंक बेसल - III द्वारा विनिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन की सीमा तक अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय अपने प्रतिपक्ष पर विगोपन को कम कर देता है। बैंक उपयुक्त मार्जिन भी लागू करता है। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति भी कार्यान्वित की है जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, उनके प्रशासन/ निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है ताकि बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके। बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए

Treatment of undrawn exposures:

As required by the regulatory norms, Bank holds capital even for the undrawn portion of credit facilities which are not unconditionally cancellable without prior notice by Bank, by converting such exposures into a credit exposure equivalent based on the applicable Credit Conversion Factor (CCF). For credit facilities, which are unconditionally cancellable without prior notice, Bank applies a CCF of zero percent on the undrawn exposure.

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2020 after risk mitigation subject to Standardized Approach, amount of a Bank's outstandings (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets:-

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Exposure Outstanding
i	Below 100 % risk weight	1444165.45
ii	100 % risk weight	194918.74
iii	More than 100 % risk weight	110340.66
	sub total	**1749424.85**
iv	Deducted CRM Value	67574.80
	Total Exposure	**1816999.65**

TABLE DF-5 – CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

- **Policies for Credit Risk Mitigation:**

  Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.

- **Collateral Management**

  Bank defines collateral as it is an additional security given, over and above primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to Bank for recovery of loans in default situations. At times, these securities are not connected to main business of the borrower or may not be owned by the borrower. Bank ensures that underlying documentation for collateral provides Bank appropriate rights over collateral or other forms of credit enhancement including right to liquidate/retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by counterparty.

- **Collateral Valuation**

  As stipulated by RBI guidelines, Bank uses comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces its exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by eligible financial collateral as specified in Basel III guidelines. Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Loan Policy duly approved by Board, which lay down the types of securities normally accepted by Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of Bank so as to minimize risk

जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा पैनल में शामिल बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। उच्च मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दो या उससे अधिक मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाए।

- **बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण**

ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं। ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

- बैंकों में नकद जमा
- बुलियन और आभूषणों सहित स्वर्ण
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियामित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- कम-से-कम बीबीबी, ए3 की रेटिंग वाली जमा प्रमाणपत्र सहित ऋण प्रतिभूतियाँ।
- म्यूच्युअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में से एक है।

- **प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख**

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त और अविकल्पी होती है। बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/ केंद्र सरकार/ ईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई/ एनसीजीटीसी द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है।

- **ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि उधारकर्ता के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में कोई तात्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है। सीआरएम (ऋण जोखिम प्रशमन)/ गारंटीपूर्ण विगोपन किसी भी बाजार संबंधी उतार-चढाव के अधीन नहीं हैं और ये विगोपन वैविध्यपूर्ण हैं। वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटन:

क) अलग-अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या ऑन बैलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(₹ मिलियन में)

	31.03.2020
मार्जिन लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन (तुलनपत्र पूर्व या तुलनपत्र पश्चात समायोजन करने के बाद, जहां कहीं लागू हो)	67574.80

ख) अलग-अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या ऑन बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

(₹ मिलियन में)

	31.03.2020
गारंटियों द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन	23527.02

associated with it. Both fixed and current assets obtained to secure loans granted by Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by Bank. In respect of high value of collateral, valuation from two or more valuers is obtained.

- **Description of main types of collateral taken by Bank**

For computation of capital requirement for Credit Risk, Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as under:

- Cash Deposit with bank
- Gold, including bullion and Jewellery
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate
- Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
- Debt securities including Certificate of Deposit rated at least BBB,A3
- Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness**

Wherever required Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE/NCGTC as a security comfort.

- **Concentrations within Credit Risk Mitigation**

RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. The CRM (Credit Risk Mitigation)/ Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diverse. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts.

(Amount in ₹ million)

	31.03.2020
Total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts	67574.80

(b) For each separately disclosed portfolio total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Amount in ₹ million)

	31.03.2020
Total exposure that is covered by Guarantees	23527.02

सारणी-डीएफ-6 प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक ने वर्ष 31 मार्च 2020 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

मात्रात्मक प्रकटन :

प्रतिभूतिकरण आस्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन **लागू नहीं है।**

सारणी डीएफ-7- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

बाजार जोखिम :

बैंक को बाजार के व्युत्पन्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रुप में बाजार जोखिम को परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां) में घरेलू निवेशों (ब्याज से संबंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है। बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम से उत्पन्न आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति व निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएमएल) विद्यमान है। उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यो हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमापन, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरुप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो। नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी निगरानी हेतु रिर्पोटिंग संरचना का भी समावेश है। नीतियों में बाज़ार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्टिंग ढांचा है और विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है। प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनकी निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रुप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से संबंधित है। बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग-अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबाबों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति लागू की है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संबंध में आवधिक रुप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/निदेशक मंडल बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। डीलिंग रुम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रुम के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है। खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीआईबीडी) का मिड-ऑफिस भी सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसिस के जरिए किया जाता है और निगरानी की जाती है। बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु ड्यूरेशन गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। बैंक निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों (ईएआर) और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित डयूरेशन गैप (जीजीएपी) का प्राक्कलन करता है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाज़ार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय या बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाज़ार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे।

TABLE DF-6 SECURITIZATION EXPOSURE

Qualitative Disclosures:

The Bank does not have any case of securitization of its assets as on 31st March 2020.

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Securitization Assets is **Not Applicable.**

TABLE DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

Bank has put in place Board approved Investment Management Policy and Investment Risk Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby market risks carried by Bank are identified, measured, monitored and controlled within policy framework consistent with Bank's risk tolerance. Policies deal with reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for counterparty banks and exposures are monitored on daily basis.

ALM Policy deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by Bank and determines strategy in light of market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor dealing room activities. Mid-Office at Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Interest rate risk is monitored through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities. Bank has also put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

Market Risk Management Policy - To ensure that Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that Bank has a defined set of principles and processes

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके अर्थात इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो। इस नीति की व्यापकता ''बैंकिंग बही'' के निवेश भाग और बैंक की ''व्यापार बही'' के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर करती है।

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

	जोखिम श्रेणी	31.03.2020	
		जोखिम भारित आस्तियां	पूंजी प्रभार
i.	ब्याज दर जोखिम	46343.38	3707.47
ii.	इक्विटी स्थिति जोखिम	11021.63	881.73
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार (i+ii)	**57365.01**	**4589.20**

सारणी डीएफ-8--परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

परिचालन जोखिम :

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरुप होने वाली हानियों का जोखिम होता है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु अन्य नीतियां हैं - (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजना नीति (ग) अनुपालन नीति (घ) आउटसोर्सिंग नीति और (ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति।

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है जिसमें प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां लागू की हैं।

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रुप से पुनरीक्षा करता है। जोखिम प्रशमन के उपाय के रुप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रुप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रुप से बीमांकित हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रियाओं की रुपरेखा दी गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/ प्रशमन, निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रुप से भूमिकाएं तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिम और बाह्य तत्वों से बढ़ती जोखिम की संभावनाओं के मद्देनजर बैंक ने 'सूचना प्रणाली सुरक्षा नीतिट लागू की है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना को भी लागू किया गया है। प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम नियंत्रण एवं स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) पर संबंधित कार्यशील विभागों के अधिकारियों को निरंतर आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिए किया जाता है।

in place for articulating how it plans to manage market risks it faces, in Trading or Banking Book.

Bank's Market Risk Management Policy aims to set out broad outlines of processes by which market risks carried by Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from Bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

Quantitative Disclosure:

Capital requirement for Market Risk is as under:

(Amount in ₹ million)

	Risk Category	31.03.2020	
		Risk Weighted Assets	Capital Charge
i	Interest Rate Risk	46343.38	3707.47
ii	Equity Position Risk	11021.63	881.73
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii)	**57365.01**	**4589.20**

TABLE DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting out of inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with RBI Guidelines. Other policies which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy.

Strategies and processes: Operational Risk Management process of Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in Bank.

Bank has been constantly reviewing legal documents to ensure that legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk mitigation, Bank has obtained insurance cover for all assets owned by Bank. It is also ensured that assets financed by Bank are also adequately insured, as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. Basic objective of policy is to closely integrate operational risk management system into day-to-day risk management processes of Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses.

There has been an increasing threat perception from Information Technology related risks and risks from external events and hence Bank has put in place 'Information System Security Policy'. Business Continuity Plan duly approved by the Board is also put in place. Training on Key Risk Indicators (KRI) & Risk Control & Self Assessment (RCSA) is given to the officers of the concerned functional departments on an ongoing basis.

Operational risks in Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक को परिचालन जोखिम हेतु पूँजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए समकक्ष विकल्प के तौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) में प्रस्थापन हेतु समानांतर संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तथापि, बैंक को विनियामक उद्देश्य हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत गणना किए अनुसार पूँजी प्रभार के रखरखाव की अनुमति दी गई है।

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार **₹ 7473.19 मिलियन** है ।

सारणी डीएफ-9 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का संदर्भ लेता है। ऋण पूर्व भुगतान और गैर-परिपक्वता जमा से संबंधित धारणाओं का भी ध्यान रखा जाता है। ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है।

(i) जोखिम पर आय - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए एक वर्ष के लिए किया गया है।

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस) - बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) ड्यूरेशन गैप एनालिसिस को अपनाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंगित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इक्विटी का आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी मासिक आधार पर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप के अनुसार) :

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए 100 बीपीएस का समांतर अंतरण	
	31.03.2020	
	(+)100 आधार प्वाइंट	(-)100 आधार प्वाइंट
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	2713.41	-2713.41

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप के अनुसार):

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	31.03.2020	
	(+)200 आधार प्वाइंट	(-)200 आधार प्वाइंट
	5322.30	-5322.30

सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित विगोपन के बचाव के लिए उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है। बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूंजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है :

- मुद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय - ओआईएस एवं आईआरएस

वर्तमान में बैंक ऋण डिफॉल्ट सेट स्वैप और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं कर रहा है।

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. Bank has received approval for migration to 'The Standardized Approach' (TSA) for calculating Operational Risk Capital Charge as a parallel run. However, Bank has been allowed to maintain capital charge as per Basic Indicator Approach (BIA) for regulatory purpose.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is **₹ 7473.19 Million.**

TABLE DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to potential adverse financial impact on Bank's Banking Book from changes in interest rates. The assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits are also taken care of. Interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

(i) **Earnings at Risk:** Impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps) for a period of one year.

(ii) **Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing impact (as a percentage) on economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with the method suggested by RBI.

Impact on Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI. The Economic Value of Equity is measured and monitored on a monthly basis.

Quantitative Disclosure Earning at Risk (As per Traditional Gap):

(Amount in ₹ Million)

Change in Interest rate	Parallel shift of 100 bps for 1 Year period	
	31.03.2020	
	(+) 100 basis point	(-) 100 basis point
Impact on Net Interest Income	2713.41	-2713.41

Economic Value of Equity (As per Duration Gap):

Impact on economic value of equity	31.03.2020	
	(+) 200 basis point	(-) 200 basis point
	5322.30	-5322.30

TABLE DF-10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures:

Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, Bank is dealing in following derivative products:

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps – OIS & IRS.

Bank at present is not undertaking transactions under Credit Default Swaps and Currency options.

Measurement and management of various risks is ensured by setting

लिमिट्स, डे-लाईट लिमिट्स, ओवर नाईट लिमिट और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आंकलन और प्रबंधन किया जाता है। इन लिमिट्स का उपयोग निवेश प्रबंधन नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिह्नित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं। बैंक द्वारा इन लिमिट्स का अनुपालन किया गया है।

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केंद्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है। साथ ही, बैंक नकदी/ बैंक जमाराशियों/ बैंक गारंटियों/ सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है।

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमति है। अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है।

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/ एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/ सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन सीमा निर्धारित की है। बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा निवेश प्रबंधन नीति के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं।

- जब कभी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आकलन हेतु उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होता है, बैंक द्वारा प्रतिपक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण किया जाएगा।

(क) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2020
1	प्रतिस्थापित लागत	3153.10
2	संभावित वायदा विगोपन	3727.30
3	सकल ऋण तुल्य	6880.40
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	0.00
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	6880.40
3.5	वस्तु संविदाएं	0.00
4	सकल ऋण तुल्य राशि	6880.40
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	**निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)**	**6880.40**
7	**घटाएं : संपार्श्विक राशि**	
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	**निवल ऋण तुल्य राशि**	**6880.40**

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से विगोपन निवल द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं।

(ख)ऋण व्युत्पन्न लेन-देन -

(₹ मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अनुमानित अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**
ऋण चूक अदला-बदली	शून्य	शून्य
कुल अदला-बदली की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of Investment Management Policy and RBI/SEBI/Exchanges.

From exchange side, limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Bank is complying with these limits.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with exchange approved Bank for purpose of clearing and settlement of transactions and also maintains margin in the form of cash/bank deposits/bank guarantees/ G-Sec or any other approved securities.

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. Bank offers to its customers, forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom Bank has set up counterparty exposure limits. Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines and Investment Management Policy.

- Bank will describe methodology and will assign economic capital for counter party credit exposure, as and when Bank migrates to Advanced Approach of measurement of Risk and related Capital requirement.

(a) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020
1	Replacement Cost	3153.10
2	Potential Future Exposure	3727.30
3	Gross Credit Equivalent	6880.40
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	0.00
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	6880.40
3.5	Commodities Contracts	0.00
4	Gross Credit Equivalent Amount	6880.40
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00
6	**Credit Equivalent Amount after netting (4-5)**	**6880.40**
7	**Less: Collateral Amount**	
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	**Net Credit Equivalent Amount**	**6880.40**

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effect of which have been included in regulatory capital calculations wherever appropriate.

(b) Credit Derivatives Transactions-

(Amount in ₹ Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**

सारणी डीएफ -11 : पूंजी संमिश्र

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.20 को	संदर्भ क्रमांक
	कॉमन ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां		
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम)	127268.71	ए1+बी1
2	रोकी गई आय	-73495.01	बी8(ए)
3	अन्य समाविष्ट संचयी आय (अन्य आरक्षितियां, मूल्यांकन आरक्षितियां एवं डीटीए)	52864.23	बी2+बी3+बी4+बी5+ बी6(ए)+बी10
4	सीईटी 1 से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
	दिनांक 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रत्यारोपण	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी**	**106637.93**	
	सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता का निवल)	240.10	के1(बी)
10	संचित हानि के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां (पात्र डीटीएल का निवल)	9297.95	
11	नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00	
12	संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं	10.80	
18	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक न हो (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
19	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
20	बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
	विनियामक समायोजन का निवल सीईटी1	**97089.08**	
21	अस्थायी अंतरों के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां (जो संचित हानि से संबंधित न हों)	25555.43	
	उपर्युक्त दो समायोजनों के पश्चात सीईटी 1	**71533.65**	
21 (क)	अस्थायी अंतरों के साथ संबद्ध डीटीए से निवल हेतु पात्र डीटीएल	1733.51	
21 (ख)	सीईटी1 में उल्लेखनीय निवेशों और डीटीए की पहचान	9708.91	

TABLE DF-11- COMPOSITION OF CAPITAL

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2020	Ref. No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related continuation surplus (share premium)	127268.71	A1+B1
2	Retained earnings	-73495.01	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (other reserves, revaluation reserves and DTA)	52864.23	B2+B3+B4+ B5+B6(a)+B10
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**106637.93**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	240.10	K1(b)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses (net of eligible DTL)	9297.95	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital in reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	10.80	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
	CET 1 net of regulatory adjustments	**97089.08**	
21	Deferred tax assets associated with timing differences (other than those related to accumulated losses)	25555.43	
	CET 1 after above two Adjustment	**71533.65**	
21 (a)	DTL eligible for netting from DTA associated with timing differences	1733.51	
21 (b)	Recognition of DTA and Significant Investments in CET 1	9708.91	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.20 को	संदर्भ क्रमांक
22	प्रारंभिक 15% से अधिक राशि	0.00	
23	जिसमें से : वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
24	जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00	
25	जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00	
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**23661.86**	
29	**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**82976.06**	
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखतें	**0.00**	
30	प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखतें (31+32)	0.00	
31	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	0.00	
33	अतिरिक्त टीयर 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी1 समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी 1 लिखतें)	0.00	
35	जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
36	**विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी**	**0.00**	
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	**0.00**	
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी कॉमन शेयर पूंजी का 10% से अधिक न हो (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
40	बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर1 पूंजी में निवेश	0.00	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2020	Ref. No.
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financials entities	0.00	
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	
26a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	Of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common Equity Tier 1**	23661.86	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**82976.06**	
	Additional Tier 1 capital: instruments	0.00	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	0.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	0.00	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Of which: Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.20 को	संदर्भ क्रमांक
41ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
42	कटौतियों को कवर करने के लिए टीयर 2 की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**	
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी 1)**	**0.00**	
45	**टीयर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44)**	**82976.06**	
	टीयर 2 पूंजी : लिखतें और प्रावधान		
46	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर 2 लिखतें	11000.00	
47	टीयर 2 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	10000.00	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टीयर 2 समूह में अनुमत्य राशि) टीयर 2 लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और एटी 1 लिखतें)	0.00	
49	जिसमें से : फेज आउट शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
50	प्रावधान और अन्य आरक्षितियां	7005.44	
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियां	2270.00	
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी**	**30275.45**	
	टीयर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश	0.00	
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	103.47	
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10% से अधिक न हो (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
55	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क + 56ख)	0.00	
56क	जिसमें से : असमायोजित अनुषंगियों का टीअर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की टीअर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
	राशि के संबंध में टीअर 2 हेतु प्रयुक्त विनियामक समायोजन जो कि बेसल - पूर्व III अनुप्रयोग के अध्यधीन है	**8000.00**	
57	**टीयर II पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**8103.47**	
58	**टीयर II पूंजी (टी 2)**	**22171.97**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45+58)**	**105148.04**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)**	777937.93	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	627158.13	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	57364.94	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	93414.87	
	पूंजी अनुपात तथा बफर्स		
61	सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	10.666%	
62	टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	10.666%	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2020	Ref. No.
41b	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	0.00	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)**	82976.06	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	11000.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000.00	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions & Other Reserves	7005.44	
	Investment Fluctuation Reserve	2270.00	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**30275.45**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	103.47	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	Of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	**8000.00**	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**8103.47**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**22171.97**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45+ 58)**	**105148.04**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**777937.93**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	627158.13	
60b	of which: total market risk weighted assets	57364.94	
60c	of which: total operational risk weighted assets	93414.87	
	Capital ratios and Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.666%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.666%	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.20 को	संदर्भ क्रमांक
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	13.516%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता)	0.00	
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.00	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	3.67%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	8.875%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	10.875%	
	कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	0.00	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
74	बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
75	**टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं**		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	7005.44	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	7839.48	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	लागू नहीं	
	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च 2022 तक लागू)	लागू नहीं	
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2020	Ref. No.
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.516%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	0.00	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.67%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	0.00	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	**Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2**		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	7005.44	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	7839.48	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	

टेम्पलेट नोट

टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	ब्यौरे	₹ मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	9297.95
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार जोड़	
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूंजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टीयर II पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित वित्तीय/गैर-वित्तीय सहायक/संबद्ध कंपनियों की ईक्विटी पूंजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	0.00
	i) सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	732.71
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1831.78
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर I पूंजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी1 और पंक्ति 44क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें से : अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टीयर II पूंजी माना गया	0.00
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	7005.44
	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल	7005.44

Notes to Template

Row No. of Template	Particulars	₹ In Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	9297.95
	Total as indicated in row 10	
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated financial/non-financial subsidiaries/Associates are not deducted and hence, risk weighted then,	0.00
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	732.71
	ii) Increase in Risk Weighted Assets	1831.78
44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	7005.44
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of Row 50	7005.44

सारणी : डीएफ-12 : पूंजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता

चरण 1

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2020 को	31.03.2020 को
क	पूंजी व देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	+58241.09	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	49311.70	
	अल्प ब्याज	0.00	
	कुल पूंजी	**107552.79**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	**1500664.05**	
	बैंकों से जमाराशियां	2898.17	
	ग्राहक जमाराशियां (बचत खाता)	610855.51	
	अन्य जमाराशियां	886970.36	

TABLE DF-12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENT

Step 1

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statement	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	+58241.09	
	Reserves & Surplus	49311.70	
	Minority Interest	0.00	
	Total Capital	**107552.79**	
ii	Deposits of which:	**1500664.05**	
	Deposits from banks	2898.17	
	Customer deposits (SB)	610855.51	
	Other deposits	886970.36	

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2020 को	31.03.2020 को
iii	उधारियां जिसमें से:	**36700.32**	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	4780.00	
	बैंकों से	0.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	857.98	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	31000.00	
	भारत के बाहर से उधारियां	62.34	
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	**43754.67**	
	कुल पूंजी एवं देयताएं	**1688671.82**	
ख	**आस्तियां**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और खाता शेष**	**103536.85**	
ii	**बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन**	**932.82**	
iii	**निवेश जिसमें से:**	**577408.51**	
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	456380.77	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	
	जिसमें से : शेयर्स	2777.13	
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	25472.75	
	जिसमें से : सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	0.00	
iv	**ऋण और अग्रिम जिसमें से :**	**868716.51**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	62.91	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	**868653.60**	
v	**स्थिर आस्तियां**	**16761.92**	
vi	**अन्य आस्तियां जिसमें से :**	**121315.22**	
vii	समेकन पर साख	0.00	
viii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
	कुल आस्तियां	**1688671.82**	

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statement	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020
iii	Borrowings of which:	**36700.32**	
	From RBI	4780.00	
	From Banks	0.00	
	From other institutions	857.98	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	31000.00	
	Borrowings from outside India	62.34	
iv	Other Liabilities and Provision	**43754.67**	
	Total Capital & Liabilities	**1688671.82**	
B	**Assets**		
i	**Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India**	**103536.85**	
ii	**Balance with banks and money at call and short notice**	**932.82**	
iii	**Investments of which:**	**577408.51**	
	of which: Government securities	456380.77	
	of which: Other approved securities	0.00	
	of which: Shares	2777.13	
	of which: Debentures & Bonds	25472.75	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	0.00	
iv	**Loans and Advances of which:**	**868716.51**	
	Loans and Advances to banks	62.91	
	Loan and Advances to Customers	868653.60	
v	**Fixed Assets**	**16761.92**	
vi	**Other Assets of which:**	**121315.22**	
vii	**Goodwill on Consolidation**	**0.00**	
viii	**Debit Balance in Profit and Loss Account**	**0.00**	
	Total Assets	**1688671.82**	

चरण 2

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.2020 को	31.03.2020 को
क	**पूंजी और देयताएं**			
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से	ए	58241.09	
	सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	ए1	58241.09	
	एटी 1 हेतु पात्र राशि	ए2	0.00	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें से :	बी	49311.70	
	ईक्विटी शेयर प्रीमियम	बी 1	69027.71	
	सांविधिक आरक्षितियां	बी 2	13496.38	
	पूंजी आरक्षितियां	बी 3	4170.42	
	राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	बी 4	16217.08	
	विशेष आरक्षितियां	बी 5	4980.00	
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें से:	बी 6	12645.22	
	सीईटी 1 के लिए पात्र	बी 6(क)	5690.35	
	निवेश आरक्षितियां अस्थिर खाता	बी 7	2270.00	
	लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें से :	बी 8	- 73495.01	
	सीईटी 1 हेतु पात्र	बी 8 (ए)	- 73495.01	
	अल्प ब्याज	बी 9	0.00	
	शेयर आवेदन राशि	बी 10	8310.00	
	कुल पूंजी	**ए+बी**	**107552.79**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	सी	**1500664.05**	
	बैंकों से जमाराशियां	सी 1	2898.17	
	ग्राहक जमाराशियां	सी 2	610855.52	
	अन्य जमाराशियां	सी 3	886910.36	
iii	उधारियां जिसमें से :	डी	**36700.32**	
	भारतीय रिजर्व बैंक से	डी1	4780.00	
	बैंकों से	डी2	0.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	डी3	857.98	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां, जिसमें से	डी4	31000.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व एटी1 हेतु पात्र	डी4(ए)	0.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर II हेतु पात्र	डी4(बी)	21000.00	
iv	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें से :	ई	**43754.67**	
	साख संबंधी डीटीएल	ई1	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	ई2	0.00	
	कुल		**1688671.82**	
ख	**आस्तियां**			
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकद एवं खाता शेष	एफ	**103536.85**	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	जी	**932.82**	
ii	निवेश जिसमें से :	एच	**577408.51**	
	सरकारी प्रतिभूतियां	एच 1	456380.77	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एच 2		
	शेयर्स	एच 3	2777.13	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	एच 4	25472.75	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	एच 5	734.21	
	अन्य (म्युचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	एच 6	92043.65	
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें से :	आई	**868716.51**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	आई 1	62.91	

Step 2

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2020	As on 31.03.2020
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital of which	A	58241.09	
	Amount eligible for CET 1	A1	58241.09	
	Amount eligible for AT1	A2	0.00	
	Reserves & Surplus of which:	B	49311.70	
	Equity Share Premium	B1	69027.71	
	Statutory Reserve	B2	13496.38	
	Capital Reserve	B3	4170.42	
	Revenue Reserve and Other Reserves	B4	16217.08	
	Special Reserve	B5	4980.00	
	Revaluation Reserve of which:	B6	12645.22	
	Eligible for CET 1	B6(a)	5690.35	
	Investment Reserve Fluctuation Account	B7	2270.00	
	Balance in Profit and Loss Account of which	B8	- 73495.01	
	Eligible for CET 1	B8(a)	- 73495.01	
	Minority Interest	B9	0.00	
	Share application money	B10	8310.00	
	Total Capital	**A+B**	**107552.79**	
ii	Deposits Of which:	C	**1500664.05**	
	Deposits from banks	C1	2898.17	
	Customer deposits (SB)	C2	610855.52	
	Other deposits	C3	886910.36	
iii	Borrowings of which:	D	**36700.32**	
	From RBI	D1	4780.00	
	From banks	D2	0.00	
	From other institutions & agencies	D3	857.98	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	31000.00	
	Eligible for AT1 before regulatory adjustments	D4(a)	0.00	
	Eligible for Tier 2 before regulatory adjustments	D4(b)	21000.00	
	Other Liabilities and Provision of which	E	**43754.67**	
	DTLs related to Goodwill	E2	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E3	0.00	
	Total		**1688671.82**	
B	**Assets**			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	**103536.85**	
	Balance with banks and money at call and short notice	G	**932.82**	
ii	Investments of which:	H	**577408.51**	
	Government Securities	H1	456380.77	
	Other Approved Securities	H2		
	Shares	H3	2777.13	
	Debentures and Bonds	H4	25472.75	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H5	734.21	
	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H6	92043.65	
iii	Loans and Advances of which:	I	**868716.51**	
	Loans and Advances to banks	I1	62.91	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.2020 को	31.03.2020 को
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	आई 2	868653.60	
iv	स्थिर आस्तियां	जे	**16761.92**	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से :	के	**121315.22**	
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	के 1	240.10	
	साख	के 1(ए)	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	के 1(बी)	240.10	
	निवल आस्थगित कर आस्तियां	के1 (सी)		
	अपरिशोधित पेंशन	के1 (डी)	0.00	
vi	समेकन पर साख	एल	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	एम	0.00	
	कुल आस्तियां		**1688671.82**	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2020	As on 31.03.2020
	Loan and Advances to Customers	I2	868653.60	
iv	Fixed Assets	J	**16761.92**	
v	Other Assets of which:	K	**121315.22**	
	Goodwill and Intangible Assets out of which	K1	240.10	
	Goodwill	K1(a)	0.00	
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	K1(b)	240.10	
	Net Deferred Tax Assets	K1 (c)		
	Unamortised Pension	K 1 (d)	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	L	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	M	0.00	
	Total Assets		**1688671.82**	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - डीएफ 11			
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी संमिश्र	**चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत**
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	127268.71	ए1+बी1
2	रोकी गई आय	-73495.01	बी 8 (ए)
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी	52864.23	बी2+बी3+बी4+बी5+बी6(ए)
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी**	**106637.93**	
	समय अंतरों के साथ जुड़े डीटीए को (सीईटी 1 के अधिकतम 10% तक) सीईटी 1 में शामिल किया गया	9708.91	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)	0.00	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – DF 11			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letter s of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	127268.71	A1+B1
2	Retained earnings	-73495.01	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income	52864.23	B2+B3+B4+B5+B6(a)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only to non-joint stock co)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**106637.93**	
	DTA associated with timing differences (max up to 10% of CET) included in CET 1	9708.91	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

डीएफ-13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं DF-13: Main Features of the Regulatory Capital Instruments

1	जारीकर्ता Issuer	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
2	विशिष्ट पहचान कर्ता अर्थात (जैसे निजी स्थापन हेतु क्यूसिप, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE457A08050	INE457A09199	INE457A08035
3	लिखत हेतु शासकीय नियम Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws
	नियामक प्रतिपादन ***Regulatory treatment***			
4	परिवर्ती बेसल III नियम Transitional Basel III rules	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम Post-transitional Basel III rules	पात्र Eligible	अपात्र Ineligible	पात्र Eligible
6	एकल/समूह/एकल एवं समूहमें पात्र Eligible at solo/group/ group & solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo
7	लिखत का प्रकार Instrument type	टीयर II -ऋण लिखत Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर II ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर II ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments
8	विनियामक पूंजी के रूप में पहचानी गई राशि (हालकी रिपोर्टिंग दिनांक को ₹ मिलियन में) Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	6000	2000	5000
9	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन में) Par value of instrument (₹ in million)	1	1	1
10	लेखा वर्गीकरण Accounting classification	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing
11	जारी करने का मूल दिनांक Original date of issuance	06.03.2020	31.12.2012	27.06.2016
12	निरंतर अथवा दिनांकित Perpetual or dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
13	मूल परिपक्वता दिनांक Original maturity date	06.03.2030	31.12.2022	27.09.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन अधीन जारीकर्ता कॉल Issuer call subject to prior supervisory approval	नहीं No	नहीं No	नहीं No
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि Optional call date, contingent call dates and redemption amount	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
16	Subsequent call dates, if applicable	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	कूपन / लाभांश ***Coupons / dividends***			
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन Fixed or floating dividend/coupon	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और संबंधित कोई सूचकांक Coupon rate and any related index	8.70% वार्षिक 8.70% pa	9.00% वार्षिक 9.00% pa	9.20% वार्षिक 9.20% pa

19	लाभांश स्टॉपर की उपस्थिति Existence of a dividend stopper	हां Yes	नहीं No	हां Yes
20	पूर्णतः विवेकाधीन / अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	अनिवार्य Mandatory	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary
21	उन्मोचन हेतु कोटिउन्नयन अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता Existence of step up or other incentive to redeem	नहीं No	नहीं No	नहीं No
22	असंचयी अथवा संचयी Noncumulative or cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय Convertible or non-convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन उत्प्रेरक If convertible, conversion trigger (s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः अथवा आंशिक If convertible, fully or partially	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
28	यदि परिवर्तनीय तो यह स्वरूप जिसमें लिखत परिवर्तित हुआ If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
29	यदि परिवर्तनीय लिखत जिसमें परिवर्तित हुआ, के जारीकर्ता का उल्लेख If convertible, specify issuer of instrument it converts into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
30	अवलेखन विशेषता Write-down feature	हां Yes	नहीं No	हां Yes
31	यदि अवलेखन हुआ तो अवलेखन के उत्प्रेरक If write-down, write-down trigger(s)	अक्षमता का प्रारंभिक बिंद Point of Non-viability trigger	लागू नहीं NA	अक्षमता का प्रारंभिक बिंद Point of Non-viability trigger
32	यदि अवलेखन हुआ तो पूर्णतः अथवा आंशिक If write-down, full or partial	पूर्ण Full	लागू नहीं NA	पूर्ण Full
33	यदि अवलेखन हुआ तो स्थायी अथवा अस्थायी If write-down, permanent or temporary	स्थायी Permanent	लागू नहीं NA	स्थायी Permanent
34	यदि अस्थायी अवलेखन तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा If temporary write-down, description of write-up mechanism	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
35	परिसमापन में गौण वरिष्ठता की स्थिति (तत्काल वरिष्ठ लिखत का स्वरूप विर्निर्दिष्ट करें) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank
36	गैर-अनुपालित परिवर्ती विशेषताएं Non-compliant transitioned features	नहीं No	हां Yes	नहीं No
37	अगर हां तो गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें If yes, specify non-compliant features	लागू नहीं NA	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	लागू नहीं NA

सारणी : डीएफ-14 : पूंजी लिखतों की पूर्ण विनियामक शर्ते एवं निबंधन

डीएफ 14 बैंक की वेब साईट www.bankofmaharashtra.in की बेसल III प्रकटन मद के अंतर्गत उपलब्ध है।

सारणी : डीएफ-15 : पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकटन : लागू नही.

सारणी : डीएफ-16 : इक्विटी : बैंक बहि स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

इक्विटी जोखिम के संबंध में आवश्यक सामान्य गुणात्मक प्रकटन।

- निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक की निवेश प्रबंधन नीति के अनुरूप दिशानिर्देशों के अनुसरण में क्रय की तारीख पर निवेशों का वर्गीकरण 'ट्रेडिंग के धारित' (एचएफटी), 'विक्रय हेतु उपलब्ध' (एएफएस) तथा 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम) श्रेणीयों में किया जाता है। परिपक्वता तक धारित करने हेतु बैंक के प्रयोजन के निवेशों को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सहायक एवं संयुक्त कंपनियों की इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत करना आवश्यक है। इन्हें रणनितीक संबंध बनाए रखने अथवा रणनितीक व्यवसाय प्रयोजन के उद्देश्यों से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर लिए गये है और उन्हे बाजार पर चिन्हित नहीं किया गया है। इक्विटी निवेशों के मूल्य में गिरावट, अस्थाई गिरावट को छोडकर, का प्रावधान किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर किसी भी हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशो की बिक्री से किसी भी लाभ को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 'पूंजी आरक्षिति' के प्रति सांविधिक आरक्षिति और करों के निवल के रुप में समायोजित किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशनुसार, प्रारम्भिक 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश को बैंकिंग बही (एचटीएम श्रेणी) में धारित करने की अनुमति है।

मात्रात्मक प्रकटन

1. निवेशों के मूल्य

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से भौतिक रूप से अलग हैं
बिना भाव वाले	807.88	807.88	लागू नहीं
भाव वाले	शून्य	शून्य	लागू नहीं

2. निवेशों का प्रकार एवं स्वरूप

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	निजी रूप से धारित
सहायक, संबद्ध और संयुक्त कंपनियां	शून्य	734.21
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य
उद्यम पूंजी निधि	शून्य	73.67

TABLE DF 14 – FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

DF 14 is available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in under the line "Basel III Disclosures"

TABLE DF – 15: DISCLOSURE REQUIREMENT FOR REMUNERATION

Quantitative and Qualitative Disclosures: Not Applicable

TABLE DF – 16: EQUITIES: DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure:

General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with RBI guidelines and in line with Bank's Investment Management Policy on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classify under HTM category in accordance with RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.
- As per RBI guidelines, Bank is allowed to hold investments in units of Venture Capital Fund (VCF) under Banking Book (HTM category) for initial period of 3 years and valued at cost during this period.

Quantitative Disclosures

1. Value of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value
Unquoted	807.88	807.88	N.A
Quoted	0.00	0.00	N.A

2. Type and Nature of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Publicly Traded	Privately Held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures	NIL	734.21
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL
Venture Capital Funds	NIL	73.67

3. लाभ/हानि विवरण

(रकम ₹ मिलियन में)

विवरण	रकम
वसूले गए संचयी लाभ (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री एवं नकदीकरण से उद्भूत हानियां)	शून्य
वसूले न गए कुल लाभ (हानियां)	शून्य
कुल अप्रकटित मूल्यांकन लाभ (हानियां)	शून्य
उपर्युक्त में से कोई भी रकम टीयर I एवं टीयर II पूंजी में सम्मिलित है	शून्य

4. बैंकिंग बही हेतु पूंजी आवश्यकता

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	बेसल III के अधीन व्यवहार	विगोपन	जोखिम आधारित आस्तियां	पूंजी आवश्यकता 10.875% की दर से
सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां, उद्यम पूंजी निधियां	250% पर जोखिम भारित	732.71	1831.78	199.21
	150% पर जोखिम भारित	73.67	110.51	12.02
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लिवरेज अनुपात प्रकटन

सारणी डीएफ - 17 - लेखांकन आस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय का तुलनात्मक सार		
क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	**1688671.82**
2	बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा तथा वाणिज्यिक इकाईयों में निवेशों का समायोजन जिन्हें लेखांकन प्रयोजनों हेतु समेकित किया है किंतु वे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है (उपर्युक्त 1 में से)	**(0.00)**
3	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त, प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, जिन्हें लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय में शामिल नहीं किया है	**0.00**
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	**10033.40**
5	प्रतिभूति वित्तीय व्यवहारों के लिए समायोजन (यथा रैपो एवं सामान्य प्रतिभूतित उधारी)	**0.00**
6	तुलनपत्र में शामिल न किए गए मदों का समायोजन (यथा तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की राशि के समकक्ष ऋण का परिवर्तन)	**97352.80**
7	अन्य समायोजन (टीयर 1 पूंजी से कटौती की गई अमूर्त आस्तियां)	**(23661.70)**
8	**लिवरेज अनुपात विगोपन**	**1772396.29**

3. Gain/ Loss Statement

(Amount in ₹ million)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL
Total unrealized gains (losses)	NIL
Total latent revaluation gains (losses)	NIL
Any amount of the above included in Tier I and Tier II capital	NIL

4. Capital Requirement for Banking Book

(Amount in ₹ million)

Investments	Treatment under Basel III	Exposure	Risk Weighted Assets	Capital Requirement @10.875%
Subsidiary, Associate and Joint Ventures ,Venture Capital Funds	Risk weighted at 250%	732.71	1831.78	199.21
	Risk weighted at 150%	73.67	110.51	12.02
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL	NIL	NIL

LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

Table DF-17 – Summary Comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure		
Sr. No.	Item	(₹ in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	**1688671.82**
2	Adjustments for Investments in Banking, Financial, Insurance and Commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation (Out of 1 above)	**(0.00)**
3	Adjustments for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	**0.00**
4	Adjustments for derivative financial instruments	**10033.40**
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	**0.00**
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	**97352.80**
7	Other adjustments	**(23661.70)**
8	**Leverage Ratio Exposure**	**1772396.29**

सारणी डीएफ-18 - लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन ढांचा		
क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र में शामिल विगोपन	
1	तुलनपत्र में शामिल मदें (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोडकर परंतु समर्थक को शामिल करते हुए)	**1630671.94**
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने हेतु कटौती की गई आस्तियों की रकम)	**(23661.86)**
3	**तुलनपत्र में शामिल कुल विगोपन** (व्युत्पन्न एवं एसएफटी के अलावा) (पंक्ति क्र. 1 एवं 2 का जोड)	**1607010.08**
	व्युत्पन्न विगोपन	
4	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध बदली की लागत (यथा पात्र नकद विचलन मार्जिन का निवल)	**3153.10**
5	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध पीएफई की ॲड-ऑन रकम	**6880.30**
6	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में जहां तुलनपत्र आस्तियों से प्रदत्त व्युत्पन्न समर्थक मदों के सकल जोड़ की कटौती की गई है	**0.00**
7	(व्युत्पन्न व्यवहारों में प्रदान किए गए नकद विचलन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती)	**0.00**
8	(ग्राहक द्वारा स्पष्ट किए गए व्यापार विगोपनों में सीसीपी का छूट प्राप्त अंश)	**0.00**
9	बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	**0.00**
10	(बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों के समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ-सेट एवं ॲड-ऑन)	**0.00**
11	**कुल व्युत्पन्न विगोपन (पंक्ति क्र. 4 से 10 का जोड़)**	**10033.40**
	प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार विगोपन	
12	विक्री लेखांकन व्यवहारों का समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियों (निवल जोड़ को मान्यता न देते हुए)	**58000.00**
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय एवं नकद प्राप्यों की निवल रकम)	**0.00**
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर विगोपन	**0.00**
15	एजेंट व्यवहार विगोपन	**0.00**
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण व्यवहार विगोपन (पंक्ति क्र. 12 से 15 का जोड़)**	**58000.00**
	तुलनपत्र में शामिल न किए गए अन्य विगोपन	
17	तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की सकल अनुमानित रकम	**262643.50**
18	(ऋण की समकक्ष रकमों में परिवर्तित हेतु समायोजन)	**(165290.70)**
19	**तुलनपत्र में शामिल न की गई मदें (पंक्ति क्र. 17 एवं 18 को जोड़)**	**97352.80**
	पूंजी एवं कुल विगोपन	
20	**टीयर 1 पूंजी**	**82976.10**
21	**कुल विगोपन (पंक्ति क्र. 3, 11, 16 एवं 19 को जोड़)**	**1772396.29**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**4.68%**

Table DF-18 – Leverage Ratio Common Disclosure Template		
Sr. No.	Item	(₹ in million)
	On-Balance Sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	**1630671.94**
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	**(23661.86)**
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**1607010.08**
	Derivative Exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	**3153.10**
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	**6880.30**
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	**0.00**
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	**0.00**
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	**0.00**
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	**0.00**
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	**0.00**
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**10033.40**
	Securities Financing Transaction Exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	**58000.00**
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	**0.00**
14	CCR exposure for SFT assets	**0.00**
15	Agent transaction exposures	**0.00**
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**58000.00**
	Other Off-Balance Sheet Exposure	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	**262643.50**
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	**(165290.70)**
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**97352.80**
	Capital and total Exposures	
20	**Tier 1 Capital**	**82976.10**
21	**Total Exposures (sum of lines 3,11,16 and 19)**	**1772396.29**
	Leverage Ratio	
22	**Basel III Leverage Ratio**	**4.68%**

तरलता कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

		दिसंबर 2019 तिमाही		मार्च 2020 तिमाही	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलएएस)		39124.62		38472.93

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount ₹ in crore)

Amount in ₹ crore		Qtr Dec 2019		Qtr March 2020	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High quality Liquid assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		39124.62		38472.93

नकद बहिर्वाह					
2	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशिया, जिनमें से :	120976.16	10467.24	122603.97	10608.14
(i)	स्थिर जमाराशियां	32607.53	1630.38	33045.06	1652.25
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	88368.63	8836.86	89558.91	8955.89
3	अप्रत्याभूत थोक निधियन, जिसमें से :	16929.68	9667.21	16580.81	9423.84
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	0	0	0	0
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	16929.68	9667.21	16580.81	9423.84
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0
4	प्रत्याभूत थोक निधियन	6319.27	0	4641.14	0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से :	8921.6	805.93	11422.33	1064.93
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद	8921.6	805.93	11422.33	1064.93
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	365.34	365.34	561.78	561.78
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	16310.6	626.7	16788.93	649.13
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**21,932.42**		**22307.82**
नकद अंतर्वाह					
9	प्रत्याभूत उधारी (उदाहरणार्थ - प्रति रेपो)	2722.21	0	6231.81	0
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक विगोपन से अंतर्वाह	3157.71	2486.52	4124.7	3647.28
11	अन्य नकद अंतर्वाह	1614.41	1406.56	223.94	111.97
12	**कुल नकद अंतर्वाह**		**3893.08**		**3759.25**
13	**कुल एचक्यूएलए**		39124.62		38472.93
14	**कुल निवल नकद बहिर्वाह**		18039.34		18548.57
15	**तरलता कवरेज अनुपात (%)**		**216.88%**		**207.42%**

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक में भाररहित उच्च-गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) का पर्याप्त स्टॉक है, जो कि तरलता अनुपात परिदृष्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) की की राशि को विभाजित किया जाता है। निवल नकद बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैरप्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 207.42% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 100.00% की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	120976.16	10467.24	122603.97	10608.14
(i)	Stable deposits	32607.53	1630.38	33045.06	1652.25
(ii)	Less stable deposits	88368.63	8836.86	89558.91	8955.89
3	Unsecured wholesale funding, of which:	16929.68	9667.21	16580.81	9423.84
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	16929.68	9667.21	16580.81	9423.84
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	6319.27	0.00	4641.14	0.00
5	Additional requirements, of which:	8921.60	805.93	11422.33	1064.93
(i)	*Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	*Outflows related to loss of funding on debt products*	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	*Credit and liquidity products*	8921.60	805.93	11422.33	1064.93
6	Other contractual funding obligations	365.34	365.34	561.78	561.78
7	Other contingent funding obligtations	16310.60	626.70	16788.93	649.13
8	**Total Cash Outflows**		**21932.42**		**22307.82**
Cash inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	2722.21	0.00	6231.81	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	3157.71	2486.52	4124.70	3647.28
11	Other cash inflows	1614.41	1406.56	223.94	111.97
12	**Total Cash Inflows**		**3893.08**		**3759.25**
13	**Total HQLA**		39124.62		38472.93
14	**Total Net Cash Outflows**		18039.34		18548.57
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**216.88%**		**207.42%**

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

Average LCR on a daily basis for the quarter ended 31st March 2020 is 207.42%, above RBI prescribed minimum requirement of 100.00%.

समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements

31मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2019 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**5824,10,93**	2753,17,14
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**5085,06,86**	3129,91,00
जमाराशियां Deposits	3	**150050,01,88**	140636,22,85
उधारियां Borrowings	4	**3670,03,18**	10149,17,14
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**4388,30,33**	8007,98,95
जोड़ TOTAL		**169017,53,18**	**164676,47,08**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**10353,68,78**	7919,98,72
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**93,33,30**	1234,96,79
निवेश Investments	8	**57890,59,14**	59837,27,45
अग्रिम Advances	9	**86871,65,09**	82666,21,11
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1676,19,16**	1775,53,01
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**12132,07,71**	11242,50,00
जोड़ TOTAL		**169017,53,18**	**164676,47,08**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**29491,84,83**	27054,53,73
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**7037,36,24**	4390,31,12
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों के अभिन्न भाग हैं.
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर. तामोधरन
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

वंदिता कौल
निदेशक
VANDITA KAUL
Director

एम. के. वर्मा
निदेशक
M.K. Verma
Director

नागेश्वर राव वाई.
कार्यपालक निदेशक
NAGESWARA RAO Y.
EXECUTIVE DIRECTOR

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A.S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

सुधीर डी. बाजपेई
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SUDHIR D. BAJPAI
Dy. Gen. Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
मुविअ
V. P. SRIVASTAVA
CFO

स्थान : पुणे
दिनांक : 16 जून, 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**11495,52,98**	10849,68,78
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		**9,51,72**	19,80,14
अन्य आय Other Income	14	**1650,22,81**	1548,42,58
जोड़ TOTAL		**13155,27,51**	12417,91,50
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**7215,73,11**	7115,15,22
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**3081,95,99**	3084,17,94
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**2458,74,51**	6981,83,08
जोड़ TOTAL		**12756,43,61**	17181,16,24
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		**398,83,90**	-4763,24,74
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-7275,96,55**	-2479,96,09
जोड़ें : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve		**–**	–
जोड़ TOTAL		**-6877,12,65**	**-7243,20,83**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**97,14,52**	–
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**53,64,46**	32,75,72
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**–**	–
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**–**	–
निवेश अस्थिर आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		**227,00,00**	–
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**–**	–
लाभांश पर कर (अनुषंगी) Tax on Dividend (Subsidary)		**–**	–
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**-7254,91,63**	-7275,96,55
जोड़ TOTAL		**-6877,12,65**	**-7243,20,83**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाईल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		**0.69**	-14.19

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि खाते के अभिन्न भाग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी	**कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी**	**कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित**	**कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन**
एफआरएन:005301एन	एफआरएन: 000956एस	एफआरएन: 101048 डब्ल्यू	एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
for M/s. M. D. Gujrati & Co.	**for M/s. K Gopal Rao & Co**	**for M/s. Batliboi & Purohit**	**for M/s. Abarna & Ananthan**
FRN: 005301N	FRN: 000956S	FRN: 101048W	FRN: 000003S
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सीए मनोहर दास गुजराती	**सीए मदन गोपाल नारायणन**	**सीए रमन हंगेकर**	**सीए एस. अनंथन**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552	सदस्यता क्र.: 211784	सदस्यता क्र.: 030615	सदस्यता क्र.: 026379
CA Manohar Das Gujrati	**CA Madan Gopal Narayanan**	**CA Raman Hangekar**	**CA S Ananthan**
Partner	Partner	Partner	Partner
Membership No: 081552	Membership No. 211784	Membership No: 030615	Membership No: 026379

स्थान : पुणे
दिनांक : 16 जून, 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 300,00,00,000) of ₹ 10/- each		**10000,00,00**		4000,00,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
प्रत्येक ₹ 10/- के 582,41,09,300 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 275,31,71,308) 582,41,09,300 Equity Shares (Previous year 275,31,71,308) of ₹ 10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**2753,17,14**		2598,45,44	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	**3070,93,79**	**5824,10,93**	154,71,70	2753,17,14
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. a. केंद्र सरकार द्वारा धारित Held by Central Government	**5386,57,83**		2415,64,04	
प्रत्येक ₹ 10/- के 538,65,78,326 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 241,56,40,414) 538,65,78,326 (Previous year 241,56,40,414) Equity shares of ₹ 10/- each				
ख. b. जनता व अन्य द्वारा धारित Held by the Public & Others	**437,53,10**		337,53,10	
प्रत्येक ₹ 10/- के 43,75,30,974 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 33,75,30,974) 43,75,30,974 (Previous year 33,75,30,974) Equity Shares of ₹ 10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	**–**	**5824,10,93**	–	2753,17,14
जोड़ TOTAL		**5824,10,93**		2753,17,14

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I. **सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1272,21,48**		1272,21,48	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	97,14,52	**1369,36,00**	–	1272,21,48
II. **पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**363,39,70**		330,63,98	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**53,64,46**		32,75,72	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	–	**417,04,16**	–	363,39,70
III. **शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**5343,99,89**		5293,71,60	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**1558,76,21**	**6902,76,10**	50,28,29	5343,99,89
IV. **राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**				
क) **राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1555,16,07**		1423,91,85	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	106,13,99		131,24,22	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	–	**1661,30,06**		1555,16,07

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
ख)	**विशेष आरक्षिति** b) SPECIAL RESERVE				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	**498,00,00**		498,00,00	
ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–	**498,00,00**	–	498,00,00
ग)	**पुनर्मूल्यन आरक्षिति** c) REVALUATION RESERVE				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1373,10,41**		1129,99,14	
ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–		374,35,49	
iii)	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**108,58,24**	**1264,52,17**	131,24,22	1373,10,41
घ)	**निवेश आरक्षिति खाता** d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	**–**		–	
ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	227,00,00		–	
iii)	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**227,00,00**	–	–
V.	**लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**-7254,91,63**	**-7254,91,63**	-7275,96,55	-7275,96,55
	जोड़ TOTAL		**5085,06,86**		3129,91,00

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
क **A.**	**मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS**				
i)	बैंकों से From Banks	**83,84,03**		110,68,73	
ii)	अन्यों से From others	**14304,31,50**	**14388,15,53**	13051,79,01	13162,47,74
II.	**बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS**		**61085,29,73**		56666,83,66
III.	**मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS**				
i)	बैंकों से From Banks	**205,97,69**		106,99,05	
ii)	अन्यों से From others	**74370,58,93**	**74576,56,62**	70699,92,40	70806,91,45
	जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		**150050,01,88**		140636,22,85
ख B. (i)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any		**–**		–
(ii)	भारत से बाहर की सहायक कंपनियों की जमाराशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any		**–**		–
(iii)	मूल कंपनी की जमाराशियां Deposits of Parent		**150050,01,88**		140636,22,85
	जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		**150050,01,88**		140636,22,85
ग.C. (i)	मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां Deposits of parent in India		**150050,01,88**		140636,22,85
(ii)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां Deposits of subsidiaries in India		**–**		–
(iii)	भारत में कुल जमाराशियां Total Deposits in India (i + ii)		**150050,01,88**		140636,22,85
(iv)	मूल कंपनी की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of parent outside India		**–**		–
(v)	सहयोगी कंपनियों की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of subsidiaries outside India		**–**		–
(vi)	भारत से बाहर कुल जमाराशियां Total Deposits outside India (iv + v)		**–**		–
	जोड़ (TOTAL (III & VI)		**–**		–
	जोड़ TOTAL (C iii + C vi)		**150050,01,88**		140636,22,85

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	**भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**				
	i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank of India	**478,00,00**		1500,00,00	
	ii) अन्य बैंकों से Other Banks	**–**		–	
	iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	**85,79,79**		5513,78,46	
	iv) डिबेंचर Debenture	**–**		–	
	v) अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**–**		70,00,00	
	ख) b) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	**–**		400,00,00	
	ग) c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds	**2100,00,00**		1630,00,00	
	घ) d) इंफ्रा बांड Infra Bonds	**1000,00,00**	**3663,79,79**	1000,00,00	10113,78,46
II.	भारत के बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		**6,23,39**		35,38,68
	जोड़ TOTAL (I & II)		**3670,03,18**		10149,17,14
III.	उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE**		**478,04,79**		6781,16,21

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	देय बिल Bills Payable		**486,92,01**		416,59,84
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
	क मूल कंपनी Parent Company		**–**		432,87,65
	ख सहायक कंपनी Subsidiary		**–**		–
III.	अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)		**–**		–
IV.	उपचित ब्याज Interest Accrued		**309,52,38**		307,60,34
V.	अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	**698,54,47**		623,10,68	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	**2893,31,47**	**3591,85,94**	6227,80,44	6850,91,12
	जोड़ TOTAL		**4388,30,33**		8007,98,95

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)		**812,11,48**		699,14,34
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में In Current Accounts	**3741,57,30**		6310,84,38	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	**5800,00,00**	**9541,57,30**	910,00,00	7220,84,38
	जोड़ TOTAL (I & II)		**10353,68,78**		7919,98,72

अनुसूची - 7 : बैंको में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	भारत में In India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में				
	(a) Current Accounts	**39 ,40 ,69**		15 ,04 ,25	
	(ख) अन्य जमा खातों में				
	(b) Other Deposit Accounts	**15 ,18 ,56**	**54 ,59 ,25**	15 ,18 ,56	30 ,22 ,81
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
	(क) बैंकों के पास				
	(a) With Banks	**–**		–	
	(ख) अन्य संस्थों के पास				
	(b) With Other Institutions	**–**	–	1157,23,03	1157,23,03
	जोड़ TOTAL (i & ii)		**54,59,25**		1187,45,84
II.	भारत के बाहर Outside India				
	बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में				
	(a) Current Accounts	**–**		–	
	(ख) अन्य जमा खातों में				
	(b) Other Deposit Accounts	**38,74,05**		47,50,95	
	(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	(c) Money at Call & Short Notice	**–**	**38,74,05**	–	47,50,95
	जोड़ TOTAL		**38,74,05**		47,50,95
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**93,33,30**		1234,96,79

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	**भारत में निवेश Investments in India in**				
	क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)				
	a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		**45639 ,06 ,48**		42413 ,04 ,84
	ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
	b) Other approved securities		–		–
	ग) शेयर्स				
	c) Shares		**277 ,71 ,29**		263 ,95 ,75
	घ) डिबेंचर्स और बांड				
	d) Debentures and Bonds		**2547 ,27 ,47**		2444 ,98 ,67
	ड़) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822)				
	e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 231822)		**222 ,17 ,39**		212 ,65 ,67
	च) अन्य				
	f) Others				
	i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**384 ,77 ,13**		390 ,04 ,59	
	ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**8819 ,59 ,38**		14073 ,23 ,60	
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**–**		39 ,34 ,33	
	iv) पीटीसी PTCs	**–**		–	
	v) अन्य Others	**–**	**9204 ,36 ,51**	–	14502 ,62 ,52
	जोड़ TOTAL		**57890 ,59 ,14**		59837 ,27 ,45
II.	**भारत से बाहर निवेश Investments outside India**				
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)		**–**		–
	ii) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**–**		–
	iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other Investment (to be specified)		**–**		–
	जोड़ TOTAL		**–**		–
	कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)		**57890 ,59 ,14**		59837 ,27 ,45
III	**भारत में सकल निवेश Investments in India**				
	i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments		**58321 ,07 ,88**		60303 ,90 ,78
	ii) मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधानों का जोड Aggregate of Provisions for Depreciation		**430 ,48 ,74**		466 ,63 ,33
	iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)		**57890 ,59 ,14**		59837 ,27 ,45
	निवेशों के विवरण Details of Investments:				
	i) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**222 ,17 ,39**		212 ,65 ,67
	ii) अन्य निवेश Other Investments		**57668 ,41 ,75**		59624 ,61 ,78
	जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)		**57890 ,59 ,14**		59837 ,27 ,45

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**494,70,10**		610,24,20	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**39427,00,65**		41155,34,62	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	**46949,94,34**		40900,62,29	
	iv) प्राप्य लीज Lease Receivable	**–**	**86871,65,09**	–	82666,21,11
	जोड़ TOTAL		**86871,65,09**		82666,21,11
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**71104,64,03**		72556,48,11	
	ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**204,07,43**		5,22,33	
	iii) असंरक्षित Unsecured	**15562,93,63**	**86871,65,09**	10104,50,67	82666,21,11
	जोड़ TOTAL		**86871,65,09**		82666,21,11
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	**35908,48,14**		33173,96,10	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**8006,79,63**		7520,95,76	
	iii) बैंक Banks	**6,29,07**		8,97,45	
	iv) अन्य Others	**42950,08,25**	**86871,65,09**	41962,31,80	82666,21,11
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
	i) बैंकों से देय Due from banks	**–**		–	
	ii) अन्यों से देय Due from others	**–**		–	
	iii) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**–**		–	
	iv) संघीय ऋण Syndicated Loans	**–**		–	
	v) अन्य Others	**–**	–	–	–
	जोड़ TOTAL (C.I & C.II)		**86871,65,09**		82666,21,11

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	**1663,97,11**		1561,29,97	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**8,46**		23,91	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	**–**		1504,34,63	
		1664,05,57		3065,88,51	
	4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	2,54,31		1401,91,40	
		1661,51,26		1663,97,11	
	5 अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**310,98,61**	**1350,52,65**	201,55,30	1462,41,81
II	**प्रक्रियाधीन पंजीगत कार्य Capital Work in progress**		**71,77,44**		34,38,07

III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1328,71,25**		1226,44,55	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**76,32,64**		128,19,31	
		1405,03,89		1354,63,86	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**20,17,79**		25,57,56	
		1384,86,10		1329,06,30	
	4 अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**1130,97,03**	**253,89,07**	1050,33,17	278,73,13
	जोड़ TOTAL (I & II)		**1676,19,16**		**1775,53,01**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
	क a. मूल कंपनी Parent Company		**657,94,63**		–
	ख b. सहायक कंपनी Subsidiaries Company		**–**		–
II	उपचित ब्याज Interest accrued		**1088,41,79**		1111,34,92
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source		**291,67,74**		1168,80,70
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps		**3,19,64**		2,96,27
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		**–**		–
VI.	अन्य* (आरआईडीएफ सहित) Others * (incl RIDF)		**10090,83,91**		8959,38,11
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		**12132,07,71**		11242,50,00

*आस्थगित कर, यदि कोई हो, सहित.
*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
I.	बैंक के विरूद्ध दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts		**1062,30,50**		1559,63,83
II.	आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		**–**		–
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		**18636,28,47**		15016,28,24
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(क) भारत में (a) In India	**8352,25,64**		8664,26,39	
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	**122,16,63**	**8474,42,27**	100,75,40	8765,01,79
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations		**889,77,57**		1456,56,65
VI.	अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		**429,06,02**		257,03,22
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		**29491,84,83**		27054,53,73

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Previous Year)	
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		**6409,27,01**		6566,64,36
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	**4321,32,97**		3794,62,04	
	घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	**118,55,92**	**4202,77,05**	104,92,67	3689,69,37
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		**240,98,13**		356,42,07
IV	अन्य Others		**642,50,79**		236,92,98
	जोड़ TOTAL (I, II, III & IV)		**11495,52,98**		**10849,68,78**

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Current Year)		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		**851,24,28**		785,63,29
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**358,52,93**		276,87,27	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**19,14,89**	**339,38,04**	18,13,45	258,73,82
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**–**		–	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**–**	**–**	–	–
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**6,55,03**		1,81,08	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**1,74,10**	**4,80,93**	1,88,04	-,6,96
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**164,68,16**		131,81,34	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	14	**164,68,02**	1	131,81,33
VI.	भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**1,71,56**		1,52,41
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**288,39,98**		370,78,69
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)		**1650,22,81**		1548,42,58

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**6756,27,03**	6749,97,18
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**20,56,03**	29,57,25
III.	अन्य Others	**438,90,05**	335,60,79
	जोड़ TOTAL (I, II & III)	**7215,73,11**	7115,15,22

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Current Year)	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1744,59,49**	1794,77,93
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**214,97,71**	207,02,51
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**21,62,66**	17,50,25
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**25,69,61**	15,10,01
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (मूल्य-ह्रास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	**210,94,81**	241,37,33
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**,77,75**	,62,75
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	**17,58,48**	19,06,09
VIII	विधि प्रभार Law Charges	**19,65,84**	22,82,55
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**54,55,03**	46,29,53
X	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**180,30,08**	133,14,13
XI	बीमा Insurance	**151,03,12**	135,47,30
XII	अन्य व्यय Other expenditure	**440,21,41**	450,97,56
	जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI & XII)	**3081,95,99**	3084,17,94

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।

1.2 **अनुमान का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखा मानक 23- ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है।

1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 के अनुसार बनाये गये हैं।

2. समेकन के सिद्धांत

क. मूल इकाई : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।

ख. संबद्ध इकाई : लेखा मानक 21 - ठसमेकित वित्तीय विवरणड के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/ आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कपनी प्रा.लि. (अब मेटको के रुप में निर्दिष्ट)	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100 %

लेखा मानक 23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी पध्दति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/ आवास	संबंध	मालिकाना हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35 %

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020.)

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India , the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6 The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2020.

2. Principles of Consolidation:

A. Parent Entity: The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B. Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं :-

i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

ii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार मूल के संबंधित मदों सहित और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/ संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी प्रत्येक मद को लाइन-दर-लाइन आधार पर समूहन किया गया है।

iii) आईसीएआई द्वारा जारी ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' लेखा मानक 23 के अनुसार ''इक्विटी पद्धति'' के अधीन ''सहायक प्रतिष्ठानों'' में निवेश हेतु लेखांकन।

iv) सहायक इकाईयों में अपने समूह निवेश के लिए लागत तथा प्रतिष्ठानों के ईक्विटी में सामूहिक हिस्से के बीच अंतर साख/ पूंजी आरक्षित के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं।

सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पध्दति से अलग पध्दति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।

जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबध्द किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए ''नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य आस्तियों'' और हानि के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य देयताओं'' को प्रभारित किया गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

C. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact

The Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of : -

i. Audited financial statement of Bank of Maharashtra.

ii. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiary with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iii. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The excess of carrying cost of bank's investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.

iv. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

4.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

4.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

घ. डिबेंचर तथा बांड

ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

4.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। ''व्यापार हेतु धारित'' से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। ''व्यापार के लिए धारित'' श्रेणी से निवेशों का ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।

4.4 **रेपो/ रिवर्स रेपो** :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

4.5 लागत भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है।

खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/ खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ स्थिर आय

प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा।

निवेश की खरीद/ बिक्री के समय ब्रोकरेज/ प्राप्त/ प्रदत्त निवेश को निवेश की राशि से काटा/ जोड़ा गया है।

4.6 **निवेशों का मूल्यन** :

क. **परिपक्वता तक धारित** :

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति

4.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)

b. Available for sale (AFS)

c. Held for trading (HFT)

4.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

a. Government Securities

b. Other approved Securities

c. Shares

d. Debentures and Bonds

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

4.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

4.4 **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

4.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

4.6 **Valuation of investments:**

a. **Held to Maturity:**

i. Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments,

से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।

ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित **तथा** प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को **रखाव लागत** पर मूल्यांकित किया गया है।

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ लागू कर और सांविधिक आरक्षिति हेतु आनुपातिक अंतरण का निवल को 'आरक्षित पूंजी खातेट में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ख. **बिक्री हेतु उपलब्ध** :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन ठक्ड्डद्रँ आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न द्वढ्ढड (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है।

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर:

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है।

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है।

ग. **व्यापार हेतु धारित** :

i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन ''नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दरों से किया गया है।

ii. बट्टागत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है। म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार

where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

ii. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

iii. On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

b. **Available for Sale:**

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

i. If it results in appreciation, the same is ignored.

ii. If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

iii. The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. **Held for Trading:**

i. The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

ii. Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost.

मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

iii. निवल श्रेणीवार मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है। यदि निवल अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

iv. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. पुनर्निवेशों सहित लागत का प्रावधान एवं वर्गीकरण किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास / प्रावधान किया गया है।

ङ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा दलाली, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है।

4.7 डेरिवेटिव :

च. **ब्याज दर स्वैप** :

i. **मूल्यांकन** :

क) **हेजिंग स्वैप** : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वैप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) नहीं है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) है।

(ii) **डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन**:

क) **हेजिंग स्वैप** :वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबध्द किया गया है।

(iii) **स्वैप निरसन पर लाभ या हानि का लेखा**

क) **हेजिंग स्वैप**: निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

4.8 **निवेश अस्थिर आरक्षिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 अप्रैल 2018 के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.क्र.बीपी बीसी.102/21.04.048 /2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू आय में बढ़ौत्तरी के समक्ष बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षित बनाने के लिए निवेश अस्थिर आरक्षित (आईएफआर) निर्मित किया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और आईएफएस पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

iii. Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

4.7 **Derivatives:**

f. **Interest Rate Swaps:**

i. **Valuation:**

a. Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

b. Trading Swaps: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. **Accounting of income on derivative deals:**

a. Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

b. Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. **Accounting of gain or loss on termination of swaps:**

a. Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

b. Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4.8 **Investment Fluctuation Reserve:**

As per RBI circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP BC .102/21.04.048/2017-18 *dated* April 2, 2018, Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields with effect from FY 2018-19.

Transfer to IFR is lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

5. अग्रिम:

5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन से निवल हैं।

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

अवमानक - 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

5.3 मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोडकर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

5.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में पुनर्संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है।

एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार तिमाहियों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान के जाएंगे।

5.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया जाए।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (एसआरएस/ पीटीसी के मोचन) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है. अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस पर प्राप्त नकद आस्ति के एनबीवी से अधिक हो जाता है।

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

6.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत घटाएं मूल्यह्रास/ ऋण परिशोधन पर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय/यों केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।

6.2 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य रुपया एक लिखा जा सके।

5. Advances:

5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

5.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head “Other liabilities and provisions”.

5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

5.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. Fixed Assets and Depreciation:

6.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.2 Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

क्रमांक	आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)	मूल्यह्रास की पद्धति
1	भवन एवं परिसर	5.00	डीबीएम
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	18.10	डीबीएम
3	विद्युत उपकरण	13.91	डीबीएम
4	कार्यालय मशीनरी	13.91	डीबीएम
5	मोटर वाहन	25.89	डीबीएम
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91	डीबीएम
7	सायकिल	20.00	डीबीएम
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप	33.33	एसएलएम
9	एटीएम	14.29	एसएलएम
10	यूपीएस	20.00	एसएलएम
11	बीएनए	14.29	एसएलएम
12	कैश रि-साइकलर	14.29	एसएलएम

* डीबीएम अर्थात ह्रासमान शेष पद्धति
* एसएलएम अर्थात सीधी रेखा पद्धती

6.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, उतने दिनों तक जब तक कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो।

6.4 हर तीन साल में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) का स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज़ पर धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षिति को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल संपत्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यह्रास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षिति की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित कर दी जाती है।

6.5 पट्टे पर दिए गए परिसरों के मामले में, पट्टे का प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन है।

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.6 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यह्रास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है। इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं। बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यह्रास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई। आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए ह्रासमान शेष पध्दति से मूल्यह्रास लगाया गया है।

7. राजस्व अभिनिर्धारण:

7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबध्द मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है :

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)	Method of depreciation
1	Building & Premises	5.00	DBM
2	General items including Safe	18.10	DBM
3	Electrical Equipment's	13.91	DBM
4	Office Machinery	13.91	DBM
5	Motor Vehicles	25.89	DBM
6	Safe Deposit Vault	13.91	DBM
7	Bicycle	20.00	DBM
8	Computer & Laptops	33.33	SLM
9	ATM	14.29	SLM
10	UPS	20.00	SLM
11	BNA	14.29	SLM
12	Cash Re-cycler	14.29	SLM

*DBM means Diminishing Balance Method

*SLM means Straight Line Method

6.4 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

6.5 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

6.5 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis.

In case of the subsidiary:

6.7 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7. Revenue Recognition

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.

ख. कमीशन अर्थात गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, म्युच्युअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉकर किराए से आय.

ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ बीमा दावे.

ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक.

च. प्रोसेसिंग शुल्क.

छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.

ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क.

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है।

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि एएस -15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही / वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, विशेषाधिकार अवकाश, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

9. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

10. आस्तियों की हानि

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 - ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबध्दता के लिए प्रावधान करता है. यह संभावित है कि जब प्रतिबधदता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो और प्रतिबध्दताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो.

b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at saving bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity and Pension schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave fare Concession, Privilege Leave, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.

7. Segment Reporting:

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event not it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

12. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/ अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

13. आयकर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रबंधन निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्राप्त और पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, चाहे जैसे भी हो उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित है।

अनवशोषित मूल्यह्रास या कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब उच्च न्यायालय द्वारा मांग को उचित ठहराया गया।

14. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) ठप्रति शेयर अर्जनड के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld by High Court.

13. Earnings Per Share

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

1. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः ''परिपक्वता तक धारित'', ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' और ''विपणन हेतु धारित'' में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

बैंक ने चालू वर्ष के लाभ से निवेश अस्थिर आरक्षिति (एफआईआर) को ₹ 227 करोड़ रुपये (₹ शून्य करोड़) का विनियोजन किया है।

2. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबध्द किया गया है।

2.2 लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है।

3. अचल संपत्ति

3.1 चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रासित कुल राशि ₹106.14 करोड़ (₹131.24 करोड़) स्थिर आस्तियों पर पुनर्मूल्यांकित अंश लाभ हानि खाते में नामे किया गया है। ₹106.14 (₹131.24) करोड़ की समतुल्य राशि को पूनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित किया गया है।

3.2 ₹ 6.54 करोड़ (₹ 6.54 करोड़) के पुनर्मूल्यित संपत्तियों/परिसरों 4 (4) के स्वत्व विलेख के संबंध में कुछ लंबित / विलंबित औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

3.3 प्रगतिधीन पूंजी कार्य में स्थिर आस्तियों (भवन) की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। ₹ 34.38 करोड़ (₹ 34.39 करोड़) राशि के प्रगतिधीन पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में किदवई नगर, नई दिल्ली में भवन का निर्माण शामिल है। यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान कार्य की पूर्णता की पूर्ण होने के चरण के साथ लिंक है। आस्ति व भुगतान शर्तों की प्रकृति तत्व पर विचार करते हुए उक्त निर्माणाधीन संपत्ति को प्रगतिधीन पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया गया।

4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - ''कर्मचारी अनुलाभ'' (मूल बैंक)

क. <u>परिभाषित अंशदान योजना</u> :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
क. भविष्य निधि		0.47
ख. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	11.66	0.00

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

क. **पेंशन योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(*Note: Figures in bracket relate to previous year*)

1. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

The Bank has made an appropriation of ₹ 227 crores (₹ Nil crores) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year

2. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7(i), certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

3. Fixed Assets

3.1 Depreciation of ₹ 106.14 (₹ 131.24) crore for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to profit and loss account. Equivalent amount of ₹ 106.14 (₹ 131.24) crore has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

3.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crores (₹ 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

3.3 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets (Building) that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress (CWIP) amounting to ₹ 34.38 crore (₹ 34.39 crore) includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Considering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction property is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

4. Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits" (Parent Bank)

A. <u>Defined Contribution Plans</u>:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
a. Provident Fund		0.47
b. Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	11.66	0.00

B. <u>Defined Benefit Plans:</u>

a) **Pension Plan**- This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

ख. **उपदान योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग. **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है। यह गैर-निधिगत योजना है।

b) **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences-**This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. **परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:**

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	5740.91	5290.29	536.21	580.31	279.00	289.16
2	ब्याज लागत Interest Cost	376.18	374.33	31.77	39.47	17.16	20.67
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	323.21	204.37	26.85	22.30	58.52	35.07
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	–	–	–	–	–	–
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(450.13)	(422.29)	(119.83)	(132.68)	(43.46)	(40.02)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	124.10	294.20	62.17	26.82	(38.82)	(25.88)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	**6114.27**	**5740.90**	**537.18**	**536.21**	**272.40**	**279.00**

II. **योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in the Fair Value of Plan Assets:**

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	5724.33	5361.50	533.72	441.97
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	480.84	437.50	45.36	40.66
3	दिया गया अंशदान Contributions made	282.85	350.32	102.16	181.54
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(450.13)	(422.29)	(119.83)	(132.68)
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	(8.21)	(2.70)	(0.67)	2.23
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	**6029.68**	**5724.33**	**560.74**	**533.72**

III. तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	6114.27	5740.91	537.18	536.21	6651.45	6277.12	272.40	279.00
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(6029.68)	(5724.33)	(560.74)	(533.72)	(6590.42)	(6258.05)	0.00	0.00
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	84.59	16.58	(23.56)	2.49	61.03	19.07	272.40	279.00
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	84.59	16.58	(23.56)	2.49	61.03	19.07	272.40	279.00

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	323.21	204.37	26.85	22.30	58.52	35.07
2	ब्याज लागत Interest Cost	376.18	374.33	31.72	39.42	17.16	20.67
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(480.84)	(437.50)	(45.31)	(40.61)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	132.31	296.90	62.84	24.59	(38.82)	(25.88)
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized**	**350.86**	**438.11**	**76.10**	**45.69**	**36.86**	**29.86**
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost**	**350.86**	**438.11**	**76.10**	**45.69**	**36.86**	**29.86**

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr. No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	16.58	(71.21)	2.50	138.33	279.00	289.16
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	350.86	438.11	76.10	45.66	36.86	29.86
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(282.85)	(350.32)	(102.17)	(181.50)	(43.46)	(40.02)
4	**अंतिम निवल देयता** **Closing Net Liability**	**84.59**	**16.58**	**(23.57)**	**2.49**	**272.40**	**279.00**

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	480.84	437.50	45.36	40.66
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	(8.21)	(2.70)	(0.67)	2.23
3	**योजना आस्तियों पर वास्तविक आय** **Actual return on plan assets**	**472.63**	**434.80**	**44.69**	**42.89**

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	बट्टा दर Discount rate	6.50%	7.37%	6.67%	7.68%	6.67%	7.68%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.40%	8.16%	8.50%	9.20%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई	
		31.03.2020	31.03.2019
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.46	0.20
2	छुट्टि किराया रियायत	7.21	14.85
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.14	0.06
	कुल	**7.81**	**15.11**

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in Crores)

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2020	31.03.2019
1	Resettlement Allowance	0.46	0.20
2	Leave Fare Concession	7.21	14.85
3	Silver Jubilee Award	0.14	0.06
	Total	**7.81**	**15.11**

5. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

व्यवसाय खंड Business Segments >	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other bankin Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व Revenue	4984.18	4472.65	3702.54	3764.18	3825.10	3753.34	643.45	427.74	13155.27	12417.90
परिणाम Result	1260.03	1263.22	(1413.11)	(4919.49)	(264.55)	(1533.73)	167.73	81.64	(249.90)	(5108.36)
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									0	0
परिचालनगत लाभ Operating profit									(249.90)	(5108.36)
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									(648.74)	(345.10)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									398.84	(4763.26)
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	64498.34	62703.19	54698.89	51300.76	34620.44	33809.90	11596.50	12731.84	165414.17	160545.69
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									3603.36	4130.78
कुल आस्तियां Total assets									**169017.53**	**164676.47**
खंड देयताएं Segment liabilities	63594.78	61826.98	51836.70	49846.16	32725.61	32765.02	9951.26	14355.23	158108.35	158793.39
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									10909.18	5883.08
कुल देयताएं Total liabilities									**169017.53**	**164676.47**

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया हैI

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

i. कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और

ii. किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और

iii. एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।

ड) गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को अन्य बैंकिंग संव्यवहारों में शामिल किया गया है।

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का परिचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

i. Total average annual turnover is less than ₹ 50.00 Crores and

ii. No aggregate exposure to one counterpart exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crores.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6. लेखा मानक 18- संबध्द पक्ष प्रकटन:

इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क. बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख. बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -

1) श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 02.12.2018 से आज तक)

2) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.03.2017 से 30.03.2020 तक)

3) श्री हेमन्त कुमार टम्टा, कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.12.2018 से आज तक)

4) श्री नागेश्वर राव वाई., कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.03.2020 से आज तक)

5) श्री वी. पी. श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक 10.04.2018 से आज तक)

चूँकि 'सब्सिडियरी' और 'एसोसिएट्स' प्रत्येक की श्रेणी में केवल एकमात्र ही इकाई है, इसलिए भा.रि.बैं. परिपत्र RBI / 2015 -16/99 DBR. BP.BC No. 23 / 21.04.018 / 2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार निम्नानुसार विवरण के अनुसार केवल 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' के संबंध में प्रकटीकरण किया गया है :-

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20	31.03.19
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	1.06	1.14
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को ऋण एवं अग्रिम (मंजूर सीमा)	1.38	2.18
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को ऋण एवं अग्रिम (बकाया शेष)	0.88	1.30
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों की जमाराशि (बचत खाता)	0.10	0.38
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा जमा संग्रहण	1.33	0.37
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को प्रदत्त ब्याज	0.03	0.04
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी से प्राप्त ब्याज	0.04	0.05

7. लेखा मानक 19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी उपचित आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य (उचित ऋण परिशोधन के बाद), जो भी कम हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि रू.152.65 करोड़ (पिछले वर्ष रू.143.43 करोड़) है।

6. Accounting Standard 18 – Related party disclosures:

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

1) Shri A S Rajeev , MD & CEO (from 02.12.2018 till date)

2) Shri A C Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to 30.03.2020)

3) Shri Hemant Kumar Tamta, Executive Director (from 31.12.2018 till date)

4) Shri Nageshwara Rao Y, Executive Director (from 31.03.2020 to till date)

5) Shri V P Srivastava, Chief Finance Officer (from 10.04.2018 to till date)

As there is only one entity each in the category of 'Subsidiary' and 'Associates', disclosure is made only in respect of 'Key Management Personnel' as per details hereunder as per RBI Circular :- RBI/2015 -16/99 DBR. BP.BC No. 23/21.04.018/2015-16 dated 01.07.2015: -

(B) Transactions with Related parties

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.20	31.03.19
Salary & Allowances (including perquisites)	1.06	1.14
Loans & Advances to Key Management Personnel (Limit sanctioned)	1.38	2.18
Loans & Advances to Key Management Personnel (Outstanding Balance)	0.88	1.30
Deposits of Key Management Personnel (Saving accounts)	0.10	0.38
Placement of Deposits by Key Management Personnel	1.33	0.37
Interest paid to Key Management Personnel	0.03	0.04
Interest received from Key Management Personnel	0.04	0.05

7. Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of lease payments (after due amortization), whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense as and when incurred in the statement of Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases is ₹ 152.65 crore (Previous year ₹ 143.43 crore)

8. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय	₹ 0.69	(14.19)
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	39883.9	(476324.74)
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	58165	33557
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	0.69	(14.19)
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	10.00	10.00

9. समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक (एएस-21)

सहायक इकाई अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों का मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के साथ क्रमशः लेखा मानक 23 तथा लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है।

10. आय पर करों का लेखांकन (एएस-22)

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने एएस-22 के अनुपालन में आय पर करों की गणना की गई है. तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	929.79	1164.15
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	201.25	131.07
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	2279.83	1966.13
4) अचल आस्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	74.57	37.14
कुल	**3485.44**	**3298.49**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	173.35	173.35
2) निवेश में ह्रास के कारण	0.00	162.64
3) अचल आस्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	0.00	0.00
4) अन्य प्रावधान जहां डीटीएस तैयार किया गया है	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)	**173.35**	**335.99**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (क-ख)	**3312.09**	**2962.50**

8. Accounting Standard 20- Earning per Share

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Basic / Diluted E.P.S.	₹ 0.69	(14.19)
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (Rs in lakhs)	39883.9	(476324.74)
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	58165	33557
c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	0.69	(14.19)
d) Nominal Value per Share	10.00	10.00

9. Accounting Standard on Consolidated Financial Statements (AS – 21)

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

Based on the thorough review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized and accordingly during the year 2019-20, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	929.79	1164.15
2) On account of provisions for Employees benefits	201.25	131.07
3) Other Provisions where DTA is created	2279.83	1966.13
4) On account of depreciation on fixed assets	74.57	37.14
Total	**3485.44**	**3298.49**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	173.35	173.35
2) On account of Depreciation on Investment	0.00	162.64
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00
4) Other Provisions where DTL is created	0.00	0.00
Sub-Total (B)	**173.35**	**335.99**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**3312.09**	**2962.50**

11. लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि - 3 वर्ष
परिशोधन दर - 33.33%
परिशोधन पद्धति - लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	42.21	37.10
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	13.61	33.79
वर्ष के दौरान परिशोधन	31.81	28.68
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	24.01	42.21

12. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक-28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29): प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए ₹ 0.83 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

14. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/ समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य अब भी प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

15. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया गया है।

16. ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामलों हेतु प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिती को प्रभारित की जानी है।

11. Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.
Amortization Rate - 33.33 %
Amortization Method - Straight line at cost

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Software at the beginning of the year	42.21	37.10
Software acquired during the year	13.61	33.79
Amortization during the year	31.81	28.68
Net carrying amount at the end of the year	24.01	42.21

12. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets during current financial year and as such no provision is required as per AS-28.

13. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, additional provision of ₹ 0.83 Crores has been made against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

14. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

15. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under “Notes on Accounts” as given in the standalone financial statements of the bank, its subsidiary and the associate.

16. Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या) Up to the year ended 31.03.2020 (No. of Cases)	31.03.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या During the quarter ended 31.03.2020 (No. of Cases)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक (राशि) Up to the year ended 31.03.2020 (Amount)	31.03.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि) During the quarter ending 31.03.2020 (Amount)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of provision made during the year ended 31.03.2020 (Amount)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षित को नामे डाली गई परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of amortised provision debited to “Revenue Reserves” as at the year ended 31.03.2020 (Amount)
242	78	3348.29	176.02	3348.29	0

वर्ष के दौरान बैंक ने वर्ष में पाई गई धोखाधड़ी के संबंध में रू.3348.29 करोड़ (₹1447.99 करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया है और वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधडियों के लिए कोई अपरिशोधित प्रावधान नहीं है।

During the year, the Bank has made full provision for the frauds of ₹ 3348.29 crore (₹ 1447.99) crore detected during the year and there is no un-amortised provision for frauds detected during the year.

17. जहां कहीं आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/ पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयोग्य बनाया जा सके।

17. Previous year’s figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year’s figures.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

विवरण Particulars		31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2020		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज					
Interest received during the year from advances, Investments etc.		11495,52,98		10849,68,78	
आय का हिस्सा/सहयोगी संस्था में हानि					
Share of earnings/ loss in Associates		9,51,72		19,80,14	
अन्य आय Other Income		1650,22,81	**13155,27,51**	1548,42,58	**12417,91,50**
घटाएं:व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज					
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		7215,73,11		7115,15,22	
परिचालन व्यय Operating Expenses		3081,95,99		3084,17,94	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		2458,74,51	**12756,43,61**	6981,83,08	**17181,16,24**
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि					
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**398,83,90**		**-4763,24,74**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें					
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		2458,74,51		6981,83,08	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		210,94,81		241,37,33	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		-4,80,93		,6,96	
आय का हिस्सा / सहयोगी संस्था में हानि Share of Earnings/Loss in associates		-9,51,72		-19,80,14	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		264,27,17	**2919,63,84**	283,44,28	**7486,91,51**
			3318,47,74		**2723,66,77**
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			**,18,00**		**,19,00**
परिचालन से अर्जित नकद लाभ	(I)				
Cash Profit Generated From Operations			**3318,29,74**		**2723,47,77**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) :					
Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		9413,79,03		1669,62,01	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां					
Borrowings other than Bond Borrowings		-6479,13,96		6285,45,66	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-2411,43,13		-6823,10,91	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि					
Total of Increase of Operating Liabilities		**523,21,94**		**1131,96,76**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी)					
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		-1946,68,31		16094,79,96	
अग्रिम Advances		4205,43,98		-3131,06,64	
अन्य आस्तियां Other Assets		889,39,71		1734,19,60	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि					
Total of Increase of Operating Assets		**3148,15,38**		**14697,92,92**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि	(II)				
Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets			**-2624,93,44**		**-13565,96,17**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(क (A) = I+II)				
Cash Flow From Operating Activities			**693,36,30**		**-10842,48,40**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		14,33,68		6,80,51	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-123,57,95		-132,73,90	
आय का हिस्सा/सहयोगी संस्था में हानि		9,51,72		19,80,14	
Share of Earnings/Loss in associates					
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(ख)		**-99,72,56**		**-106,13,25**
Net Cash Flow From Investing Activities	(B)				

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

विवरण Particulars		31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2020		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019	
ग C. Cash Flow From Financing Activities:					
i) बांडों को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		–		-200,00,00	
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		–		–	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		–		–	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-264,27,17		-283,44,28	
v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना/(शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares /(Share Apllication Money)		962,70,00		4703,00,00	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)			**698,42,83**		**4219,55,72**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**(क+ख+ग) (A+B+C)**		**1292,06,58**		**-6729,05,93**

Note : जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित और पुन:वर्गीकृत किया गया है। Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य		
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष		
Cash & Balance with RBI	**7919,98,72**	15809,06,35
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन		
Balances with Banks & Money at Call & Short notice	**1234,96,79**	74,95,09
	9154,95,51	**15884,01,44**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य		
Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष		
Cash & Balances with RBI	**10353,68,78**	7919,98,72
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन		
Balance with banks & money at call & Short notice	**93,33,30**	1234,96,79
	10447,02,08	**9154,95,51**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**1292,06,57**	**-6729,05,93**

सुधीर डी. बाजपेई
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SUDHIR D. BAJPAI
Dy. Gen. Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
मुविअ
V. P. SRIVASTAVA
CFO

नागेश्वर राव वाई.
कार्यपालक निदेशक
NAGESWARA RAO Y.
EXECUTIVE DIRECTOR

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन:005301एन
सनदी लेखाकार
for M/s. M. D. Gujrati & Co.
FRN: 005301N
Chartered Accountants

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Partner
Membership No: 081552

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए मदन गोपाल नारायणन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 211784
CA Madan Gopal Narayanan
Partner
Membership No. 211784

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

सीए एस. अनंथन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 026379
CA S Ananthan
Partner
Membership No: 026379

स्थान : पुणे
दिनांक : 16 जून, 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मेसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी सनदी लेखाकार कृष्णाश्रय, जे - 8 (जीएफ) ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 016.	**मेसर्स के गोपाल राव एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 21, मूसा स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नै - 600 017.
मेसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित 204, नैशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 703.	**मेसर्स अबर्णा एंड अनंथन** 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरू - 400 001.

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति एवं ''बैंक ऑप महाराष्ट्र'' के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (''बैंक'') और उसकी सहायक कंपनी (बैंक और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ ''समूह (द ग्रुप)'' के रूप में संदर्भित किया गया है), इसके सहयोगी संस्थान के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2020 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाओं (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरणोंट के रूप में संदर्भित) की हमने लेखा परीक्षा की है।

2. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (''अधिनियम''), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक जानकारी का भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में बैंक के लिए आवश्यक तरीके के अनुसार सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

   क. तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2020 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है;

   ख. लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और

   ग. नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया गया है। हम समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों से इसकी नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) के अनुसरण में भारत के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबद्ध है, और हमने नैतिक संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) और इन आवश्यकताओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वो समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले कर ज़ोर

4. दुनिया भर में कोविड 19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में, यद्यपि चुनौतियां सामने आती

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

M/s. M. D. Gujrati & Co. Chartered Accountants, Krishnashraya, J-8 (GF), Green Park Extension,New Delhi-110016.	**M/s. K. Gopal Rao & Co.** Chartered Accountants, 21, Moosa Street, T Nagar, Chennai- 600 017.
M/s. Batliboi & Purohit 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.	**M/s. Abarna & Ananthan** 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.

To,

President of India and Members of "BANK OF MAHARASHTRA"

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra ('the Bank') and its subsidiary (the Bank and its subsidiary together refer to as "the Group"), its associate, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2020, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to Consolidated Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statement").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act"), the requirements of the Reserve Bank of India, in the manner so required for bank and give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India including accounting standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and give,

   a. in case of Balance Sheet, read with the notes thereon gives true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;

   b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March 2020 and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March 2020.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group, its associate in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the Provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Consolidated Financial Statement.

Emphasis of Matter

4. The spread of COVID 19 across the globe has resulted in decline in economic activity and increase in volatility in financial markets.

रहती हैं, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र उससे निपटने के लिए सभी मोर्चों पर तत्पर है। स्थितियां अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और नकदी प्रवाह को कम करने से उत्पन्न होंगी।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

5. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उसपर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन:** (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2020 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.86,871.65 करोड़ का शुद्ध अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। कोविड 19 विनियामक पैकेज पर आईआरएसी मानदंडों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं। अग्रिमों से आय, कुल आय का 48.76% बनाती है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु.2952.94 करोड़ है जो कुल व्यय का 23.15% बनाता है। आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है।	हमने सिस्टम, आवेदन, अनुमोदन के ऊ पर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्थ खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है। हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरियों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है।

In this situation, though the challenges continue to unfold, Bank of Maharashtra gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. Major challenges for Bank of Maharashtra would arise from extended working capital cycle and waning cash flows.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	**Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:** (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Consolidated Financial Statements) The Group's portfolio comprises of Net Advances of Rs. 86,871.65 Crores as at 31st March 2020 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, guidelines on COVID 19 regulatory package dated March 27, 2020 and April 17, 2020 issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines. Income from Advances constitutes 48.72% of Total Income. The provision in respect of Nonperforming Asset is Rs. 2952.94 Crores which constitutes 23.14% of the total expenditure. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed.	We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports. We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines. We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एक्सपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बट्टे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित ढ़ंग से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं।	संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए। हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेंग रिपोर्ट सहित संपाश्विक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक फ्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया है और बैंक की ऋण नीतियों, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है। हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially misstated. Hence we consider this as a Key Audit Matter.	Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls. We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies. We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning of such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retails loans which effectively monitors, control, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियामक पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के संबंध में, हमने प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन जैसा कि प्रभाव की सीमा भविष्य की स्थिति पर निर्भर है और उसमें काफी अनिश्चितताएं हैं, हमने मुख्य रूप से उन मान्यताओं और अनुमानों पर विश्वास किया है, जो बैंक की आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है। हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है।
2.	**निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण:** (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) खरीद के समय निवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।	हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं। हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/ प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have reviewed the Banks process for granting moratorium to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. With respect additional provision made by the Bank on account of the impact of COVID 19 pandemic, we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for the same but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars. We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications.
2.	**Classification and Valuation of Investments:** (Refer Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policy to the Consolidated Financial Statement) Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines.	We have tested the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls. We have examined the investment agreement/ term sheet entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक के निवेश से आय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुल आय का 31.97% शामिल है जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं जिन्हें हमने इस पहलू को मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में पहचाना है।	बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है। हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया। प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यह्रास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/ मूल धन के रूपांतरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जाँच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा नमूने आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया। हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात ज्यूंजीगत आरक्षित खातेट को विनियोजित किया गया।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having a overall significance to the financial results of the Bank. Income from Investment of the Bank comprises 31.94% of the total income in view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter.	Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process. We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank. We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. We have reviewed the application/ conversion of interest/ principle towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank. We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain/loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit/debit in the profit and loss account. We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase/ sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit/ loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यह्रास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि नोटों से खातों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं।
3.	**सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा :** बैंकों का प्रमुख व्यावसायिक उद्देश्य स्वचालन और एप्लीकेशन हैं जो बैंकिंग व्यवसाय के प्रति महत्वपूर्ण है तथा व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक मुख्य आधार के रूप में बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके माध्यम से व्यवसाय संचालन की उच्च मात्रा के समर्थन हेतु जटिल सूचना प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर से मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन का निर्धारण किया जाता है। आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यावसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता प्रदर्शन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है। हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मानते हैं।	सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाती है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है। हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की दिशा में है। हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावेजीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुनः प्रदर्शन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया। हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रोद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद प्रयोग की मैपिंग को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts.
3.	**Information Technology Systems and Control Framework:** The Banks key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective. The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes. We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter.	Information technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank. We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations. We have adopted various techniques such as enquiry; review of documentation, record, reports, observation, and reperformance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique. We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है। हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाइंट सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है। हमारे द्वारा हाल ही में कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के प्रभाव के बाद स्थिरता तथा वृद्धि हेतु बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया। हमने अधिक समग्र, व्यापक तरीके से सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं।
4.	**प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :** अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 की नोट क्र.10 और अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र.10.5) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन।	हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP. We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management through certain data drill conducted by us and comparing the required results. We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of recent COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth post COVID 19. We have tested risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way, ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective.
4.	**Provisions and Contingent Liability:** Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 10.5 of Schedule 18)	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. Understanding the current status of the litigations/tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon;

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय / कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
5.	**कोविड-19 प्रकोप के आलोक में अपनाई गई संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि :** कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा हमारे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लगाए गए राष्ट्रव्यापी बंद और यात्रा प्रतिबंधों के फलस्वरूप भौतिक रूप से शाखा को भेंट देना संभव नहीं था। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को लेखापरीक्षा अन्य स्थान से करने के निर्देश जारी किए गए। परिणामस्वरूप बैंक की कई शाखाओं/ अंचल के परिसर को भेंट देकर लेखापरीक्षा संपन्न नहीं की जा सकी। चूंकि हम व्यक्तिगत / भौतिक रूप से लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकें और शाखाओं/ अंचल/ कॉरपोरेट कार्यालय के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकी। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि को अन्य स्थानों से करने के लिए संशोधित किया गया। हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि की पहचान प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक और आईसीएआई ने क्रमशः दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए, जिसके आधार पर हमने लेखापरीक्षा राय बनाने और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि संपादित की। संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को पूरा करने के लिए बैंक ने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक रिपोर्टों और दस्तावेजों को देखने के लिए बैंक के नेटवर्क पर हमें ''स्टैट्यूटरी'' ऑडिट रिपोर्टड नामक एक कस्टमाईज्ड इंट्रानेट पोर्टल उपलब्ध कराया है। हमारे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल है ; 1. कोविड-19 के कारण जहां भौतिक रुप से जाना निषिद्ध था, बैंक की उन शाखाओं / अंचलों के संबंध में रिमोट एक्सेस/ ईमेल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेजों/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया गया। 2. दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां, विलेख, प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया किया गया और प्रतियां प्राप्त की गई। । 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवादों और फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूछताछ की गई।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal/tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements/ interpretation of law involved.
5.	**Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak**: In view of the COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit and the RBI issued directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely as physical access was prohibited, therefore audit could not be conducted by visiting the premises of many Branches/ Zone of the bank. As we could not obtain audit evidence in person/ physically and personal interactions with the officials at the Branches/Zone / Corporate Office, accordingly our Audit procedures were modified to carry out the Audit remotely. We have identified such modified Audit Procedure as Key Audit Matter.	Due to the COVID-19 Pandemic, RBI and ICAI issued guidelines and advisory respectively, based on which we carried out modified audit procedures to obtain reasonable assurance to form an audit opinion. To carry out modified audit procedure, the Bank has made available to us a customized intranet portal named "Statutory Audit Reports" hosted on Bank's network enabling us to access reports and documents we sought necessary for the purpose of Audit. Our modified audit procedure include; 1. Conducted verification of necessary records/ documents/CBS and other application software electronically through remote access/emails in respect of some of the Branches/zones of the Bank wherever physical access was prohibited due to COVID-19. 2. Obtained and carried out verification of scanned copies of documents, deeds, certificates, and other related records. 3. Made enquiries to obtain necessary audit evidence through video conferencing, dialogues, and discussions over phone calls/ conference calls, emails, and similar communication channels.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		4. हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान पदनामित पदाधिकारियों के साथ आमने-सामने की चर्चा के बजाय टेलीफोन/ ईमेल के माध्यम से किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के तहत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

समेकित फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट ठअभिशासन हेतु प्रभारितड को करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय समेकित विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समूह और इसकी सहयोगी कंपनी सहित इसकी समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (ञRBIट) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 21 ॐ ठसमेकित वित्तीय विवरणड और लेखा मानक 23 ॐ ठसमेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकनड सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। समूह और इसके सहयोगी सहित संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों में शामिल संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		4. Resolved our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Consolidated Financial Statement and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosure.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure we do not express any form of assurance conclusion thereon

In connection with our Audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matters to 'Those charged with Governance'.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group including its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India and in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statement", and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statement", issued by Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the company included in the group and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid .

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and its associate are responsible for assessing the ability

कंपनियों को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार, करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

समूह और सहयोगियों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या समेकित वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्तः

- समेकित वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं या इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंधित पर्याप्त समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके समेकित वित्तीय विवरणों के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित

of the Group and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the Companies included in the Group and of the associate is also responsible for overseeing the Financial Reporting process of the Group and its associate.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its associate ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities of the Group and its associate to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the Financial Statements of such entity included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other subsidiary entity and

वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य अनुषंगी इकाई और सहयोगी कंपनी, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और अलेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों को सहयोगी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के लिए ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और सहयोगी कंपनी का प्रबंधन उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने लेखा परीक्षा मत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों और इस तरह की अन्य इकाइयों के साथ संवाद करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिसके लिए हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंध में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल उन 921 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को रु.98095.49 करोड़ की कुल आस्तियां और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए रु.5686.07 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी की लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और इसमें हमारा मत, जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन का संबंध है, मात्र ऐसे सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। साथ ही, हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल उन 908 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को रु.36397.23 करोड़ की कुल आस्तियां और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए रु.1994.31 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है

इसके साथ ही, हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार रु.18.13 करोड़ की कुल आस्तियां प्रदर्शित करती है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.2.53 करोड़ है। समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है और कंपनी के सहायक प्रतिष्ठान द्वारा प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार

associate company included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditor and the unaudited financials approved by management of the associate company, such other auditor and the management of the associate company remains responsible for direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Financial Statements.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the Financial Statements / information of 921 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / financial information reflect total assets of Rs. 98095.49 crores as at 31st March 2020 and total revenue of Rs. 5686.07 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Financial Statements / information of these branches have been audited by the Statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Statutory branch auditors. Further we did not audit the Financial Statement of 908 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements reflect total assets of Rs. 36397.23 Crores as at 31st March 2020 and total revenue of Rs 1994.31 Crores for the year ended on that date as consider in the Consolidated Financial Statement have been drawn by the management.

Also, we did not audit the Financial Statements of the subsidiary company whose Financial Statement/financial information reflect total assets of Rs. 18.13 crores as at 31st March 2020, Total revenue of 2.53 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's

किए अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रु.0.74 करोड़ के कर पश्चात निवल लाभ की समूह की साझेदारी को भी शामिल किया गया है। सहयोगी कंपनी और सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और सहायक प्रतिष्ठान कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है, जिनकी रिपोर्ट और विवरण प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है तथा इस सहायक प्रतिष्ठान और सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत संबद्ध है तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट उक्त सहायक कंपनियों और सहायक प्रतिष्ठान से संबंधित है, वह सहायक कंपनियों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्टों और सहायक प्रतिष्ठान कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा नीचे अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी द्वारा इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त परिच्छेद 6 तथा 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

   ख) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और

   ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

share of Net Profit after tax 0.74 crores for the year ended 31st March, 2020 as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of one associate, whose Financial Statements / financial information have not been audited by us. The Financial Statements/financial information of the subsidiary company and associate have been audited by the other auditors, whose reports and statements have been furnished to us by the management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary and associate company and our report in terms of sub section (3) of sec 143 of the Act, in so far it relates to the aforesaid subsidiary and associate, is based solely on the reports of the other auditors in respect of subsidiary company and the associate company.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of these matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors and the Financial Statements/financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

कृते मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:005301एन
for M/s. M. D. Gujrati & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005301N

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Partner
Membership No: 081552
UDIN: 20081552AAAAAX8884

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000956एस
for M/s. K Gopal Rao & Co
Chartered Accountants
FRN: 000956S

सीए मदन गोपाल नारायणन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 211784
CA Madan Gopal Narayanan
Partner
Membership No. 211784
UDIN:20211784AAAANF3179

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
for M/s. Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615
UDIN:20030615AAAACK7128

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000003एस
for M/s. Abarna & Ananthan
Chartered Accountants
FRN: 000003S

सीए एस. अनंथन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 026379
CA S Ananthan
Partner
Membership No: 026379
UDIN:20026379AAAAAH2234

स्थान : पुणे
दिनांक : 16 जून, 2020

Place : Pune
Date : 16th June, 2020

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(संदर्भः सेबी परिपत्र क्रमांक परि / सीएफडी / पॉलिसी सेल/2/2015, दिनांक 16 जून, 2015)

विनियम 14 - बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रकटीकरण

1. आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऊकर्मचारी शेयर-आधारित भुगतानों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोटट या समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार अन्य संबंधित लेखांकन मानकों के संदर्भ में संबंधित प्रकटीकरण।
2. विनियमों के अंतर्गत कवर की गई सभी योजनाओं के अनुसार शेयरों के निर्गम पर डाइल्यूटेड ईपीएस का प्रकटीकरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऊलेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जनट या समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार अन्य संबंधित लेखांकन मानकों के साथ किया जाएगा।
3. कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) से संबंधित विवरण
   i. प्रत्येक ईएसपीएस पर निम्नलिखित विवरण जिसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटन किए गए थे
      क) शेयरधारकों के अनुमोदन की तिथिः 16.02.2019
      ख) जारी किए गए शेयरों की संख्याः 10,00,00,000 (दस करोड़)
      ग) जिस मूल्य पर ऐसे शेयर जारी किए गएः ₹10.54/ - प्रति इक्विटी शेयर
      घ) लॉक इन पीरियडः 18.04.2019 से 17.04.2020 तक

ii. वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर, ईएसपीएस के अंतर्गत किए गए आवंटन के संबंध में निम्नलिखित विवरण

विवरण	ब्यौरे
इएसपीएस के अंतर्गत जारी किए गए शेयरों की संख्या का विवरण	10,00,00,000 इक्विटी शेयरों
जिस कीमत पर ऐसे शेयर जारी किए गए	₹10.54 प्रति शेयर
जारी किए गए शेयरों का कर्मचारी वार विवरण i. वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मी	3 पूर्ण कालिक निदेशकों सहित 12 कर्मचारियों को 5,78,213 इक्विटी शेयर
ii. कोई भी अन्य कर्मचारी जिसे किसी एक वर्ष में शेयर जारी किए जाते हैं, जो उस वर्ष के दौरान जारी 5% या उससे अधिक शेयर है	शून्य
iii. अभिनिर्धारित कर्मचारी जिसे किसी एक वर्ष में शेयर जारी किए जाते हैं, जो निर्गम के समय बैंक की जारी पूंजी के 1% के बराबर या उससे अधिक है	शून्य
यदि योजना सीधे बैंक द्वारा लागू की जाती है तो शेयरों को जारी करने के समक्ष प्राप्त प्रतिफल	₹100,54,00,000 / -
प्राप्त अभ्यास मूल्य से वर्ष के दौरान ट्रस्ट द्वारा चुकाया गया ऋण	लागू नहीं

उक्त योजना में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं किया गया था और यह योजना सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुपालन में थी। सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के इस विनियम 14 के अंतर्गत संबंधित योजना प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर किया गया है।

Disclosure under SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014

(Ref.: SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2/2015 dated June 16, 2015)

Regulation 14 - Disclosure by the Board of Directors of the Bank

A. Relevant disclosure in terms of `Guidance note on Accounting for employee share-based payments' issued by ICAI or other relevant accounting standards as prescribed from time to time.

B. Diluted EPS on issue of shares pursuant to all the schemes covered under the Regulations shall be disclosed with `Accounting Standard 20-Earning Per Share' issued by ICAI or any other relevant accounting standard as prescribed from time to time.

C. Details related to Employee Stock Purchase Scheme (ESPS)
   i. The following details on each ESPS under which allotments were made during the year 2019-20
      a) Date of Shareholders' approval: 16.02.2019
      b) Number of Shares issued: 10,00,00,000 (Ten Crore)
      c) The price at which such shares are issued: ₹10.54/- per equity share
      d) Lock in Period: From 18.04.2019 to 17.04.2020

   ii. The following details regarding allotment made under ESPS, as at the end of the year 2019-20.

Particulars	Details
The details of the number of shares issued under ESPS	10,00,00,000 equity shares
The price at which such shares are issued	₹10.54 per share
Employee wise detail of the shares issued to i. Senior managerial personnel	5,78,213 equity shares to 12 employees including 03 Whole Time Directors.
ii. Any other employee who is issued shares in any one year amounting to 5% or more shares issued during that year	Nil
iii. iii. Identified employees who were issued shares any one year equal to or exceeding 1% of the issued capital of the Bank at the time of issuance	Nil
Consideration received against the issuance of shares, if scheme is implemented directly by the Bank	₹100,54,00,000/-
Loan repaid by Trust during the year from exercise price received.	Not Applicable

There was no material change in the said scheme and the scheme was in compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014. The relevant scheme disclosure under this Regulation 14 of SEBI (SBEB) Regulation, 2014 is made on the website of the Bank i.e. www.bankofmaharashtra.in

सीएसआर /CSR

पुणे के अनाथालय, पुणे विद्यार्थी गृह के स्कूली बच्चों को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। माननीय प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव के हाथों विद्यार्थी गृह पुणे के बच्चों को स्कूल बैग, बाथिंग किट, राइटिंग सामग्री और अन्य गिफ्ट वितरित किए गए।

School children from Pune Vidyarthi Gruh, an orphanage in Pune were the special invitees to this 73rd Independence Day celebrations. School bags, bathing kit, writing material and other gifts were distributed to the children of Pune Vidyarthi Gruh at the hands of Hon'ble MD & CEO Shri A S Rajeev Sir.

माननीय कार्यपालक निदेशक श्री हेमन्त टम्टा द्वारा बाढ़ से प्रभावित जरुरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट, कंबल आदि का वितरण

Distribution of food packets, blankets etc. to flood affected needy people by ED Shri Hemant Tamta Sir

महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए महाराष्ट्र मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान

Contribution to Maharashtra Chief Minister's Relief Fund for flood affected districts in Maharashtra

सीएसआर /CSR

माननीय कार्यपालक निदेशक श्री हेमन्त टम्टा द्वारा बाढ़ से प्रभावित जरुरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट, कंबल आदि का वितरण

Distribution of food packets, blankets etc. to flood affected needy people by ED Shri Hemant Tamta Sir

बाढ़ से प्रभावित जरुरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट, कंबल आदि का वितरण

Distribution of food packets, blankets etc. to flood affected needy people

ओडिशा मुख्य मंत्री राहत कोष में तूफान फेनी राहत निधि हेतु अंशदान

Cyclone Fani Relief Fund donation to Odisha Chief Minister's Relief Fund

पुरस्कार जो प्रेरित करते हैं उत्कृष्टता और मज़बूती के लिए !

Rajbhasha Kirti Puraskar for better implementation of Rajbhasha Hindi

Best Performing Bank Award for RSETIs

Best Performing Public Sector Bank from PFRDA for APY Formation Day campaign.

Front-Runners in Top Improvers category among all PSBs

"Team of the Year Award"

Best IT Risk Management & cyber security initiatives amongst medium banks

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

वृद्धि हेतु तत्पर
Aligned to Grow.

वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020
Annual Report 2019-2020

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Follow us @mahabank

Toll Free No.: 1800-233-4526 | **Website:** www.bankofmaharashtra.in | **Net Banking:** www.mahaconnect.in